सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

# का

# राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

# 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

## छत्तीसगढ़ शासन

# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
# का
# राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

## 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

## छत्तीसगढ़ शासन

# विषय सूची


| *विवरण* | *संदर्भ* | |
|---|---|---|
| | *कंडिका* | *पृष्ठ* |
| प्राक्कथन | | v |
| कार्यपालिका सारांश | | vii |
| **पहला अध्याय–राज्य शासन के वित्त** | | |
| छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य | | 1 |
| प्रस्तावना | 1.1 | 2 |
| राज्य के संसाधन | 1.2 | 6 |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 1.3 | 9 |
| पूंजीगत प्राप्तियाँ | 1.4 | 16 |
| लोक लेखा प्राप्तियाँ | 1.5 | 18 |
| संसाधनों का उपयोग | 1.6 | 18 |
| व्यय की गुणवत्ता | 1.7 | 25 |
| शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण | 1.8 | 28 |
| परिसंपतियाँ एवं दायित्व | 1.9 | 32 |
| ऋण प्रबंधन | 1.10 | 37 |
| राजकोषीय अस्थिरता | 1.11 | 39 |
| अनुसरण कार्यवाही | 1.12 | 42 |
| निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ | 1.13 | 43 |
| **दूसरा अध्याय–वित्तीय एवं बजट नियंत्रण** | | |
| प्रस्तावना | 2.1 | 45 |
| बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया | 2.2 | 45 |
| विनियोग लेखे का सारांश | 2.3 | 45 |
| वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन | 2.4 | 46 |
| आकस्मिक निधि से अग्रिम | 2.5 | 52 |
| अनुदान संख्या–06 की वित्त विभाग की समीक्षा | 2.6 | 53 |
| अनुदान संख्या–33 आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा | 2.7 | 57 |
| अनुदान संख्या–39 खाद्य, नागरिक आापुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा | 2.8 | 60 |
| निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ | 2.9 | 64 |
| **तीसरा अध्याय–वित्तीय प्रतिवेदन** | | |
| उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब | 3.1 | 65 |
| स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण | 3.2 | 66 |
| असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक | 3.3 | 67 |
| हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन | 3.4 | 68 |
| लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800–अन्य व्यय" के अंतर्गत समायोजन | 3.5 | 69 |
| राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण | 3.6 | 70 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | कंडिका | पृष्ठ |
| व्यक्तिगत जमा खाते की जांच | 3.7 | 71 |
| लोक निर्माण निक्षेप के अंतर्गत व्यपगत निक्षेप को शासन के खाते में जमा न करने के संदर्भ में | 3.8 | 76 |
| निष्कर्ष एवं अनुशंसायें | 3.9 | 81 |

## परिशिष्ट


| परिशिष्ट क्रं. | विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कंडिका | पृष्ठ |
| 1.1 भाग अ | छत्तीसगढ राज्य की रूपरेखा | राज्य का पार्श्व दृश्य | 85 |
| 1.1 भाग ब | सरकारी लेखे की संरचना एवं प्रारूप | 1.1 | 86 |
| 1.1 भाग स | वित्त लेखों की रूपरेखा | 1.1 | 86 |
| 1.2 | राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि | राज्य का पार्श्व दृश्य 1.1 | 87 |
| 1.3 | राज्य शासन के वित्त का अवधिवार आँकड़ों का विश्लेषण | 1.1,1.3,1.4,1.7.2 | 89 |
| 1.4 भाग अ | वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार | 1.1.1,1.9.1,1.9.2 | 92 |
| 1.4 भाग ब | छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश | 1.9.1 | 95 |
| 1.5 | वर्ष 2014–15 के बजट आंकलन के विरूद्ध वास्तविक व्यय | 1.1.3 | 96 |
| 1.6 | वर्ष 2014–15 के दौरान महिलाओं के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय | 1.1.4 | 98 |
| 2.1 (अ) | विवरण जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था | 2.4.1 | 99 |
| 2.1 (ब) | वर्ष 2014–15 के दौरान सारभुत बचत (20 करोड़ एवं उससे अधिक) का उप–शीर्षवार विवरण | 2.4.1 | 101 |
| 2.2 | अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का विवरण जहाँ प्रावधान से अतिरिक्त व्यय, ₹ 10 करोड़ से ज्यादा था। | 2.4.4 | 103 |
| 2.3 | प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान के ₹ 10 करोड़ या उससे ज्यादा अनुपयोगी रहे | 2.4.5 | 105 |
| 2.4 | प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए | 2.4.6 | 107 |
| 2.5 | प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान आधिक्य साबित हुआ | 2.4.6 | 109 |
| 2.6 | निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन | 2.4.7 | 110 |
| 2.7 | वास्तविक बचत से अधिक समर्पण | 2.4.8 | 113 |
| 2.8 | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्र जहाँ बचत ( ₹ एक करोड़ से अधिक)हुई है, परन्तु उसके किसी भी अंश का समर्पण नहीं किया गया है | 2.4.9 | 114 |
| 2.9 | ₹ एक करोड़ एवं अधिक की समर्पित की गई बचतों के विवरण | 2.4.9 | 115 |
| 2.10 | 31 मार्च 2015 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण | 2.4.9 | 116 |
| 2.11 | विगत वर्षों के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित | 2.4.12 | 118 |
| 2.12 | व्यय का अतिवेग | 2.4.13 | 119 |
| 2.13 | व्यय के अतिवेग का विस्तृत | 2.6.6 | 120 |

| परिशिष्ट क्रं. | विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कंडिका | पृष्ठ |
| 3.1 | 31 मार्च 2015 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र | 3.1 | 121 |
| 3.2 | सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के तहत पहचान की गयी लेखा परीक्षा योग्य इकाइयों की सूची | 3.2.1 | 131 |
| 3.3 | मार्च 2015 तक स्वायत्त निकायों के लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का विश्लेषण | 3.2.2 | 133 |
| 3.4 | चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण | 3.4 | 135 |
| 3.5 | 31 मार्च 2015 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरणों | 3.4 | 136 |
| 3.6 | वर्ष 2014–15 के दौरान हानि प्रकरणों में वसूली की जानकारी | 3.4 | 138 |
| 3.7 | लघु शीर्ष 800 एवं अन्य व्यय के अंतगर्त समायोजन का विश्लेषण | 3.5 | 140 |
| 3.8 | लघु शीर्ष "800"एवं अन्य प्राप्तियों के अंतगर्त समायोजन | 3.5 | 142 |
| 3.9 | राजस्व विभाग के अंतगर्त समायोजित मुख्य कार्यों का विवरण | 3.6 | 143 |
| 3.10 | पूंजीगत विभाग के अंतगर्त सहायता अनुदान का विवरण | 3.6 | 144 |
| 3.11 | अनियमित स्वीकृति का विवरण | 3.6 | 145 |
| 3.12 | अनुबंधित अवधि के बाद पीडी खाते के अधीन अव्ययित राशि का विवरण | 3.7.6.1(क) | 153 |
| 3.13 | अनुबंधित सीमा के बाद राशि व्यय करने का विवरण | 3.7.6.1(ख) | 154 |
| 3.14 | वर्ष 2014–15 में अनुबंधित सीमा के बाद पीडी खाते में राशि जमा करने का विवरण | 3.7.6.1(ग) | 155 |
| 3.15 | अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खाते का विवरण | 3.7.6.3 | 156 |
| 3.16 | कोषालय एवं प्रशासक के पीडी खाते के आंकड़े के बीच अंतर | 3.7.6.5 | 157 |
| 3.17 | संभाग जमा रजिस्टर में व्यपगत जमा की स्थिति जोकि संधारित है लेकिन अद्यतन नहीं है | 3.8.5.1 | 158 |
| 3.18 | नमुना जॉच संभागों के व्यपगत निक्षेपों का शासकीय खातों में लंबित जमा की स्थिति | 3.8.5.2 | 159 |
| 3.19 | जमा खातों में राजस्व का अवधरण | 3.8.5.4 | 160 |

# प्राक्कथन

1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया।

2 इस प्रतिवेदन के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन की क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच से उदभुत मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणें सम्मिलित है। जहां आवश्यक थी छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई।

3 तृतीय अध्याय, वित्तीय प्रतिवेदन पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है एवं राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमों, तौर तरीकों एवं वर्तमान वर्ष में दिए गए निर्देशों की स्थिति स्पष्ट करता है।

4 प्रतिवेदन जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन–देन की लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मंडलों एवं शासकीय कंपनियाँ की लेखापरीक्षा से प्राप्त प्रेक्षण तथा प्रतिवेदन जिनमें राजस्व प्राप्तियों से संबंधित टिप्पणियाँ समाहित है का अलग–अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

# कार्यपालिका सारांश

# कार्यपालिका सारांश

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2015 का समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन राजकाषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005, संशोधित 2011, बजट अभिलेखों, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, तेरहवें वित्त आयोग (टीएचएफसी) द्वारा अनुशंसित आर्थिक समीक्षा मानक तथा विभिन्न शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ो के आधार पर किया गया है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

**प्रथम अध्याय,** वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2015 की स्थिति में शासन की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह राज्य की संपूर्ण वित्तीय स्थिति, समर्पित व्यय तथा उधार पद्धति के बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति के प्रवृत्तियों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा बजट के बाहर अन्य माध्यम से निधियों के हस्तांतरण का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

**द्वितीय अध्याय,** विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधरित है तथा यह अनुदानवार विनियोग का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों के द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है।

**तृतीय अध्याय,** विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन के अनुपालन की सूची है।

## लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

### प्रथम अध्यायः राज्य शासन के वित्त

### राजकोषीय स्थितिः

- वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, 13वें वित्त आयोग में किए गए 12.50 प्रतिशत के प्रावधान के विरूद्ध 13.20 प्रतिशत (वर्ष 2013–14 में ₹ 1,85,682 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 2,10,192 करोड़) था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,573 करोड़ हुआ था और यह शून्य राजस्व घाटा बनाये रखने में असफल रहा जैसा कि 13वें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वारा परिकल्पित किया गया था। वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 8,008 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.81 प्रतिशत था जो कि 13वें वित्त आयोग एव एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक था ।

**( कंडिका 1.1.2)**

- राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 37,988 करोड़) में पिछले वर्ष में ₹ 2,472 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014–15 में ₹ 5,938 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 4,262 करोड़ (90 प्रतिशत), कर राजस्व ₹ 1,364 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश ₹ 483 करोड़ (छः प्रतिशत) की वृद्धि तथा करेत्तर राजस्व में ₹ 171 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी थी।

**( कंडिका 1.3)**

## व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकताएं

- राजस्व व्यय में वर्ष 2013–14 की तुलना में ₹ 6,702 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह बजट अनुमान (₹ 46,191 करोड़) से ₹ 6,630 करोड़ कम था। आगे, वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय (₹ 46,195 करोड़) का 85.64 प्रतिशत एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय में आयोजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2013–14 में 42 प्रतिशत से बढ़ कर 2014–15 में 53 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014–15 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत की कमी हुई और यह कुल राजस्व व्यय का 47 प्रतिशत था।

**(कंडिका 1.1.3, 1.6.1, 1.6.2.1 एवं 1.6.2.2)**

- वर्ष 2014–15 के दौरान, पिछले की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 1,970 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से सड़क एवं पुल, शहरी विकास, अन्य ग्रामीण विकास योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, वृहत सिंचाई तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत था।

**(कंडिका 1.6.4)**

- राज्य के द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत वित्तीय सहायता वर्ष 2013–14 में ₹ 7,650.73 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 10,573.31 करोड़ हो गई। सब्सिडी पर व्यय में ₹ 591 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

**(कंडिका 1.6.6)**

## अपूर्ण परियोजनाएं

- लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के 167 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2015 तक व्यय राशि ₹ 4,824.45 करोड़ निष्फल रही।

**(कंडिका 1.8.1)**

## शासकीय निवेशों पर प्रतिफल

- 31 मार्च 2015 की स्थिति में, शासन ने सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों, बैंकों एवं समितियों आदि में ₹ 1,872.53 करोड़ निवेश किया। वर्ष के दौरान शासन का निवेश पर प्रतिफल (₹ 0.86 करोड़) 0.05 प्रतिशत था यद्यपि औसत ऋण लागत 6.16 प्रतिशत था।

**(कंडिका 1.8.2)**

## राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य के राजकोषीय दायित्वों (₹ 31,181 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 25.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 13.41 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 14.83 प्रतिशत था।

**(कंडिका 1.9.2)**

### ऋण प्रबंधन

- उधार निधियों की कुल उपलब्धता वर्ष 2013–14 में ₹ 4,283 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 4,551 करोड़ हो गई। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2013–14 में 4.22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 4.55 प्रतिशत हो गया।

**(कंडिका 1.10.2)**

## द्वितीय अध्यायः वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

- वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 12,848.03 करोड़ का बचत था, जो कि त्रुटिपूर्ण बजट प्राक्कलन की ओर इंगित करता है। विगत पाँच वर्षों से सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदान में सतत् बचत देखे गये थे।

**(कंडिका 2.3 एवं 2.4.2)**

### आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2014–15 के दौरान आकस्मिकता निधि से छः अवसरों पर राशि ₹ 20.97 करोड़ के अग्रिम का आहरण ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए किया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

**(कंडिका 2.5)**

### वर्ष 2014–15 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित नियमितीकरण

वर्ष 2014–15 के दौरान चार अनुदानों और एक विनियोग में राशि ₹ 833.54 करोड़ का, प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया था, जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमितीकरण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अवधि 2000–14 के लिए ₹ 2,313.39 करोड के अधिक व्यय का नियमितीकरण अभी भी अपेक्षित है।

**(कंडिका 2.4.11 एवं 2.4.12)**

## तृतीय अध्यायः वित्तीय प्रतिवेदन

### अनुदानों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

- राज्य शासन के एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं यथा विश्वविद्यालय, अस्पताल, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य को दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पूरा करने और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रदत्त राशि ₹ 16,476.92 करोड़ के अनुदानों के संबंध में अनुदान ग्रहिता संस्थानों से वृहद संख्या में उपयोगिता प्रमाण पत्र (15254) अपेक्षित हैं, जो कि संबंधित विभागों के द्वारा अनुदानों के उपयोगिता की उचित निगरानी में कमी को इंगित करता है।

**(कंडिका 3.1)**

### स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- आठ स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुए थे, जिससे स्वायत्त निकायों के कामकाज की जाँच में विलंब हुई।

**(कंडिका 3.2.2)**

## सक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर निधियों का आहरण

- मार्च 2015 की स्थिति में विस्तृत आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान आहरित राशि ₹ 79.37 करोड़ के सक्षिप्त आकस्मिक देयक लंबित थे।

**(कंडिका 3.3)**

## हानि तथा दुर्विनियोग के प्रकरणों का प्रतिवेदन

- राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा हानि, दुर्विनियोग आदि के 2263 प्रकरणों में ₹ 109.21 करोड़ के शासकीय धन का मार्च 2015 की स्थिति में निपटारा अपेक्षित था।

**(कंडिका 3.4)**

## व्यक्तिगत जमा खाते का अनुरक्षण

व्यक्तिगत जमा खातें, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर वित्त विभाग की अनुमति के बिना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी जारी रखे गये थे। मार्च 2015 की स्थिति में 224 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,630.82 करोड़ का महत्वपूर्ण अंत शेष था। 14 अप्रचलित पीडी खाते जिनमें ₹ 22.63 करोड़ सम्मिलित थे बंद नहीं किये गये एवं इन खातों में अवशेष पांच वर्ष से अधिक से अनुपयोगी पड़े थे।

**(कंडिका 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6.2 एवं 3.7.6.3)**

## 'लोक निर्माण निक्षेप' के अंतर्गत व्यपगत निक्षेप को जमा नहीं करना

- नमूना जाँच किये गये 17 लोक निर्माण संभागों में, तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी राशि ₹ 19.04 करोड़ शासन के खाते में जमा नहीं किये गये थे। वैट, कल्याण उपकर, रॉयल्टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर भी केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता का उल्लंघन कर लोक निर्माण जमा में रखे गये थे।

**(कंडिका 3.8.5.2 एवं 3.8.5.4)**

# पहला अध्याय
# राज्य शासन के वित्त

# अध्याय 1

# राज्य शासन के वित्त

## छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन द्वारा नवम्बर 2000 में बना, जिसका क्षेत्रफल 1,35,192[1] वर्ग किमी है। यह भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का 10वां और जनसंख्या (2.55 करोड़) के दृष्टिकोण से 16वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ थी जो 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर से वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 47.90[2] था जो अखिल भारत के औसत 29.50 से ज्यादा था। वर्ष 2014–15 में राज्य का वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2,10,192 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 64.66 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 70.28 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) हो गया जो अखिल भारत के औसत 73.00 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) से कम था। वर्ष 2014–15 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 64,442 था। राज्य से संबंधित सामान्य आँकड़ा **परिशिष्ट 1.1 (भाग–अ)** में दिया गया है।

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की आबादी के रहन–सहन के स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है:

**वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद**

| विवरण | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 72,48,860 | 83,91,691 | 93,88,876 | 104,72,807 | उपलब्ध नहीं |
| सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में) | 18.66 | 15.77 | 11.88 | 11.54 | उपलब्ध नहीं |
| राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 1,19,420 | 1,44,112 | 1,65,641पी | 1,85,682क्यू | 2,10,192ए |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में) | 20.18 | 20.68 | 14.94 | 12.10 | 13.20 |

(स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)
(ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान)

वर्ष 2014–15 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जो 13वें वित्त आयोग में किए गए प्रावधान (12.50 प्रतिशत) से ज्यादा है। वर्ष 2010–11 से 2013–14[3] के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से ज्यादा था। तृतीयक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निरंतर प्रभावकारी योगदान रहा जो वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40.38 प्रतिशत रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के शेष 59.62 प्रतिशत में, 30.24 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र एवं 29.38 प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र का योगदान था। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित क्षेत्रवार आँकड़े **परिशिष्ट 1.2** में दिये गये हैं।

---

1 छत्तीसगढ़ शासन, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

2 योजना आयोग (जून–2014), गरीबी की माप के लिए कियाविधि की समीक्षा के लिए विषेषज्ञ समूह (रंगराजन) के प्रतिवेदन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे।

3 2014–15 का जीडीपी आँकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण जीएसडीपी से तुलना नहीं किया जा सका।

## 1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पूर्व वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण शासन से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के वित्त लेखे के आधार पर किया गया है। शासन के लेखे की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1(ब)** में दर्शायी गई है और वित्त लेखे की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1 भाग (स)** में दर्शायी गई है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के आंकलन के लिए अपनायी गई पद्धति का वर्णन **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। राज्य शासन के वित्त के विगत पाँच वर्षों के समयबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दिये गये हैं।

### 1.1.1 वर्ष 2014–15 में राजकोषीय लेन देन का सारांश

**तालिका 1.1,** पिछले वर्ष (2013–14) के सापेक्ष चालू वर्ष (2014–15) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेन–देन के सारांश को दर्शाता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 (भाग अ एवं ब)** चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: वर्ष 2014–15 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

| प्राप्तियाँ | | | संवितरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अनुभाग अ: राजस्व** | **2013–14** | **2014–15** | **अनुभाग अ: राजस्व** | **2013–14** | **2014–15** | | |
| | | | | | आयोजनेत्तर | आयोजना | योग |
| **राजस्व प्राप्तियाँ** | **32,050.26** | **37,988.01** | **राजस्व व्यय** | **32,859.57** | **18,571.27** | **20,990.02** | **39,561.29** |
| कर राजस्व | 14,342.71 | 15,707.26 | सामान्य सेवाएं | 7,851.15 | 8,966.39 | 75.19 | 9041.58 |
| कर भिन्न राजस्व | 5,101.17 | 4,929.91 | सामाजिक सेवाएं | 14,282.10 | 4,773.90 | 10,614.95 | 15,388.85 |
| संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा | 7,880.22 | 8,363.03 | आर्थिक सेवाएं | 9,755.93 | 3,852.34 | 10,299.88 | 14,152.22 |
| भारत सरकार से अनुदान | 4,726.16 | 8,987.81 | सहायता अनुदान/अंशदान | 970.39 | 978.64 | 0.00 | 978.64 |
| **अनुभाग ब: पूंजीगत** | | | | | | | |
| **विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ** | **7.64** | **3.03** | **पूंजीगत व्यय** | **4,574.19** | 9.59 | 6534.66 | **6,544.25** |
| **ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ** | **1,637.27** | **194.86** | **संवितरित ऋण तथा अग्रिम** | **1,318.53** | ——— | ——— | **88.32** |
| **अंतर्राज्यीय समायोजन** | **5.14** | **0.91** | **अंतर्राज्यीय समायोजन** | **5.30** | ——— | ——— | **1.22** |
| **लोक ऋण प्राप्तियाँ** | **3,931.89** | **6,439.67** | **लोक ऋण अदायगी** | **689.65** | ——— | ——— | **1,336.73** |
| **आकस्मिकता निधि** | **0.00** | **0.00** | **आकस्मिकता निधि** | **0.00** | ——— | ——— | **0.00** |
| **लोक लेखा प्राप्तियाँ** | **45,867.54** | **51,321.89** | **लोक लेखा संवितरण** | **43,434.15** | ——— | ——— | **49,933.47** |
| **प्रारंभिक रोकड़ शेष** | **2,116.94** | **2,735.29** | **अंतिम रोकड़शेष** | **2,735.29** | ——— | ——— | **1,218.38** |
| **योग** | **85,616.68** | **98,683.66** | **योग** | **85,616.68** | **———** | **———** | **98,683.66** |

(स्रोतः राज्य शासन के वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे)

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैः

| | |
|---|---|
| **राजस्व प्राप्तियाँ** | • ₹ 5,938 करोड़ (18.53 प्रतिशत) की वृद्धि<br>• भारत सरकार से अनुदान में ₹ 4,262 करोड़ (90.17 प्रतिशत) की वृद्धि |
| **राजस्व व्यय** | ₹ 6,702 करोड़ (20.40 प्रतिशत) की वृद्धि<br>• आयोजना व्यय में ₹ 7,240 करोड़ (52.66 प्रतिशत) की वृद्धि<br>• आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 539 करोड़ (2.82 प्रतिशत) की कमी |
| **पूंजीगत व्यय** | • ₹ 1970 करोड़ (43.07 प्रतिशत) की वृद्धि |
| **ऋण तथा अग्रिम** | • वसूली में ₹ 1442 करोड़ (88.10 प्रतिशत) की कमी<br>• संवितरण में ₹ 1,230 करोड़ (93.30 प्रतिशत) की कमी |
| **लोक ऋण** | • प्राप्तियों में ₹ 2,508 करोड़ (63.78 प्रतिशत) की वृद्धि<br>• भुगतान में ₹ 647 करोड़ (93.83 प्रतिशत) की वृद्धि |
| **लोक लेखा** | • प्राप्तियों में ₹ 5,454 करोड़ (11.89 प्रतिशत) की वृद्धि<br>• भुगतान में ₹ 6,499 करोड़ (14.96 प्रतिशत) की वृद्धि<br>• निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ में ₹ 1,045 करोड़ (16.08 प्रतिशत) की कमी |
| **नगद शेष** | • ₹ 1,517 करोड़ (55.46 प्रतिशत) की कमी |

### 1.1.2.राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (एफआरबीएम अधिनियम), सितंबर 2011 में संशोधित, राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, दक्षपूर्ण ऋण प्रबंधन के साथ राजकोषीय स्थिरता तथा शासन के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग ने एक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मानचित्र निर्धारित किया था, जिसके अनुसार वर्ष 2007–08 में जिन राज्यों का राजस्व घाटा शून्य था अथवा उन्होंने राजस्व आधिक्य प्राप्त कर लिया था उनके लिये यह आवश्यक था कि वे वर्ष 2011–12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करें तथा तत्पश्चात राजस्व शेष को बनाये रखें अथवा आधिक्य प्राप्त करें। साथ ही, सामान्य श्रेणी के राज्य जिन्होंने 2007–08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व आधिक्य को प्राप्त कर लिया उन्हें वर्ष 2012–13 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करना चाहिए एवं इसके पश्चात इसे बनाए रखना चाहिए। राज्यों के लिए यह भी आवश्यक था कि वे अपने एफआरबीएम अधिनियम का संशोधन सुधार क्रम के अनुरूप करें। वर्ष 2007–08 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 3,039 करोड़ का था।

राज्य शासन ने सितम्बर 2011 में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य शासनः

- वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ कर, वर्ष 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष शून्य राजस्व घाटा बनाये रखेगा,
- वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ कर 2014–15 तक, प्रत्येक वर्ष वास्तविक राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक बनाये रखेगा,
- कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में बनाये रखेगा तथा;
- वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ कर किसी वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त कुल दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

वर्ष 2014–15 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसाकि राज्य के एफआरबीएम अधिनियम, एमटीएफपी, 13वें वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: वर्ष 2014–15 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

| राजकोषीय पूर्वानुमान | 2014–15 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13वें वित्त आयोग के लक्ष्य | एफआरबीएम अधिनियम में प्रस्तावित लक्ष्य | बजट के अनुसार लक्ष्य | एमटीएफपीएस में प्रावधान | वास्तविक |
| राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+) | 0.00 | 0.00 | (+) 2,463.51 | (+) 2,463.51 | (–) 1,573.28 |
| राजकोषीय घाटा(–)/आधिक्य (+) | सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना | सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना | (–) 5,760.93 | (–) 5,760.93 | (–) 8,008.27 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.81 प्रतिशत) |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया | 23.90 | 23.90 | बजट में उल्लेखित नहीं | 15.53 | 14.83 |

(स्रोतः एफआरबीएम अधिनियम दस्तावेज, 13वें वित्त आयोग प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज एवं राज्य वित्त लेखे 2014–15)

जैसा कि **तालिका 1.2** से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में 13वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम द्वारा निर्धारित लक्ष्य शून्य राजस्व घाटा के विरूद्ध ₹ 1,573.28 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय नीति में ₹ 2,463.51 करोड़ का राजस्व अधिक्य का प्रावधान किया गया था।

वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 6,702 करोड़ (20.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 5,938 करोड़ (18.53 प्रतिशत) की वृद्धि से ज्यादा था, जिससे राजस्व घाटा की स्थिति उत्पन्न हुई।

वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹8,008 करोड़) वर्ष 2013–14 में ₹ 5,057 करोड़ से ₹ 2,951 करोड़ बढ़ गया जिसका मुख्य कारण राजस्व घाटा का वर्ष 2013–14 में ₹ 809 करोड़ की स्थिति से स्थानांतरित होकर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,573 करोड़ होना एवं पूंजीगत व्यय का वर्ष 2013–14 में ₹ 4,574 करोड़ से ₹ 1,970 करोड़ बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,544 करोड़ होना था। वर्ष 2014–15 के दौरान, राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 3.81 था जो 13वें वित्त आयोग के प्रावधान एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

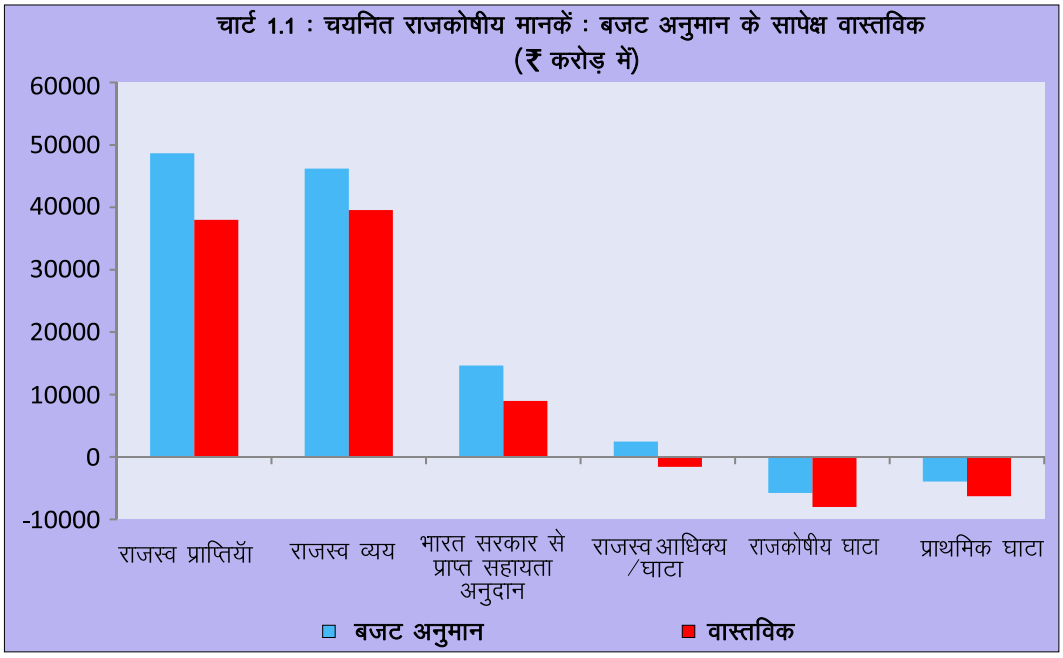
कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 14.83 प्रतिशत था जो कि 13वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम प्रकटीकरण (23.90 प्रतिशत) तथा एमटीएफपीएस (15.53 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर था।

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का कुल अतिरिक्त दायित्व ₹ 6,277 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत) था, जो एफआरबीएम अधिनियम में दिये गये पाँच प्रतिशत की सीमा के अन्दर था।

### 1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविकताएँ

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत बजट अभिलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के प्रायोजनों एवं अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में, राजस्व एवं व्यय के आंकलन में शुद्धता की महत्ता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की विभिन्न कारणों से जिनमें से कुछ शासन के नियंत्रण में है तथा कुछ नियंत्रण के बाहर है, की अप्राप्ति तथा अनुप्रयोग को इंगित करता है। वर्ष 2014–15 के लिए बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 1.1** वर्ष 2014–15 के लिए कुछ महत्व पूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट अनुमान एवं वास्तविक स्थिति का तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है।




(स्रोतः राज्य शासन के वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे एवं राज्य का वर्ष 2014–15 का बजट अनुमान)

ऊपर दिया गया चार्ट यह दर्शाता है कि वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय राज्य शासन के बजट अनुमान से कम था।

वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में ₹ 10,666 करोड़ (22 प्रतिशत) की कमी का मुख्य कारण बजट अनुमान से स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व में ₹ 3,474 करोड़ (14 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 5,674 (39 प्रतिशत) करोड़ की कम प्राप्ति थी।

वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 6,630 करोड़) की कमी का मुख्य कारण बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं में ₹ 3,363 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवाओं में ₹ 3,767 करोड़ (21 प्रतिशत) की कमी थी। यद्यपि, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत बजट अनुमान के विरूद्ध ₹ 502 करोड़ (छः प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

राज्य का वास्तविक पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 1,803 करोड़ कम था। इसका मुख्य कारण सामाजिक सेवाओं में ₹ 491 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 1,307 करोड़ का कम व्यय था, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, राजस्व आधिक्य ₹ 2,464 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्तव में ₹ 1,573 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। राजकोषीय घाटा ₹ 5,761 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्तविक ₹ 8,008 करोड़ था। प्राथमिक घाटा ₹ 3,939 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्वविक ₹ 6,281 करोड़ था।

### 1.1.4 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट सम्पूर्ण बजट के अन्तर्गत उन प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय को दर्शाता है, जो महिलाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। जेण्डर बजट का पृथक भाग बजट (2014–15) के साथ प्रस्तुत किया गया जिसमें विभिन्न योजनाओं में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित बजट प्रावधान का उल्लेख किया गया। जेण्डर बजट अभिलेख के अनुसार, जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया गये थे–(1) वे योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे, तथा (2) वे योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2014–15 के दौरान, महिलाओं के लाभार्थ 16 विभागों[4] में (वर्ग–1:24 योजनाएं एवं वर्ग–2:104 योजनाएं) बजट प्रावधान किये गये थे।

बजट दस्तावेज के अनुसार बजट अनुमानों, विनियोग लेखे के अनुसार निधि का प्रावधान तथा वर्ग (1) के लिए 24 योजनाओं के संदर्भ में वास्तविक व्यय के विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दिये गये हैं।

- वर्ष 2014–15 के जेण्डर बजट के अनुसार, 24 योजनाओं हेतु जैसा कि **परिशिष्ट 1.6** में वर्णित है ₹ 927.49 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध वास्तविक रूप से ₹ 951.81 करोड़ उपलब्ध किया गया था तथा ₹ 900.29 करोड़ का व्यय किया गया था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान बालिका प्रोत्साहन के लिए ₹ 8.50 करोड़ का कुल प्रावधान भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण पुनर्विनियोजन किया गया।

जेण्डर बजट के शुरूआत होने के बाद इस पर किसी प्रकार का विश्लेषण होने के संदर्भ में पुछे जाने (जनवरी 2015) पर संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग (नोडल एजेंसी) द्वारा बताया गया कि इस विभाग द्वारा कोई विश्लेषण नहीं किया गया एवं आगे यह भी बताया गया कि जेण्डर बजट को नियंत्रित करने के लिए कोई पृथक कक्ष नहीं स्थापित किया गया।

## 1.2 राज्य के संसाधन

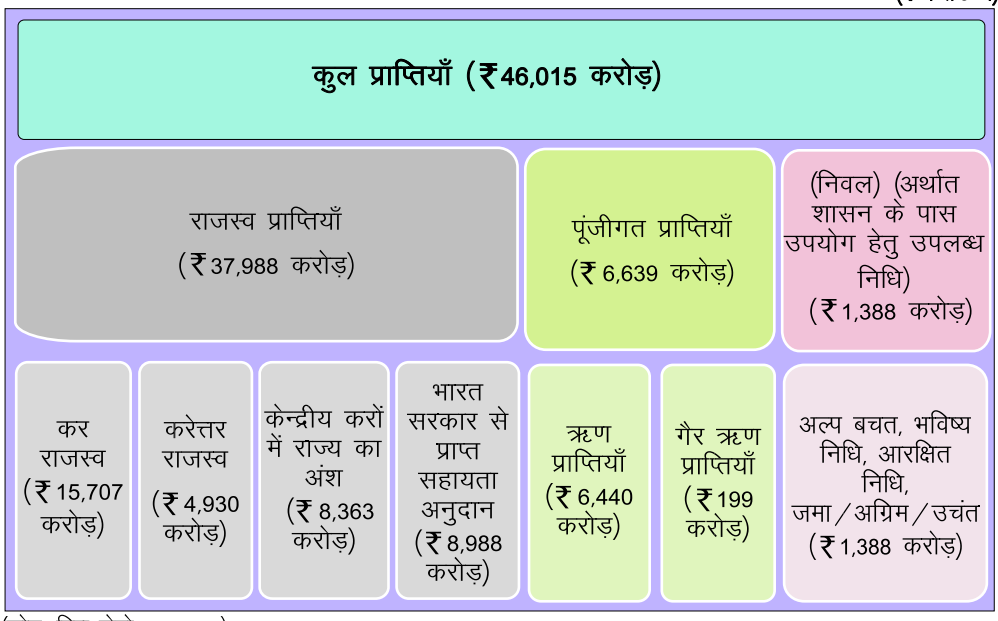
### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों के दो धाराएं हैं जिनमें राज्य शासन के संसाधन समाविष्ट है। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे–विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अंग्रिमों की वसूली, आंतरिक

[4] कृषि विभाग, पशु–पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग, स्कूल शिक्षा, सामाजिक कल्याण विभाग, खेलकूद एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, ग्राम औद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग।

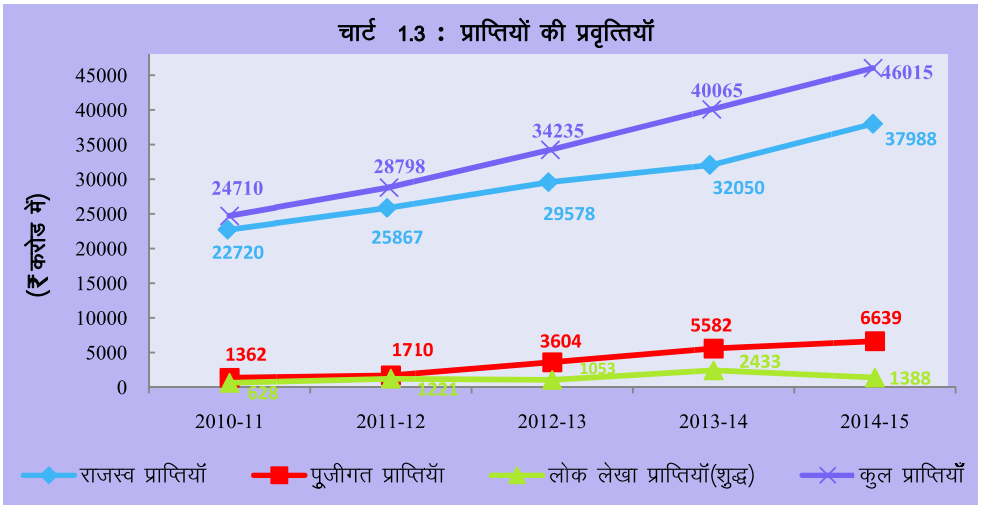
स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में संवितरण के पश्चात उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी शासन अपने घाटे के वित्तीय पूर्ति के लिये करता है। **तालिका 1.1** (पृष्ठ क्रमांक 2) वर्ष 2014–15 में राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों, जैसा कि इसके वार्षिक वित्तीय लेखे में अंकित है, को प्रस्तुत करता है। **चार्ट 1.2** में वर्ष 2014–15 में राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उप–घटकों को प्रदर्शित करने वाला फ्लोचार्ट प्रस्तुत किया गया है जो वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना का चित्रण करता है।

चार्ट 1.2: राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उपघटकों का फ्लोचार्ट (₹ करोड में)



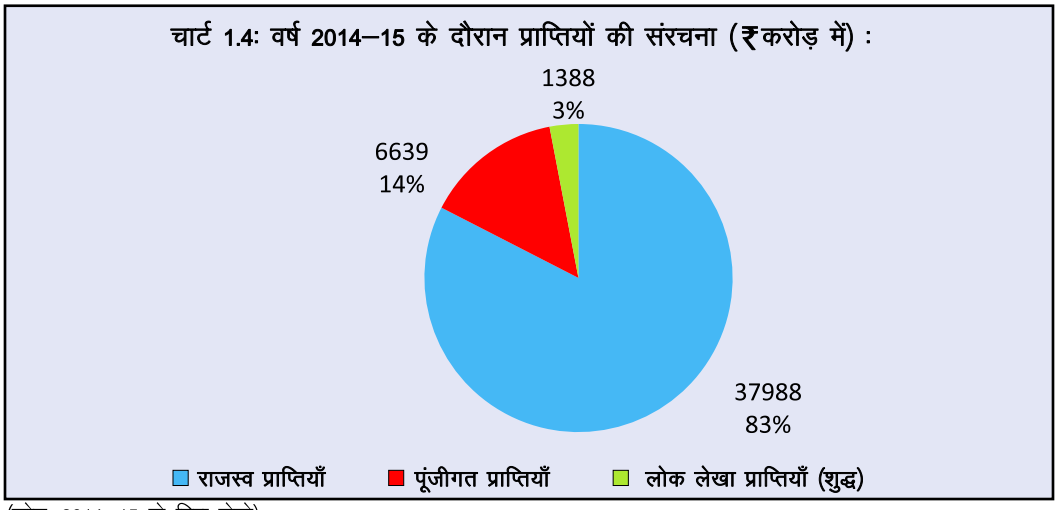

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)

**चार्ट 1.3** अवधि 2010–15 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

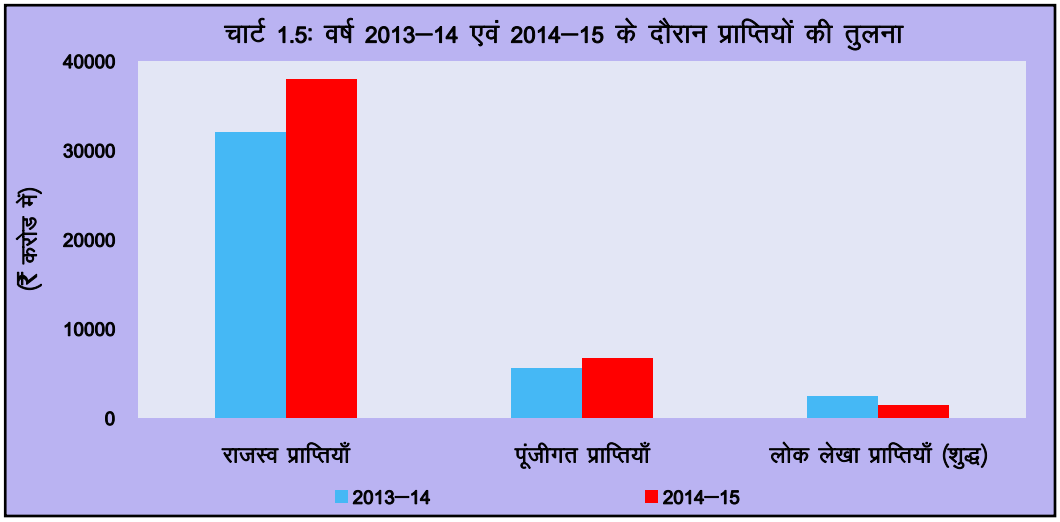



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**चार्ट 1.4** वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के संरचना को उल्लेखित करता है और **चार्ट 1.5** वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए प्राप्तियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।




(स्रोतः 2014–15 के वित्त लेखे)




(स्रोतः वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के वित्त लेखे)

**चार्ट 1.2** से **चार्ट 1.5** में यह देखा जा सकता है कि:

- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 में ₹ 24,710 करोड़ से ₹ 21,305 करोड़ (86 प्रतिशत) बढ़कर 2014–15 में ₹ 46,015 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में ₹ 15,268 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 5,277 करोड़ एवं शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियों में ₹ 760 करोड़ की वृद्धि थी।

- वर्ष 2010–15 के दौरान, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 80 प्रतिशत से 92 प्रतिशत के बीच अस्थिर रहा।

- वर्ष 2014–15 में ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण पिछले वर्ष की तुलना में आन्तरिक ऋण में वृद्धि थी।

- शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियाँ वर्ष 2013–14 में ₹ 2,433 करोड़ से घटकर 2014–15 में ₹ 1,388 करोड़ हो गया।

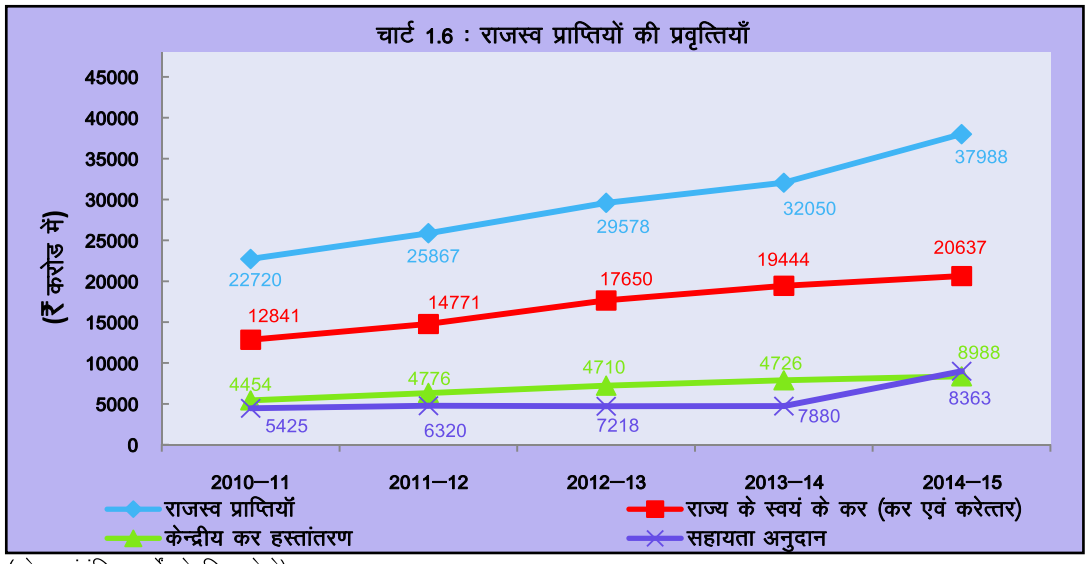
### 1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों

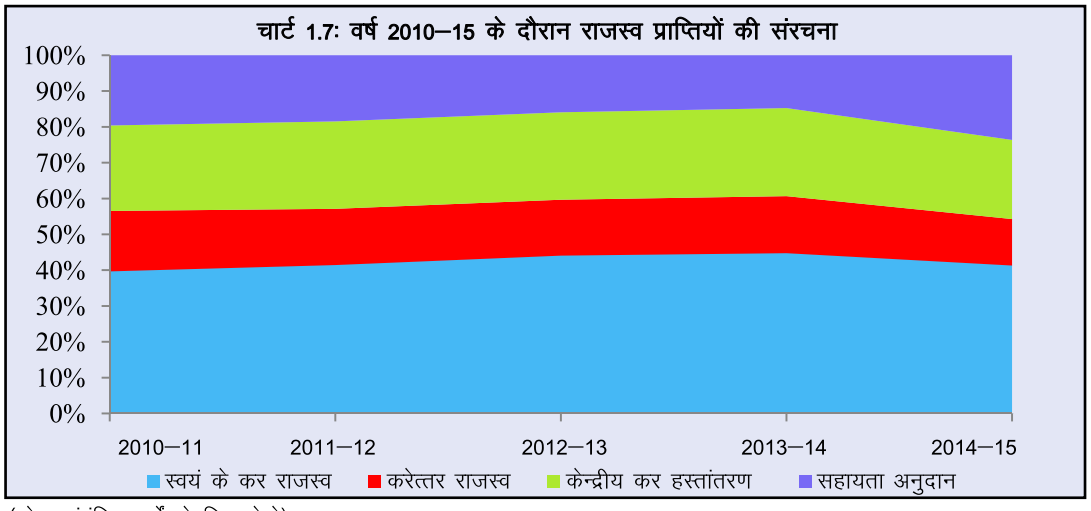
को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जो महत्वपूर्ण के रूप में स्वीकार किया गया था और ये निधियाँ राज्य के बजट/राज्य कोष प्रणाली से संचरित नहीं होते थे। इसलिए, इन निधियों के व्यय को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था। अतएव, वार्षिक वित्त लेखा राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण नहीं करता था। यद्धपि, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को न कर सीधे राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय किया गया है और राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित राशि को कम कर वर्ष 2014–15 में ₹ 335.65 करोड़ कर दिया है, जो वर्ष 2013–14 (₹ 4,046.30 करोड) की तुलना में 91.70 प्रतिशत कम है।

## 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण क्रमांक 14, शासन के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय करों का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। अवधि 2010–15 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की संरचना तथा प्रवृत्तियाँ **परिशिष्ट 1.3** एवं **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है और राजस्व प्राप्तियों की संरचना का प्रतिशत **चार्ट 1.7** में दर्शाया गया है।




(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)




(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण प्रकट करता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010–11 में ₹ 22,720 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 37,988 करोड़ की प्रगामी वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष में ₹ 2,472 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 2014–15 में ₹ 5,938 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- जबकि, 2014–15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधन जिसमें कर एवं करेत्तर राजस्व शामिल हैं, से प्राप्त हुआ। शेष 46 प्रतिशत में केंद्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।

- पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 के दौरान कर राजस्व में 10 प्रतिशत (₹ 1,364 करोड़), भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में छः प्रतिशत (₹ 483 करोड़) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 90 प्रतिशत (₹ 4,262 करोड़) की वृद्धि एवं करेत्तर राजस्व में तीन प्रतिशत (₹ 171 करोड़) की कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कुल 19 प्रतिशत (₹ 5,938 करोड़) की वृद्धि हुई।

भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 4,262 करोड़ (90 प्रतिशत) की वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा राज्य बजट से निधि को मुक्त करना था जो पहले राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित होता था तथा राज्य बजट में सम्मिलित नहीं होता था।

जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.3** में प्रदर्शित की गई है।

**तालिका 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

**(₹ करोड़ में)**

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व प्राप्तियाँ ( ₹ करोड़ में)** | **22,720** | **25,867** | **29,578** | **32,050** | **37,988** |
| राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर | 25.15 | 13.86 | 14.35 | 8.36 | **18.53** |
| राज्य के स्वयं के कर | 9,005 | 10,712 | 13,034 | 14,343 | **15,707** |
| राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर | 26.42 | 18.96 | 21.68 | 10.04 | **9.51** |
| सकल घरेलू उत्पाद[5] (₹ करोड़ में) | 1,19,420 | 1,44,112 | 1,65,641पी | 1,85,682क्यू | **2,10,192ए** |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर | 20.18 | 20.68 | 14.94 | 12.10 | **13.20** |
| राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत) | 19.03 | 17.92 | 18.09 | 17.32 | **18.07** |
| **उत्प्लावकता अनुपात[6]** | | | | | |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता | 1.25 | 0.67 | 0.96 | 0.69 | **1.40** |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता | 1.31 | 0.92 | 1.45 | 0.83 | **0.72** |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
(ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थयी अनुमान)

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 8.36 एवं 25.15 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2014–15 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

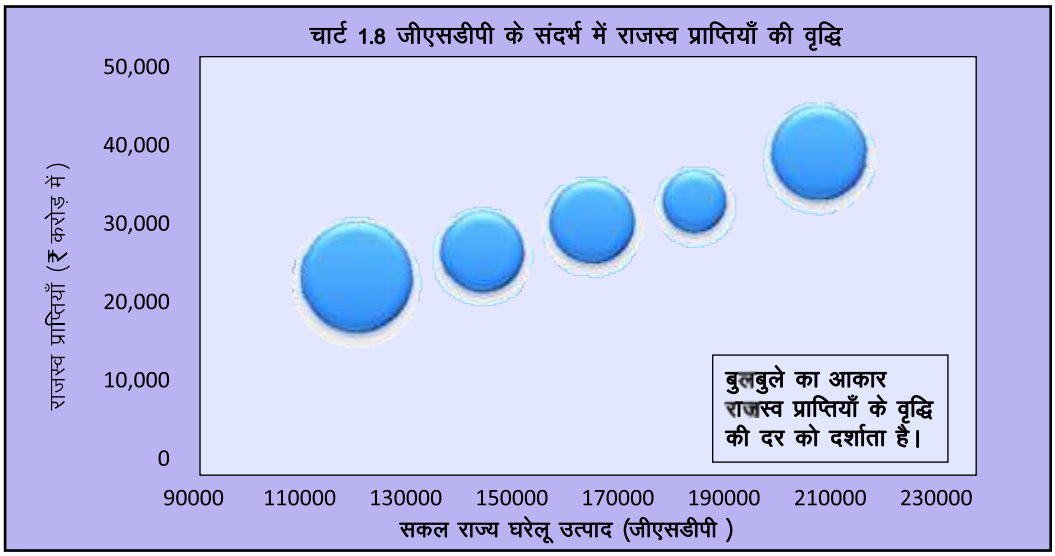
[5] विगत वर्ष से जीएसडीपी के आकड़ों में परिवर्तन किया गया है। यह आकड़ें वर्ष 2011–12 में ₹ 1,44,382 करोड़, वर्ष 2012–13 में ₹ 1,63,461 करोड़ तथा वर्ष 2013–14 में ₹ 1,85,060 करोड़ थे। अतएव उत्पलावक्ता के आंकड़ों में भी परिवर्तन हुआ है।

[6] उत्प्लावकता अनुपात दिए गये आधार चर के सापेक्ष राजकाषीय चर के लोच या जवाबदेही की प्रमात्रा को इंगित करता है उदाहरण के लिये यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व उत्प्लावकता बिन्दु 0.6 प्रतिशत की ओर उन्मुख होगी।

- राजस्व उत्प्लावकता, जो सीधे राजस्व प्राप्तियाँ एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपाती है, अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाया तथा 0.67 एवं 1.40 के मध्य रहा। यह 2014–15 में अपने उच्चतम स्तर 1.40 पर रहा जिसका कारण पिछले वर्ष (आठ प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्ति (19 प्रतिशत) की वृद्धि दर में वृद्धि था।

- वर्ष 2010–15 की अवधि में राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावकता भी अस्थिर रहा जिसका कारण कर राजस्व की वृद्धि एवं उत्प्लावकता अनुपात में अस्थिरता था, जो वर्ष 2012–13 में अपने उच्चतम स्तर 1.45 पर था तथा वर्ष 2014–15 में अपने निम्नतम स्तर 0.72 पर पहुंच गया।

**चार्ट 1.8** कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर वृद्धि के बावजूद राजस्व के वृद्धि की दर के अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है।




ऊपर के चार्ट से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि राज्य का राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ स्थिरता से वृद्धि कर रहा है, फिर भी राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर असमान है।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के हिस्सों का निर्धारण होता है, संसाधनों के संग्रहण में गति प्रदान हेतु राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा करेत्तर स्रोत शामिल है, के संबंध में किया गया।

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियों का 13वें वित्त आयोग द्वारा किये गए मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के विरूद्ध तुलनात्मक विवरण **तालिका 1.4** एवं **तालिका 1.5** तथा **चार्ट 1.9** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

| | 13वें वित्त आयोग के अनुमान | बजट अनुमान | एफआरबीएम प्रकटीकरण | वास्तविक |
|---|---|---|---|---|
| राज्य के स्वयं का कर राजस्व | 14,327 | 17,926 | 17,926 | 15,707 |
| राज्य का करेत्तर राजस्व | 2,983 | 6,185 | 6,185 | 4,930 |

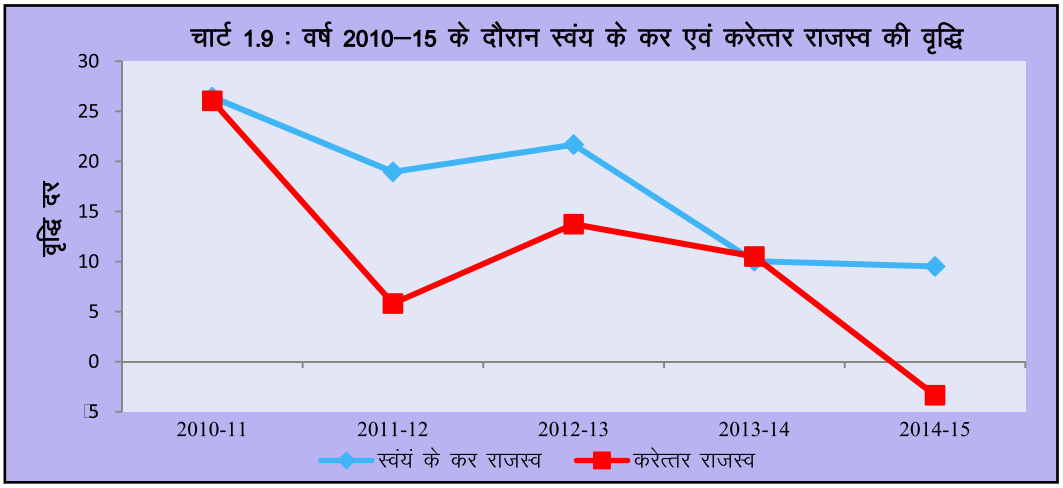
(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15, एफआरबीएम दस्तावेज, बजट अभिलेख तथा तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

### तालिका 1.5: वर्ष 2010–15 के दौरान कर/करेत्तर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्वयं का कर राजस्व | 9,005 | 10,712 | 13,034 | 14,343 | 15,707 |
| वृद्धि दर (प्रतिशत) | 26.42 | 18.96 | 21.68 | 10.04 | 9.51 |
| करेत्तर राजस्व | 3,836 | 4,058 | 4,616 | 5,101 | 4,930 |
| वृद्धि दर (प्रतिशत) | 26.06 | 5.81 | 13.74 | 10.51 | (–)3.35 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)




चालू वर्ष के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व 13वें वित्त आयोग (₹ 14,327 करोड़) से ज्यादा था, लेकिन एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 17,926 करोड़) एवं बजट अनुमान (₹ 17,926 करोड़) से कम था। बजट अनुमान के विरूद्ध कम उपलब्धि का मुख्य कारण मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर एवं वाहन पर कर का कम संग्रहण था। इन मदों के अंतर्गत बजट अनुमान क्रमशः ₹ 1,250 करोड़, ₹ 9,800 करोड़, ₹ 1,335 करोड़ एवं ₹ 800 करोड़ के विरूद्ध वास्तविक संचयन क्रमशः ₹ 1,023 करोड़, ₹ 8,429 करोड़, ₹ 982 करोड़ एवं ₹ 703 करोड़ था। **(परिशिष्ट 1.5)**

इसी तरह, राज्य का करेत्तर राजस्व बजट अनुमान एवं एफआरबीएम प्रकटीकरण से ₹ 1,255 करोड़ कम था परन्तु 13वें वित्त आयोग के आँकलन से ₹ 1,947 करोड़ ज्यादा था।

#### 1.3.1.1 स्वयं के कर राजस्व

विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख करों एवं शुल्कों का सकल संग्रहण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

### तालिका 1.6: स्वयं के कर राजस्व का क्षेत्रवार घटक

(₹ करोड़ में)

| स्वयं के कर राजस्व घटक | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2014–15 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 4,841 | 6,006 | 6,929 | 7,930 | 8,429 | 06 |
| राज्य आबकारी | 1,506 | 1,597 | 2,486 | 2,549 | 2,892 | 13 |
| वाहन पर कर | 428 | 502 | 592 | 651 | 703 | 08 |
| मुंद्राक एवं पंजीयन शुल्क | 786 | 846 | 952 | 990 | 1,023 | 03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भू–राजस्व | 247 | 271 | 234 | 226 | 332 | 47 |
| माल एवं यात्रियों पर कर | 675 | 826 | 954 | 945 | 982 | 04 |
| अन्य कर[7] | 522 | 664 | 887 | 1,052 | 1,346 | 28 |
| **योग** | **9,005** | **10,712** | **13,034** | **14,343** | **15,707** | |
| वृद्धि दर (प्रतिशत में) | 26.42 | 18.96 | 21.68 | 10.04 | 9.51 | |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2010–15 के दौरान स्वयं के कर की वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो 9.51 प्रतिशत एवं 26.42 प्रतिशत के मध्य रही। इसके अतिरिक्त, कर राजस्व की वृद्धि दर में वर्ष 2012–13 में 21.68 प्रतिशत से लगातार कमी होकर 2014–15 में 9.51 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष (₹ 14,343 करोड़) की तुलना में 2014–15 (₹ 15,707 करोड़) के दौरान कर राजस्व में ₹ 1,364 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 499 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 293 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 343 करोड़), भूमि राजस्व (₹ 106 करोड़) एवं वाहनों पर कर (₹ 52 करोड़) में वृद्धि था।

### 1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की संरचना का विस्तृत विवरण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: करेत्तर राजस्व की संरचना

**(₹ करोड़ में)**

| राजस्व शीर्ष | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज प्राप्तियाँ | 170.95 | 216.57 | 243.13 | 380.90 | 171.89 | (–)55 |
| लाभांश एवं लाभ | 4.30 | 0.46 | 2.19 | 14.21 | 0.86 | (–)94 |
| अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ | 3,660.07 | 3,841.45 | 4,370.63 | 4,706.06 | 4,757.16 | 01 |
| **कुल करेत्तर राजस्व** | **3,835.32** | **4,058.48** | **4,615.95** | **5,101.17** | **4,929.91** | **(–)03** |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 में ₹ 3,835 करोड़ से ₹ 1,095 करोड़ बढ़कर 2014–15 में ₹ 4,930 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष से 2014–15 के दौरान, करेत्तर राजस्व में तीन प्रतिशत (₹ 171 करोड़) की कमी हुई जिसका मुख्य कारण लघु सिंचाई से प्राप्तियों में ₹ 281 करोड़, वन एवं वन्य प्राणी से प्राप्तियों में ₹ 57 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों में ₹ 209 करोड़ की कमी थी।

लघु सिंचाई प्राप्तियों की कमी का मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में सिंचाई प्राप्तियों की वसूली में कमी थी। वन एवं वन्य प्राणियों से प्राप्ति में कमी का कारण राजस्व की वापसी में इस वर्ष वृद्धि था एवं ब्याज प्राप्तियों में कमी का कारण अंत शेष निवेश पर ऋण तथा नगर स्थानीय निकास से ऋण पर ब्याज में कमी थी।

वर्ष 2014–15 के दौरान, ब्याज प्राप्तियाँ 2013–14 में ₹ 381 करोड़ से घटकर 2014–15 में ₹ 172 करोड़ हो गया। अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान लाभांश एवं लाभ में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो ₹ 0.46 करोड़ से ₹ 14.21 करोड़ के मध्य रहा। यद्यपि, अन्य करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ 2010–11 में ₹ 3,660 करोड़ से बढ़कर 2014–15 के दौरान ₹ 4,757 करोड़ हो गया।

कुल करेत्तर राजस्व (₹ 4,930 करोड़) में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 3,573 करोड़) का योगदान 72 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की तुलना में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों का करेत्तर राजस्व (₹ 337 करोड़) की वृद्धि 10.40 प्रतिशत थी।

[7] अन्य कर–होटल प्राप्तियाँ, आय एवं व्यय पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सेवाओं एवं सामग्रियों पर कर एवं शुल्क।

### 1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 की अवधि में प्रमुख करों एवं शुल्कों का सकल संग्रहण तथा संग्रहण पर किये गये व्यय **तालिका 1.8** में दिये गये हैं।

तालिका 1.8: करों एवं शुल्कों के संग्रहण का लागत

| राजस्व शीर्ष | वर्ष | सकल संग्रहण (₹ करोड़ में) | राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में) | संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत | विगत वर्षों का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 2012–13 | 6,928.65 | 37.42 | 0.54 | 0.83 |
| | 2013–14 | 8,894.01 | 41.40 | 0.47 | 0.73 |
| | 2014–15 | 8,428.61 | 48.55 | 0.58 | 0.88 |
| वाहन पर कर | 2012–13 | 591.75 | 10.73 | 1.81 | 2.96 |
| | 2013–14 | 655.35 | 7.48 | 1.14 | 4.17 |
| | 2014–15 | 703.48 | 12.42 | 1.77 | 6.25 |
| राज्य आबकारी | 2012–13 | 2,485.68 | 46.63 | 1.88 | 2.98 |
| | 2013–14 | 2,578.19 | 53.22 | 2.06 | 2.96 |
| | 2014–15 | 2,892.45 | 59.74 | 2.07 | 1.81 |
| मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क | 2012–13 | 951.65 | 17.27 | 1.81 | 1.89 |
| | 2013–14 | 989.35 | 13.87 | 1.40 | 3.25 |
| | 2014–15 | 1,023.33 | 27.00 | 2.64 | 3.37 |

(स्रोतः महालेखकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

**तालिका 1.8** से यह देखा जा सकता है कि, 2014–15 के दौरान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट, वाहनों पर कर तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क पर कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम था। यद्यपि, राज्य अबकारी का संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से ज्यादा था।

### 1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

आयोजनेत्तर, राज्य आयोजना, केन्द्र आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्ति **तालिका 1.9** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त घटकवार सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आयोजनेत्तर अनुदान | 1,397.45 | 1,545.07 | 1,227.29 | 1,415.78 | 1,568.28 |
| राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान | 2,169.91 | 1,930.51 | 2,112.69 | 2,121.47 | 6,435.44 |
| केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान | 47.95 | 61.75 | 107.28 | 43.34 | 131.73 |
| केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान | 838.58 | 1,238.88 | 1,263.07 | 1,145.57 | 852.35 |
| **योग** | **4,453.89** | **4,776.21** | **4,710.33** | **4,726.16** | **8,987.80** |
| विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि | 23.49 | 7.24 | (–) 1.38 | 0.34 | 90.17 |
| राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान | 19.60 | 18.46 | 15.93 | 14.75 | 23.66 |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 22,720 | 25,867 | 29,578 | 32,050 | 37,988 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2014–15 के दौरान, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 8,988 करोड़ हो गया जो 2013–14 में ₹ 4,726 करोड़ से (90 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण 2014–15 के दौरान राज्य बजट से निधियों को संचरित करना था जो पहले सीधे क्रियान्वयन एजेंसी को मुक्त किया जाता था।

- भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान वर्ष 2013–14 में ₹ 1,416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,568 करोड़ हो गया।

- राज्य आयोजना अनुदान वर्ष 2013–14 में ₹ 2,121 करोड़ से से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,435 करोड़ हो गया जिसका कारण ब्लॉक अनुदान में ₹ 1,831 करोड़ एवं अन्य अनुदान में ₹ 2,518 करोड़ की वृद्धि थी।

- वर्ष 2013–14 की तुलना में 2014–15 में केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं में ₹ 88 करोड़ की वृद्धि हुई।

- पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान में ₹ 293 करोड़ की कमी हुई।

### 1.3.4 केंद्रीय कर अंतरण

वर्ष 2014–15 के दौरान, केंद्रीय कर अंतरण वर्ष 2013–14 के ₹ 7,880 करोड़ के विरूद्ध ₹ 8,363 करोड़ हो गया। राज्य का केंद्रीय कर अंतरण पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 483 करोड़ (छः प्रतिशत) बढ़ा। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर के अतिरिक्त अन्य करों पर कर (₹ 340 करोड़), निगम कर (₹ 270 करोड़) तथा सीमा शुल्क (₹ 67 करोड़) में वृद्धि के कारण था। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में सेवा कर (₹ 51 करोड़) तथा केंद्रीय सीमा शुल्क (₹ 144 करोड़) में कमी दर्ज किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 22 प्रतिशत था।

### 1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

राज्य सरकारों के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु, 13वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा की। वित्त लेखे 2014–15 के विवरण क्रमांक 14 के अनुसार, राज्य शासन ने वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹ 1,334.84 करोड़ (₹ 1,200.17 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–104–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत–वित्त आयोग अनुदान तथा ₹ 134.67 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–109–राज्य आपदा उन्मोचन निधि में योगदान हेतु अनुदान) प्राप्त किया।

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात 2010–15 के दौरान अनुदान की उपयोगिता की स्थिति **तालिका 1.10** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.10: वर्ष 2010–15 के लिए 13वें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

| मुख्य शीर्ष एवं नामावली | कुल बजट प्रावधान | स्थिति | | | | अनुपयोगी राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | समर्पण | व्यय | बचत (+) आधिक्य (–) | कुल अनुपयोगी राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+5 | 7 |
| **राजस्व लेखे** | | | | | | |
| 2014– न्याय प्रशासन | 167.69 | 85.68 | 25.34 | 56.67 | 142.35 | 84.89 |
| 2054–कोषालय एवं लेखा | 8.60 | 4.79 | 2.60 | 1.22 | 6.01 | 69.88 |
| 2055–पुलिस | 4.89 | 0.24 | 1.72 | 2.93 | 3.17 | 64.83 |
| 2202–सामान्य शिक्षा | 857.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2203–तकनीकी शिक्षा | 18.00 | 14.96 | 3.51 | 0.47 | 15.43 | 85.72 |
| 2205–कला एवं संस्कृति | 20.35 | 10.58 | 3.22 | 6.55 | 17.13 | 84.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217–शहरी विकास | 626.33 | 339.52 | 286.81 | 0.00 | 339.52 | 54.21 |
| 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी | 399.83 | 37.45 | 358.48 | 3.90 | 41.35 | 10.34 |
| 2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 1,862.24 | 335.51 | 1,456.38 | 70.36 | 405.87 | 21.79 |
| 3054–सड़क एवं सेतु | 362.00 | 96.00 | 183.00 | 83.00 | 179.00 | 49.45 |
| 3454–जनगणना एवं सांख्यिकी | 121.06 | 43.02 | 20.49 | 57.54 | 100.56 | 83.07 |
| **पूंजीगत लेखे** | | | | | | |
| 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 312.64 | 13.48 | 166.30 | 132.86 | 146.34 | 46.81 |
| 4202–शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 24.65 | 9.73 | 5.60 | 9.32 | 19.05 | 77.28 |
| 4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 82.46 | 2.88 | 22.61 | 56.97 | 59.85 | 72.58 |
| 4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 250.00 | 62.50 | 184.87 | 2.63 | 65.13 | 26.05 |
| 4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 550.00 | 137.50 | 275.00 | 137.50 | 275.00 | 50.00 |
| 4235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 150.00 | 40.28 | 109.67 | 0.06 | 40.34 | 26.89 |
| 4406–वानिकी एवं वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय | 55.62 | 5.33 | 40.96 | 9.33 | 14.66 | 26.36 |
| **कुल योग** | **5,873.36** | **1,239.43** | **4,003.56** | **631.31** | **1,870.74** | **31.85** |

(स्रोतः वर्ष 2014–15 के विस्तृत विनियोग लेखे)

तालिका से यह स्पष्ट है कि:

- 13 वें वित्त आयोग के निर्धारित अवधि अर्थात 2010–15 के दौरान कुल ₹ 5,873.36 करोड़ के प्रावधान में राशि ₹ 4,003.56 करोड़ जो कुल राशि का 68 प्रतिशत था, का उपयोग हुआ और ₹ 1,870.74 करोड़ (32 प्रतिशत) या तो समर्पित (₹ 1,239.43 करोड़) किया गया या शासन के खाते में व्यपगत (₹ 631.31 करोड़) हुआ। इस प्रकार, शासन 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी गई निधि का 32 प्रतिशत (₹ 1,870.74 करोड़) उपयोग नहीं कर सका।

- 13 वें वित्त आयोग के निर्धारित अवधि अर्थात 2010–15 के दौरान, बचत का प्रतिशत 10.34 प्रतिशत एवं 85.72 प्रतिशत के मध्य रहा। मुख्य शीर्ष 2014–न्याय प्रशासन, 2054–कोषालय एवं लेखा, 2055–पुलिस, 2203–तकनीकी शिक्षा, 2205–कला एवं संस्कृति, 2217–शहरी विकास, 3454–जनगणना एवं सांख्यिकी, 4202–खेल शिक्षा पर पूंजीगत व्यय, 4217–शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक राशि का उपयोग नहीं किया गया। यद्यपि, निधियों का पूर्ण उपयोग एक मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा के अंतर्गत हुआ था। बचत होने का मुख्य कारण प्रशासकीय स्वीकृति का प्राप्त न होना, भारत सरकार द्वारा निधि का मुक्त न होना तथा योजनओं का क्रियान्वयन न होना था।

## 1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं लोक ऋण प्राप्तियाँ सम्मिलित है। वर्ष 2010–15 के दौरान, पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं प्रवृत्ति **तालिका 1.11** तथा **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

### तालिका 1.11: पूंजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| शासन के प्राप्तियों का स्रोत | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत प्राप्तियाँ** | **1,361.56** | **1,710.01** | **3,603.66** | **5,581.94** | **6,638.47** |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ | 2.56 | 3.93 | 2.39 | 7.64 | **3.03** |
| ऋण एवं अग्रिमों की वसूली | 561.16 | 1,282.53 | 1,542.01 | 1,637.27 | **194.86** |
| अंतर्राज्यीय परिशोधन | 2.65 | 2.21 | 1.53 | 5.14 | **0.91** |
| **कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ** | **566.37** | **1,288.67** | **1,545.93** | **1,650.05** | **198.80** |
| गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर | (–)43.24 | 127.53 | 19.96 | 6.74 | **(–)87.95** |
| **लोक ऋण प्राप्तियाँ** | **795.19** | **421.34** | **2,057.73** | **3,931.89** | **6,439.67** |
| लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर | (–)38.22 | (–)47.01 | 388.38 | 91.08 | **63.78** |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर | 20.18 | 20.90 | 13.21 | 13.21 | **13.58** |
| पूंजीगत प्राप्तियाँ के वृद्धि दर (प्रतिशत) | (–)40.41 | 25.59 | 110.74 | 54.90 | **18.93** |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**तालिका 1.11** से यह स्पष्ट है कि, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 में ₹ 1,362 करोड़ से ₹ 5,276 करोड़ बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,638 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 में पूंजीगत प्राप्तियाँ में ₹ 1,057 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2,508 करोड़ की वृद्धि था तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में ₹ 1,442 करोड़ की कमी था। आगे, बाजार ऋण में वर्ष 2013–14 में ₹ 3,000 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 4,200 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

#### 1.4.1 ऋण एवं अग्रिम की वसूली

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2010–11 में ₹ 561.16 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 1,637.27 करोड़ हो गया तथा 2014–15 में घटकर ₹ 194.86 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (₹ 10.00 करोड़) को नए ऋण (ब्याज मुक्त) दिए गए, जिनसे ₹ 146.11 करोड़ के पूर्व के ऋणों की वसूली लंबित थे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को ₹ 1.00 करोड़ के ऋण नियम एवं शर्तों को निर्धारित किए बिना ही प्रदान किए गए।

#### 1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

राज्य अपने संसाधनों की कमी तथा पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आंतरिक बाजार से निधि की व्यवस्था करता है। आंतरिक ऋण वर्ष 2010–11 में ₹ 592 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,431 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 में आंतरिक ऋण में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान, आंतरिक ऋण में मुख्य योगदान बाजार ऋण (₹ 4,200 करोड़), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिया गया ऋण (₹ 796 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (₹ 659 करोड़) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (₹ 776 करोड़) था।

#### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2010–15 की अवधि में निरन्तर कमी आई, जो वर्ष 2010–11 में ₹ 203 करोड़ से 2014–15 में ₹ नौ करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 में, राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ₹ नौ करोड़ के ऋण एवं अग्रिम प्राप्त किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान केंद्रीय आयोजनागत योजना तथा केंद्रीय प्रवर्तित योजना के लिए कोई भी नया ऋण प्राप्त नहीं किया गया था।

## 1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन–देन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि जिनका उल्लेख राज्य की संचित निधि में नहीं होता है, की प्राप्तियों एवं संवितरणों को, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं है। इस मामले में शासन एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि शासन के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। वर्ष 2010–15 की अवधि के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं इसके घटक **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

| विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ[8]** | | | | | |
| लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 328.97 | 307.76 | 293.47 | 265.40 | 443.83 |
| आरक्षित निधियाँ | 21.60 | 208.75 | 530.88 | 402.11 | 363.09 |
| उचंत तथा विविध | (–)111.03 | 22.40 | (–)28.58 | 44.93 | (–)78.64 |
| प्रेषण | 33.68 | 96.10 | (–)64.17 | (–)98.03 | 193.53 |
| जमा तथा अग्रिम | 355.25 | 585.95 | 521.18 | 1,818.98 | 466.62 |
| भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट अन्त शेष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल लोक लेखा प्राप्तियाँ** | **628.47** | **1,220.96** | **1,052.78** | **2,433.39** | **1,388.43** |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ (लोलेप्रा) (कुल लोलेप्रा में से कुल लोक लेखा संवितरणों को घटाने के बाद) अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाया जो ₹ 628 करोड़ एवं ₹ 2,433 करोड़ के मध्य रहा। शुद्ध लोलेप्रा वर्ष 2012–13 में ₹ 1,053 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 2,433 करोड़ हो गया तथा इसके बाद वर्ष 2014–15 में घटकर ₹ 1,388 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान शुद्ध लोलेप्रा में कमी का मुख्य कारण जमा तथा अग्रिम, उचंत तथा विविध और आरक्षित निधि में कमी था। यद्यपि, लघु बचत, भविष्य निधि एवं प्रेषण में शुद्ध लोलेप्रा में वृद्धि हुआ।

## 1.6 संसाधनों का उपयोग

चूँकि राज्य शासन को प्रमुख व्यय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है अतः उनके स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के ढांचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण के माध्यम से लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाइयाँ है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर, जारी राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय लागत पर लागू न किया जाए।

### 1.6.1 व्यय की संरचना तथा वृद्धि

विगत पाँच वर्षों (2010–15) की अवधि में कुल व्यय[9] की प्रवृत्तियाँ एवं "आर्थिक वर्गीकरण" एवं "स्वभाव के द्वारा व्यय" दोनों के संदर्भ में इसकी संरचना क्रमशः **चार्ट 1.10** एवं **चार्ट 1.11** में दर्शाया गया है तथा वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना **तालिका 1.13** में दिया गया है।

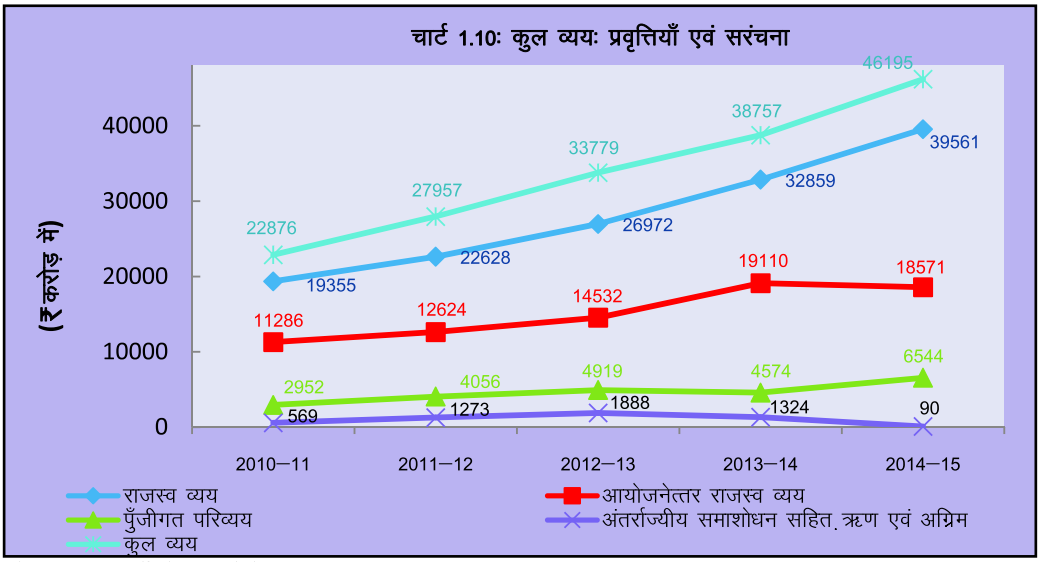
[8] शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ = लोक लेखा प्राप्तियाँ – लोक लेखा भुगतान। उचंत एवं विविध तथा आरक्षित निधि के आंकड़े निवेश के आंकड़े को छोड़कर दर्शाया गया है।

[9] कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी सम्मिलित नहीं है।

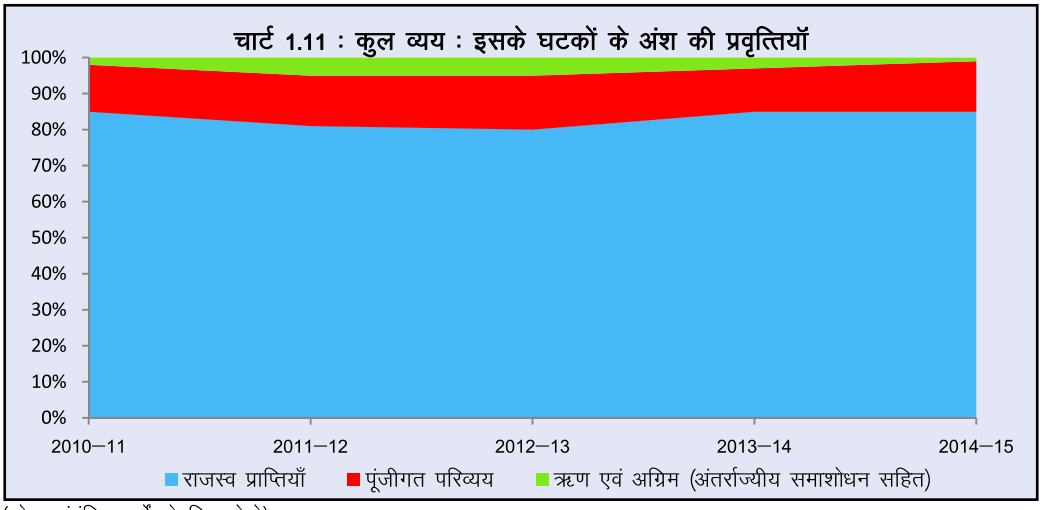
## तलिका 1.13: कुल व्यय तथा इसकी संरचना

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कुल व्यय (₹ करोड़ में)** | **22,876** | **27,957** | **33,779** | **38,757** | **46,195** |
| वृद्धि दर (प्रतिशत में) | 9.40 | 22.21 | 20.82 | 14.74 | 19.19 |
| राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)<br>(कुल व्यय का प्रतिशत) | 19,355<br>(85) | 22,628<br>(81) | 26,972<br>(80) | 32,859<br>(85) | 39,561<br>(85.64) |
| जिसमें आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में) | 11,286 | 12,624 | 14,532 | 19,110 | 18,571 |
| पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)<br>(कुल व्यय का प्रतिशत) | 2,952<br>(13) | 4,056<br>(14) | 4,919<br>(15) | 4,574<br>(12) | 6,544<br>(14.17) |
| ऋण एवं अग्रिम*(₹ करोड़ में)<br>(कुल व्यय का प्रतिशत) | 569<br>(02) | 1,273<br>(05) | 1,888<br>(05) | 1,324<br>(03) | 90<br>(0.19) |
| राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 1,19,420 | 1,44,112 | 1,65,641[P] | 1,85,682[Q] | **2,10,192[A]** |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में) | 20.18 | 20.68 | 14.94 | 12.10 | **13.20** |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे),ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान
*अंतर्राज्यीय समाशोधन भी शामिल है।




(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)




(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**तालिका 1.13** से यह देखा जा सकता है कि:

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2010–11 के ₹ 22,876 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 46,195 करोड़ हो गया।

- पिछले वर्ष कि तुलना में 2014–15 में ₹ 7,438 करोड़ के वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 6,702 करोड़ (20.40 प्रतिशत) तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 1,970 करोड़ (43.07 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

- अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम में ₹ 1,234 करोड़ (93.20 प्रतिशत) की कमी थी।

- अवधि 2010–15 के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृति देखी गई जो 9.40 प्रतिशत और 22.21 प्रतिशत के मध्य था। कुल व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2013–14 में 15 प्रतिशत से वर्ष 2014–15 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय में, राजस्व व्यय का योगदान 85.64 प्रतिशत रहा जबकि पूँजीगत व्यय का योगदान 14.17 प्रतिशत रहा। कुल व्यय में ऋण अग्रिम का वितरण का योगदान सिर्फ 0.19 प्रतिशत रहा।

- वर्ष 2013–14 में 49 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2014–15 में कुल व्यय में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 40 प्रतिशत था।

### 1.6.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए एवं सेवाओं से वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु राजस्व व्यय किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप राज्य की बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होता है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2010–11 में 85 से घटकर 2012–13 में 80 हो गया एवं इसके बाद इसमें वृद्धि हुई और 2014–15 के दौरान 85.64 प्रतिशत पहुँच गया। 2014–15 के दौरान, राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19 प्रतिशत रहा। 2014–15 के दौरान, राजस्व व्यय ₹ 39,561 करोड़ था जिसमें ₹ 18,571 करोड़ (47 प्रतिशत) आयोजनेत्तर घटक तथा ₹ 20,990 करोड. (53 प्रतिशत) आयोजना घटक था।

#### 1.6.2.1 आयोजना राजस्व व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 26,826 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय ₹ 20,990 करोड़ था। वर्ष 2014–15 के दौरान, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजना राजस्व व्यय का अंश 53 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय में 2013–14 की तुलना में 53 प्रतिशत ( ₹ 7,240 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पहले विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसी को निधि का सीधे हस्तांतरित होना था जोकि अब राज्य बजट से होकर गया है।

#### 1.6.2.2 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान, ₹ 19,365 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 18,571 करोड़ था। 2014–15 के दौरान कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का अंश 47 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 539 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी हुई।

### 1.6.3 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं सब्सिडी पर व्यय

राज्य शासन के राजस्व खाते में व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित है, **तालिका 1.14** एवं **चार्ट 1.12** वर्ष 2010–15 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

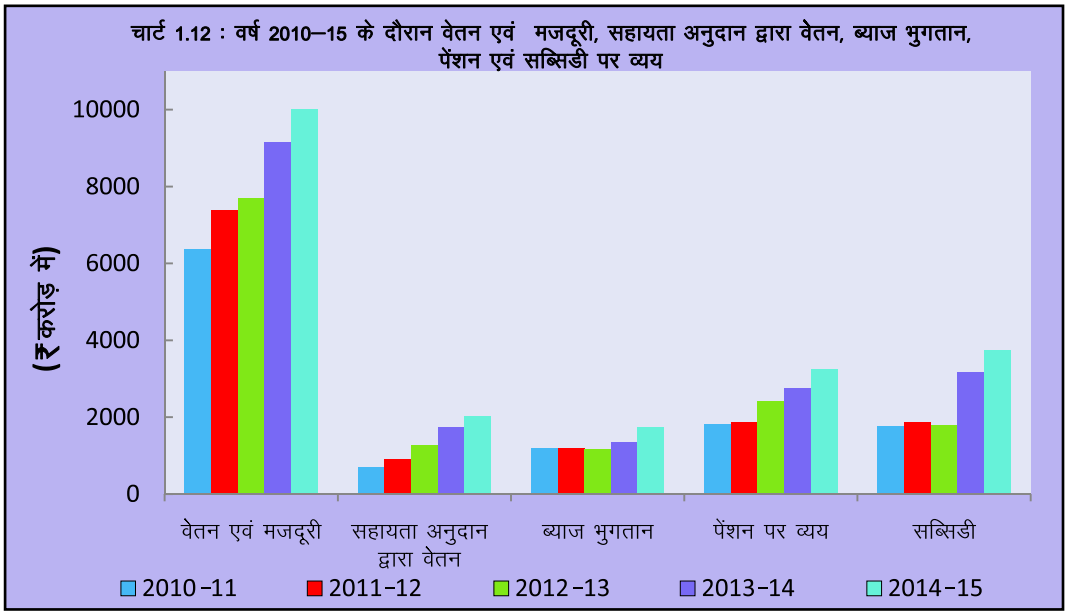
**तालिका 1.14: वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय के घटक**

(₹ करोड़ में)

| घटक | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बजट अनुमान | वास्तविक |
| **वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें** | 6,362.92 (28.01) | 7,382.61 (28.54) | 7,686.52 (25.99) | 9,137.19 (28.51) | 10,749.84 | 10,003.33 (26.33) |
| आयोजनेत्तर शीर्ष | 4,338.28 | 4,893.18 | 5,018.01 | 6,267.88 | लागू नहीं* | 6,973.60 |
| आयोजना शीर्ष** | 2,024.64 | 2,489.43 | 2,668.51 | 2,869.31 | लागू नहीं | 3,029.73 |
| **सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान** | 708.33 (3.12) | 897.27 (3.47) | 1,280.34 (4.33) | 1,749.32 (5.46) | लागू नहीं | 2,009.90 (5.29) |
| **ब्याज भुगतान** | 1,198.38 (5.27) | 1,193.20 (4.61) | 1,153.49 (3.90) | 1,350.53 (4.21) | 1,822.20 | 1,726.62 (4.55) |
| **पेंशन पर व्यय** | 1,810.33 (7.97) | 1,877.87 (7.26) | 2,412.14 (8.16) | 2,751.87 (8.59) | 2,505.16 | 3,249.52 (8.55) |
| **सब्सिडी** | 1,763.83 (7.76) | 1,870.93 (7.23) | 1,790.83 (6.05) | 3,155.53 (9.85) | 5,159.38 | 3,746.58 (9.86) |
| **कुल व्यय** | **11,843.79 (52.13)** | **13,221.88 (51.11)** | **14,323.32 (48.46)** | **18,144.44 (56.61)** | | **20,735.95 (54.59)** |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
कोष्टक में प्रदर्शित आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को इंगित करते है।
* बजट प्राक्कलन में आँकड़े अलग–अलग उपलब्ध नहीं है।
** शीर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भुगतान किये गये वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

**चार्ट 1.12 : वर्ष 2010–15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान द्वारा वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय**




(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान द्वारा वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सब्सिडी पर कुल व्यय वर्ष 2013–14 में ₹ 18,144 करोड़ से ₹ 2,592 करोड़ बढ़कर वर्ष 2014–15 में

₹ 20,736 करोड़ हो गया तथा यह राजस्व व्यय (₹ 39,561 करोड़) का 52 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 37,988 करोड़) का 55 प्रतिशत था। घटकवार विश्लेषण अनुवर्ती कंडिका में दिया गया है:

## वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

- चालू वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2013–14 में ₹ 9,137 करोड़ से ₹ 866 करोड़ बढ़कर 2014–15 में ₹ 10,003 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान[10] के माध्यम से वेतन भुगतान 2013–14 में ₹ 1,749 करोड़ से ₹ 261 करोड़ बढ़कर 2014–15 में ₹ 2,010 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2014–15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 10,750 करोड़) में किये गये आकंलन से सात प्रतिशत (₹ 747 करोड़) कम था।
- वर्ष 2014–15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय (₹ 9,340 करोड़) एफआरबीएम अधिनियम में बनाए गयें प्रावधान (₹ 7,361 करोड़) से 27 प्रतिशत (₹ 1,979 करोड़) अधिक था।

## पेंशन पर व्यय

- पेंशन पर व्यय वर्ष 2013–14 में ₹ 2,752 करोड़ से 18 प्रतिशत (₹ 498 करोड़) बढ़कर 2014–15 में ₹ 3,250 करोड़ हो गया।
- पेंशन पर व्यय (₹ 3,249.52 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹ 39,561.29 करोड़) का आठ प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 18,751.27 करोड़) का 17.50 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 37,988.01 करोड़) का नौ प्रतिशत था।
- वर्ष 2014–15 के लिए पेंशन पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 2,505.16 करोड़) में बनाये गए प्रावधान से 30 प्रतिशत (₹ 744 करोड़) ज्यादा था।
- 13वें वित्त आयोग द्वारा बनाये गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 2014–15 के अंत तक पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 1,441 करोड़ होना था। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के दौरान पेंशन पर वास्तविक व्यय ₹ 3,250 करोड़ था जो 13वें वित्त आयोग के मानदण्ड से ₹ 1,809 करोड़ ज्यादा था।

## ब्याज भुगतान

- ब्याज भुगतान जिसमें आंतरिक ऋण पर भारित ब्याज, लघु बचत, भविष्य निधि भारत सरकार से लिया गया ऋण तथा अन्य देयतायें शामिल है, वर्ष 2013–14 में ₹ 1,350.53 करोड़ से 28 प्रतिशत (₹ 376.09 करोड़) बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,726.62 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2014–15 के लिए ब्याज भुगतान (₹ 1,727 करोड़), 13वें वित्त आयोग (₹ 2,821 करोड़) द्वारा बनाये गए प्रावधान एवं राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान तथा एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 1,822 करोड़) में किए गए मूल्यांकन से कम था। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 4.36 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 4.55 प्रतिशत था।

## सब्सिडी पर व्यय

- वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹ 3,746.58 करोड़ का भुगतान किया।

---

[10] शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एवं ग्रामीण विकास के अर्न्तगत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

• वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा दिए गये सब्सिडी का विवरण **तालिका 1.15** में दिया गया है।

तालिका 1.15: वर्ष 2010–15 के दौरान शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

| शीर्ष | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| सामाजिक कल्याण एवं पोषण | 886.73 | 950.51 | 722.30 | 1,754.23 | 9.34 |
| कृषि | 40.07 | 46.36 | 75.45 | 300.45 | 322.40 |
| मत्स्य पालन | 0.75 | 0.60 | 1.30 | 1.36 | 1.44 |
| वानिकी एवं अन्य जीव | 10.00 | 8.10 | 15.05 | 15.03 | 19.60 |
| खाद्य भंडारण एवं भंडारागार | 488.65 | 383.67 | 395.24 | 463.71 | 2,328.16 |
| सहकारिता | 83.07 | 95.32 | 103.14 | 111.85 | 87.23 |
| लघु सिंचाई | 11.01 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उर्जा | 202.10 | 321.10 | 426.13 | 443.76 | 915.00 |
| ग्रामीण एवं लघु उद्योग | 37.71 | 52.52 | 44.27 | 41.61 | 33.55 |
| उद्योग | 3.72 | 1.87 | 7.95 | 20.41 | 29.20 |
| प्रशासनिक सेवाएं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.66 |
| ग्रामीण विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| **योग** | **1,763.81** | **1,870.93** | **1,790.83** | **3,155.53** | **3,746.58** |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

• **तालिका 1.15** से यह स्पष्ट है कि सब्सिडी पर व्यय 2013–14 में ₹ 3,156 करोड़ से ₹ 591 करोड़ बढ़कर 2014–15 में ₹ 3,747 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान सब्सिडी पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियाँ का 9.86 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 9.47 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान सब्सिडी भुगतान के मुख्य घटक खाद्य भण्डारण तथा भंडागार (₹ 2,328.16 करोड़), उर्जा (₹ 915 करोड़), फसल कृषि–कर्म (₹ 322.40 करोड़) थे।

• वर्ष 2014–15 के दौरान, कुछ सब्सिडी निःशुल्क सेवा पर सहायता अनुदान (वस्तु के रूप में) के रूप में दिया गया जो **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

तलिका 1.16: वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये निः शुल्क सेवा का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विभाग का नाम | योजना का नाम | कुल |
|---|---|---|
| स्कूल शिक्षा | हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय | 4.35 |
| स्कूल शिक्षा | निःशुल्क शालाएं पुस्तकों का प्रदाय | 61.59 |
| स्कूल शिक्षा | अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क किताब एवं लेखा सामाग्री प्रदाय | 0.67 |
| कृषि | कृषकः को पॉच हॉर्स पावर पम्प के लिए विद्युत प्रदाय | 300.00 |
| संचार | छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट का प्रदाय | 39.98 |
| **योग** | | **406.59** |

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15 का विवरण संख्या 10)

**तालिका 1.16** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के दौरान शासन ने ₹ 406.59 करोड़ का व्यय निःशुल्क किताब तथा लेखा सामग्री, सायकल, लैपटॉप तथा टैबलेट, कृषि–संबंधी पम्प के लिए विद्युत प्रदाय करने के लिए लक्षित हितग्राहियों का प्रदाय किया गया।

### 1.6.4 पूंजीगत व्यय

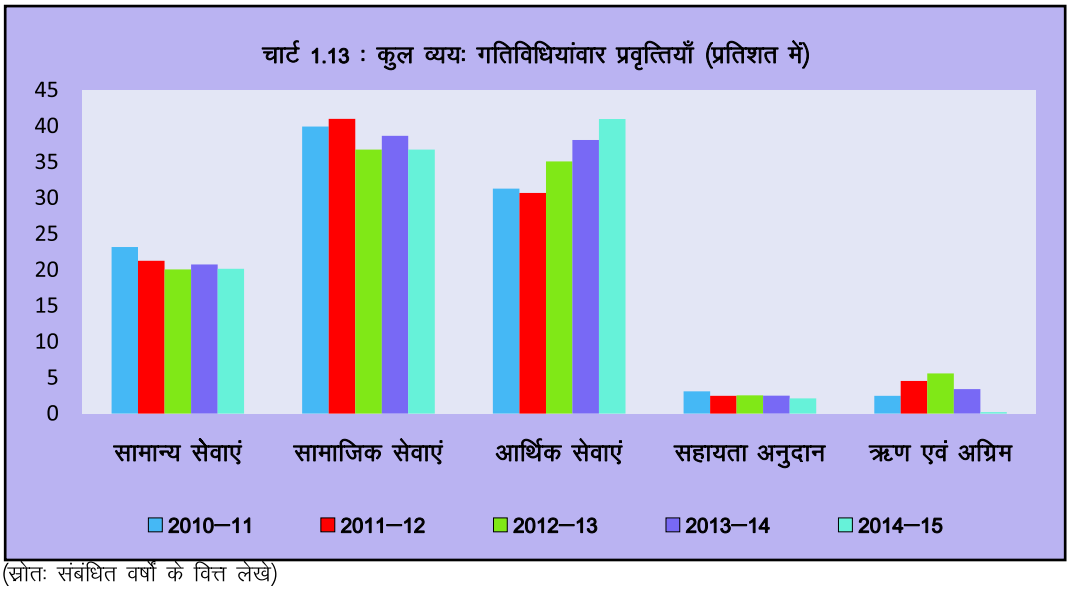
• पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान, पूंजीगत व्यय में 43 प्रतिशत (₹ 1,970 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत सड़क एवं पुल पर ₹ 786 करोड़, शहरी विकास पर ₹ 522 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास योजना पर

₹ 367 करोड़, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर ₹ 134 करोड़, वृहत सिंचाई पर ₹ 132 करोड़ तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 107 करोड़ का व्यय था। यद्यपि, पूंजीगत व्यय में लघु सिंचाई पर ₹ 206 करोड़ एवं कमान क्षेत्र पर ₹ 59 करोड़ की कमी हुई।

- पूंजीगत व्यय, अन्तर्राज्यीय समायोजन सहित ऋण तथा अग्रिम कुल व्यय का क्रमशः 14.17 प्रतिशत तथा 0.19 प्रतिशत था।

### 1.6.5 गतिविधियों के दृष्टिकोण से व्यय की प्रवृत्ति

गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुल व्यय में सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर किया गया व्यय सम्मिलित किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक हिस्सेदारी में होने वाली अंतर विविधताओं को **चार्ट 1.13** में प्रदर्शित किया गया है।




(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- सामान्य सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013–14 में 20.76 प्रतिशत से अल्प रूप से घटकर 2014–15 में 20.15 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013–14 में 38.66 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 36.74 प्रतिशत हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं के संबंध में यह उसी अवधि के दौरान 38.08 प्रतिशत से बढ़कर 40.99 प्रतिशत हो गया।

- सहायक अनुदान पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013–14 में 2.50 प्रतिशत से अल्प रूप से कम होकर 2014–15 में 2.12 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण एवं अग्रिम उसी अवधि के दौरान 3.40 प्रतिशत से घटकर 0.19 प्रतिशत हो गया।

### 1.6.6 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत एवं चालु वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा **तालिका 1.17** में दर्शायी गई है।

## तालिका 1.17: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

| संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| शैक्षनिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) | 144.82 | 163.07 | 223.27 | 242.42 | 261.87 |
| विद्युत/उर्जा | 101.05 | 149.56 | 672.81 | 254.67 | 458.00 |
| कृषि | 37.50 | 56.50 | 71.00 | 77.39 | 82.50 |
| स्थानीय नगरीय निकाय | 905.50 | 1,268.53 | 2,055.21 | 2,002.56 | 1,919.54 |
| पंचायती राज संस्थायें | 1,835.92 | 2,811.71 | 3,897.95 | 4,954.99 | 7,797.54 |
| अन्य संस्थायें | 376.43 | 158.21 | 123.61 | 118.70 | 53.86 |
| **योग** | **3,401.22** | **4,607.58** | **7,043.85** | **7,650.73** | **10,573.31** |
| राजस्व व्यय | 19,355 | 22,628 | 26,972 | 32,859 | 39,561 |
| राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता | 17.57 | 20.36 | 26.12 | 23.28 | 26.73 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**तालिका 1.17** से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं[11] को वित्तीय सहायता 2010–11 में ₹ 3,401 करोड़ से अनवरत रूप से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 10,573 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान, शासन द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं (74 प्रतिशत) एवं स्थानीय नगरीय निकायों (18 प्रतिशत) को दिया गया था।

## 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्य रूप से उनके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पक्ष शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात जन सेवा उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा इसकी प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम के संबंधों का आंकलन)।

### 1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

समाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित उत्तरदायित्व जिसे राज्य शासन को सौंपा गया है मुख्यतः राज्य के विषय है। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करें। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का समग्र व्यय के सापेक्ष अनुदान) दी जाती है, यदि यह संबंधित सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत से कम है।

वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2014–15 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा **तालिका 1.18** में की गई है।

[11] शिक्षा संस्थाओं, ऊर्जा/कृषि, सहकारिता, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।

तालिका 1.18 वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

| राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता | एई/जीएसडीपी | डीई[#]/एइ | एसएसई/एई | सीई/एई | शिक्षा/एई | स्वास्थ्य/एई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **औसत (अनुपात) 2011–12** | | | | | | |
| सामान्य श्रेणी राज्य | 15.98 | 65.39 | 36.63 | 13.23 | 17.10 | 4.68 |
| छत्तीसगढ़ | 20.63 | 76.22 | 41.24 | 19.06 | 18.21 | 3.95 |
| **औसत (अनुपात) 2014–15** | | | | | | |
| सामान्य श्रेणी राज्य | 16.49 | 69.12 | 36.50 | 14.01 | 16.23 | 5.04 |
| छत्तीसगढ़ | 21.98 | 77.73 | 36.74 | 14.17 | 20.60 | 5.05 |

एईः कुल व्यय, डीई–विकास व्यय, एसएसईः सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीईः पूंजीगत व्यय
[#]विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूंजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

- छत्तीसगढ़ शासन ने सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत की तुलना में वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2013–14 में कुल व्यय के रूप में अपने सकल घरेलू उत्पाद का अनुपातिक रूप से अधिक खर्च किया।
- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र का व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। हालांकि, वर्ष 2011–12 की तुलना में कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय वर्ष 2014–15 में कम था।
- वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 के दौरान, छत्तीसगढ़ में पूंजीगत व्यय का समग्र व्यय के साथ अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था। यद्यपि, वर्ष 2011–12 की तुलना में कुल व्यय का अनुपातिक व्यय वर्ष 2014–15 में घट गया।
- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में राज्य ने सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी है।
- वर्ष 2011–12 में राज्य ने सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी थी लेकिन वर्ष 2014–15 में सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी गयी है।

### 1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महत्ता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए समुचित उपाय करें एवं अति आवश्यक लोक एवं महत्व की वस्तुओं[12] के लिए प्रावधान पर बल दें। विकास व्यय[13] के आवंटन में सुधार के अतिरिक्त विशेषकर अभी पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग में कुशलता, कुल व्यय और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से पूंजीगत व्यय के अनुपात परिलक्षित होता है एवं राजस्व पर व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक

12 मुख्य जन सामग्री सभी नागरिक जिसका सार्वजनिक उपयोग करते हों, इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपयोग से अन्य किसी व्यक्ति के उस सामग्री के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सड़क अधोसंरचना इत्यादि। उच्च गुणवत्ता सामग्री उपयोग वस्तु है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर उपलब्ध करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्मति एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के विचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबों के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं रूग्णता को कम करने, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा पेयजल एवं स्वच्छता आदि मुहैया कराना है।

13 व्यय के आंकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे पूंजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सामान्य सेवाएं की श्रेणीयों में स्थापित करता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय को स्थापित करता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है।

सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जा रहा है। कुल व्यय से इन घटकों का जितना उच्च अनुपात होगा, उतनी बेहत्तर व्यय की गुणवत्ता होगी।

**तालिका 1.19** विगत वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.19: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

| विकास व्यय के घटक | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| विकास राजस्व व्यय | 13,401 (59) | 16,037 (57) | 19,468 (58) | 24,038 (62) | 29,541 (64) |
| विकास पूंजीगत व्यय | 2,899 (13) | 4,014 (15) | 4,794 (14) | 4,392 (11) | 6,287 (14) |
| विकास ऋण एवं अग्रिम | 557 (02) | 1,259 (05) | 1,882 (06) | 1,309 (03) | 78 (0.17) |
| **कुल विकास व्यय** | **16,857 (73)** | **21,310 (76)** | **26,144 (77)** | **29,739 (77)** | **35,906 (78)** |
| सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए) | 22,876 | 27,957 | 33,779 | 38,757 | 46,195 |
| कोष्टक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है। | | | | | |

(स्रोतः वित्त लेखे)

- **तालिका 1.19** से यह देखा जा सकता है कि विकास व्यय जिसमें सामाजिक–आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2010–11 में ₹ 16,857 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 35,906 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 के दौरान सकल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो 73 प्रतिशत एवं 78 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2014–15 के दौरान विकास व्यय, कुल व्यय का 78 प्रतिशत था जबकि गैर–विकास व्यय 22 प्रतिशत था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान कुल विकास व्यय में ₹ 6,167 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका कारण विकास राजस्व व्यय में ₹ 5,503 करोड़ (23 प्रतिशत) तथा विकास पूंजीगत व्यय में ₹ 1,895 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि था। हालांकि विकास ऋण तथा अग्रिमों में ₹ 1,231 करोड़ (94 प्रतिशत) का कमी दर्ज किया गया था।

### 1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

**तालिका 1.20** पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तलिका 1.20: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(₹ प्रतिशत में)

| सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना | 2013–14 | | | 2014–15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सीई का टीई से अनुपात | राजस्व व्यय के अंश में | | सीई का टीई से अनुपात | राजस्व व्यय के अंश में | |
| | | अनुरक्षण | वेतन एवं मजदूरी | | अनुरक्षण | वेतन एवं मजदूरी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **समाजिक सेवाएं** | | | | | | |
| कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें | 1.79 | 2.23 | 33.34 | 3.38 | 0.79 | 34.06 |
| सामान्य शिक्षा | 0.65 | 1.35 | 44.78 | 0.57 | 0.85 | 36.99 |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 0.33 | 0.66 | 62.14 | 0.51 | 0.63 | 50.83 |
| जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास | 0.22 | 4.06 | 10.76 | 1.52 | 2.12 | 8.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **आर्थिक सेवाएं** | | | | | | |
| कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें | 9.55 | 6.18 | 18.72 | 10.23 | 4.06 | 13.95 |
| कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप | 0.23 | 0.76 | 21.70 | 0.13 | 0.55 | 15.64 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 4.35 | 5.50 | 75.55 | 3.33 | 9.18 | 52.77 |

(स्रोतः वित्त लेखे)
टीईः संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सीईः संबंधित क्षेत्र में पूंजीगत व्यय;

**तालिका 1.20** से यह स्पष्ट है किः

- कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2013–14 में 1.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 3.38 प्रतिशत हो गया जिसका कारण सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2013–14 में ₹ 691.96 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,559.87 करोड़ हो गया।
- जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय का अंश 33.34 प्रतिशत से बढ़कर 34.06 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2014–15 के दौरान अनुरक्षण व्यय 2.23 प्रतिशत से घटकर 0.79 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2013–14 में ₹ 3,699.81 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 4,726.64 करोड़ बढ़ने के कारण कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2013–14 में 9.55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 10.23 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन का हिस्सा 18.72 प्रतिशत से घटकर 13.95 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष के दौरान उसका अनुरक्षण व्यय क्रमशः 6.18 प्रतिशत से घटकर 4.06 प्रतिशत हो गया।

## 1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में राज्य से यह अपेक्षा है कि वह न केवल अपना राजकोषीय घाटे (एवं उधारियों) को न्यूनतम स्तर पर बनाये रखे अपितु पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपार्जित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार आर्थिक सहायता के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिए एवं वित्तिय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। यह खण्ड विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

परियोजनाओं की विभागवार जानकारी (जिसकी लागत ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक है) जो अपने निर्धारित समयावधि तक और 31 मार्च 2015 तक भी पूर्ण नहीं हुये थे, **तालिका 1.21** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.21 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

| विभाग | अपूर्ण परियोजनाओं | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या | अनुमानित लागत | प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत | 31 मार्च 2015 को संचयी व्यय |
| लोक निर्माण | 31 | 856.07 | 1,211.81 | 796.34 |
| जल संसाधन | 136 | 5,796.50 | 6,952.17 | 4,028.11 |
| **योग** | **167** | **6,652.57** | **8,163.98** | **4824.45** |

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभारित करता है। सभी 167 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 6,652.57 करोड़) को 31 मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु उनके अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप इन कार्यों पर व्यय राशि ₹ 4,824.45 करोड़ अवरूद्ध हो गई। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

### 1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2015 की स्थिति में, शासन ने 15 सरकारी कंपनियों (₹ 1,667.40 करोड़), 1461 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों (₹ 143.53 करोड़), छः सांविधिक निगमों (₹ 32.69 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 24.31 करोड़) तथा एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी (₹ 2.60 करोड़) में ₹ 1,872.53 करोड़ निवेश किया। **(तालिका 1.22)**

तालिका 1.22: निवेश पर प्रतिफल

| निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अन्त में निवेश* (₹ करोड़ में) | 259.92 | 1,194.38 | 1,916.18 | 1,866.44 | 1,872.53 |
| निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में) | 4.30 | 0.46 | 2.19 | 14.21 | 0.86 |
| निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत) | 1.65 | 0.04 | 0.11 | 0.76 | 0.05 |
| शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत) | 7.34 | 7.08 | 6.34 | 6.12 | 6.16 |
| ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत) | 5.69 | 7.04 | 6.23 | 5.36 | 6.11 |

*(वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)

वर्ष 2013–14 के ₹ 14.21 करोड़ (0.76 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2014–15 में इस निवेश पर औसत प्रतिफल ₹ 0.86 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। वर्ष 2014–15 के दौरान शासन ने अपने उधारियों पर 6.16 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया, जबकि राज्य के निवेश पर प्रतिफल केवल 0.05 प्रतिशत है। उधार ली गई निधि का लगातार निवेशित निधि में उपयोग करना, जिसका पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल न होता हो, अवहनीय वित्तीय स्थिति को पैदा करता है। शासन उच्च लागत के निधियों के निवेश के लिए उचित औचित्य सुनिश्चित कर सकता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रिकार्ड के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे के साथ मिलना चाहिए। उस स्थिति में जब आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को समाशोधन करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2015 की स्थिति **तालिका 1.23** में दर्शायी गई है।

### तालिका 1.23: बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूतियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| बकाया संबंध में | वित्त लेखे के अनुसार राशि | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रिकार्ड के अनुसार राशि | अंतर |
|---|---|---|---|
| इक्विटी | 1,667.78 | 6,812.79 | 5,145.01 |
| ऋण | 458.75 | 16.87 | 441.88 |
| प्रत्याभूति | 748.40 | 744.73 | 3.67 |

यह पाया गया कि नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अंतर पाया गया तथा इन अंतरो का समाशोधन 2004–05 से लंबित था। शासन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अंतरो का समाशोधन हेतु समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए। यद्यपि, वित्त लेखे तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के राशि मे अंतरों को पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया था, राज्य शासन द्वारा सुधार हेतु कोई कदम नहीं लिया गया था।

## 1.8.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2015 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियाँ का विवरण **तालिका 1.24** में दर्शाया गया है।

### तालिका 1.24: राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

| ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 1,517.88 | 1,864.72 | 1,545.99 |
| वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम | 1,888.79 | 1,318.53 | 88.32 |
| वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि | 1,542.01 | 1,637.27 | 194.86 |
| **अंतशेष** | **1,864.66** | **1,545.99** | **1,439.45** |
| ऐसे बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई है | 1,864.66 | 1,544.99 | 1,438.45 |
| निवल वृद्धि | 342.78 | (–) 318.74 | (–) 106.54 |
| ब्याज प्राप्तियाँ | 8.27 | 274.43 | 47.30 |
| बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति | 0.44 | 17.75 | 3.29 |
| राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत | 6.34 | 6.12 | 6.16 |
| ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत) | (–) 5.90 | 11.63 | (–) 2.87 |

(स्रोतः वित्त लेखे)

मार्च 2015 की समाप्ति पर शासन के ₹ 1,439.45 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम बकाया थे जिसमें से ₹ 172.69 करोड़, ₹ 820.15 करोड़ तथा ₹ 456.57 करोड़ के ऋण क्रमशः सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के थे। सरकारी कर्मचारियों से ₹ 9.96 करोड़ ऋण तथा अग्रिमों की वसूली कर बकाया ऋण तथा अग्रिमों का समायोजन किया गया। इन ऋणों तथा अग्रिमों से प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष 17.75 प्रतिशत (₹ 274.43 करोड़) के विरूद्ध वर्ष 2014–15 में 3.29 प्रतिशत (₹ 47.30 करोड़) था।

## 1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को **तालिका 1.25** में प्रदर्शित किया गया है।

## तालिका 1.25: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

| | 1 अप्रैल 2014 की स्थिति में प्रारंभिक शेष | 31 मार्च 2015 की स्थिति में अंतिम शेष |
|---|---|---|
| **(अ) सामान्य रोकड़ शेष** | | |
| (1) कोषालय में रोकड़ | 0.00 | 0.00 |
| (2) रिजर्व बैंक में जमा | (–) 46.71 | (–)134.31 |
| (3) मार्गस्थ प्रेषण | 0.00 | 0.00 |
| **कुल (1+2+3)** | **(–) 46.71** | **(–)134.31** |
| (4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश | 1,527.49 | (–) 1.26 |
| योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4) | 1,480.78 | (–) 135.57 |
| **(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश** | | |
| (1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़ | 9.63 | 9.98 |
| (2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों | 0.31 | 0.33 |
| (3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश | 1,244.57 | 1,343.64 |
| **कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)** | **1,254.51** | **1,353.95** |
| **कुल (अ) तथा (ब)** | **2,735.29** | **1,218.38** |

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)

- वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर राज्य का रोकड़ शेष वर्ष 2013–14 के ₹ 2,735.29 करोड़ से ₹ 1,516.91 करोड़ (55 प्रतिशत) घट कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,218.38 करोड़ हो गया।

- भारतीय रिजर्व बैंक से अनुबंध के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक में न्युनतम ₹ 0.72 करोड़ रोकड़ शेष रखना आवश्यक है। अगर किसी भी दिन यह राशि अनुबंधित निम्नतम राशि से कम होती है, तब कमी को समय–समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य सरकार ने एक दिन यानि 31 मार्च 2015 को ₹ 97.63 करोड़ का साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा पाँच दिनों के लिए ₹ 678.41 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम लिया था जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

### विशेष अर्थोपाय अग्रिम का विवरण

| विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने का दिनांक | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| 07 मार्च 2015 | 235.71 |
| 20 मार्च 2015 | 11.06 |
| 23 मार्च 2015 | 66.39 |
| 24 मार्च 2015 | 79.08 |
| 31 मार्च 2015 | 286.17 |

- राज्य शासन द्वारा आंतरायिकता अधिशेष रोकड़ शेष को शासकीय कोषालय देयकों के अल्प सावधि जमा तथा प्रत्याभूतियों में निवेश किया गया तथा वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 64.50 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया गया जो कि पिछले वर्ष (₹ 97.80 करोड़) की तुलना में ₹ 33.30 करोड़ कम था।

- मुख्य शीर्ष 8670– चेक तथा बिल, के अंतर्गत अधिशेष राशि, भुनाए न गए चेकों के मूल्य को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2013–14 में बकाया राशि ₹ 84.73 करोड़ से ₹ 39.40 करोड़ घटकर वर्ष 2014–15 में ₹ 45.33 करोड़ हो गया।

## 1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

### 1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2014 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.4 (भाग ब)** में प्रस्तुत किया गया है।

कुल दायित्व, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 में परिभाषित किया गया है, वैसे दायित्व हैं जो राज्य के संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा निधि के अंतर्गत आते है। दायित्व के दो समूह है–लोक ऋण तथा अन्य दायित्व। लोक ऋण में राज्य का आंतरिक ऋण सम्मिलित है और जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि–पूंजीगत लेखा के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

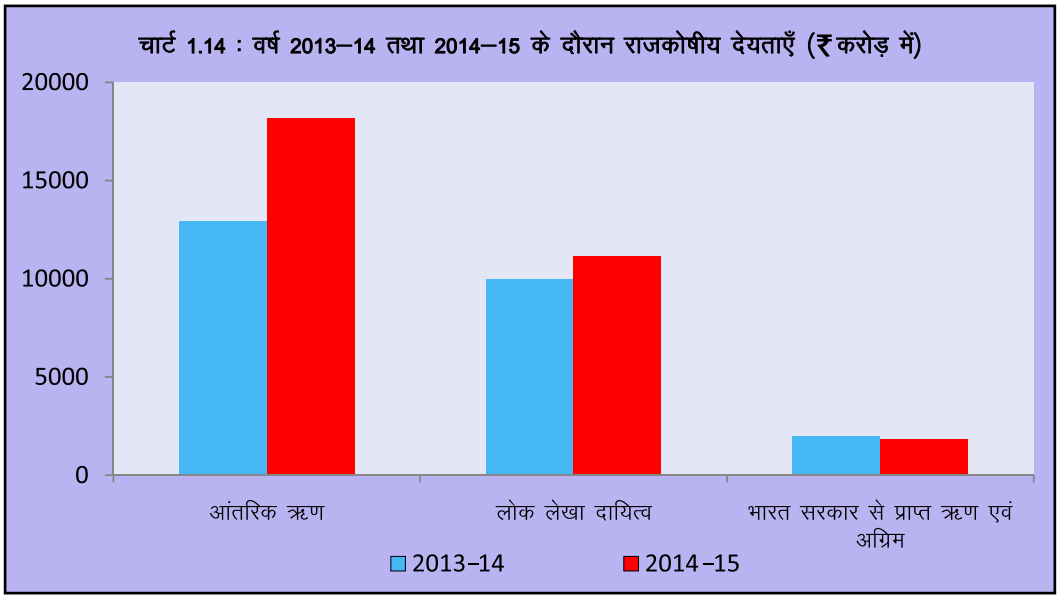
इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, मुआवजा तथा अन्य ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय ऋण शामिल है। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारतीय प्रांत के अंदर अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा तक ऋण ले सकता है जैसा समय–समय पर विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तय की गई हो तथा विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तय की गई सीमा के अंदर गारन्टी दे सकता है। लोक लेखे दायित्वों में अल्प बचत योजना के अंतर्गत जमा, भविष्य निधि इत्यादि, सुरक्षा निधि तथा अन्य जमा सम्मिलित है।

संचित निधि के अंतर्गत शासकीय संपत्ति में पूंजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है।

### 1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्त्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना **चार्ट 1.14** में प्रस्तुत किया गया है।

**चार्ट 1.14 : वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान राजकोषीय देयताएँ (₹ करोड़ में)**




(स्रोतः वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के वित्त लेखे)

दायित्वों की वृद्धि दर वर्ष 2013–14 के 28.04 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2014–15 में 23.89 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि में परिसम्पतियों का वृद्धि दर में वर्ष 2013–14 के 14.54 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2014–15 में 13.96 प्रतिशत हो गया।

विगत वर्ष की तुलना में जहाँ आंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व के प्रतिशतता के रूप में 52 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया वहीं लोक लेखा दायित्व तथा भारत सरकार से प्राप्त बकाया ऋण तथा अग्रिम विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 40 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत तथा आठ प्रतिशत से घटकर छह प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को **तालिका 1.26** में प्रस्तुत किया गया है।

### तालिका 1.26: राजकोषीय देयता–आधारभूत मानक

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजकोषीय देयतायें (₹ करोड़ में) | 16,581 | 17,103 | 19,268 | 24,904[14] | 31,181 |
| राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर (प्रतिशत में) | 4.06 | 3.15 | 12.66 | 29.25 | 25.20 |
| राजकोषीय देयतायें/जीएसडीपी (प्रतिशत में) | 13.88 | 11.87 | 11.63 | 13.41 | 14.83 |
| राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में) | 72.98 | 66.11 | 65.14 | 77.70 | 82.08 |
| **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)** | **1,19,420** | **1,44,112** | **1,65,641पी** | **1,85,682क्यू** | **2,10,192ए** |
| **जनसंख्या (करोड़ में)** | **2.50** | **2.55** | **2.60** | **2.65** | **2.70** |
| **प्रति व्यक्ति ऋण अनुपात (₹ में)** | **6,632** | **6,707** | **7,411** | **9,398** | **11,549** |

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)
(ए=अग्रिम, क्यू=तत्काल एवं पी=अस्थायी)

- राज्य का समग्र राजकोषीय दायित्व 88 प्रतिशत (₹ 14,600 करोड़) की वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 में ₹ 16,581 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 31,181 करोड़ हो गया।

- राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर वर्ष 2013–14 के 29.25 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2014–15 के दौरान 25.20 प्रतिशत रहा।

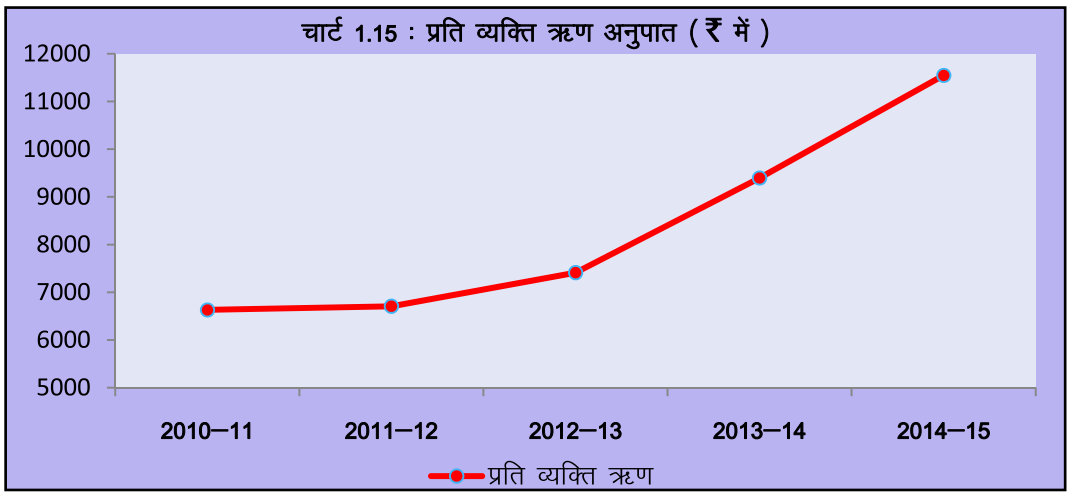
- वर्ष 2014–15 के समाप्ति पर राजकोषीय दायित्व, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 82.08 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान यह 77.70 प्रतिशत था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान, बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 14.83 प्रतिशत था जो एफआरबीएम प्रकटीकरण में दिये गये अनुमान (15.53 प्रतिशत) के अन्दर था।

- प्रति व्यक्ति ऋण 74 प्रतिशत की प्रभावी बढ़ोत्तरी के साथ वर्ष 2010–11 में ₹ 6,632 से वर्ष 2014–15 में ₹ 11,549 हो गया।

अवधि 2010–15 के दौरान प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति **चार्ट 1.15** में दर्शाया गया है।

[14] जीएसडीपी आंकड़े में बदलाव एवं वित्त लेखे में किये समायोजन के कारण वर्ष 2013–14 के आंकड़ें बदल गये।




### 1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लेखे (लोक लेखे) में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप में परिभाषित उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु आरक्षित एवं आरक्षित निधियों का गठन किया गया है तथा इनकी पूंजी भारत/राज्य के समेकित निधि के अंशदान/अनुदान से पूरी की जाती है। वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 के बीच कुछ विशेष उद्देश्यों हेतु 17 आरक्षित निधि चिन्हित किये गये थे जिसमे से 13 सक्रिय तथा चार अप्रचलित थे। 31 मार्च 2015 के अंत तक निधि में ₹ 3,190.53 करोड़ थे। 31 मार्च 2015 के अंत तक निधि में उपलब्ध ₹ 3,190.53 करोड़ निवल संचित शेष में से राज्य शासन ने ₹ 1,343.64 करोड़ (42 प्रतिशत) निवेश किया था। निधियाँ, जो मुख्य शीर्ष 8229–विकास तथा कल्याण निधियों तथा 8235–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों में अप्रचलित रहें हैं, का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

अक्रिय आरक्षित निधि का विवरण

| आरक्षित निधि का नाम | 31 मार्च 2015 की स्थिति में शेष (₹ करोड़ में) | वर्ष जबसे अप्रचलित है |
|---|---|---|
| **8229–विकास एवं कल्याण निधियाँ** | | |
| कृषि उद्येश्यों के लिए विकास निधि–निवेश खाता | 0.05 (डेबिट) | 2001–01 |
| वनरोपण क्षतिपूरक निधि | 18.89 (क्रेडिट) | 2008–09 |
| शिक्षा उद्येश्यों के लिए विकास निधि | 0.03 (क्रेडिट) | 2011–12 |
| **8235–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि** | | |
| अन्य निधियाँ | 0.01 (क्रेडिट) | 2000–01 |
| **कुल** | **18.88 (क्रेडिट)** | |

इसके अतिरिक्त, आरक्षित निधि, ग्रामीण विकास निधि, जिसका गठन 2001–02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु किया गया था, का 31 मार्च 2015 की स्थिति में शेष ₹ 135.70 करोड़ था लेकिन इसके गठन के पश्चात से अब तक इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

इन निधियों को यदि जारी रखना जरूरी न हो तो इनकी जाँच और बंद करने तथा शेष को समेकित निधि में प्रेषण करने की कार्यवाही की जानी चाहिए चाहिए।

### राज्य आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर, राज्य शासन ने वर्ष 2010–11 में एक राज्य आपदा राहत निधि का गठन किया। वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य आपदा राहत निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 500.38 करोड़ था। वर्ष के दौरान, निधि से प्राप्तियाँ एवं संवितरण क्रमशः

₹ 182.28 करोड़ तथा ₹ 124.73 करोड़ था जिसमें मार्च 2015 की समाप्ति पर अंतिम शेष ₹ 557.93 करोड़ था।

### निक्षेप निधि

शासन ने वर्ष 2006–07 के दौरान खुले बाजार ऋण के लिए एक निक्षेप निधि का गठन किया। इस निधि का उपयोग परिशोधन के रूप में बकाया आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों के विमोचन के लिए वर्ष 2011–12 से किया जाना था। यद्यपि, वर्ष 2014–15 तक शासन द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया है। वर्ष 2014–15 में निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में शेष ₹ 1,346.94 करोड़ था। वर्ष 2014–15 के दौरान शासन ने ₹ 124.52 करोड़ के न्यूनतम अंशदान अर्थात वर्ष 2013–14 के अंत तक बकाया दायित्वों (₹ 24,903.62 करोड़) का 0.5 प्रतिशत के विपरीत, ₹ 100 करोड़ का अंशदान दिया।

### 1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति–आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूति राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक उत्तरदायित्व होती है जब उधारकर्त्ता जिसके विरूद्ध प्रत्याभूति दी गई है, के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।

राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत मार्च 2015 तक ऐसी कोई विधि पारित नहीं की गई थी जिससे शासन राज्य के समेकित निधि के प्रतिभूति पर प्रत्याभूति दे सके। यद्यपि राज्य के एफआरबीएम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि राज्य शासन कम से कम शर्तों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत या जोखिम भारित के आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो से ज्यादा एक वर्ष में प्रत्याभूति नहीं देगा।

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले तीन वर्षों से लंबित प्रत्याभूति **तालिका 1.27** में दिया गया है।

तालिका 1.27: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

| प्रत्याभूतियाँ | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|
| प्रत्याभूति की अधिकतम राशि | 6,605.49 | 7,571.99 | 9,080.06 |
| प्रत्याभूति की बकाया राशि | 2,694.90 | 3,358.27 | 2,314.47 |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 29,578.09 | 32,050.26 | 37,988.01 |
| कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम प्रत्याभूति राशि का प्रतिशतता | 22.33 | 23.63 | 23.90 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वित्त लेखे में दर्ज विवरण संख्या 9 तथा 20 के अनुसार ₹ 2,314.47 करोड़ की प्रत्याभूति मार्च 2015 के अंत तक बकाया थी। इनमें से सहकारिता (₹ 1,445.38 करोड़), उर्जा (₹ 714.93 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 108.74 करोड़), आवास एवं शहरी विकास (₹ 41.66 करोड़) तथा अन्य (₹ 3.76 करोड़) को प्रत्याभूति दी गई जो 31 मार्च 2015 तक बकाया थे। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 23.90 प्रतिशत था। नये प्रत्याभूतियां एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 1.5 प्रतिशत में थी।

राज्य सरकार को प्रत्याभूति की आकस्मिक विमुक्ति के दायित्व के निर्वाह के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्यों को पूर्व निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क से एक प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना करनी चाहिए। तथापि, राज्य शासन के द्वारा उनके प्रत्याभूतियों का मूल्यांकन "उच्च जोखिम का निम्न पक्ष" का मानते हुए प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना नहीं करने का निर्णय लिया। वर्ष के दौरान किसी प्रत्याभूति को रद्द नहीं किया गया था।

वर्ष 2014–15 के दौरान, ₹ 0.20 करोड़ की राशि प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूली की गई जो कि वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 0.04 करोड़ थी।

### 1.9.5 सरकार द्वारा लिए गए उधार का विश्लेषण

वर्ष 2014–15 के दौरान लोक ऋण का विवरण तथा इसके घटक को क्रमशः तालिका 1.28 तथा **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

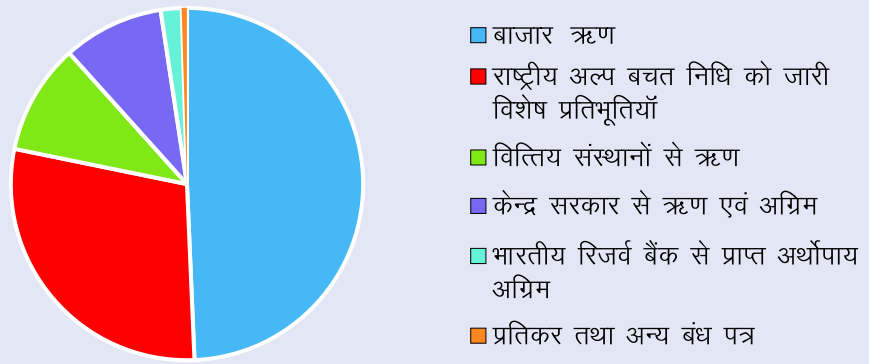
तालिका 1.28: वर्ष 2014–15 के दौरान लोक ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

| उधारों की प्रकृत्ति | 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | पुनर्भुगतान | 31 मार्च 2015 को अंतिम शेष | निवल वृद्धि (+) कमी (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| बाजार ऋण | 6,080.04 | 4,200.00 | 392.35 | 9,887.69 | 3,807.65 |
| प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र | 145.05 | 0.00 | 48.32 | 96.73 | (–) 48.32 |
| वित्तीय संस्थाओं से ऋण | 1,339.29 | 796.13 | 102.01 | 2,033.41 | 694.12 |
| राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | 5,378.99 | 658.81 | 244.63 | 5,793.17 | 414.18 |
| भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम | 0.00 | 776.04 | 392.24 | 383.80 | 383.80 |
| केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 2,002.87 | 8.69 | 157.18 | 1,854.38 | (–)148.49 |
| **योग** | **14,946.24** | **6,439.67** | **1,336.73** | **20,049.18** | **5,102.94** |

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)

चार्ट 1.16 : 31 मार्च 2015 की स्थिति में सरकार द्वारा लिये गए उधार का घटक




वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 6,439.67 करोड़ का उधार लिया गया तथा ₹ 1,336.73 करोड़ इसके पुनर्भुगतान के रूप में विमुक्त किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान बाजार से उधारियों एवं अन्य उधारियों का विश्लेषण निम्नानुसार है:

#### वित्तीय संस्थाओं से ऋण

सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 796.13 करोड़ का उधार वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 795.87 करोड़) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (₹ 0.26 करोड़) से लिया गया तथा ₹ 102.01 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण के बकाया शेष में ₹ 694.12 करोड़ (51.83 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013–14 में ₹ 1,339.29 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 2,033.41 करोड़ हो गया।

### राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्त ऋण

सरकार द्वारा लघु बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि गठित किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 658.81 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ तथा ₹ 244.63 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के कर्जों के बकाया शेष में ₹ 414.18 करोड़ (7.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013–14 में ₹ 5,378.99 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 5,793.17 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन ने ₹ 516.21 करोड़ का ब्याज भुगतान किया।

### बाजार ऋण

अवधि वर्ष 2010–15 के दौरान बाजार ऋण की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.29** में दिया गया है।

तालिका 1.29: वर्ष 2010–15 की अवधि में बाजार ऋण की समग्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बाजार ऋण का प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान लिए गए बाजार ऋण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किए गए बाजार ऋण | अंतिम शेष | निवल वृद्धि (+) कमी (–) | विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 2,747.74 | 0.00 | 235.02 | 2,512.72 | (–) 235.02 | (–) 08.55 |
| 2011–12 | 2,512.72 | 0.00 | 313.14 | 2,199.58 | (–) 313.14 | (–) 12.46 |
| 2012–13 | 2,199.58 | 1,500.00 | 463.53 | 3,236.05 | 1,036.47 | 47.12 |
| 2013–14 | 3,236.05 | 3,000.00 | 156.01 | 6,080.04 | 2,843.99 | 87.88 |
| 2014–15 | 6,080.04 | 4,200.00 | 392.35 | 9,887.69 | 3,807.65 | 62.63 |

(स्रोतः वित्त लेखे)

**तालिका 1.29** से यह स्पष्ट है कि मार्च 2012 की समाप्ति पर बाजार ऋण ₹ 2,199.58 करोड़ से प्रबल रूप से बढ़कर मार्च 2015 में ₹ 9,887.69 करोड़ हो गया, जो कि भविष्य में वृहद भुगतान दायित्व की ओर ले जाएगा। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन ने ₹ 564.19 करोड़ का ब्याज भुगतान किया।

## 1.10 ऋण प्रबंधन

### 1.10.1 ऋण प्रारूप

राज्य शासन के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण धारणीयता[15] को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण[16]; गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता[17]; उधार ली गई निधियों की निवल

15 ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण–जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

16 स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर–ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ–साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण–जीएसडीपी अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ–साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण–जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात मे तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

17 राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

उपलब्धता[18]; ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता का मुल्यांकन करता है।

### 1.10.2 ऋण धारणीयता

एक समयावधि में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को स्थिर बनाए रखने की राज्य की योग्यता को ऋण धारणीयता कही जाती है। अतएव, यह राज्य के ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करता है।

**तालिका 1.30** वर्ष 2012–13 से प्रारंभ कर तीन वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.30: ऋण धारणीयता: सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| ऋण धारणीयता के सूचकांक | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|
| ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार+प्रारंभिक घाटा) | 41 | (–) 2,340 | (–) 4,528 |
| गैर ऋण प्राप्तियों के अभिवृद्धि की पर्याप्तता (संसाधनों की रिक्तता) | (–) 1,854 | (–) 2,405 | (–) 2,196 |
| उधार निधियों की निबल उपलब्धता | 1,012 | 4,283 | 4,551 |
| ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात) | 3.90 | 4.22 | 4.55 |
| राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद–(प्रतिशत में) | 11.63 | 13.41 | 14.83 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**तालिका 1.30** में प्रदर्शित प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार सकारात्मक रहा था परन्तु यह वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 के दौरान नकारात्मक हो गया। राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2013–14 में 13.41 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 14.83 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान गैर–ऋण प्राप्तियों में अभिवृद्धि की पर्याप्तता (संसाधनों का अंतर) नकारात्मक थी, जो यह दर्शाता है कि गैर–ऋण प्राप्तियों की वृद्धि बढ़ते हुये प्रारंभिक व्यय एवं बढ़ते हुये व्यय भार को पोषित करने के लिए अपर्याप्त थी।

मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात उधार ली गई निधियों की उपलब्धता वर्ष 2012–13 में ₹ 1,012 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 4,551 करोड़ हो गई। वर्ष 2014–15 के दौरान शासन ने ₹ 5,637 करोड़ (₹ 1,180 करोड़ के आंतरिक ऋण का मूलधन एवं ब्याज, भारत सरकार से ₹ 157 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 4,300 करोड़ का भी निपटान) का पुनर्भुगतान किया जो कुल प्राप्तियों ₹ 11,914 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 6,431 करोड़, भारत सरकार से ₹ नौ करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 5,474 करोड़) से कम था, परिणामतः उत्पादक/पूंजीगत व्यय हेतु ₹ 4,551 करोड़ (कुल उधारों का 38 प्रतिशत) के निधि की शुद्ध उपलब्धता थी।

राज्य द्वारा भविष्य में पुनर्भुगतान हेतु योग्य, राज्य ऋण के परिपक्वता का परिपेक्ष्य **तालिका 1.31** में दर्शाया गया है।

[18] उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूलधन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की उपलब्धता दर्शाती है।

### तालिका 1.31: राज्य के ऋण की परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | कुल ऋण का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0–5** | 4,182.47 | 4,252.03 | 3,914.35 | 4,207.57 | 5,828.95 | 29 |
| **6–10** | 3,351.11 | 3,115.08 | 3,204.48 | 7,937.95 | 11,849.84 | 59 |
| **11–15** | 2,039.44 | 1,958.45 | 3,312.46 | 1,674.14 | 1,553.25 | 08 |
| **16–20** | 1,164.79 | 1,012.50 | 802.49 | 658.63 | 528.11 | 03 |
| **20 और उससे उपर** | 378.91 | 347.50 | 470.22 | 467.95 | 289.04 | 01 |
| **योग** | **11,116.72** | **10,685.56** | **11,704.00** | **14,946.24** | **20,049.19** | |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

31 मार्च 2015 की स्थिति में बकाया लोक ऋण कि परिपक्वता की रूपरेखा यह दर्शाता है कि अगले 10 वर्षों में कुल बकाया ऋण का 88 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त यह दर्शाता है कि ऋण चुकाने का राज्य का दायित्व वर्ष 2015–20 के दौरान ₹ 5,829 करोड़ तथा वर्ष 2020–25 के दौरान ₹ 11,850 करोड़ होगा जो कि उस अवधि के दौरान सरकारी बजट पर दबाव डालेगा। अतः भविष्य के ऋण भुगतान की अधिक जागरूकता के साथ शासन को इस स्थिति में होना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये ऋण का भुगतान उन वर्षों में नहीं करना पड़े जिन वर्षों में अधिकतम पुनर्भुगतान बकाया है।

ऋण पर ब्याज अदायगी, राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष 2010–11 में 5.27 से वर्ष 2012–13 में 3.90 का घटता हुआ प्रवृत्ति दर्शाता है और उसके बाद वर्ष 2012–13 में 3.90 से वर्ष 2014–15 में 4.55 का बढ़ता हुआ प्रवृत्ति दर्शाता है, जैसा कि **तालिका 1.32** से देखा जा सकता है।

### तालिका 1.32: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ब्याज भुगतान

| विवरण | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ब्याज भुगतान (करोड़ में)** | 1,198 | 1,193 | 1,153 | 1,351 | 1,727 |
| **राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत** | 5.27 | 4.61 | 3.90 | 4.23 | 4.55 |

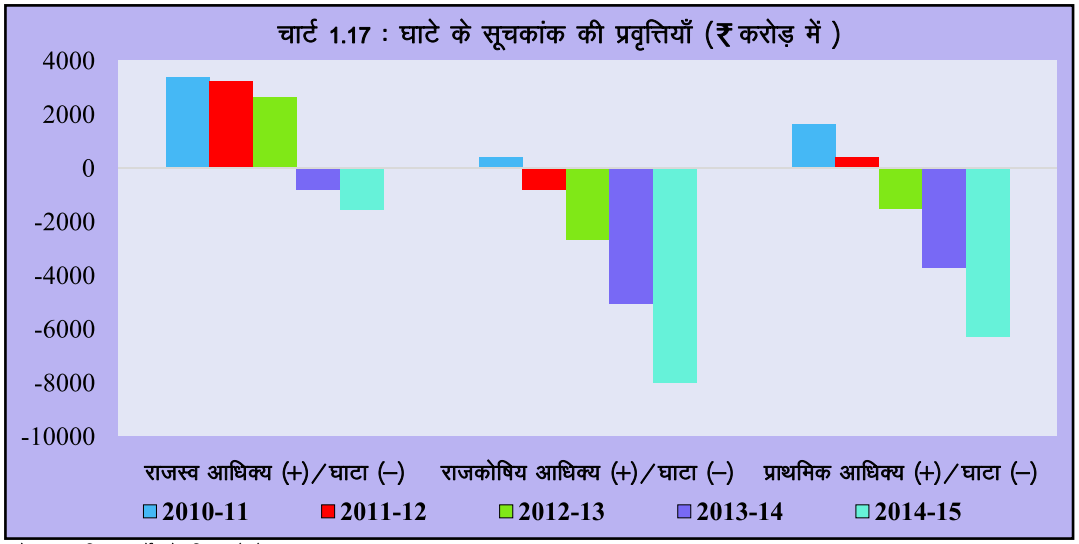
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## 1.11 राजकोषीय अस्थिरता

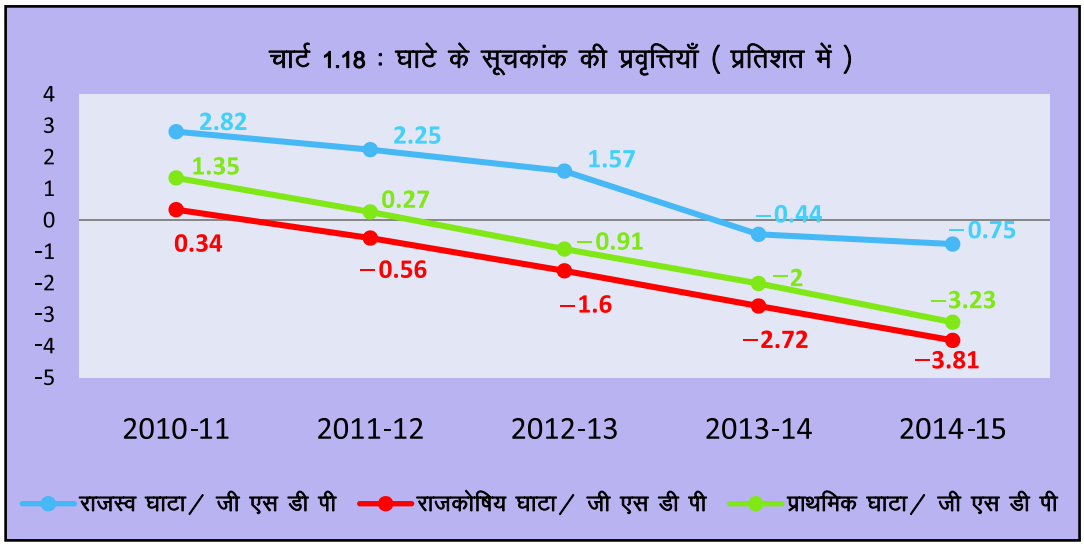
तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे राज्य शासन के वित्त में एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का द्योतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण हेतु संसाधन की व्यवस्था एवं उपयोग के तरीके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटे के पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, आकार तथा तरीके एवं एफआरबीएम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

### 1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

**चार्ट 1.17, चार्ट 1.18** तथा **तालिका 1.33** वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए घाटे के सूचकांको की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।




(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)




(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### तालिका 1.33: घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व घाटा(–)/आधिक्य (+) | (+)3,364 | (+)3,239 | (+)2,606 | (–)809 | (–)1,573 |
| राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+) | (+)410 | (–)801 | (–)2,655 | (–)5,057 | (–)8,008 |
| प्राथमिक घाटा(–)/आधिक्य (+) | (+)1,608 | (+)392 | (–)1,502 | (–)3,706 | (–)6,281 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा उधारियों को बढ़ाता है तथा राजस्व आधिक्य उधारियों को घटाता है।

वर्ष 2010–11 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 3,364 करोड़ से घटकर वर्ष 2012–13 में ₹ 2,606 करोड़ हो गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 809 करोड़ के राजस्व घाटा में तब्दील हो गया जो कि वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 764 करोड़ बढ़कर ₹ 1,573 करोड़ हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा वर्ष 2013–14 में 0.44 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 0.75 हो गया।

राजकोषीय घाटा जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 410 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य था, लेकिन यह वर्ष 2011–12 में ₹ 801 करोड़ के राजकोषीय घाटे में तब्दील हो गया तथा धीरे–धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2014–15 के दौरान यह ₹ 8,008 करोड़ हो गया। राजस्व प्राप्तियों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 3.81 था जो 13वें वित्त आयोग प्रावधान एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

राजकोषीय घाटा में 58 प्रतिशत तथा ब्याज अदायगियों में 28 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा वर्ष 2013–14 में ₹ 3,706 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,281 करोड़ हो गया।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे का घटक तथा इसके वित्त पोषण की संरचना

राजकोषीय घाटा राज्य द्वारा लिये जाने वाले कुल उधारियों की आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से राजस्व व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे का विभाजन यह प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर–ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली **तालिका 1.34** में प्रदर्शित की गई है।

**तालिका 1.34: राजकोषीय घाटा के घटक एवं वित्तीय संरचना**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **राजकोषीय घाटे का विभाजन** | | | | | |
| राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) | 3,363.79 | 3,239.33 | 2,606.25 | –809.31 | –1,573.28 |
| निवल पूंजीगत व्यय | (–)2,948.95 | (–)4,052.47 | (–)4,916.94 | (–)4,566.55 | (–)6,541.22 |
| निवल ऋण एवं अग्रिम[19] | (–)5.08 | 11.97 | (–)344.45 | 318.58 | 106.23 |
| **योग** | **409.76** | **(–)801.17** | **(–)2,655.14** | **(–)5,057.28** | **(–)8,008.27** |
| **राजकोषीय घाटे का वित्तीय संरचना*** | | | | | |
| बाजार से उधार | (–)235.03 | (–)313.14 | 1,036.47 | 2,843.99 | 3,807.65 |
| भारत सरकार से उधार | 67.38 | (–)85.15 | (–)152.37 | (–)134.50 | (–)148.49 |
| एन.एस.एस.एफ. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ | 373.47 | 13.00 | 15.00 | 1.42 | 414.18 |
| वित्तीय संस्थाओं से ऋण | (–)101.49 | (–)45.86 | 119.34 | 531.33 | 645.80 |
| भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.80 |
| अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि | 328.97 | 307.76 | 293.47 | 265.40 | 443.83 |
| जमा एवं अग्रिम | 355.26 | 585.94 | 521.18 | 1,818.98 | 466.62 |
| उचन्त एवं विविध | (–)2,129.58 | 1,758.77 | (–)1,107.52 | (–) 1,243.93 | 1,449.74 |
| प्रेषण | 33.68 | 96.10 | (–)264.11 | (–) 98.03 | 193.52 |
| अन्य[20] | (–)28.08 | 58.90 | 332.15 | 305.16 | 264.02 |
| **योग** | **(–)1,335.42** | **2,376.32** | **793.61** | **4,289.82** | **7,920.67** |
| **समग्र आधिक्य (+)/घाटा (–)** | **(–)925.66** | **1575.15** | **(–) 1861.53** | **(–) 767.46** | **(–) 87.60** |
| **योग** | **(–)409.76** | **801.17** | **2,655.14** | **5,057.28** | **8,008.27** |

*ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाही है।
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

19 इसमें अंतर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है।
20 इसमें आकस्मिता निधि एवं आरक्षित निधि सम्मिलित है।

उपरोक्त के तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा बाजार ऋण से राजकोषीय घाटे को अधिक से अधिक वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान, राजकोषीय घाटा वित्त पोषण में इसका हिस्सा 48 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान, शासन ने रिजर्व बैंक से ₹ 383.80 करोड़ साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम लिया।

### 1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे[21] तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य के वित्त पोषण में घाटा गुणवत्ता की कमी को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उधार ली गई निधियों का वर्त्तमान में किस सीमा तक उपभोग किया गया है, को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका 1.35)** यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि रहा है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.35: प्राथमिक घाटा/आधिक्य–कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | गैर–ऋण प्राप्तियाँ | प्राथमिक राजस्व व्यय | पूंजीगत व्यय | ऋण एवं अग्रिम | प्राथमिक व्यय[22] | प्राथमिक राजस्व घाटा(–)/ आधिक्य (+) | प्राथमिक घाटा(–)/ आधिक्य(+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4+5) | 7 (2–3) | 8 (2–6) |
| **2010–11** | 23,286 | 18,157 | 2,952 | 569 | 21,678 | 5,129 | 1,608 |
| **2011–12** | 27,156 | 21,435 | 4,056 | 1,273 | 26,764 | 5,721 | 392 |
| **2012–13** | 31,124 | 25,819 | 4,919 | 1,888 | 32,626 | 5,305 | (–) 1,502 |
| **2013–14** | 33,699 | 31,508 | 4,574 | 1,318 | 37,408 | 2,191 | (–) 3,709 |
| **2014–15** | 38,187 | 37,835 | 6,544 | 88 | 44,467 | 352 | (–) 6,281 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- गैर–ऋण प्राप्तियों में ₹ 14,901 करोड़ (64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 2010–11 में ₹ 23,286 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 38,187 करोड़ हो गया जबकि इसी अवधि में प्राथमिक राजस्व व्यय ₹ 21,678 करोड़ से बढ़कर ₹ 44,467 करोड (105 प्रतिशत) हो गया।

- वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य के पास ₹ 1,608 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य था जो कि वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 1,502 करोड़ का प्राथमिक घाटे में तब्दील हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,709 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,281 करोड़ हो गया। दुसरे शब्दों में, वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व लेखा में प्राथमिक व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के गैर–ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थी।

## 1.12 अनुवर्ती कार्यवाई

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्त प्रतिवेदन, राज्य विधायिका में प्रस्तुत की जा रही है। इन प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में अभी तक चर्चा शुरू होनी है।

---

[21] प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को इंगित करता है।

[22] राज्य का प्राथमिक राजस्व व्यय ब्याज भुगतान का सकल शुद्ध व्यय, जो वर्ष के दौरान लेन देन पर होने वाले व्यय को इंगित करता है, के रूप में परिभाषित है।

## 1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

### राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, तेरहवें वित्त आयोग के 12.50 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध 13.20 प्रतिशत थी।

- राज्य के राजकोषीय स्थिति के प्रमुख मानदण्डों में गिरावट आई है। तेंरहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य को वर्ष के दौरान शून्य राजस्व घाटा बनाए रखना था। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व घाटा वर्ष 2013–14 में ₹ 809 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,573 करोड़ था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 8,008 करोड़ हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटा (3.81 प्रतिशत), 13वें वित्त आयोग के प्रावधान (तीन प्रतिशत) एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित (तीन प्रतिशत) की सीमा से अधिक था।

- शासन को तेरहवें वित्त आयोग तथा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंदर राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

### संसाधन की गतिशीलता

- चालू वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ 15,707 करोड़) बजट अनुमान (₹ 17,926 करोड़) से कम था। करेत्तर राजस्व भी बजट अनुमान से ₹ 1,255 करोड़ कम था।

शासन को बजट दस्तावेज में प्राप्तियों के स्वयं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

### व्यय प्रबंधन तथा राजकोषीय प्राथमिकताएँ

- वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय निरंतर रूप से (85.64 प्रतिशत) कुल व्यय का प्रभावकारी घटक रहा। वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.17 प्रतिशत रहा।

राज्य कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर विचार करे जिससे वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए परिसंपत्तियाँ निर्मित की जा सके।

- मार्च 2015 के अंत तक राज्य सरकार ने ₹ 1,872.53 करोड़ का निवेश किया तथा ₹ 1,439.45 करोड़ बकाया ऋण तथा अग्रिमों की वसूली शेष था। वर्ष 2014–15 के दौरान सरकारी निवेश तथा बकाया ऋणों पर औसत प्रतिफल क्रमशः 0.05 प्रतिशत तथा 3.17 प्रतिशत मात्र था जबकि सरकार ने अपनी उधारियों पर 6.16 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया। यह अवहनीय वित्तीय स्थिति की ओर अग्रेषित कर सकता है।

शासन को मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान न करने वाले संस्थानों/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

### अपूर्ण परियोजनाएँ

- 31 मार्च 2015 तक लोक निर्माण तथा जल संसाधन विभाग के 167 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 4,824 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

शासन को अपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पहल करना चाहिए जिससे कि आगे और समय एवं लागत बढ़ने से बचा जा सके।

## दायित्वों का प्रबंधन

- चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 31,181 करोड़ था जो पिछले वर्ष के ₹ 24,904 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.41 प्रतिशत) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 14.83 प्रतिशत था।

शासन को भविष्य में राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखना चाहिए।

# दूसरा अध्याय
# वित्तीय प्रबंधन
# एवं
# बजट नियंत्रण

# द्वितीय अध्याय

# वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

## 2.1 प्रस्तावना

**2.1.1** विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लेखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है । इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते है और ये लेखे बजट के प्रभारित एवं दत्तमत दोनो मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते है । इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए यह वित्त लेखे के संपूरक है।

**2.1.2** विनियोग की लेखापरीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अनुरूप है और जब भी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियोगों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

## 2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रकिया

मध्य प्रदेश के बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के बजट प्राक्कलन प्रत्येक विभाग के प्रमुख या नियत्रंण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के पूर्व तैयार किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा प्रदाय प्रपत्र में बजट नियमावली के अनुच्छेद 61 के अनुसार वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष आंकलित राजस्व एवं व्यय का विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजट नियमावली के अनुच्छेद 91 के अनुसार सभी अनुमानित बचतों को यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी ईकाई या ईकाइयों के आधिक्य को समाहित करने हेतु आवश्यक न हो, सरकार को तुरंत समर्पित कर देना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के अनुच्छेद 116 के अनुसार प्रत्येक संवितरण अधिकारी उनके अधिपत्य में रखे आवंटन के लिए उत्तरदायी है वह विनियोजन की प्रत्येक इकाई में हुए व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखता है तथा उसके अधीनस्थ को पर्याप्त समय में अतिरिक्त व्यय की संभावना को समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित कर अतिरिक्त निधि प्राप्त कर संभावित अतिरिक्त व्यय से बचता है।

हमने वर्ष 2014–15 के दौरान अनुदानों में अत्यधिक बचत एंव आधिक्यों को देखा, जो बजट प्रबंधन में कमियों का दर्शाता है जिसे आगे की कंडिका में दर्शाया गया है।

## 2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2014–15 के दौरान 74 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1 मुल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

| | व्यय की प्रकृति | मुल अनुदान/ विनियोग | अनुपूरक अनुदान / विनियोग | योग | वास्तविक व्यय | बचत (–)/अधिक्य (+) | समर्पण की राशि | 31 मार्च को किये गये समर्पण की राशि | 31 मार्च को किये गये समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दत्तमत | राजस्व | 44,619.94 | 22,35.02 | 46,854.96 | 37,817.09 | (–)9,037.87 | 7,031.00 | 6,996.81 | 77.42 |
| | पूंजीगत | 8,811.50 | 492.15 | 9,303.65 | 6,732.21 | (–)2,571.44 | 1,795.93 | 1,795.93 | 69.84 |
| | ऋण तथा अग्रिम | 172.15 | 313.50 | 485.65 | 89.54 | (–)396.11 | 293.48 | 293.48 | 74.09 |
| **कुल दत्तमत** | | **53,603.59** | **3,040.67** | **56,644.26** | **44,638.84** | **(–)12,005.42** | **9,120.41** | **9,086.22** | **75.68** |
| भारित | राजस्व | 2,313.59 | 4.53 | 2,318.12 | 2,203.71 | (–)114.41 | 110.96 | 110.96 | 96.98 |
| | पूंजीगत | 3.12 | 7.38 | 10.50 | 8.64 | (–)1.86 | 0.46 | 0.46 | 24.73 |
| | लोक ऋण पुनर्भुगतान | 1,229.53 | 0.00 | 1,229.53 | 1,336.73 | (+)107.20 | 0.05 | 0.05 | .. |
| **कुल भारित** | | **3,546.24** | **11.91** | **3,558.15** | **3,549.08** | **9.07** | **111.47** | **111.47** | **..** |
| **कुल योग** | | **57,149.83** | **3,052.58** | **60,202.41** | **48,187.92** | **12,014.49** | **9,231.88** | **9,197.69** | **76.55** |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

- अवधि 2014–15 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अधीन 67 अनुदानों एवं 42 विनियोगों में ₹ 12,843.03 करोड़, पूंजीगत अनुभाग के अधीन 55 अनुदानों तथा छः विनियोगों एवं ऋण अनुभाग के अधीन दो अनुदानों तथा राजस्व अनुभाग के अधीन एक विनियोग में कुल ₹ 833.54 करोड़ के अधिक व्यय के प्रतिसंतुलन तथा पूँजीगत अनुभाग के तीन अनुदानों तथा ऋण अनुभाग के एक विनियोग (लोक ऋण) के कारण ₹ 12,014.49 करोड़ का कुल बचत हुआ।

- वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 3,052.58 करोड़ था जो मुल प्रावधान का 5.34 प्रतिशत रहा।

- वास्तविक व्यय (₹ 48,187.92 करोड़), मुल बजट प्रावधान (₹ 57,149.83 करोड़) से भी कम होने के कारण, अनुपूरक प्रावधान (₹ 3,052.58 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुई। यह अवास्तविक बजट अनुमान एवं बजट नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

- वर्ष 2014–15 के अंत में, ₹ 12,848.03 करोड़ के कुल बचत राशि में ₹ 9,231.88 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 3,616.15 करोड़ (कुल बचत का 28.15 प्रतिशत) का कुल बचत संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। आगे, ₹ 9,197.69 करोड़ मार्च 2015 के अंतिम दिवस पर समर्पित किया गया, फलस्वरूप इस राशि को अन्य विकासात्मक कार्यों में सदुपयोग करने की संभावना नहीं रही।

- राज्य शासन के मदवार व्यय की स्थिति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ द्वारा मासिक सिविल लेखा विवरण तथा मासिक विनियोग लेखा द्वारा मुहैया कराया गया था। इसके बावजूद शासन द्वारा अनुदान के अत्यधिक बचत एवं व्यय को कम करने हेतु कदम नहीं उठाया गया।

## 2.4 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

### 2.4.1 विनियोग की तुलना में आबंटनीय प्राथमिकतायें

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 44 प्रकरणों से संबंधित 34 अनुदानों एवं एक विनियोग के प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक एवं कुल प्रावधानों के

भी 20 प्रतिशत और इसके अधिक की सकल बचत ₹ 9,445.42 करोड़ है, जिसे **परिशिष्ट 2.1 (अ)** में दर्शाया गया है।

आगे, ₹ 12,848.03 करोड़ के कुल बचत के विरूद्ध 22 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ या ज्यादा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से ज्यादा, ₹ 10,695.90 करोड़ (कुल बचत का 83 प्रतिशत) का प्रभावी बचत हुआ, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

| सं. कं | अनुदान कं. | अनुदान/विनियोग का नाम | कुल अनुदान/ विनियोग | वास्तविक व्यय | बचत | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **क–राजस्व दत्तमत** | | | | | | |
| 1 | 08 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 544.44 | 367.74 | 176.70 | 32.46 |
| 2 | 13 | कृषि | 1,964.69 | 1,760.42 | 204.27 | 10.40 |
| 3 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 344.32 | 231.98 | 112.34 | 32.63 |
| 4 | 19 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 1,238.50 | 997.37 | 241.13 | 19.47 |
| 5 | 24 | लोक निर्माण कार्य–सड़के तथा पुल | 740.88 | 432.43 | 308.45 | 41.63 |
| 6 | 27 | स्कूल शिक्षा | 3,125.77 | 2,551.20 | 574.57 | 18.38 |
| 7 | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 2,248.03 | 1,499.51 | 748.52 | 33.30 |
| 8 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 2,174.70 | 1,509.14 | 665.56 | 30.60 |
| 9 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 8,304.36 | 5,910.66 | 2,393.70 | 28.82 |
| 10 | 44 | उच्च शिक्षा | 568.30 | 381.33 | 186.97 | 32.90 |
| 11 | 47 | तकनिकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग | 286.00 | 177.66 | 108.34 | 37.88 |
| 12 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 818.23 | 589.03 | 229.20 | 28.01 |
| 13 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 434.16 | 317.65 | 116.51 | 26.84 |
| 14 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 3,012.09 | 2,080.00 | 932.09 | 30.94 |
| 15 | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण | 647.77 | 193.74 | 454.03 | 70.09 |
| 16 | 80 | त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 3,721.86 | 3,200.78 | 521.08 | 14.00 |
| 17 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 1,478.36 | 1,221.35 | 257.01 | 17.38 |
| 18 | 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2,148.84 | 1,784.67 | 364.17 | 16.95 |
| | | **योग** | **33,801.30** | **25,206.66** | **8,594.64** | |
| **ख– पूंजीगत दत्तमत** | | | | | | |
| 19 | 12 | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 255.00 | 102.50 | 152.50 | 59.80 |
| 20 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 347.05 | 137.65 | 209.40 | 60.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय | 265.81 | 38.03 | 227.78 | 85.69 |
| 22 | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 763.55 | 560.05 | 203.50 | 26.65 |
| 23 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 1,948.85 | 1,140.12 | 808.73 | 41.50 |
| 24 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 859.70 | 641.59 | 218.11 | 25.37 |
| 25 | 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें | 300.00 | 18.76 | 281.24 | 93.75 |
| | | **योग** | **4,739.96** | **2,657.91** | **2,101.26** | |
| | | **योग क+ख** | **38,541.26** | **27,864.57** | **10,695.90** | |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

इसके अतिरिक्त, 13 अनुदानों के 31 उप–शीर्षों/योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत पायी गयी। कारणों के साथ, बचत का विस्तृत विवरण वर्ष 2014–15 के विनियोग लेखे में प्रदर्शित की गयी है जो **परिशिष्ट 2.1 (ब)** में दिया गया है।

### 2.4.2 सतत् बचतें

अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 11 प्रकरणों (10 अनुदानों) में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की सतत् बचतें थी जैसा कि **तालिका 2.3** में प्रदर्शित है। वर्ष 2014–15 के संबंधित अनुदानों में 7.34 और 41.50 प्रतिशत का कुल बचतें थी जो कि यह इंगित करती है कि बजट वास्तविक नहीं थी।

**तालिका 2.3: अवधि 2010–15 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत सतत् बचतों की सूची**

**(₹ करोड़ में)**

| सं. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदानों का नाम | पिछले वर्षों की बचत | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | | | |
| 1 | 10 | वन | 34.00 (6.16) | 39.06 (6.19) | 73.40 (10.93) | 73.09 (9.98) | 57.65 (7.34) |
| 2 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 18.11 (7.02) | 13.16 (4.19) | 30.78 (10.26) | 54.68 (16.89) | 90.03 (19.21) |
| 3 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 488.48 (17.14) | 641.76 (20.31) | 629.07 (17.03) | 1,072.97 (22.82) | 2,393.70 (28.82) |
| 4 | 44 | उच्च शिक्षा | 34.35 (9.48) | 139.25 (35.12) | 146.54 (33.72) | 140.49 (26.47) | 186.97 (32.90) |
| 5 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 204.61 (36.21) | 141.60 (20.79) | 156.44 (21.16) | 115.87 (17.78) | 229.20 (28.01) |
| 6 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 192.49 (19.54) | 397.67 (34.22) | 284.43 (23.49) | 398.96 (26.98) | 932.09 (30.94) |
| 7 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 48.81 (24.51) | 60.89 (24.77) | 56.11 (21.69) | 84.63 (25.94) | 68.11 (18.85) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूंजीगत दत्तमत | | | | | | | |
| 8 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 372.83 (30.35) | 592.70 (40.33) | 734.34 (37.91) | 626.73 (31.00) | 808.73 (41.50) |
| 9 | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पूल | 115.70 (41.43) | 232.71 (58.54) | 234.80 (51.05) | 185.03 (40.78) | 81.59 (19.48) |
| 10 | 67 | लोक निर्माण कार्य–भवन | 57.55 (26.92) | 263.74 (72.35) | 149.14 (42.88) | 124.31 (31.30) | 56.81 (15.21) |
| 11 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन | 38.92 (33.66) | 57.10 (45.14) | 74.24 (40.71) | 67.02 (36.29) | 46.83 (20.21) |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्षों से अनुदानों की वास्तविक संख्या में सतत् बचत विनियोग अधिनियम में शासन द्वारा निधियों की आवश्यकता से अधिक मुल्यांकन का परिचायक है जो पिछले वर्षों में लेखाओं के ट्रेंड तथा व्यय के प्रवाह का सूक्ष्म परीक्षण किए बगैर किया गया।

इसे पूर्व में भी राज्य वित्त प्रतिवेदन में इंगित किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

### 2.4.3 सतत् अतिरेक व्यय

अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान प्रावधान से अधिक सतत् व्यय पाया गया। अनुदानों के पाँच उप–शीर्षों/योजनाओं में प्रत्येक वर्ष में हुए अधिक व्यय को **तालिका 2.4** में दिखाया गया है।

तालिका 2.4: सतत् अतिरेक

(₹ करोड़ में)

| योजना का नाम | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|
| 2071–01–101–2413–सेवानिवृत वेतनभोगी व्यक्तियों का भुगतान | 310.20 | 312.40 | 553.51 |
| 2071–102–3080–भारत में पेंशन के सारांशीकृत मूल्य का भुगतान | 0.08 | 3.88 | 3.22 |
| 2071–105–2514–परिवार पेंशन | 33.64 | 94.55 | 198.41 |
| 2071–106–600–उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों (भारित) को भुगतान | 0.11 | 0.50 | 0.15 |
| 2071–111–400–विधायकों को पेंशन | 2.15 | 0.66 | 3.82 |
| 2235–60–200–7000–पेंशन कल्याण निधि का आपूर्ति | 2.01 | 2.06 | 4.43 |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2012–15)

यह इंगित करता है कि विभाग कुशलतापूर्वक निधियों की आवश्यकता से अधिक मूल्यांकन करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप प्रावधान से अधिक व्यय हुआ।

### 2.4.4 योजनाओं के अंतर्गत व्यय का अतिरेक

19 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 7,640.95 करोड़ अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

### 2.4.5 योजनाओं के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान

24 प्रकरणों में, 10 अनुदानों तथा एक विनियोजन के अतंर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए कुल प्रावधानों का कुल ₹ 955.09 करोड़ अनुपयोगी रह गया। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

### 2.4.6 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

अनुदानों/विनियोगों के 50 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान में प्रत्येक प्रकरण में कुल ₹ 2,404.53 करोड़ प्राप्त किए गए मुल जो वास्तविक व्यय के रूप में पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुए जैसा कि वास्तविक व्यय मुल प्रावधान से कम थे। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिखाया गया है। छः प्रकरणों के अतिरिक्त, ₹ 355.12 करोड़ के अतिरिक्त आवश्यकता के विरूद्ध, ₹ 509.84 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अधिक था। प्रत्येक प्रकरण में शेष बचतें जो ₹ एक करोड़ से ज्यादा थी, कुल ₹ 154.72 करोड, **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

यह इंगित करता है कि बी.सी.ओ. ने वित्तीय वर्षों की शेष अवधि की निधियों की वास्तविक आवश्यकता का उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं किया था तथा बजट नियमावली में वर्जित मासिक व्यय नियंत्रण तंत्र के जरिए व्यय के प्रवाह की निगरानी नहीं किया।

### 2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन निधियों का अनुदानों की विनियोग की एक इकाई से स्थानान्तरण है जहाँ बचत का पुर्वानुमान किया जाता है तथा अतिरिक्त निधियों को उस इकाईयों में भेजा जाता है जहाँ इसकी आवश्यकता होती है।

हमने पाया कि पुनर्विनियोजन के पश्चात 12 अनुदानों और 1 विनियोग के अंतर्गत 33 योजनाओं में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक की अतिरेक/बचत हुई **(परिशिष्ट 2.6)**। यह इंगित करता है कि प्राक्कलनों का आंकलन उचित ढंग से नहीं किया गया, यहाँ तक कि पुनर्विनियोजन के जरिए निधियों की निकासी/वृद्धि के पश्चात भी इसे उचित प्रकार से नहीं किया गया जहाँ अनुदानों में अंतिम बचत/अतिरेक हुई।

### 2.4.8 वास्तविक बचत के समर्पण की अधिकता

14 प्रकरणों में, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख और अधिक) वास्तविक बचत में अधिक राशियों का समर्पण, इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल ₹ 2,104.88 करोड़ की बचत के विरूद्ध ₹ 2,254.96 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 150.08 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है। संबंधित विभागों ने वर्ष 2014–15 के विनियोग लेखे के अंतिम रूप देने तक समर्पणों का कारण/व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया।

### 2.4.9 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 131 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा व्यय का पूर्वानुमाति बचत का विवरण वित्त विभाग को 15 वीं जनवरी तक प्रस्तुत कर देना चाहिए।

नौ अनुदानों के अंतर्गत 11 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक बचत हुआ परन्तु संबधित विभागों द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में कुल राशि ₹ 1,796.82 करोड़ (कुल बचत ₹ 12,848.03 करोड़ का 13.99 प्रतिशत) शामिल था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में विस्तृत दिया गया है।

उसी तरह, 20 अनुदानों तथा एक विनियोग (प्रत्येक अनुदान में बचत ₹ एक करोड़ और उससे अधिक, समर्पण के पश्चात्) में कुल प्रावधान राशि ₹ 6,832.50 करोड़ की बचत में

से राशि ₹ 2,103.52 करोड़ (उपरोक्त वर्णित बचत का 30.79 प्रतिशत) को समर्पित नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 60 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का समर्पण) मार्च 2015 के अंतिम दिवस को ₹ 9,031.83 करोड़ समर्पित किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में विस्तृत विवरण दिया गया है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और निधियों को रोकने का सूचक है जिसके कारण अन्य विभागीय उद्देश्यों के लिए निधियों की अनुपलब्धता हो जाती है। विभागों ने विनियोग लेखे वर्ष 2014–15 (जुलाई 2015) को अंतिम रूप देने तक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बचत को समर्पित करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

### 2.4.10 अविवेकपूर्ण समर्पण

दो अनुदानों (अनुदान संख्या 06 तथा 33), के कुल प्रावधान राशि ₹ 4,021.78 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 4,739.66 करोड़ व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 717.88 करोड़ अधिक व्यय हुआ। इसके बावजूद, इन अनुदानों के अंतर्गत राशि ₹ 54.28 करोड़ का समर्पण किया गया जो कि अविवेकपूर्ण था। विस्तृत विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5 अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

| सं. क. | अनुदान सं. | अनुदान के नाम | कुल प्रावधान | व्यय | अधिक व्यय | समर्पित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | | |
| 1 | 06 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 2,632.72 | 3,313.08 | 680.36 | 45.08 |
| 2 | 33 | आदिम जाति कल्याण | 1,389.06 | 1,426.58 | 37.52 | 9.20 |
| **योग** | | | **4,021.78** | **4,739.66** | **717.88** | **54.28** |

(स्रोतः विनियोग लेखें 2014–15)

### 2.4.11 2014–15 के अवधि के दौरान प्रावधान से अतिरेक को नियमित करने को आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोग से अधिक को राज्य सरकार को प्राप्त करना अनिवार्य है। **तालिका 2.6** में वर्ष 2014–15 के दौरान चार अनुदानों और दो विनियोगों के निधि को सात खंडो में प्रावधान से अधिक व्यय राशि ₹ 833.54 करोड़ का राशीकृत विवरण दिया गया है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.6: 2014–15 के दौरान प्रावधान से अधिक के नियमित करने की जरूरत

(₹ करोड़ में)

| सं. क. | अनुदान/विभाग के नाम | अनुदान/विभाग के नाम | कुल अनुदान/विनियोग | वास्तविक व्यय | अधिक व्यय कि नियमितीकरण की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | |
| 1 | 06 | वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय | 2,632.72 | 3,313.08 | 680.36 |
| 2 | 33 | आदिम जाति कल्याण | 1,389.06 | 1,426.58 | 37.52 |
| **राजस्व भारित** | | | | | |
| 3 | 06 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 0.16 | 0.30 | 0.14 |
| **पूंजीगत दत्तमत** | | | | | |
| 4 | 06 | वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय | 0.10 | 1.22 | 1.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 13.28 | 20.00 | 6.72 |
| 6 | 80 | त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से वित्तीय सहायता | 208.00 | 208.48 | 0.48 |
| **पूंजीगत भारित** | | | | | |
| 7 | | लोक ऋण | 1,229.53 | 1,336.73 | 107.20 |
| **योग** | | | **4,528.32** | **5,361.90** | **833.54** |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

### 2.4.12 अवधि 2000–01 से 2013–14 तक अतिरेक

अवधि 2000–01 से 2013–14 के व्यय राशि ₹ 2,313.39 करोड़ को अभी तक नियंत्रित करना था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिया गया है। वर्षों से अनुदानों/विनियोग से अधिक का अनियंत्रितीकरण विनियोग पर विधानमंडल की कार्यशैली का उल्लंघन है।

### 2.4.13 व्यय का प्रवाह/अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन के द्वारा अनुसरित) की कंडिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के प्रवाह से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह को बजटीय नियंत्रण की मूलभूत आवश्यकता को कायम करने को सुनिश्चित करना है। इसके विपरीत, 31 मुख्य शीर्षों में, अंतिम तिमाही के दौरान (₹ 2,813.72 करोड़) व्यय हुआ जो कुल व्यय (₹ 4,177.41 करोड़) से 67 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें कुल 16 प्रकरण है जहाँ वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय (₹ 1,342.19 करोड़) हुआ जो वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय (₹ 1,985.50 करोड़) का 67 प्रतिशत है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिया गया है।

## 2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य के छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि नियमावली, 2001 के अनुसार, आकस्मिक निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा, सिवाय निधि द्वारा विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित अप्रत्याशित व्यय के /निधि का संचालन ₹ 40 करोड़ के संग्रह सीमा के साथ अग्रधन की प्रकृति के अनुरूप किया जाना जाए। उदाहरण के लिए, जैसा कि अधिनियम में उल्लेखित प्रक्रिया अनुरूप/आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 20.97 करोड़ की निधि की निकासी का विस्तृत विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

### तालिका 2.7 राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय

**(₹ करोड़ में)**

| **क्र. सं.** | **विभाग** | **आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम के व्यय की प्रवृति** | **निकासी का माह** | **अग्रिम की राशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | निधि तथा विधायी कार्य | छत्तीसगढ़ राज्य विधिक आयोग का स्थापना व्यय | मार्च 2014 | 0.25 |
| 2 | वन विभाग | लघु वन उत्पाद का क्रय | मई 2014 | 13.22 |
| 3 | वित्त विभाग | ई–कोष परियोजना के सॉफ्टवेयर तथा उपकरण का उन्नयन | जून 2014 | 1.89 |
| 4 | सामान्य प्रशासन | यू.एस.ए. में मुख्यमंत्रीं की पत्नी के इलाज का चिकित्सीय अग्रिम | अगस्त 2014 | 4.76 |
| 5 | लोक निर्माण | वेतन का भुगतान | नवंबर 2014 | 0.75 |
| 6 | तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी | परिवहन भत्ता का भुगतान | जनवरी 2015 | 0.10 |
| | **योग** | | | **20.97** |

उपरोक्त वर्णित व्यय से विदित है कि आकस्मिकता निधि से व्यय मापदंड पर सही नहीं हुए क्योंकि ये व्यय न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिकता प्रकृति के थे। अतएव, ये व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित किया जाना चाहिए था।

## 2.6 अनुदान संख्या 06–वित्त विभाग की समीक्षा

वित्त विभाग (अनुदान संखा–06) के बजट प्रस्तावों, वास्तविक व्यय और निधि प्रबंधन की समीक्षा जैसा कि वित्त विभाग में नमूना जाँच (सितंबर 2015) और विनियोग लेखे में प्रतिवेदित है, कि निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

वित्त विभाग आगामी वित्तीय वर्ष की निधियों की आवश्यकता से आँकड़े के संबंध में और आवश्यक आँकड़े को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभागों को प्रत्येक वर्ष निर्देश जारी करता है। विभागों के प्रमुख तथा अन्य नियंत्रक अधिकारी वित्त विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार लेखा के प्रत्येक शीर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करते हैं और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग को अग्रेषित कर देते हैं। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट प्राक्कलनों के आधार पर, वित्त विभाग राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करती है।

### 2.6.1 सारांशीकृत स्थिति

बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और वर्ष 2014–15 के दौरान अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत आधिक्य/बचत की संपूर्ण स्थिति **तालिका 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुदान संख्या 06 का बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

| विभाग | बजट प्रावधान | | | वास्तविक व्यय | समर्पण | बचत (–) /आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मूल्य बजट | अनुपूरक बजट | योग | | | |
| **राजस्व** | 2602.49 | 30.39 | 2632.88 | 3313.38 | 680.50 | 45.08 |
| **पूंजीगत** | 0.10 | . | 0.10 | 1.22 | 1.12 | – |
| **कुल** | **2602.59** | **30.39** | **2632.98** | **3314.60** | **681.62** | **45.08** |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि ₹ 2632.98 करोड़ व्यय के कुल बजट प्रावधान की विरूद्ध में ₹ 3314.60 करोड़ व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 681.62 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जिसके पश्चात राशि ₹ 45.08 करोड़ का समर्पण किया गया।

### 2.6.2 बजट प्राक्कलन से अधिक्य व्यय

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन द्वारा अनुसरण किया गया) की कंडिका 91 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके नियंत्रण के अधीन लोक सेवाओं पर हुए व्यय में वृद्धि पर निगरानी के साथ व्यय को स्वीकृत आबंटन के अधीन रखें।

वर्ष 2014–15 के दौरान, वित्त विभाग ने कुल बजट प्रावधान ₹ 1869.57 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2634.44 करोड़ व्यय किया जिसके फलस्वरूप व्यय में ₹ 764.87 करोड़ की वृद्धि हुई जैसा कि **तालिका 2.9** में विस्तृत है।

### तालिका 2.9: प्रावधान से अधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र. स. | अनुदान संख्या | लेखाओं के शीर्ष | वर्ष के दौरान कुल प्रावधान | व्यय | अधिक्य व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 2071–01–101–2413–सेवानिवृत्त वेतनभोगी व्यक्तियों को भुगतान | 1450.00 | 2003.51 | 553.51 |
| 2 | | 2071–01–102–3080–भारत में पेंशनों के लघुकृत मूल्य का भुगतान | 2.58 | 5.79 | 3.21 |
| 3 | | 2071–01–103–8084– अनुकंपा भत्ता | 0.02 | 0.11 | 0.09 |
| 4 | | 2071–01–105–2514– परिवार पेंशन | 410.56 | 608.97 | 198.41 |
| 5 | | 2071–01–106–600– उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीशों को देय भारित | 0.15 | 0.30 | 0.15 |
| 6 | | 2071–01–111–4010– विधायकों को पेंशन | 5.00 | 8.82 | 3.82 |
| 7 | | 2235–60–200–7000– पेंशन कल्याण निधि को आपूर्त्ति | ' | 4.43 | 4.43 |
| 8 | | 7810–122–5675– म.प्र. और छ.ग. के बीच अंतर्राज्यीय समायोजन | 0.10 | 1.22 | 1.12 |
| 9 | | 2047–103–9120– निदेशन | 0.58 | 0.70 | 0.12 |
| 10 | | 2052–091–4296– संस्थागत प्रबंधन के निदेशक | 0.58 | 0.59 | 0.01 |
| **योग** | | | **1869.57** | **2634.44** | **764.87** |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014-15)

इसे इंगित किये जाने पर, वित्त विभाग द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया।

### 2.6.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक अनुदान अधिक व्यय को समाविष्ट करने के लिए प्राप्त किया जाता है जोकि वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजन की मध्यावधि समीक्षा के बाद पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किया जाता है।

अनुदान संख्या– 06 (वित्त विभाग) के निम्नलिखित अंतर्गत लेखाओं में वर्ष के दौरान तीन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि विभाग मूल बजट प्रावधान को भी व्यय नहीं कर सका। अनावश्यक बजट प्रावधान का विवरण **तालिका 2.10** में दिया गया है।

### तालिका– 2.10: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

| लेखाओं का शीर्ष | मुल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | बजट प्रावधान | व्यय | कुल बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2052–091–4295 वित्तीय प्रंबधन सूचना प्रणाली के संचालनालय | 3.12 | 0.01 | 3.13 | 0.48 | 2.65 |
| 2052–091–4296– संस्थागत वित्तीय प्रंबधन के निदेशक | 0.81 | 0.07 | 0.88 | 0.60 | 0.28 |
| 2054–097–1026– कोषालय स्थापना | 26.10 | 6.31 | 32.41 | 25.64 | 6.77 |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

इंगित किए जाने पर अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान का कोई विशेष कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (अक्टूबर 2015)।

### 2.6.4 अनुपयुक्त पुनर्विनियोजन/समर्पण के फलस्वरूप व्यय का अधिक/बचत होना

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई के अंतर्गत निधि का स्थानांतरण है जहाँ बचत का पूर्वानुमान कर उसे उस इकाई में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होती है।

अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत निम्नलिखित निधियों के पुनर्विनियोजन उपशीर्ष/योजना के अंतिम आधिक्य/बचत के परिपेक्ष्य में अविवेकपूर्ण/अपर्याप्त सिद्ध हुआ जैसा कि **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11 निधियों का असंगत/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

| लेखाओं का शीर्ष | बजट प्रावधान | | | | व्यय | आधिक्य (+)/ बचत (–) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मूल | अनुपूरक | पुनर्विनियोजन /समर्पण | कुल प्रावधान | | |
| **आधिक्य** | | | | | | |
| 2047–103–9120 – निदेशन | 1.10 | – | –0.52 | 0.58 | 0.70 | 0.12 |
| 2052–091–4296 प्रशिक्षण वित्तीय प्रबंधन के निदेशक | 0.81 | 0.07 | –0.29 | 0.59 | 0.60 | 0.01 |
| 2235–60–200–7000 पेंशन कल्याण निधि की आपूर्ति | 0.20 | – | –0.20 | 0.00 | 4.43 | 4.43 |
| **अपर्याप्त** | | | | | | |
| 2052–091–1201–6725 यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान सहायता | 0.21 | – | –0.14 | 0.07 | 0.06 | –0.01 |
| 2054–095–2274 निदेशन और प्रशासन | 12.40 | – | –1.67 | 10.73 | 10.66 | –0.07 |
| 2054–095–4307 संभागीय स्थापना | 5.52 | – | –1.42 | 4.10 | 4.08 | –0.02 |
| 2054–095–8904 लेखापरीक्षा सेल का निर्माण | 2.12 | – | –1.88 | 0.24 | 0.23 | –0.01 |
| 2054–097–1026 कोषालय स्थापना | 26.10 | 6.31 | –6.76 | 25.65 | 25.64 | –0.01 |
| 2054–098–4361 स्थानीय निधि लेखे | 19.49 | – | –8.38 | 11.11 | 11.08 | –0.03 |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014.15)

इंगित किए जाने पर आधिक्य/बचत से संबंधित कारणों का वित्त विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई (अक्टूबर 2015)।

### 2.6.5 पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव भेजने में विलंब

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) के परिशिष्ट–II के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव वित्त विभाग को संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के बाद नहीं भेजना चाहिए।

वर्ष 2014–15 के दौरान, ₹ 45.08 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 तक नियमावली के प्रावधानों को उल्लंघित कर समर्पित किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस तक बजट के समर्पण, अन्य किसी अनुदान/विनियोग के अंतर्गत सदुपयोग का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा।

### 2.6.6 अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता

बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के विशेष कर अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचना चाहिए।

हमने पाया कि वर्ष 2014–15 के अंतिम तिमाही के दौरान अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत चार योजनाओं में मार्च के महीने के अंतिम तिमाही में कुल व्यय में 61 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, यह 21 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के कुल व्यय को दर्शाता है। अनुदान संख्या–06 व्यय में हुई बढ़ोतरी का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

तथ्य को वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया है, फिर भी उत्तर अभी तक अपेक्षित है।

### 2.6.7 पुनर्विनियोजन समर्पण के तरीके से संपूर्ण प्रावधानों का प्रत्याहरण/धन आहरण

बजट प्राक्कलन जितना संभंव हो सके उतना सही होना चाहिए और प्रत्येक मद से संबंधित प्रावधान इस बात पर आधारित हो कि वर्ष के दौरान कितना व्यय हुआ अथवा कितना भुगतान होने की प्रत्याशा है।

वित्त विभाग ने वर्ष 2014–15 में योजना/उप–शीर्ष–2054–098–1201–6725– यूरोपीय आयोग राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में ₹ 0.19 करोड़ का प्रावधान किया। सम्पूर्ण प्रावधान पुनर्नियोजन/समर्पण के तरीके से अंतिम दिवस यानि की 31 मार्च 2015 को धन निकासी की गई। यह इंगित किया कि मुख्य नियंत्रक अधिकारियों मे बजट तैयार किया तथा व्यय को विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/उद्धेश्यों में आवंटन किया तथा बजट नियमावली में निर्दिष्ट प्रावधानों में उल्लेखित आवश्यक पर्याप्त कर्मठता के बिना कार्य किया।

तथ्य को वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया तथापि उत्तर अभी तक अपेक्षित है (अक्टूबर 2015)।

### 2.6.8 सतत् बचत

अनुदान संख्या 06 के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित पाँच उप–शीर्षों/योजनाओं में समीक्षा किए गए सतत् बचतें **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है–

तालिका 2.13: सतत् बचतें

(₹ करोड़ में)

| लेखाओं का शीर्ष | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|
| 2054–095–2274– निदेशन और प्रशासन | 3.58 | 0.03 | 0.07 |
| 2054–097–1026– कोषालय स्थापना | 4.84 | 0.23 | 0.01 |
| 2054–098–4361– स्थानीय निधि लेखे | 6.25 | 0.16 | 0.03 |
| 2071–104–4590– सेवा तथा मुल्य सह–सेवानिवृति उपदान | 77.06 | 101.01 | 8.64 |
| 2071–115–5438– अवकाश नगदीकरण | 67.27 | 86.71 | 29.39 |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2012–15)

सतत् बचत की पुनरावृति विभाग में मौजूद बजटिंग का नियंत्रण मे कमी को दर्शाता है। तथ्य वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया, हालाँकि उत्तर अभी तक अपेक्षित है (अक्टूबर–2015)।

## 2.7 अनुदान संख्या – 33 – आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा

आदिम जाति कल्याण विभाग (अनुदान संख्या–33) के संबंध में बजट प्रस्ताव की समीक्षा, वास्तविक व्यय और निधि व्यय जैसा की विनियोग लेखों का वर्णन किया गया है, में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईः–

### 2.7.1 बजट और व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रस्ताव, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य का संपूर्ण स्थिति का विवरण **तालिका 2.14** मे दिया गया है।

तालिका 2.14: अनुदान संख्या 33 का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

| भाग | बजट प्रावधान | | | वास्तविक व्यय | समर्पण | बचत(-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मूल | अनुपूरक | व्यय | | | |
| राजस्व | 1,386.00 | 3.06 | 1,389.06 | 1,426.58 | 9.20 | 37.52 |
| पूँजी | 00.05 | . | 00.05 | 00.05 | . | 00 |
| **कुल योग** | **1,386.05** | **3.06** | **1,389.11** | **1,426.63** | **9.20** | **37.52** |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि कुल प्रावधान ₹ 1,389.11 करोड़ के व्यय के विरूद्ध ₹ 1,426.63 करोड़ का व्यय किया गया जो वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 9.20 करोड़ समर्पित करने के बावजूद ₹ 37.52 करोड़ के अधिक व्यय हुआ।

### 2.7.2 उपशीर्ष के अंतर्गत वास्तविक बचत

बजट प्राक्कलन अधिक सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि बजट प्राक्कलन न ही बढ़े तथा न ही आवश्यकता से घटे।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या–33 के अंतर्गत, राजस्व भाग में चार योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से ज्यादा की वास्तविक बचत हुई जिसका विस्तृत विवरण **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: ₹ एक करोड़ से अधिक का योजनावार बचत

(₹ करोड़ में)

| क्र. स. | योजना का नाम | कुल अनुदान | व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202–01–001–2721 प्रशासनिक खंड विकास स्तर का शक्तिवर्धन | 26.50 | 25.47 | 1.03 |
| 2 | 2202–01–101–2772 प्राथमिक विद्यालय | 348.74 | 346.68 | 2.06 |
| 3 | 2202–01–101–495 आश्रम और विद्यालय | 69.96 | 59.70 | 10.26 |
| 4 | 2202–02–109–1395 हॉस्टल | 88.34 | 75.22 | 13.12 |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

वास्तविक बचत यह इंगित किया कि व्यय प्राक्कलन के अनुसार नहीं किए गए तथा जो बजट प्राक्कलन तथा व्यय में नियंत्रण की कमी थी।

### 2.7.3 निधियों का पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन विनियोजन की एक इकाई से अनुदान के अंतर्गत निधियों का स्थानांतरण है जहाँ बचत का दूसरे इकाई का पूर्वानुमान किया जाता है, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है।

विनियोग लेखों की जाचँ से यह स्पष्ट हुआ की छः प्रकरणों में पुनर्विनियोजन के पश्चात बजट प्रावधान आवश्यकता से अधिक सिद्ध हुए जो इंगित करते हैं कि मूल्यांकन वास्तविक रूप से नहीं किए गए। उसी तरह दो उप–शीर्षों में (2202–02–109–1395– हॉस्टल तथा 2202–01–101–495 आश्रम और विद्यालय) में अनुपूरक प्रावधान की पुनर्विनियोजन के जरिए की आवश्यकता नहीं थी चुँकि व्यय मुल प्रावधान से कम था जैसा कि **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16 पुनर्विनियोजन के प्रकरण

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. स. | लेखाओं का शीर्ष | मूल प्रावधान + अनुपूरक | पुनर्विनियोजन | कुल अनुदान | व्यय | आधिक्य (+) बचत (–) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202–01–001–2721 प्रशासनिक खंड विकास स्तर का शक्तिवर्धन | 28.62 | (–) 2.12 | 26.50 | 25.47 | (–) 1.03 |
| 2 | 2202–01–101–2772 प्राथमिक विद्यालय | 355.00 | (–) 6.26 | 348.74 | 346.68 | (–) 2.06 |
| 3 | 2202–02–109–1395 छात्रावास | 85.47 | (+) 2.86 | 88.34 | 75.22 | (–) 13.12 |
| 4 | 2202–01–101–495 आश्रम और विद्यालय | 65.31 | (+) 4.66 | 69.97 | 59.70 | (–) 10.27 |
| 5 | 2202–02–109–363 आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर | 7.36 | (–) 0.10 | 7.26 | 6.48 | (–) 0.78 |
| 6 | 2202–02–109–761 बालिका विद्यालय कैम्पस | 6.40 | (–) 0.41 | 5.99 | 5.83 | (–) 0.16 |
| 7 | 2202–02–109–979 खेल–कूद कॉम्प्लेक्स | 9.82 | (–) 0.73 | 9.09 | 8.21 | (–) 0.88 |
| 8 | 2225–02–001–6130 निदेशालय | 12.95 | (–) 4.11 | 8.84 | 8.64 | (–) 0.20 |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

यह इंगित करता है कि पुनर्विनियोजन के जरिए निधियों को निकासी/वृद्धि के बाद भी जो कि इन योजनाओं का अंतिम बचत या, प्राक्कलनों का मूल्यांकन उचित तरह से नहीं किया गया।

तथ्य को आदिम जाति कल्याण विभाग के ध्यान में लाया गया फिर भी उत्तर अभी तक अप्राप्त है।

### 2.7.4 बजट प्रावधान से अधिक व्यय

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन द्वारा अनुसरित) की कंडिका 91 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारी अपने अधीन लोक सेवाओं पर हो रहे व्यय की वृद्धि और स्वीकृत आवंटन के अंदर व्यय को रखने के लिए जिम्मेदार है।

अनुदान संख्या 33 के 10 उप–शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान ₹ 785.14 करोड़ के विरूद्ध ₹ 860.36 करोड़ का कुल व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप व्यय में ₹ 75.22 करोड़ की अधिक वृद्धि हुई जिसका विस्तृत विवरण **तालिका 2.17** में दिया गया है।

तालिका 2.17: बजट प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

| क. स. | लेखाओं का शीर्ष/नामावली | कुल प्रावधान | व्यय | अधिक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202–02–109–1117 गुरूकुल विद्यालय | 1.68 | 1.69 | 0.01 |
| 2 | 2202–02–109–3492 माध्यामिक विद्यालय | 548.00 | 581.39 | 33.39 |
| 3 | 2202–02–109–583 उच्चतर माध्यामिक विद्यालय | 157.24 | 196.10 | 38.86 |
| 4 | 2202–02–109–7592 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हॉस्टल | 3.06 | 3.68 | 0.62 |
| 5 | 2202–02–110–307 अशासकीय उच्चतर विद्यालय की सहायता | 28.07 | 28.71 | 0.64 |
| 6 | 2225–02–001–1483 जिला प्रशासन | 30.64 | 31.40 | 0.76 |
| 7 | 2225–02–001–334 आदिम जाति अनुसंधान संस्थान | 1.91 | 1.98 | 0.07 |
| 8 | 2225–101–5495 मुख्य कार्यपालन अधिकारी का वेतन | 14.00 | 14.86 | 0.86 |
| 9 | 2225–02–102–2744 उत्पादन केन्द्र सह प्रशिक्षण | 0.50 | 0.51 | 0.01 |
| 10 | 2225–02–102–7299 आदिम जाति सहायता–कोष | 0.037 | 0.038 | 0.001 |
| **योग** | | **785.14** | **860.36** | **75.22** |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

वर्ष के दौरान निधि के प्रावधान से अधिक व्यय अवास्तविक बजटीय अनुमान तथा कमजोर नियंत्रण पद्धति का सूचक था।

तथ्य को आदिम जाति विभाग के ध्यान में लाया गया हांलाकि उत्तर अप्राप्त है (अक्टुबर 2015)।

### 2.7.5 प्रावधान से अधिक सतत् व्यय

वर्ष 2012–15 में एक योजना के दौरान माँगी गयी अनुपूरक का बजट में प्रावधान होने के बावजूद लगातार बजट प्रावधान से अधिक राशि निकाली गई जिसका विवरण **तालिका 2.18** में दिया गया है।

तालिका 2.18: प्रावधान से अधिक सतत् व्यय

(₹ करोड़ में)

| योजनाओं का नाम | वर्ष | कुल प्रावधान | व्यय | अतिरेक |
|---|---|---|---|---|
| 2225–02–0701–334 आदिम जाति अनुसंधान संस्थान | 2012–13 | 0.48 | 0.99 | 0.51 |
| | 2013–14 | 1.32 | 1.37 0.05 | |
| | 2014–15 | 1.91 | 1.98 0.07 | |

(स्रोतः विनियोग लेखा 2012–15)

सतत् अधिनियम निधि की आवश्यकता के मूल्यांकन पर विभागीय असफलता का सूचक है।

तथ्य को आदिम जाति कल्याण विभाग के ध्यान में लाया जाता है तथापि उत्तर भी अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

### 2.7.6 व्यय का अतिवेग

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार वैसे अनुदान जिसका लाभकारी रूप से सदुपयोग नहीं किया जा सकता उसे समर्पित कर देना चाहिए। व्यय के अतिवेग, खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में से बचना चाहिए। हांलाकि यह देखा गया कि

विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। व्यय का वस्तु–शीर्ष वार विस्तृत विवरण जहाँ वर्ष 2014–15 के दौरान अंतिम तिमाही के दौरान और मार्च माह में व्यय का प्रतिशत प्रत्येक प्रकरण में 50 प्रतिशत और ज्यादा है, का विस्तृत **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.15: व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | लेखा का शीर्ष | वर्ष के दौरान कुल व्यय | अंतिम तिमाही के दौरान व्यय | | मार्च माह के दौरान व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि | प्रतिशत | राशि | प्रतिशत |
| 1 | 2202–02–109–2675 मैट्रिक उपरांत छात्रवृति | 29.00 | 15.00 | 51.72 | 15.00 | 51.72 |
| 2 | 2202–02–109–7592 फूड सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावास को भोजन | 3.68 | 3.68 | 100.00 | 3.68 | 100.00 |
| 3 | 2225–02–001–7299 आदिम जाति सहायता योजना | 0.038 | 0.026 | 68.42 | 0.021 | 55.26 |

(स्रोतः विनियोग लेखा 2014–15)

वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय का एकीकरण बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय प्रबंधन नीति नहीं है और यह व्यय पर नियंत्रण पर नियमावली के प्रावधान के विपरीत है।
तथ्य को आदिम जाति कल्याण विभाग के ध्यान में लाया जाता है फिर भी, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

## 2.8 अनुदान संख्या 39 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा

बजट प्रस्ताव की समीक्षा, वास्तविक व्यय तथा निधि प्रबंधन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग (अनुदान संख्या–39) के परिपेक्ष्य में जैसा कि विनियोग लेखे में प्रतिवेदित किया गया है, निम्नलिखित अनियमिताएँ दर्शाती है–

### 2.8.1 बजट और व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अतिरेक की सम्पूर्ण स्थिति का विवरण **तालिका 2.20** में दिया गया है।

तालिका 2.20: सारांशीकृत विनियोजन

(₹ करोड़ में)

| भाग | बजट प्रावधान | | | वास्तविक व्यय | बचत(-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|
| | मूल | अनुपूरक | कुल योग | | |
| **राजस्व** | 2,173.50 | 1.20 | 2,174.70 | 1,509.14 | (–) 665.56 |
| **पूंजी** | 31.40 | 25.00 | 56.40 | 10.09 | (–)46.31 |
| **कुल योग** | **2,204.90** | **26.20** | **2,231.10** | **1,519.23** | (–)**711.87** |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 2,231.10 करोड़ की तुलना में ₹ 1,519.23 करोड़ व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 711.87 की कुल बचत हुई।

### 2.8.2 उप–शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक बचत

बजट प्राक्कलन को बड़ी सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि बजट प्राक्कलन न ही बढ़े और न ही घटे।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या 39 के अंतर्गत, राजस्व विभाग में प्रत्येक प्रकरणो में ₹ एक करोड़ से अधिक वास्तविक बचत हुआ तथा कुल ₹ 664.69 करोड़ (कुल बजट प्रावधान ₹ 2,174.70 करोड़ का 30.56 प्रतिशत) मुख्यतः 11 योजनाओं में हुआ। पूँजीगत अनुभाग में दो योजनाओं के अंतर्गत ₹ 45.47 करोड़ (₹ 56.40 करोड़ का कुल बजट प्रावधान के 80.62 प्रतिशत) का वास्वविक बचत (₹ एक करोड़ तथा अधिक) हुआ। विस्तृत विवरण **तालिका 2.21** में दिया गया है।

**तालिका 2.21: 2014–15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक बचत् 2014–15**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. स. | योजना का नाम | कुल अनुदान | व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|
| **राजस्व विभाग** | | | | |
| 1 | 2408–01–001–1471–जिला कार्यालय | 14.56 | 13.22 | 1.34 |
| 2 | 2408–01–001–629– उपभोक्ता संरक्षण सेल | 11.28 | 7.02 | 4.26 |
| 3 | 2408–01–003–8919–लोक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण | 1.62 | – | 1.62 |
| 4 | 2408–01–102–3229 भोजन उपलब्धि के कमी में नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदान | 2.00 | – | 2.00 |
| 5 | 2408–01–102–6964 लोक वितरण प्रणाली के शक्तिवर्धन को सहायता | 1.76 | 0.06 | 1.70 |
| 6 | 2408–01–102–0101–राज्य आयोजना योजना (सामान्य)–5591 –अन्नपूर्णा दाल–भात केन्द्र को प्रेरणादायक सहायता | 23.85 | 16.94 | 6.91 |
| 7 | 2408–01–102–0101–राज्य आयोजना योजना (सामान्य)–5591–मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना | 10.00 | 0.13 | 9.87 |
| 8 | 2408–01–102–0101 राज्य आयोजना योजना (सामान्य) –6839 मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना | 1,500.00 | 901.10 | 598.90 |
| 9 | 2408–01–102–0101 राज्य आयोजन योजना (सामान्य) 8673 कोर पीडी–एस मेरी मर्जी योजना | 1.75 | – | 1.75 |
| 10 | 2408–01–102–0101 राज्य आयोजन योजना (सामान्य)–9993– रियायत दर पर आयोडीन–युक्त नमक के वितरण पर अनुदान | 48.60 | 33.20 | 15.40 |
| 11 | 2408–01–102–0101 राज्य आयोजना योजना (सामान्य) 8999–मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना कुल (राजस्व भाग) | 125.00 | 104.06 | 20.94 |
| **कुल योग (राजस्व भाग)** | | **1,740.42** | **1,075.73** | **664.69** |
| **पूँजीगत भाग** | | | | |
| 12 | 4408–02–195–0101 राज्य आयोजना योजना (सामान्य) 7478–शहरी क्षेत्र में गोदाम–सह–दुकान का अच्छी कीमत पर निर्माण | 10.00 | – | 10.00 |
| 13 | 6408–02–190–0311 नाबार्ड सहायता परियोजनाएँ (सामान्य) 8545–नाबार्ड की सहायता से गोदाम का निर्माण | 43.90 | 8.43 | 35.47 |
| **कुल योग (पुँजीगत भाग)** | | **53.90** | **8.43** | **45.47** |

(स्रोतः विनियोग लेखा 2014–15)

वास्तविक बचत इंगित किया कि व्यय प्राक्कलित राशि के अनुसार नहीं किया गया और वहाँ बजट प्राक्कलन और व्यय पर नियंत्रण का अभाव था।

इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा कोई विशेष कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (अक्टूबर 2015)।

### 2.8.3 सतत् बचत

वर्ष 2012–15 के दौरान विनियोग लेखों के लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात लेखाओं के दो शीर्षों में सतत् बचत का पता चला जिसका विस्तृत विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.22: सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

| क्र. स. | लेखाओं का शीर्ष | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4408–02–195–0101 राज्य आयोजना स्कीम (सामान्य) 7478 शहरी क्षेत्र में गोदाम–सह–दुकान का निर्माण की कीमत | 6.41 | 25.00 | 10.00 |
| 2. | 6408–02–190–0311– नाबार्ड सहायता परियोजना (सामान्य)–8545– नाबार्ड की सहायता से गोदाम का निर्माण | 23.75 | 5.67 | 35.47 |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

सतत् बचत इंगित करते हैं कि बजट प्राक्कलन की तैयारी की प्रक्रिया अवास्तविक थी और वहाँ नियंत्रक अधिकारियों के द्वारा वित्तीय नियंत्रण की कमी थी।

इंगित किए जाने पर, उप–संचालक ने बताया कि निधियों की निकासी नहीं किए जाने तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण राशि का उपयोग शासन द्वारा नहीं किया गया।

### 2.8.4 अपरिहार्य अनुपूरक बजट प्रावधान

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (चौथा अध्याय XI) की कंडिका 133 के अनुसार, अनुपूरक प्राक्कलन तब तक विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता न हो।

योजना 6408–02–190–031 नाबार्ड सहायता परियोजना (सामान्य)–8545–नाबार्ड की सहायता से गोदाम का निर्माण के अंतर्गत, वास्तविक प्रावधान ₹ 18.90 करोड़ का था तथा विभाग ने ₹ 25.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया। अंतिम व्यय (₹ 8.43 करोड़ वास्तविक अनुदान) विनियोग से कम था। इस तरह, संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनुपयोगी रहा।

इंगित किए जाने पर विभाग (अक्टूबर 2015) द्वारा काई विशेष कारण नहीं बताया गया।

### 2.8.5 तदर्थ आधार पर बजट की तैयारी

मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 31 के अनुसार, नियम के तहत् बजट प्राक्कलन एकमुश्त नहीं होना चाहिए। जाँच–पड़ताल के स्पष्ट हुआ कि चार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 13.97 करोड़ का प्रावधान था। फिर भी, इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 2.23** में विस्तृत दिया गया है। इस तरह, संपूर्ण प्रावधान अनावश्यक था जो प्रमाणित करता है कि बजट प्राक्कलन कें लिए की गई मांग तदर्थ आधार पर तैयार की गयी थी।

तालिका 2.23: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों का प्रावधान

(₹ करोड़ में)

| क. स. | योजना का नाम | कुल बजट | व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2408–01–003–0701–6964–लोक वितरण प्रणाली के शक्तिवर्धन की सहायता | 0.35 | – | 0.35 |
| 2. | 2408–01–003–0701–8919 लोक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण | 1.62 | – | 1.62 |
| 3. | 2408–01–102–0701–3229 भोज्य पदार्थ की उपलब्धि में नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदान/ आर्थिक सहायता | 2.00 | – | 2.00 |
| 4. | 4408–02–195–0101–7478 शहरी क्षेत्र में गोदाम सह दुकान का निमार्ण का मूल्य | 10.00 | – | 10.00 |
| **सकल योग** | | **13.97** | **0.00** | **13.97** |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

इंगित किए जाने पर, उप–संचालक ने बताया कि राशि का उपयोग न करना शासन के द्वारा निधि की निकासी नहीं होने के कारण नहीं की गई।

### 2.8.6 व्यय का अतिवेग

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार, कोई भी अनुदान जिस का लाभकारी रूप से सदुपयोग न किया जा सके, समर्पित कर देना चाहिए। व्यय का अतिवेग, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में प्रयोग करने से बचना चाहिए। व्यय का अतिवेग, खासकर वित्तीय वर्ष के समाप्त महीनों में, से बचना चाहिए। हांलाकि यह देखा गया कि विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। व्यय का वस्तु शीर्ष वार विस्तृत विवरण जहाँ वर्ष 2014–15 के दौरान अंतिम तिमाही के दौरान मार्च माह में व्यय का प्रतिशत प्रत्येक प्रकरण में 50 प्रतिशत और ज्यादा है, का विस्तृत विवरण **तालिका 2.24** में दिया गया है–

तालिका 2.24 व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

| क. स. | लेखाओं का शीर्ष | वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय | अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय | | मार्च माह के दौरान व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि | प्रतिशत | राशि | प्रतिशत |
| 1. | 2408–01–001–0801–6797–उपभोक्ताओं के जागरूकता के लिए वित्तीय सहायता | 0.12 | 0.12 | 100.00 | 0.08 | 67.00 |
| 2. | 2408–01–102–0101–5591 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्द्र को प्रोत्साहन मदद | 0.13 | 0.13 | 100.00 | 0.13 | 100.00 |
| 3. | 2408–01–102–6964–लोक वितरण प्रणाली के शक्तिवर्धन को सहायता | 0.06 | 0.06 | 100.00 | 0.06 | 100.00 |
| 4. | 2408–01–102–7317–नयी गैस कनेक्शन के लिए महिलाओं को सहायता | 0.08 | 0.06 | 75.00 | 0.06 | 75.00 |
| 5. | 2408–01–102–8674 राज्य सहकारी विपणन संघ के भोज्य उपलब्धि का योगदान | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 |

(स्रोतः विनियोग लेखे 2014–15)

इंगित किए जाने पर, उप संचालक ने बताया कि व्यय वर्ष के अंतिम माह (मार्च) के दौरान शासन से निधि की निकासी के आदेश प्राप्त होने के कारण हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष के अंत में व्यय का अतिवेग का बजट नियमावली का उल्लंघन है।

### 2.8.7 बचत को न समर्पित किया जाना

बजट नियमावली की कंडिका 91.3 के निदेशानुसार, सभी प्रत्याशित बचत शासन को अतिशीघ्र समर्पित कर देना चाहिए, यदि वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना पहले से पहचान लिए गए हैं, अन्यथा दूसरे इकाई अथवा इकाईयों को अधिकता जो कि समय पर निश्चित रूप से पहचान लिए गए हैं। भविष्य के संभावित अतिरेक के लिए काई भी बचत आरक्षित करके नहीं रखना चाहिए। हमने पाया कि अनुदान संख्या– 39 के अंतर्गत संपूर्ण बचत राशि ₹ 711.87 करोड़ को समर्पित नहीं किया गया और उन्हें व्यपगत कर दिया गया, जो कि कुल आंवटन राशि ₹ 2,231.10 करोड़ का 31.91 प्रतिशत था। यह वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का अनुपयोगी होने का कारण बना।

इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा काई भी विशेष कारण नहीं दिया गया (अक्टूबर 2015)।

## 2.9 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

### अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण बड़ी बचते

- वर्ष 2014–15 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 60,202.41 करोड़ के विरूद्ध ₹ 12,014.49 करोड़ (20 प्रतिशत) की बड़ी बचत हुई जो अनुचित बजट प्राक्कलन को इंगित करती है। अनेक योजनोओं/ उप–शीर्षों के अंतर्गत बड़ी बचतें राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अंतिम पाँच वर्षो तक 10 अनुदानों का समाजिक और आर्थिक सेवाओं पर सतत् बचत का भी ध्यान दिया गया।

### आकस्मिक निधि से अग्रिम

- छः अवसरों पर राशि ₹ 20.97 करोड़ अग्रिम की निकासी वर्ष 2014–15 के दौरान आकस्मिक निधि से की गई जो कि न तो आकस्मिक था और न ही आगामी अस्तित्व में आने वाली प्रकृति की ही थी।

- आकस्मिक निधि से आग्रिम केवल आकस्मिक तथा भविष्य में उपयोगी होने वाली व्यय के लिए ही दिया जाना चाहिए।

### वर्ष 2014–15 के दौरान प्रावधान से अतिरेक को नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रावधान से अधिक ₹ 833.54 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमितीकरण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 2001–2014 के अवधि के दौरान किए गए अतिरेक व्यय को भी नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।

वर्त्तमान वर्ष में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण तथा पिछले वर्ष घटित को प्रमुखता देनी चाहिए।

### वित्त, आदिम जाति कल्याण तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी

वित्त, आदिम जाति कल्याण तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभेक्ता संरक्षण के बजट नियंत्रक अधिकारियों ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिसके फलस्वरूप विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी हुई।

वित्त, आदिम जाति कल्याण तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण विभाग को बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

# तीसरा अध्याय
# वित्तीय प्रतिवेदन

# तृतीय अध्याय

## वित्तीय प्रतिवेदन

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देश सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

### 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, अस्पताल, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य को सहायक अनुदान वितरित करता है। इस तरह जारी किए गए अनुदान इन एजेंसियों, निकायों तथा संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पुरा करने और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 नियम 182 के अनुसार वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायक अनुदान आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह देखा गया है कि वर्ष 2007–08 से 2014–15 की अवधि में भुगतान किये गये अनुदान की कुल राशि ₹ 37379.61 करोड़ के 94497 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे, जिसमें से कुल ₹ 16476.92 करोड़ के 15254 उपयोगिता प्रमाण पत्र (44 प्रतिशत) को 31 मार्च 2015 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को जमा नहीं किया गया।

विभागवार लंबित प्रमाण पत्रों का ब्यौरा **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है। अवधिवार लंबित प्रमाण पत्रों की स्थिति ***तालिका 3.1*** में दिया गया हैं।

तालिका 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | अनुदान एवं भुगतान | | उपयोगिता प्रमाण पत्र | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्राप्त | | बकाया | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 2012–13 तक | 55122 | 21080.19 | 50216 | 13045.67 | 4906 | 8034.52 |
| 2013–14 | 34474 | 11347.99 | 29010 | 7311.85 | 5464 | 4036.14 |
| 2014–15' | 4901 | 4951.43 | 17 | 545.17 | 4884 | 4406.26 |
| **योग** | **94497** | **37379.61** | **79243** | **20902.69** | **15254** | **16476.92** |

*सिवाय जहाँ स्वीकृति आदेश अन्यथा निर्दिष्ट करता हो, वर्ष 2014–15 के अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2015 में देय होगा।

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक 15254 उपयोगिता प्रमाण पत्र में से कुल राशि ₹ 8034.52 करोड़ के 4906 उपयोगिता प्रमाण पत्र (49 प्रतिशत) लंबित थे, ₹ 4036.14 करोड़ के 5464 उपयोगिता प्रमाण पत्र (24 प्रतिशत) वर्ष 2013–14 से लंबित थे एवं ₹ 4406.26 करोड़ के 4884 उपयोगिता प्रमाण पत्र (27 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 के मार्च 2015 तक लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति से यह पता नहीं लगाया जा सका कि अनुदानों को उस उद्देश्य के लिए ही खर्च किया गया जिसके लिए अनुदान दिया गया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी मुख्यतः स्थानीय निकायों को मुआवजा और आवंटन (₹ 5643.69 करोड़) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 4669.59 करोड़), शहरी विकास (₹ 2482.86 करोड़), ग्रामीण रोजगार (₹ 1594.97 करोड़), उर्जा (₹ 1054.49 करोड़), सड़क एवं पुल (₹ 505.47 करोड़), ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम (₹ 190.44 करोड़), गैर–पारंपरिक उर्जा के संसाधन (₹ 208.82 करोड़) एवं प्राकृतिक आपदा में राहत (₹ 126.59 करोड़) से संबंधित है।

## 3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों का लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

### 3.2.1 नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थाओं/संगठनों को चिन्हित करने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किये गये वित्तीय सहायता, सहायता के उद्देश्य एवं संस्थाओं के कुल व्यय का एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में उल्लेख है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष जो संस्थाओं या प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते है, को प्रत्येक वर्ष जुलाई तक (क) सहायता की राशि (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, कि एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेगा।

छत्तीसगढ़ के मात्र तीन[1] विभागों ने ही वर्ष 2014–15 की जानकारी प्रस्तुत की है। इस प्रकरण को अप्रैल 2015 एवं अगस्त 2015 में वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया था। अक्टूबर 2015 तक उत्तर प्रतिक्षित था।

राज्य के वार्षिक लेखों वर्ष 2014–15 से एकत्रित जानकारी के आधार पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गये 45 निकायों/संस्थानों में से 16 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2015 तक विभिन्न अवधियों में की गई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिये गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के प्रस्तुत न किये जाने के कारण विधानमंडल/सरकार को अनुदान के उपयोग के संबंध में जिसके लिए अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

### 3.2.2 नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा 47 स्वायत्त निकायों को विभिन्न क्षेत्र में जैसे की कृषि, कानून, आवास, ग्रामीण विकास, वन और व्यावसायिक इत्यादि में प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य की 23 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। 23 स्वायत्त निकायों में से 20 स्वायत्त

1. पुलिस आवास निगम लिमिटेड 2. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) 3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड।

निकाय जो कि सरकारी कंपनी एवं निगमों से संबंधित है, कि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अंतर्गत लेखा परीक्षण किया गया है और उनकी लेखापरीक्षा उनके लेनदेन, परिचालन गतिविधियाँ, वार्षिक खाता, प्रणालियों के नियामक/अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा के आधार पर संपादन किया जाता है। सौंपे गये लेखापरीक्षा की स्थिति, लेखाओं का प्रतिपादन तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने की जानकारी **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

**परिशिष्ट 3.3** में दर्शाये अनुसार आठ[2] प्रकरणों में लेखा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब हुआ एवं 14 प्रकरणों में एस.ए.आर. को विधान सभा के पटल में प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायें जहाँ सरकारी राशि निवेशित है के वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कारवाई शुरू करने एवं उस निकायों के कामकाज के जांच में देरी हो रही थी।

## 3.3 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (छ.को.सं.) के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक आकस्मिक देयक में चालू माह के प्रथम देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित पूर्व माह के सभी संक्षिप्त देयकों के लिए विस्तृत देयकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के पूरक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आगामी माह के पॉचवी तारीख के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मासिक विस्तृत आकस्मिक देयक को नियंत्रण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के पास पारित विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना चाहिए ताकि यह महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने के 25 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाए।

वर्षवार विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयकों के जमा करने में विलम्ब की जानकारी ***तालिका 3.3*** में दिया गया है।

तालिका 3.3 सक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | | वर्ष के दौरान आहरित ए.सी. देयक | | वर्ष के दौरान जमा किए गए डी.सी. देयक | | बकाया ए.सी. देयक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | देयकों की संख्या | राशि | देयकों की संख्या | राशि | देयकों की संख्या | राशि | देयकों की संख्या | राशि |
| 2013–14 तक | 100 | 4.29 | 378 | 472.25 | 391 | 413.41 | 87 | 63.13 |
| 2014–15 | 87 | 63.13 | 412 | 733.31 | 479 | 717.06 | 20 | 79.37 |

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15 तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा संग्रहित जानकारी)

कुल 20 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (₹ 79.37 करोड़) में से मुख्यतः सहकारिता (₹ 78.00 करोड़) एवं उद्योग (₹ 1.37 करोड़) से संबंधित है। वर्ष 2014–15 के ₹ 733.31 करोड़ के लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों में से ₹ 78.84 करोड़ (10.75 प्रतिशत) मार्च 2015 माह में ही निकाले गये। जिसमें से ₹ 53 करोड़ (67.22 प्रतिशत) को वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन निकाला गया। मार्च माह की संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध व्यय मुख्यतः बजट का निकास एवं अनियमित बजट योजना को दर्शाता है।

[2] 1. छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, 2. छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं कृषि विकास निगम, 3. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित, 4. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विकास निगम मर्यादित, 5. छत्तीसगढ़ राज्य लोक आपूर्ति निगम मर्यादित, 6. छत्तीसगढ़ नगर निगम परिवहन मर्यादित, 7. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 8. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण, बिलासपुर

## 3.4 हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 22 एवं 23 में प्रावधान है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित किये जाने चाहिए। संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि अचल संपत्ति जैसे भवन, सड़क एवं पुलिया की अग्नि, बाढ़, तूफान, भूकंप अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई हानि को भी महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अनुसरण में विभागों को विस्तृत जाँच करके हानि के कारणों तथा पुनरावृत्ति रोकने के उपायों/कार्यवाही से अवगत कराना चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 2,263 लंबित प्रकरणों में ₹ 109.21 करोड़ शासकीय धन का मार्च 2015 के अंत तक निर्णयात्मक जाँच एवं निपटारा अपेक्षित था। ऐसे लंबित प्रकरणों की विभागवार तथा श्रेणीवार स्थिति ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शायी गयी है। प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.5*** में दर्शाया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधिवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी एवं हानि के लंबित प्रकरण को ***तालिका 3.4*** में संक्षेपित किया गया है।

### तालिका 3.4 हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

(₹ लाख में)

| लंबित प्रकरणों की अवधि | | |
|---|---|---|
| श्रेणी (वर्षों में) | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 0 – 5 | 651 | 8645.82 |
| 5 – 10 | 394 | 1173.72 |
| 10 – 15 | 278 | 399.46 |
| 15 – 20 | 250 | 447.98 |
| 20 – 25 | 228 | 156.21 |
| **25 एवं उससे अधिक** | 462 | 98.15 |
| **योग** | **2263** | **10921.34** |

(₹ लाख में)

| लंबित प्रकरणों की प्रकृति | | |
|---|---|---|
| प्रकरण की प्रकृति | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| चोरी | 122 | 52.82 |
| संपत्ति/सामग्रियों की हानि | 2081 | 10778.66 |
| गबन | 60 | 89.86 |
| **कुल लंबित प्रकरण** | **2263** | **10921.34** |

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

आगे विश्लेषण दर्शाता है कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित है उनको ***तालिका 3.5*** में पांच श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

### तालिका 3.5 हानि एवं गबन आदि के प्रकरणों के लंबित रहने के कारण

(₹ लाख में)

| सं क्र. | प्रकरण विलम्ब/लंबित होने के कारण | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| **1** | विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान की अपेक्षा में लंबित | 3 | 3.14 |
| **2** | विभागीय कार्यवाही प्रारंभ लेकिन अंतिम तौर पर निर्णित नहीं | 721 | 1849.06 |
| **3** | फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित | 1 | 0.01 |
| **4** | वसूली/अपलेखन के आदेश अपेक्षित | 1489 | 8987.09 |
| **5** | न्यायालय में प्रकरण लंबित | 49 | 82.04 |
| | **योग** | **2263** | **10921.34** |

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 2,263 लंबित प्रकरणों में 1,489 प्रकरण (65 प्रतिशत) जिसका मूल्य ₹ 8987.09 लाख था, विभागों/शासन द्वारा वसूली अथवा अपलेखन आदेश न जारी किए जाने के फलस्वरूप लंबित था। यह इंगित करता है कि

विभागों/शासन के द्वारा विलंब से कार्यवाही के परिणामस्वरूप शासकीय धन की वसूली या प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया।

इसके अलावा ₹ 1849.06 लाख की 721 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी जो 31 मार्च 2015 तक पूर्ण नहीं हो पाया।

विभिन्न विभागों के 43[3] प्रकरणों से संबंधित कुल मूल्य ₹ 12.44 लाख वसूली कर वर्ष 2014–15 शासकीय खातों में जमा किया गया। संपूर्ण जानकारी **परिशिष्ट 3.6** में दर्शायी गई है।

## 3.5 लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800–अन्य व्यय" के अंतर्गत समायोजन

चुँकि सरकार की अधिकांश गतिविधि संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची, जो की महालेखानियंत्रक द्वारा पारित है, में उल्लेखित है, बजट नियंत्रक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय" का निष्पादन कम से कम हो। वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे की जाँच में पाया गया कि मुख्य शीर्षों में प्रमाणित ₹ 876.56 करोड़, जो कि पूर्ण व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 1.90 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष "800–अन्य व्यय" में वर्गीकृत किया गया है।

यह भी देखा गया है कि वित्त लेखे (राजस्व एवं पूंजीगत) के सात मुख्य शीर्षों[4] में ₹ 802.91 करोड़, जो कि कुल व्यय (₹ 1213.70 करोड़) का 66 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय में वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्षों के कुल व्यय का 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में उल्लेखित है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियों का ₹ 3005.92 करोड़, जो कि मुख्य शीर्षों की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 37988.01 करोड़) का 7.91 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियों" में वर्गीकृत किया गया है। 21 मुख्य शीर्षों में कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 1008.95 करोड़ में से ₹ 785.48 करोड़ (77.85 प्रतिशत) को लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियों" में वर्गीकृत किया गया। लघु शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों की 45 से 176 प्रतिशत के बीच रही । विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है।

केन्द्र एवं राज्य के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के सामान्य दिशा निर्देशों के कंडिका 3.1 के अनुसार, मुख्य/उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत स्थानीय निकायों और नगर पालिका/ नगर निगमों को सहायता के लिए" लघु शीर्ष–"191" खोला जा सकता है भले ही यह विशेष रूप से किताब में विहित न हो ।

जांच के दौरान में यह पाया गया कि पंचायत को सहायता अनुदान की प्रदत्त व्यय राशि, ₹ 177.8 करोड (40.44 प्रतिशत), को मुख्य शीर्ष 2853 के लघु शीर्ष 800 के "अन्य व्यय" में दर्ज किया गया। इसे मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में उल्लेख के अनुसार लघु शीर्ष 191 में दर्ज किया जाना था। इस मामले में लघु शीर्ष 800 में इसका दर्ज होना अनियमित था।

मुख्य शीर्ष 4700–मुख्य सिंचाई के पूंजीगत परिव्यय एवं 4701–मध्यम सिंचाई के पूंजीगत परिव्यय, निर्माण कार्य जैसे सेतु एवं संबंधित कार्य जो कि क्रमशः

---

[3] वन 21 प्रकरण (₹ 6.57 लाख), पुलिस 18 प्रकरण (₹ 1.18 लाख), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं एक प्रकरण (₹ 6.57 लाख) तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक प्रकरण (₹ 1.37 लाख)

[4] 1. सामान्य विविध सेवाओं, 2. अलौह खनन एवं धातु विज्ञान उद्योग 3. अन्य संचार सेवाओं 4. मुख्य सिंचाई 5. मध्यम सिंचाई 6. उर्जा परियोजना पर पूंजीगत व्यय 7. विविध सामान्य सेवाओं के लिए ऋण

₹ 366.04 करोड़ एवं ₹ 14.20 करोड़ था, को लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया। यह लघु शीर्ष–051–निर्माण में दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 3275–अन्य संचार सेवायें जैसे लैपटॉप/टैबलेट, स्वान परियोजना, डिजिटल शासन, ई–जिला परियोजना, वाई–फाई शहर परियोजना इत्यादि पर ₹ 76.41 करोड़ (100 प्रतिशत) व्यय को लघु शीर्ष 101 या 102 के बजाय लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया, जो कि अनियमित था।

लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800–अन्य व्यय" में दर्ज की गई अधिक मात्रा की राशि, वित्त प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करती है क्योंकि यह लेखे में शासन के विभिन्न गतिविधियों का अलग–अलग जानकारी इंगित करने में विफल रहती है।

## 3.6 राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण

भारतीय लेखा नियम 1990 में नियम 30 एवं सी.जी.एफ.सी. के पारा 324 में उल्लेखित है कि किस तरह समेकित निधि के व्यय को राजस्व या पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत करना है।

1. पूंजीगत व्यय के संबंध में मोटे तौर पर परिभाषित है कि ऐसा खर्च जो ठोस एवं स्थायी परिसंपत्ति को बढ़ाने के लिए हो उसे पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकृत किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय अथवा स्थानीय निकायों अथवा संस्थाओं को सहायता अनुदान पर व्यय जो की उस निकाय या संस्था की संपत्ति बनाने के लिए किया गया हो उसको आम तौर पर पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत मामलों को छोड़कर पूंजीगत खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा।
2. बजट आँकलन एवं शासकीय लेखे दोनों में पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय से अलग रखा जाएगा।
3. अस्थायी संपत्ति पर व्यय को आमतौर पर पूंजीगत व्यय प्रकृति के के रूप में नहीं माना जा सकता।
4. पूंजीगत और राजस्व खातों के बीच एक पूंजीगत योजना पर होने वाले खर्च के आवंटन का मुख्य सिद्धांत हैः– (अ) पूंजीगत खाते को प्रथम निर्माण और उपकरण के खर्च तथा प्रोजेक्ट चालू होने से पहले का रख–रखाव को वहन करना चाहिए। यह आगे का परिवर्धन और सुधार का खर्च भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए नियम के तहत वहन करना चाहिए। (ब) प्रोजेक्ट खोलने के बाद का रख–रखाव तथा सभी काम कर रहे खर्च को राजस्व खाता ही वहन करेगा। परियोजना के काम करने और रखरखाव पर सभी व्यय तथा सरकार द्वारा निर्धारित नवीनीकरण और प्रतिस्थापना इसके अलावा सुधार या विस्तार पर खर्च को भी वहन करेगा।

वर्ष 2014–15 में छत्तीसगढ़ शासन ने गलत तरीकों से "वृहद कार्यों" पर ₹ 109.99 करोड़ का खर्च तथा बजट आंकलन राजस्व खाते में किया था जबकि उसको पूंजीगत खाते से किया जाना चाहिए। विस्तृत **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है। इसके फलस्वरूप ₹ 109.99 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। इस तरह सरकार अनुदान राशि जो कि परिसंपत्ति निर्माण के लिए था, ₹ 1016.66 करोड़ **(परिशिष्ट 3.10)** का बजट आंकलन में, उसके समावेशन के पूंजीगत मुख्य शीर्ष में किया जबकि इसको राजस्व शीर्ष में करना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटे पर शुद्ध प्रभाव ₹ 906.67 करोड़ का पड़ा।

वर्ष 2014–15 में छत्तीसगढ़ शासन के स्वीकृति आदेश की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कार्य जिसके लिए स्वीकृति आदेश दिया गया था, वे राजस्व स्वभाव के थे और उनको पूंजीगत विभाग में लिया गया एवं राजस्व विभाग में पूंजीगत कार्य को

लिया गया। कुछ प्रकरणों में स्वीकृति आदेश दिये गये जिसमें क्रमशः बजट प्रावधान नहीं था। यह शासन वित्तीय नियमों का उल्लंघन था एवं यह अनियमित था। जानकारी **परिशिष्ट 3.11** में दी गई है।

## 3.7 व्यक्तिगत जमा खाते की जांच

### 3.7.1 परिचय

व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते एक जमा खाता है जो प्रशासकों के नाम से कोषालय में रखा जाता है। धन को 8443–सिविल जमा–106–व्यक्तिगत जमा के तहत रखा जाता है। ये खाते वित्त विभाग के अनुमोदन से खोले जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार महालेखाकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम–543 एवं 584 से 590 में पीडी खातों के रखरखाव के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में, पीडी खाते राज्य की संचित निधि को आंकलित कर खोले जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में सुसंगत सेवा शीर्ष में ऋण विकलन द्वारा बन्द किया जाना चाहिए।

पीडी खाते जो लगातार तीन वर्ष से अप्रचलित है प्रशासक को कोषालय अधिकारी द्वारा नोटिस भेजकर खाता बंद कर देना चाहिए तथा पीडी खाते की शेष राशि को शासकीय खाते में राजस्व निक्षेप में जमा करने की कार्यवाही किया जाना चाहिए। कोषालय लेखे के साथ पीडी खाते के आवर्ती समाधान का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासक का है। सहायक नियम–558 के अनुसार धन–ऋण ज्ञापन जिसमें पीडी खाते का प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, भुगतान तथा अंतशेष का विवरण हो को प्रत्येक माह महालेखाकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

### 3.7.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

जमाओं की लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिये है कि:

- संचित निधि से निधियों को अनावश्यक रूप से व्यपवर्तन नहीं किया गया है, जमा, जिससे की बजटीय नियंत्रण के बुनियादी अनुशासन प्रभावित होता है;
- जमा खाते की जब आवश्यकता हो तब ही खोला गया तथा निर्धारित नियमों और विनियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए; तथा
- जमा करना, से आहरण करना तथा निक्षेप खाते का समापन से संबंधित अनिवार्य दस्तावेज है तथा नियमों तथा विनियमों का अनिवार्य रूप से पुष्टि किया गया है।

### 3.7.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा प्रणाली

पीडी खाते की लेखापरीक्षा जून तथा जुलाई 2015 के दौरान आयोजित किया गया था तथा 2010–11 से 2014–15 की समयावधि को शामिल किया गया। 31 मार्च 2015 की स्थिति में अंतशेष के आधार पर 28 कोषालयों में से सात[5] कोषालयों का चयन किया किया। हमने, संचालनालय, कोष एवं पेंशन तथा कोषालयों के अभिलेखों का भी नमूना जांच किया गया। लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं प्रणाली पर चर्चा सचिव, वित्त विभाग के साथ प्रवेश सभा (जून 2015) किया गया।

लेखापरीक्षा मापदण्ड छत्तीसगढ़ राज्य वित्त/कोषालय संहिता, धन–ऋण ज्ञापन से प्राप्त हुआ, लेखापरीक्षा के लिए व्यक्तिगत जमा खाता खोलने के लिए अधिकार तथा विभिन्न आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्रों, निर्देश वित्त विभाग एवं राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा जारी किया गया।

[5] जिला कोषालय रायपुर, राजनांदगांव, अम्बिकापुर, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा एवं बिलासपुर

### 3.7.4 2010–15 के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते का विवरण

अवधि 2010–15 के दौरान राज्य में संचालित पीडी खाते का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया:

तालिका 3.6: पीडी खाते का विवरण

| वर्ष | एक अप्रैल की स्थिति में खाते की संख्या | वर्ष के दौरान खोली गई | वर्ष के दौरान बंद की गई | 31 मार्च की स्थिति में खाते की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 148 | 05 | 0 | 153 |
| 2011–12 | 153 | 0 | 10 | 143 |
| 2012–13 | 143 | 01 | 07 | 137 |
| 2013–14 | 137 | 209 | 24 | 322 |
| 2014–15 | 322 | 37 | 135 | 224 |
| **योग** | | **252** | **176** | |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 252 पीडी खाते खोले गये तथा 176 बंद किये गये। 31 मार्च 2015 की स्थिति में 224 पीडी खाते प्रचलन में थे।

वर्ष 2013–14 के दौरान, सबसे अधिक 209 पीडी खाते खोले गए जिसमें ₹ 722.39 करोड़ सम्मिलित थे, जो मुख्य रूप से योजना तथा वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किये गये निर्देश (मार्च एवं जुलाई 2014) का परिपालन था। इन निर्देशों के अनुसार ऐसी राज्य पोषित योजनाएं जिसमें आगामी वर्ष 2014–15 के बजट में राशि उपलब्ध नहीं थी तथा ऐसी केन्द्रीय योजनाएं जिनकी राशि राज्य के बजट से प्राप्त हुई थी तथा जिसके लिए तत्काल व्यय किया जाना था, ऐसी स्थितियों में यदि कुछ राशि पहले ही आहरित कर ली गई शेष के रूप में बच गई, उसे पीडी खाते में जमा कर जुलाई 2014 तक व्यय करना था। अनुपयोगी अवशेषों को शासकीय खाता में जमा करना था।

चयनित सात कोषालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात प्रशासकों ने विभिन्न योजना निधियों जैसे कि स्थानीय निर्वाचन निधि, निर्माण कार्य निधि, आंगनबाड़ी केन्द्रों की विद्युतीकरण निधि इत्यादि से ₹ 11.99 करोड़ आहरित किये तथा चालू खाते में जमा किये। इस राशि को बाद में ऊपर उद्धृत आदेशों के अनुसार पीडी खाते में जमा किया गया।

प्रावधानों के अनुसार, पीडी खाते जो राज्य की संचित निधि को आंकलित कर खोला गया हो उसे वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित सेवा शीर्षों के ऋण विकलन से बंद कर देना चाहिये। आगे, संचित निधि से आहरित करना तथा उसे निक्षेप में रखना राजस्व/राजकोषीय घाटे तथा संबंधित वर्षों में लोक लेखे में दायित्वों के अतिश्योक्ति की ओर ले गया। इस तरह से, पीडी खातों में धन रखने एवं व्यय को अंतिम शीर्ष में दर्ज करना एवं अगले वित्त वर्ष में उपयोग करने से अत्यधिक अनियमित एवं संसदीय वित्तीय नियंत्रण का मिश्रण था।

जैसा कि पीडी खातों को वित्तीय वर्षों के अंत में बंद किया जाना था, कुल धनराशि ₹ 1,630.82 करोड़ (संबंधित कंडिका में चर्चा किया गया) को पीडी खातों में वित्तीय वर्ष के अंत के बाद भी रखना अनियमित था।

शासन को निधियों के अनावश्यक संचय से बचने के लिये वित्तीय वर्ष के अंत में पीडी खातों को बंद करने हेतु प्रावधानों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

### 3.7.5 व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई निधियां

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम–543, के अनुसार जिन पीडी खातों को राज्य की संचित निधि को आंकलित कर बनाया गया हो उसे वित्तीय वर्ष के अंत में सुसंगत सेवा शीर्षों में ऋण विकलन द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए। अवधि 2010–15 के दौरान पीडी खातों में लेन–देन का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.7: राज्य के पीडी खाते की शेष का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | जमा | वितरण | अंतशेष |
|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 497.60 | 590.36 | 591.61 | 496.34 |
| 2011–12 | 496.34 | 669.96 | 437.08 | 729.22 |
| 2012–13 | 729.22 | 224.76 | 348.19 | 605.79 |
| 2013–14 | 605.79 | 1,388.51 | 328.68 | 1,665.62 |
| 2014–15 | 1,665.62 | 640.52 | 675.32 | 1,630.82 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका यह इंगित करता है कि पीडी खातों का अंतशेष वर्ष 2010–11 में ₹ 496.34 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,630.82 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2015 की स्थिति में पीडी खाते प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रशासकों से संबंधित है:

तालिका 3.8: 31 मार्च 2015 की स्थिति में पीडी खाते में अंतशेष के साथ प्रशासकों के नाम

| क.सं. | प्रशासकों | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | भू–अर्जन अधिकारियों (कलेक्टरों, उपसंभागीय अधिकारियों,तहसीलदारों) | 1,259.43 |
| 2 | सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास | 107.34 |
| 3 | पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर | 86.59 |
| 4 | संभागीय वन अधिकारियों | 64.23 |
| 5 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर | 35.00 |
| 6 | कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं–1, रायगढ़ | 15.02 |
| 7 | अधीक्षक जेल | 13.28 |
| 8 | कलेक्टर (खाद्य), खाद्य अधिकारी | 8.91 |

(स्रोतः माह मार्च 2015 के धन ऋण ज्ञापन)

बकाया शेष मुख्य रूप से भू–अधिग्रहण मुआवजा, आश्रमों एवं छात्रावास का निर्माण कार्य, प्रोसेसिंग फीस, दोहन की पंजीयन शुल्क, परिवहन, पेड़ कटाई, सीमांकन, मुनारा का निर्माण, 13वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत नया रायपुर विकास प्राधिकरण की भवन निर्माण, कैदी के मजदूरी को पीड़ित परिवार को देना तथा खाद्य सुरक्षा निधि आदि।

वर्षों से जमा खाते में शेष बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है एवं शेष राशि को वापस करने के लिए प्रावधानों का पालन करने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक था।

### 3.7.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 3.7.6.1 वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों का पालन न करना

वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों (मार्च एवं जुलाई 2014) के अनुसार, पीडी खातों में रखी राशि का उपयोग जुलाई 2014 के अंत तक किया जाना था तथा अनुपयोगी राशि यदि हो तो शासकीय खाते में स्थानांतरित किया जाना था।

चयनित सात [6] कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के बाद अग्रलिखित अनियमितताएं पायी गयीः

[6] रायपुर, राजनांदगांव, अम्बिकापुर, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा एवं बिलासपुर

**(क)** पांच कोषालयों[7] में, 59 नये पीडी खाते खोले गए तथा राशि ₹ 174.98 करोड़ पीडी खाते में जमा हुआ (मार्च 2014) था। इसमें से, राशि ₹ 137.30 करोड़ वितरित किया गया एवं शेष ₹ 37.68 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ (**परिशिष्ट 3.12**) एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए 14 पीडी खाते में मार्च 2015 तक पड़े थे।

लेखापरीक्षा की समीक्षा के प्रतिक्रिया में कोषालय अधिकारियों (टीओ) ने बताया (मई–जून 2015) कि पीडी खाते की अनुपयोगी राशि शासकीय खाते में जमा न करने के संबंध में संबंधित प्रशासकों से जानकारी प्राप्त कर प्रेषित की जाएगी।

**(ख)** जिला कोषालय, रायगढ़ कें पांच पीडी खातों की राशि ₹ 4.30 लाख (**परिशिष्ट 3.13**) निर्धारित समय सीमा जुलाई 2014 तक अनुपयोगी थे। यह देखा गया कि निधियों का जुलाई 2014 के पूर्व व्यय नहीं हुआ, परंतु अगस्त 2014 से नवम्बर 2014 के दौरान किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर अपेक्षित (अक्टूबर 2015) था।

**(ग)** वर्ष 2014–15 के दौरान, पीडी खाते जो वर्ष 2013–14 के दौरान जिला कोषालय, रायगढ़ एवं जशपुर में खोले गये थे, मार्च 2015 तक राशि ₹ 30.08 करोड़ (**परिशिष्ट 3.14**) जमा की गयी थी। पीडी खाते को संचालित करने के लिए वित्त विभाग की अनुमति केवल वर्ष 2013–14 के लिए थी। इस प्रकार, पीडी खाते में किया गया जमा अनियमित था।

इसे इंगित किये जाने पर, कोषालय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुपालन में राशि जमा की गई। हालांकि आगामी वर्षों के लिए पीडी खातों को निरंतर रखने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं था।

### 3.7.6.2 वित्त विभाग के बिना अनुमति के पीडी खाते खोला जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 536 के अनुसार, कोई धन प्राप्ति लोक लेखा में जमा नहीं करना चाहिए जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या किसी भी सामान्य या शासन के विशेष आदेशों, आवश्यकता या शासन के अधीन प्राधिकृत होना चाहिए।

जिला कोषालय, जशपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि दो पीडी खाते क्रमशः जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) एवं जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से खोले गये थे तथा वित्त विभाग की अनुमति के बिना राशि ₹ 19.99 लाख एवं ₹ 37.52 लाख माह मार्च 2015 में जमा किये गय थे।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में कोषालय अधिकारी, जशपुर द्वारा बताया गया कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22 मार्च 2014 के अनुपालन में पीडी खाते खोले गए थे, और यह भी बताया गया कि आगामी वर्षों में पीडी खाते खोलने के लिए इसके अलावा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं था।

कोषालय अधिकारी द्वारा स्वतः स्पष्ट था कि कोई निर्देशों या आदेशों आगामी वर्षों के निरतंर पीडी खाते के लिए उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, वर्ष 2013–14 के बाद पीडी खाते वित्त विभाग की अनुमति के बिना खाते खोलना अनियमित था।

शासन यह सुनिश्चित करे कि वित्त विभाग की परामर्श और अनुशासनपूर्वक नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनपूर्वक पीडी खाते खोले जाये।

[7] रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ अम्बिकापुर एवं जशपुर

### 3.7.6.3 अप्रचलित पीडी खाते की राशि ₹ 22.63 करोड़ राजस्व जमा निधियों में स्थानांतरण नहीं किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार, अगर पीडी खाता लगातार तीन वर्ष की अवधि तक अप्रचलित रहता है तो, कोषालय अधिकारी द्वारा एक माह के अंदर कारण बताओ पत्र प्रेषित कर लेखा प्रशासक को राजस्व जमा की खाता शेष को जमा न करने के कारणों से अवगत कराना चाहिए। यदि प्रशासक, एक माह के अंदर पत्र का उत्तर देने में विफल रहता है या पीडी खाते को जारी रहने के औचित्य में विफल रहता है, कोषालय अधिकारी की संतुष्टि के लिए, मांग पत्र महालेखाकार को भेजकर लेखा शेष के संबंध में सत्यापन के लिए एवं शेष की मिलान महालेखाकार के खाते से मिलान करने के बाद राजस्व जमा में जमा किया जाना चाहिए। इसके बाद, ये सामान्य राजस्व जमा मद के रूप में कार्यवाही की जाएगी।

सात जिला कोषालयों के पीडी खातों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हम पांच[8] कोषालयों के अवलोकन में, 14 अप्रचलित पीडी खाते ₹ 22.63 करोड़ (**परिशिष्ट 3.15**) सम्मिलित थे जो मार्च 2015 तक बंद नहीं किये गये एवं पीडी खाते में पांच वर्ष से अधिक अवशेष पड़े थे।

इंगित किये जाने पर, कोषालय अधिकारियों (अगस्त 2015) द्वारा कहा गया कि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

अप्रचलित पीडी खाते की अवशेष राशि को शासकीय खाते में जमा करने के लिए जरूरी कदम शासन द्वारा उठाना चाहिए।

### 3.7.6.4 राशि ₹ 64.32 करोड़ निधियों का गलत वर्गीकरण

वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श लेखा शीर्षों को संघ और राज्यों के महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा विहित है। लेनदेन का वर्गीकरण शासकीय खातों में सही लेखा शीर्षों की सूची संघ एवं राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के अनुसार करना चाहिए। मुख्य एवं लघु शीर्ष के अनुसार, वन जमा एवं शिक्षा संस्थाओं की जमा मुख्य शीर्ष–8443 सिविल जमा–109 वन जमा एवं 123–शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत क्रमशः दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा जारी किये गये निर्देश 2005 में प्रधान वन संरक्षक छत्तीसगढ़ को वन जमा सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था।

सभी 28 कोषालयों की धन–ऋण ज्ञापन की जांच में पता चला कि 109–वन जमा एवं 123–शैक्षणिक संस्थानों की जमा में जमा होना था, परंतु इसके बदले राशि ₹ 64.23 करोड़ वन जमा तथा राशि ₹ 0.09 करोड़ शैक्षणिक संस्थानों की जमा की राशि मुख्य शीर्ष–8443–सिविल जमा–106–व्यक्तिगत जमा खाता में जमा है जो कि अनियमित था।

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर, संचालक, कोष एवं पेंशन द्वारा कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया गया था।

### 3.7.6.5 शेषों का पुनर्मिलान न करना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 590 के अनुसार, प्रशासक से प्रत्येक व्यक्तिगत खाता बही शेष का वार्षिक प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई अंतर हो तो उसका शेष मार्च माह के धन–ऋण ज्ञापन में विस्तार से दिखाया जाना चाहिए।

[8] जिला कोषालयों रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जांजगीर–चांपा एवं बिलासपुर

सभी सात चयनित कोषालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि पीडी खाते का वार्षिक समाशोधन नियमित रूप से कोषालयों के साथ संबंधित प्रशासकों द्वारा प्रशासक के खाते से नहीं किया जा रहा है। पीडी खातों के समाशोधन न होने के कारण, कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, (डीटीओ) बिलासपुर, अम्बिकापुर, जांजगीर–चांपा (**परिशिष्ट 3.16**) में देखा है कि प्रशासकों के पीडी खातों के रोकड़ पंजी एवं कोषालयों के खाते के बीच अंतर होना पाया गया। इसके कारण, वास्तविक आंकड़ों के पीडी खातों के शेषों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

इसे इंगित किए जाने पर, कोषालय अधिकारियों ने बताया कि (अगस्त 2015) पीडी खाते का नियमित समाशोधन प्रशासकों के खाते के साथ कोषालय से कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

शासन द्वारा पीडी खाते के अंतर को सुधारने के लिए कोषालय और प्रशासकों के बीच नियमित रूप से समाशोधन हेतु निर्देश जारी करना चाहिए।

### 3.7.6.6 खाद्य सुरक्षा कोष से प्राप्त निधि का उपयोग न करना

अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण 23 दिसम्बर, 2004 को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 प्रारंभ किया था। इस आदेश के कंडिका 17 के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा कोष[9] का बनाया गया था। इस कोष का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि असुरक्षित जनता के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत एवं उच्च कुपोषण वाले क्षेत्रों एवं भुखमरी के संभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की निधि उपयोग सुनिश्चित करना, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जारी किये गये निर्देशों के पालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करना तथा समय–समय पर राज्य की खाद्य सुरक्षा संबंधित अन्य आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक ऐसी अन्य कार्यवाही करना जैसा कि अपेक्षित हो।

खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण खाद्य सुरक्षा कोष को पीडी खातों में पृथक से कोषालय में जमा किया जाना था।

धन–ऋण ज्ञापन में देखा गया कि सात चयनित कोषालयों में से चार[10] कोषालयों में खाद्य सुरक्षा निधि ₹ 5.83 करोड़ पीडी खाते में जमा था, लेकिन मार्च 2015 की स्थिति में पांच से सात वर्ष तक अप्रयुक्त बनी हुई थी।

इस प्रकार, निधि का उपयोग खाद्य सुरक्षा कोष की स्थापना और अन्य उपयोगी निधि पीडी खाते में रखना निष्फल था।

---

9 कोष का प्राथमिक उद्देश्य कमजोर जनसंख्या हेतु खाद्य सुरक्षा का सुदृढ़ कराना है तथा कोष का उपयोग उच्च कुपोषण वाले क्षेत्रों एवं भुखमरी के संभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना था।

10 जिला कोषालयों रायपुर, राजनांदगांव, जांजगीर–चांपा एवं बिलासपुर

## 3.8 लोक निर्माण निक्षेप के अंतर्गत व्यपगत निक्षेप को शासन के खाते में जमा न करना

### 3.8.1 प्रस्तावना

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (सी.पी.डब्ल्यू.ए.सी) के अनुसार, निक्षेप में लेन–देन शामिल है जो लोक निर्माण निक्षेप के माध्यम से कार्य करता है जैसे प्रतिभूति रूप में अधीनस्थ कर्मचारियों की रोकड़ निक्षेप, प्रतिभूति रूप में ठेकेदारों की रोकड़ निक्षेप, तकावी निर्माण कार्यों के अलावा किए गए अन्य कार्यों की निक्षेप, बन्द लेखाओं पर ठेकेदारों को देय राशि एवं विविध निक्षेप। प्रत्येक वर्ष मार्च माह के लेखाओं में लोक निर्माण जमा की समाप्ति पर लोक निर्माण लेखाओं में निम्न वर्गों के मदों में निक्षेप लेखा में निम्नलिखित श्रेणियों की मदें शासन के राजस्व को व्यपगत निक्षेप के रूप में जमा किये जाते है :

- पच्चीस रूपये ऐसे मूल निक्षेप की राशि जो एक सम्पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना भुगतान हुए रहती है, वर्ष का लेखा बन्द करते समय किसी निक्षेप मद का आंशिक रूप से समाशोधन के पश्चात् 25 रूपये तक का अवशेष ।

- और उपरोक्त वर्णित राशि से अधिक की स्थिति में सभी निक्षेप अथवा ऐसे अवशेष जो तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से भुगतान न होने के कारण शेष हो।

### 3.8.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जमाओं की लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था किः–

- प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की समाप्ति पर जमा को शासन के लेखे में स्थानांतरित किया जाना है तथा

- इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जमा राशि जो उपरोक्त वर्णित अवधियों के लिए बिना दावे की रह गई, उन्हें सरकार के राजस्व शीर्ष में राजस्व प्राप्ति के रूप में समायोजित कर दिया गया है।

### 3.8.3 लेखापरीक्षा का विस्तार और प्रणाली

"लोक निर्माण निक्षेप" के अंतर्गत "शासन के खाते में व्यपगत निक्षेप" को सरकारी खाते में जमा न करने के संबंध में लेखापरीक्षा जून 2015 से सितंबर 2015 तक अवधि 2010 से 2015 तक के दौरान किया गया। लोक निर्माण विभाग(पी.डब्ल्यू.डी), जल संसाधन विभाग(डब्ल्यू.आर.डी) और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों (पी.एच.ई.डी) के कुल 149 संभागों में से 33 संभागों (13–पी.डब्ल्यू.डी, 10–डब्ल्यू.आर.डी एवं 10–पी.एच.ई.डी) का चयन मार्च 2015 के प्रपत्र–79 के अंतशेष के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा का मानदंड छत्तीसगढ़ राज्य वित्त/कोषागार संहिता, केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, जमा पंजी, संभागों के प्रपत्र–79[11] और विभिन्न आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों एवं वित्त विभाग और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा जारी किए गए निर्देशों से निर्धारित की गई।

[11] प्रपत्र–79 (फॉर्म–79) दो भागों में होता है, भाग–एक –लेखा जिसमें प्रत्येक वर्ग की जमाराशि का सकल योग रहता है। भाग–दोः – जमा पंजी का विस्तृत सार। भाग दो में केवल वही मद शामिल रहते हैं जो मासिक लेन–देन से प्रभावित होते हैं।

### 3.8.4 लोक निर्माण निक्षेप में 2010–15 के दौरान रखी गई निधि

लोक निर्माण निक्षेपों में अवधि वर्ष 2010–15 के लिए संव्यवहारों का विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका 3.9: लोक निर्माण निक्षेप में रखी गयी निधियों का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | 1 अप्रैल की स्थिति में प्रारंभिक शेष | प्राप्तियाँ | वितरण | 31 मार्च की स्थिति में अंतशेष |
|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 1,073.48 | 1,084.59 | 929.90 | 1,228.17 |
| 2011–12 | 1,228.17 | 1,645.60 | 1,319.74 | 1,554.03 |
| 2012–13 | 1,554.03 | 1,512.80 | 1,445.37 | 1,621.46 |
| 2013–14 | 1,621.46 | 1,963.98 | 1,574.16 | 2,011.27 |
| 2014–15 | 2,011.27 | 1,293.28 | 1,514.20 | 1,790.35 |

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे)

तालिका से देखा जा सकता है कि लोक निर्माण जमा की अंतशेष राशि में 2010–11 में ₹ 1,228.17 करोड़ से बढ कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,790.35 करोड़ तक था। जमा विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य के कार्यान्वयन से संबंधित है। जिनमें से कुछ कार्य अभी चल रहे हैं और कुछ प्रकरणों में ठेकेदारों ने कार्य की समाप्ति के पश्चात भी सुरक्षा निधि की वापसी के लिए दावा नहीं किया था। इन निक्षेपों में विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों जैसे रॉयल्टी, वैट, आयकर इत्यादि शामिल हैं जिन्हें संबंधित राजस्व शीर्षों में जमा किया जाना चाहिये था।

### 3.8.5. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 3.8.5.1 निक्षेप पंजी का संधारण नहीं किया जाना

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 15.5.1 के अनुसार, लोक निर्माण कार्य निक्षेप से संबंधित लेन–देन का अभिलेख संभागीय कार्यालय में एक पंजी में उसी प्रपत्र में जिसमें उचंत पंजी, सी.पी.डब्ल्यू.ए प्रपत्र–67 रहता है, रखा जाना चाहिए ।

तैंतीस (33) संभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 12 संभागों[12] में निक्षेप–पंजी संधारित नहीं किए गए थे। आगे यह भी पाया गया कि सात[13] संभागों में निक्षेप–पंजी संधारित किया गया था, लेकिन अद्यतन नहीं किए गए थे। **(परिशिष्ट 3.17)** निक्षेप–पंजी के अनुपलब्धता से इन संभागों में व्यपगत निक्षेप की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

इन तथ्यों को इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियंताओं ने कहा कि भविष्य में निक्षेप–पंजी संधारित किया जाएगा।

---

[12] लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सं.–3, रायपुर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कवर्धा, लोक निर्माण (भ/स) संभाग, कवर्धा, लोक निर्माण विभाग डैम संभाग, कोरबा, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या– 1, बिलासपुर, लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स), मनेन्द्रगढ़, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग, रामानुजगंज, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या– 02, रायपुर, लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स), राजनाँदगाँव, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या– 01, रायपुर।

[13] लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बेमेतरा, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार, एम.एम. मिनीमाता बांगो नहर संभाग संख्या–06, सवित, जल संसाधन संभाग कोटा, जल संसाधन विभाग संभाग, जशपुर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग।

### 3.8.5.2 व्यपगत निक्षेपों को शासन के खाते में जमा न किया जाना

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 15.5.1 तथा 15.4.1 अनुबंधित करती है कि तीन संपूर्ण वर्षों से अधिक समय से दावा न की गयी राशि को शासन के खाते में व्यपगत निक्षेप के रूप में जमा कर देनी चाहिए।

अभिलेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि 33 संभागों के नमूना जाँच में 17 संभागों में ₹ 19.04 करोड़ **(परिशिष्ट 3.18)** जमा का दावा नहीं किया गया जो कि तीन वर्षों से अधिक पुराने हैं तथा मुख्यतः ठेकेदारों की सुरक्षा निधि से संबंधित थे, जिन्हें व्ययगत निक्षेप के रूप में शासन के खाते में जमा नहीं किया गया था। शेष 16 संभागों में से चार संभागों में कोई भी व्यपगत निक्षेप शेष नहीं था, जबकि शेष 12 संभागों में न तो निक्षेप–पंजी का संधारण किया गया था और न ही तीन वर्षों से अधिक समय से दावा न की गई निक्षेपों की कोई सूचना दी गई। विभागवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 3.10: विभागवार व्यपगत जमा का विस्तृत विवरण

| विभाग का नाम | संभागों की संख्या | मदों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| लोक निर्माण | 3 | 1073 | 367.13 |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 5 | 1657 | 702.88 |
| जल संसाधन | 9 | 578 | 833.80 |
| **योग** | **17** | **3308** | **1903.81** |

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता ने बताया कि दावा न की गई जमा और शेष को सत्यापित कर शासन के खाते में व्यपगत जमा कर दिया जाएगा। लेकिन तथ्य यह है कि संभागों के कार्यपालन अभियंता द्वारा जमा लेखाओं का पुनरावलोकन नहीं किया गया। अतः वे नियमों का पालन करने में पूर्णतः असफल रहे।

### 3.8.5.3 प्राप्तियों का गलत लेखाकरण

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 15.3.3 के अनुसार, प्राप्तियों के सभी मदों का वर्गीकरण जिसे एक बार में निर्धारित नहीं किया जा सकता है अथवा जो लेखाओं में त्रुटियों को दर्शाता है, उन्हें विविध जमा के रूप में वर्गीकृत कर समायोजन का इंतजार करना चाहिए जब तक कि निकासी न हो जाए।

इसके अलावा संघ और राज्यों के लेखाओं के शीर्ष महालेखा नियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से विचार–विमर्श पश्चात निर्धारित किए जाते है। सरकारी लेखाओं में लेन–देन का वर्गीकरण संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची के आधार पर निर्धारित होता है। मुख्य तथा लघु शीर्ष की सुची के अनुसार मूल्यवर्धित कर, रॉयल्टी, एवं आयकर 0040–111–मूल्यवर्धित कर, मुख्य शीर्ष–0853–102, खनिज रियायत फीस, किराया और रॉयल्टी तथा मुख्य शीर्ष–0021, निगम कर को छोड़कर आय पर कर संबंधित शीर्ष में किया जाना चाहिए।

सभी 149 संभागों के प्रपत्र–79 का परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि मूल्यवर्धित कर की प्राप्तियाँ, रॉयल्टी और आयकर जो ठेकेदार से कटौती किये जाते हैं वे संबंधित राजस्व शीर्ष में लोक निर्माण जमा के मुख्य शीर्ष 8443–108 में रखा जाता है, जो कि अनियमित है। संबंधित राजस्व शीर्षों में अहस्तांतरण राज्य के कर तथा गैर–कर राजस्व को कम करता है तथा संबंधित वर्षों के दायित्व को लोक लेखा में अधिक दर्शाता है।

### 3.8.5.4 जमा लेखा में राजस्व का अवरोधन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 29 के अनुसार शासन की ओर से एकत्र किसी भी राजस्व को शासन के खाते में तुरंत प्रेषित किया जाना चाहिए। विभिन्न प्राप्तियाँ जैसे कि ठेकेदारों/वितरकों के बिल से कटौती की गई मूल्यवर्धित कर (वैट), कर्मकार, उपकर, रॉयल्टी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को शासन के खातों के संबंधित शीर्षों में जमा किया जाना चाहिए। आगे, कटौती किये गये कल्याण उपकर को 30 दिनों में भवन तथा सन्निर्माण कल्याण बोर्ड (बोर्ड) के लेखों में जमा किया जाना चाहिए।

अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में 11 संभागों द्वारा वर्ष 2012–13 से मार्च 2015 तक वैट, कल्याण उपकर, रॉयल्टी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में राशि ₹ 2.30 करोड़ **(परिशिष्ट 3.19)** की कटौती की गई तथा इसे शासन के खातों के संदर्भित शीर्षों में जमा नहीं किया गया। इन्हें लोक निर्माण जमा में छः माह से दो वर्षों के बीच रखा गया जो कि नीचे तालिका में वर्णित है।

तालिका संख्या 3.11: राजस्व अवधारण का विभागवार ब्यौरा

(₹ लाख में)

| विभाग का नाम | वैट | रॉयल्टी | कर्मकार उपकर | केंद्रीय उत्पाद शुल्क | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| लोक निर्माण | 0 | 8.22 | 6.42 | 0 | 14.64 |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 12.52 | 12.83 | 20.99 | 10.90 | 57.24 |
| जल संसाधन | 38.44 | 61.90 | 57.33 | 0 | 157.67 |
| **योग** | **50.96** | **82.95** | **84.74** | **10.90** | **229.55** |

आगे, वैट और रॉयल्टी का कटौती कर संबंधित राजस्व प्राप्ति शीर्षों में प्रेषित न करने से विभाग ने न केवल ₹ 1.34 करोड़ का दायित्व बनाया बल्कि इसने राज्य के राजस्व प्राप्तियों का मूल्यांकन भी कम किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंताओं ने बताया कि करों को संबंधित राजस्व शीर्षों में जमा कर दिया जाएगा।

### 3.8.5.5 आयकर को शासन के खाते में जमा न किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 200 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि की कटौती आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार करता है, को निर्धारित समय[14] के अंदर इस प्रकार कटौती की गई राशि का भुगतान तथा केंद्र सरकार के खाते में अथवा जैसा कि बोर्ड निर्देशित करें जमा करेगा।

चयनित 33 संभागों के अभिलेखों के नमूना परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि दो संभागों में ₹ 0.02 करोड़ की राशि (₹ 21,378 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कांकेर तथा ₹ 1,91,531.00 एम. एम. मिनीमाता बांगों नहर संभाग संख्या–06, सक्ति) 2012–13 के दौरान आयकर के रूप में काटी गई थी, जो कि शासन के खाते के संबंधित शीर्षों में जमा न करके लोक निर्माण जमा में रखा गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इन दोनों संभागों के कार्यपालन अभियंताओं ने बताया कि आयकर की राशि जमा कर दिया जाएगा।

[14] स्रोत से आयकर कटौती (टीडीएस) जमा करने के लिए समय आयकर अधिनियम 1961 के नियम 30 (1) के अनुसार निर्धारित है। जैसे (क) उसी दिन जहाँ आयकर का बिना चालान के प्रस्तुत किए भुगतान किया जाता है। (ब) माह की समाप्ति के सात (7) दिवसों के अंदर या सात दिवसों तक जहाँ कटौती की गई हो अथवा धारा 92 के उपधारा 1 (अ) के अनुसार आयकर बकाया हो तथा जहाँ कर का भुगतान आयकर चलान के माध्यम से किया जाता है।

### 3.8.5.6 प्रपत्र–79 तैयार करने में अनियमिताएँ

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 15.5.3 के अनुसार, निक्षेप–पंजी से एक मासिक सार प्रपत्र–79 के रूप में तैयार किया जाना चाहिए जिसे जमा की अनुसूची के रूप में जाना जाता है। प्रपत्र–79 मासिक लेखाओं का एक भाग है जिसे संभागों के जांच तथा संकलन हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रत्येक महीने प्रस्तुत किया जाता है।

लोक निर्माण विभाग के 8[15] संभागों के प्रपत्र–79 की जाँच में यह पाया गया कि माह के प्रारंभिक शेषों का मिलान पिछले माह के अंतशेषों से नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए, लोक निर्माण विभाग, संभाग बलौदाबाजार में प्रपत्र–79 में आयकर प्राप्ति मद में ₹ 2,97,53,783 के रूप में बकाया दर्शाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उस संभाग में कोई राशि बकाया नहीं था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रपत्र–79 अनियमित है। इसके अतिरिक्त अन्य नमूना जाँच संभागों में, प्रपत्र–79 कम्प्यूटर से तैयार न किए जा रहे हैं तथा उनमें कोई अंतर नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता के द्वारा बताया गया कि प्रपत्र–79 के अंतशेषों तथा प्रारंभिक शेषों में अंतर विभागीय ई–वर्क्स सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि के कारण हो रहा है।

तथ्य यह है कि, कार्यपालन अभियंता ने त्रुटि को स्वीकार किया लेकिन गलत आँकड़ों के फलस्वरूप निरूपवाद रूप से गलत लेखांकन का कारक होते हैं।

## 3.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसायें

### उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करना

- राज्य सरकार को जारी सहायक अनुदान के विरूद्ध विभिन्न विभागों द्वारा ₹ 16476.92 करोड़ के 15254 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। यह विभिन्न विभागों द्वारा सहायक अनुदान के सुनियोजित उपयोग की कमी को दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है उसका समय पर उपयोग एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

### स्वायत्त निकायों प्राधिकरणों द्वारा लेखाओं का जमा करनाः–

- स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को लेखाओं को जमा करने में देरी की गई, जिससे स्वायत्त निकायों प्राधिकरणों की जांच में देरी हुई।

सरकार का स्वायत्त नियमों के लेखे समय पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

[15] लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कवर्धा, लोक निमार्ण विभाग संभाग (भ/स) बलौदाबाजार, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या– 1, जगदलपुर, लोक निर्माण विभाग डैम संभाग, कोरबा, लोक निर्माण विभाग संभाग, रायगढ़, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या–1, बिलासपुर, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, मनेन्द्रगढ़ लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या–1, अंबिकापुर।

## दुर्विनियोग एवं हानि का प्रतिवेदन

- 2266 मामले में हानि तथा दुर्विनियोग के निपटान आदि में ₹ 109.21 करोड़ का अनुपालन लंबित था।

हानि आदि के सभी मामले में विभागीय जांच में तेजी लानी चाहिए।

## संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों का प्रस्तुत करना

- ₹ 79.37 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के खिलाफ विस्तृत आकस्मिक देयक मार्च 2015 तक लंबित था।

बकाया आकस्मिक देयक को समय पर समायोजन के लिए एक निगरानी तंत्र का होना चाहिए।

## व्यक्तिगत जमा खाते का संधारण

- व्यक्तिगत जमा(पीडी) खाते शासन के विशिष्ट अधिनियमन के उत्तरदायित्व को प्रशासक द्वारा सुगमतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। हमने 31 मार्च 2015 की स्थिति में पाया कि 224 पीडी खाते संचालित थे। पीडी खाते का अंतशेष 2010–11 में ₹ 496.34 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 1,630.82 करोड़ हो गया। हमने यह भी पाया कि सात नमूना जांच कोषालयों में पीडी खाते में ₹ 37.68 करोड़ अनुपयोगी थी तथा पीडी खाते वित्त विभाग की बिना अनुमति के खोले गये थे। 14 अप्रचलित पीडी खाते में ₹ 22.63 करोड़ बंद नहीं की गई तथा शेष राशि पांच वर्ष से अधिक समय से पड़ी हुई थी। वन जमा में राशि ₹ 64.23 करोड़ तथा शैक्षणिक संस्थानों में राशि ₹ 0.09 करोड़ अनियमित रूप से पीडी खाते में जमा किये गये। आगे, पीडी खातों को प्रशासक के खातों से समाशोधन संबंधित प्रशासकों द्वारा नियमित रूप से नहीं किया गया तथा पीडी खाता बही निर्धारित प्रपत्र जैसे– कोषालय संहिता के सीजीटीसी 72 में संधारित नहीं किये गये थे।

## लोक निर्माण निक्षेप के अंतर्गत व्यपगत निक्षेप को खाते में जमा न किया जाना

- 17 नमूना जाँच लोक निर्माण संभागों में कुल दावा न की गई जमा राशि ₹ 19.04 करोड़ को शासन के खाते में तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी जमा नहीं किया गया।

- 12 संभागों में निक्षेप–पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

- 13 नमूना जाँच संभागों में से आठ लोक निर्माण संभागों में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किए जा रहे प्रपत्र–79, प्रारंभिक शेषों तथा अंत शेषों का सही चित्रण नहीं करते हैं।

- मूल्यवर्धित कर, कल्याण उपकर, रॉयल्टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर की कटौती की गई राशि को शासन के खाते या बोर्ड में जमा नहीं किया गया।

प्रत्येक वर्ष मार्च माह की समाप्ति पर तीन वर्षों से अधिक समय से दावा न की गई जमा राशि अथवा शेषों को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासन के खातें में जमा किया जाना चाहिए। प्रत्येक संभाग द्वारा निक्षेप–पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और प्रपत्र–79 प्रारंभिक तथा अंत–शेषों का सही आँकड़ा दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वि कु मो

रायपुर
दिनांक

(बिजय कुमार मोहन्ती)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

**प्रतिहस्ताक्षरित**

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट–1.1 (अ)
## (संदर्भः कंडिका–छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ–1)
## छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा

**अ–सामान्य आंकड़े**

| संक्रं. | विवरण | | आँकड़े |
|---|---|---|---|
| 1 | क्षेत्र | | 1,35,192 वर्ग कि.मी. |
| 2 | जनसंख्या | | |
| | अ | 2001 की जनगणना के अनुसार | 2.08 करोड़ |
| | ब | 2011 की जनगणना के अनुसार | 2.55 करोड |
| 3 | अ | जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.) | 154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
| | ब | जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.) | 189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
| 4 | गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या[1] (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=29.50 प्रतिशत) | | 47.90 प्रतिशत |
| 5 | अ | साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत) | 64.66 प्रतिशत |
| | ब | साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत) | 70.28 प्रतिशत |
| 6 | शिशु मृत्यु दर[2] (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत = 40 प्रति 1000 जीवित बच्चे) | | 46 प्रति 1000 जीवित बच्चे |
| 7 | गिनी कोएफीशियेन्ट[3] | | |
| | अ | ग्रामीण (राष्ट्रीय=0.29) | 0.28 |
| | ब | शहरी (राष्ट्रीय=0.38) | 0.33 |
| 8 | सकल राज्य घरेलु उत्पाद[4] (जीएसडीपी) 2014–15 के वर्तमान मूल्य के अनुसार | | ₹ 2,10,191.79 करोड़ |
| 9 | प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2005–06 से 2014–15) | **अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में** | 13.86 |
| | | छत्तीसगढ़ | 14.85 |
| 10 | जीएसडीपी सीएजीआर (2005–06 से 2014–15) | **अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में** | 15.44 |
| | | छत्तीसगढ़ | 16.45 |
| 11 | जनसंख्या वृद्धि (2005–06 से 2014–15) | **अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में** | 12.76 |
| | | छत्तीसगढ़ | 13.21 |

**ब– वित्तीय आँकड़े**

| विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सीएजीआर | | 2005–06 से 2013–14 | | 2005–06 से 2014–15 |
| | | सामान्य श्रेणी राज्य | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ |
| | | (आँकड़े प्रतिशत में) | | |
| क | राजस्व प्राप्तियों का | 15.76 | 17.47 | 17.59 |
| ख | स्वयं के कर राजस्व का | 15.32 | 16.48 | 15.54 |
| ग | कर भिन्न राजस्व का | 13.53 | 19.47 | 16.68 |
| घ | कुल व्यय का | 15.23 | 19.57 | 19.51 |
| ङ | पूंजीगत व्यय का | 14.61 | 15.86 | 15.48 |
| च | शिक्षा पर राजस्व व्यय का | 17.10 | 24.01 | 25.21 |
| छ | स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का | 16.20 | 21.91 | 24.46 |
| ज | वेतन एवं मजदूरी का | 15.23 | 18.57 | 17.52 |
| झ | पेंशन का | 18.70 | 25.00 | 24.21 |

(स्रोतः–वित्तीय आँकड़े वित्त लेखों पर आधारित है।)

---

1 गरीबी को मापने के लिये कार्यपद्धति को पुनर्निरीक्षण करने के लिये विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन (योजना आयोग जून 2014, पृष्ठ–66)

2 शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन 2014)

3 गनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय की असमानता का एक माप है। मूल्य दर शून्य से एक शून्य के निकट असमानता कम है, एक के निकट असमानता अधिक है (योजना आयोग के अशासकीय प्राक्कलन एवं राष्ट्रीय प्रादर्श सर्वेक्षण संगठन के आँकड़े 61वां चक्र 2009–10–यूआरपी)

4 आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014–15

## परिशिष्टः–1.1 (ब)
## (संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ–2)
## सरकारी लेखों की संरचना एवं प्रारूप

**सरकार के लेखे की संरचनाः** राज्य शासन के लेखे तीन भागों (I) समेकित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा में रखे जाते हैं।

**भाग (I) समेकित निधिः** राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण आंतरिक और बाहय ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

**भाग (II) आकस्मिकता निधिः** भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

**भाग (III) लोक लेखाः** कुछ लेन–देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उंचत, प्रेषण आदि से संबंधित प्रप्तियाँ एंव संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं है, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुछेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं है।

### भाग–सः वित्त लेखों की रूपरेखा

वित्त लेखों को दो भाग में विभाजित किया गया है।

| | |
|---|---|
| **खण्ड–1 – सारांशीय विवरणी** | |
| विवरण क्र. 1 | वित्तीय स्थिति का वितरण–वर्ष के अंत में शासन के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े। |
| विवरण क्र. 2 | प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण– वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण। |
| विवरण क्र. 3 | प्राप्तियों का विवरण– शासन की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण। |
| विवरण क्र. 4 | समेकित निधि में व्यय का विवरण– कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण। |
| **खण्ड–2** | |
| विवरण क्र. 5 | प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का विवरण–पूंजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ मार्च 2015 अंत तक का सारांशी विवरण। |
| विवरण क्र. 6 | उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण–शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, अन्य दायित्व एंव ऋणों की सेवायें। |
| विवरण क्र. 7 | शासन द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियों का विवरण – राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुर्नभुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि। |
| विवरण क्र. 8 | वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए विभिन्न संबंधित पूंजीगत शेयर एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश। |
| विवरण क्र. 9 | शासन द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण–सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पूनर्भुतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी। |
| विवरण क्र. 10 | राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण। |
| विवरण क्र. 11 | प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण–वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत मध्य वितरण। |
| विवरण क्र. 12 | वर्ष 2014–15 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण। |
| विवरण क्र. 13 | संमेकित निधि, आकस्मिता निधि एवं लोक लेखे के अतंगर्त शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अतंगर्त प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा। |
| विवरण क्र. 14 | राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शिर्षवार विस्तृत विवरण। |
| विवरण क्र. 15 | राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण । |
| विवरण क्र. 16 | मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरणः वर्ष 2014–15 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूंजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता हैं। |
| विवरण क्र. 17 | उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शिर्षवार विस्तृत विवरण । |
| विवरण क्र. 18 | सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरणः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान, 31 मार्च 2015 तक का विस्तृत लेखा। |
| विवरण क्र. 19 | शासन के निवेशों का विस्तृत विवरणः 31 मार्च 2015 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कंपनीयों, अन्य संयुक्त पूंजी कंपनीयों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण। |
| विवरण क्र. 20 | शासन द्वारा दिये गये गारंटियों का विवरण–संस्थावार। |
| विवरण क्र. 21 | आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण। |
| विवरण क्र. 22 | चिन्हित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण। |

## परिशिष्ट–1.2

## (संदर्भः कंडिका–छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ–2)

## राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्पलावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियां निम्नानुसार सूचित किया जाता हैः

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13(पी) | 2013–14(क्यू) | 2014–15(ए) |
|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक क्षेत्र | 37,820.66 | 45,616.54 | 51,698.70 | 56,044.90 | 63,573.91 |
| द्वितीय क्षेत्र | 36,551.67 | 44,678.70 | 50,252.24 | 55,974.45 | 61,750.80 |
| तृतीय क्षेत्र | 45,047.43 | 53,816.96 | 63,690.26 | 73,663.13 | 84,867.08 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) | 1,19,419.76 | 1,44,112.20 | 1,65,641.20 | 1,85,682.48 | 2,10,191.79 |
| जीएसडीपी का विकास दर (प्रतिशत में) | 20.18 | 20.68 | 14.94 | 12.10 | 13.20 |

(स्रोतः–छत्तीसगढ़ शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग वर्ष 2014–15)
नोटः ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान

**प्राथमिक क्षेत्र**– कृषि (पशुपालन सहित), वन, मत्स्य पालन, खनिज एवं उत्खन्न

**द्वितीय क्षेत्र**– उत्पादन (पंजीकृत एवं अपंजीकृत), निर्माण गतिविधियाँ, विद्युत, गैस एवं जल वितरण

**तृतीय क्षेत्र**– रेल, अन्य साधन द्वारा परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैंक, बीमा एवं रियल स्टेट, मालिकाना हक एवं व्यापार सेवायें, सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवायें

## राजकोषीय समूहों के नमूने एवं प्रचलनों के आंकलन में उपयोग में लाये गये कुछ चयनित शब्दों की परिभाषा नीचे दी गई है:

| शब्द | संगणना के आधार |
|---|---|
| उत्प्लावकता का माप सूचक | मापसूचक की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर |
| मापसूचक की उत्प्लावकता (X) अन्य मापसूचक के संदर्भ में (Y) | मापसूचक (X) की वृद्धि दर/मापसूचक (Y) की वृद्धि दर |
| वृद्धि की दर (आरओजी) | [(चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)–1]* 100 |
| विकास व्यय | सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ |
| राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान | ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं)/2]*100 |
| ब्याज विस्तार | सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि–औसत ब्याज दर |
| प्रमात्रा विस्तार | ऋण स्टाक*ब्याज विस्तार |
| दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत | ब्याज प्राप्ति/[(प्रारंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100 |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्ति–राजस्व व्यय |
| राजकोषीय घाटा | राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम–राजस्व प्राप्तियाँ–विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ |
| प्रारंभिक घाटा | राजकोषीय घाटा–ब्याज भुगतान |
| चालू राजस्व से शेष (बीसीआर) | राजस्व प्राप्तियों से घटायें सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग |
| संसाधनों का अंतर | क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियां–क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय+क्रमिक ब्याज भुगतान |

## परिशिष्ट–1.3
## (संदर्भः कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.4; पृष्ठ–2, 9 एवं 16)
## राज्य शासन के वित्त का अवधिवार आँकड़ा विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| भाग–अ प्राप्तियाँ | | | | | |
| **1. राजस्व प्राप्तियाँ** | **22,720(94)** | **25,867(94)** | **29,578(89)** | **32,050(85)** | **37,988(85)** |
| **(i) कर राजस्व** | **9,005(40)** | **10,712(41)** | **13,034(44)** | **14,343(45)** | **15,707(41)** |
| कृषि आय पर कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| विक्रय, व्यापार आदि पर कर | 4,841(54) | 6,006 (56) | 6,929(53) | 7,930(55) | 8,429(54) |
| राज्य आबकारी | 1,506(17) | 1,597(15) | 2,486(19) | 2,549(18) | 2,892(18) |
| वाहन पर कर | 428(5) | 502(5) | 592(5) | 651(4) | 703(04) |
| मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क | 786(9) | 846(8) | 952(7) | 990(7) | 1,023(07) |
| भूमि राजस्व | 247(3) | 271(3) | 234(2) | 226(2) | 332(02) |
| सामग्री एवं यात्रियों पर कर | 675(7) | 826(7) | 954(7) | 945(7) | 982(06) |
| अन्य कर | 522(6) | 665(6) | 887(7) | 1,052(7) | 1,346(09) |
| **(ii) कर भिन्न राजस्व** | **3,836(17)** | **4,058(16)** | **4,616(16)** | **5,101(16)** | **4,930(13)** |
| **(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश** | **5,425(24)** | **6,320(24)** | **7,218(24)** | **7,880(24)** | **8,363(22)** |
| **(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान** | **4,454(20)** | **4,776(18)** | **4,710(16)** | **4,726(15)** | **8,988(24)** |
| **2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ** | **2** | **4** | **2** | **8** | **3** |
| **3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां** | **561(2)** | **1,283(5)** | **1,542(5)** | **1,637(4)** | **195(0.44)** |
| **3 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन** | **3** | **2** | **2** | **5** | **1** |
| **4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)** | **23,286** | **27,156** | **31,124** | **33,700** | **38,187** |
| **5. लोक ऋण प्राप्तियाँ** | **795(3)** | **421(2)** | **2,058(6)** | **3,932(10)** | **6,440 (14)** |
| आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर) | 592 | 365 | 2,041 | 3,917 | 6,431 |
| अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन | –– | – | –– | –– | –– |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 203 | 57 | 17 | 15 | 9 |
| **6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)** | **24,081** | **27,577** | **33,182** | **37,632** | **44,627** |
| **7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8. लोक लेखा प्राप्तियाँ** | **27,524** | **34,161** | **39,579** | **45,868** | **51,322** |
| **9. राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)** | **51,605** | **61,739** | **72,761** | **83,500** | **95,949** |
| भाग–ब व्यय/संवितरण | | | | | |
| **10. राजस्व व्यय** | **19,355(85)** | **22,628(81)** | **26,972(80)** | **32,859(85)** | **39,561(85)** |
| आयोजना | 8,069(42) | 10,004(44) | 12,440(46) | 13,749(42) | 20,990(53) |
| आयोजनेत्तर | 11,286(58) | 12,624(56) | 14,532(54) | 19,110(58) | 18,571(47) |
| सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित) | 5,247(27) | 5,904(26) | 6,649(25) | 7,851(24) | 9,041(23) |
| सामाजिक सेवायें | 8,310(43) | 10,477(46) | 11,456(42) | 14,282(43) | 15,389(39) |
| आर्थिक सेवायें | 5,091(26) | 5,560(25) | 8,012(30) | 9,756(30) | 14,152(36) |
| **सहायता अनुदान एवं अंशदान** | **707(4)** | **687(3)** | **854(3)** | **970(3)** | **979(2)** |
| **11. पूंजीगत व्यय** | **2,952(13)** | **4,056(14)** | **4,919(15)** | **4,574(12)** | **6,544(14)** |
| आयोजना | 2,951(100) | 4,055(100) | 4,914(100) | 4,575(100) | 6,535(99.86) |

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| आयोजनेत्तर | 1 | 1 | 5 | (–) 01 | 9(0.14) |
| सामान्य सेवायें | 53(2) | 42(2) | 125(2) | 182(4) | 258(4) |
| सामाजिक सेवायें | 828(24) | 989(24) | 951(24) | 692(15) | 1,560(24) |
| आर्थिक सेवायें | 2,071(74) | 3,025(74) | 3,843(74) | 3,700(81) | 4,727(72) |
| **12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण** | **567(2)** | **1,269(5)** | **1,889(6)** | **1,319(3)** | **89(0.19)** |
| **12(अ) अंतर्राज्यीय समायोजन** | **2** | **4** | **–1** | **5** | **1** |
| **13. योग (10+11+12+12 (अ))** | **22,876** | **27,957** | **33,779** | **38,757** | **46,195** |
| **14. लोक ऋण की अदायगी** | **691(3)** | **853(3)** | **1,039(3)** | **690(2)** | **1,337(3)** |
| आंतरिक ऋण (आर्थोपाय आग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर) | 555(80) | 711(83) | 870(84) | 541(78) | 1,180(88) |
| अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 135(20) | 142(17) | 169(16) | 149(22) | 157(12) |
| **15 आकस्मिकता निधि से विनियोजन** | .. | .. | .. | .. | .. |
| **16 संचित निधि से संवितरण (13+14+15)** | **23,567** | **28,810** | **34,818** | **39,447** | **47,532** |
| **17 आकस्मिकता निधि से संवितरण** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18 लोक लेखा संवितरण** | **26,896** | **32,940** | **38,527** | **43,434** | **49,933** |
| **19.राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)** | **50,463** | **61,750** | **73,345** | **82,881** | **97,465** |
| भाग – स – घाटा | | | | | |
| **20. राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) (1–10)** | **(–) 3,364** | **(–) 3,239** | **(–) 2,606** | **(–) 809** | **(–) 1,573** |
| **21.राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+) (4–13)** | **(–) 410** | **(–) 801** | **(–) 2,655** | **(–) 5,057** | **(–) 8,008** |
| **22. प्राथमिक घाटा (–)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)** | **(–) 1,608** | **(–) 392** | **(–) 1,502** | **(–) 3,706** | **(–) 6,281** |
| भाग – द – अन्य आंकड़े | | | | | |
| **23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)** | **1,198** | **1,193** | **1,153** | **1,351** | **1,727** |
| **24. स्थानीय निकायों आदि को आर्थिक सहायता** | **3401** | **4,607** | **7,044** | **7,651** | **10,573** |
| **25. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष (दिनों में)** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| लिए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिनों में) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| लिए गए अधिविकर्ष (दिनों में) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष पर ब्याज** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)** | **1,19,420** | **1,44,382** | **1,63,461** | **1,85,060** | **2,10,192** |
| **28. बकाया ऋण (वर्षांत)** | **16,581** | **17,103** | **19,268** | **24,902** | **31,181** |
| **29. बकाया प्रत्याभूति (वर्षांत)** | **2,849** | **2,637** | **2,695** | **3,358** | **2,314** |
| **30. प्रत्याभूति दी गई अधिकतम राशि (वर्षांत)** | **5,054** | **7,079** | **6,605** | **7,572** | **9,080** |

| | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या** | **77** | **137** | **146** | **166** | **167** |
| **32.अपूर्ण परियोजनोओं में अवरूद्ध पूंजी** | **887** | **2,042** | **3,110** | **4,198** | **4,824** |
| **भाग – इ – राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक** | | | | | |
| **1. संसाधनों का प्रचलन** | | | | | |
| स्वंय का कर राजस्व / जीएसडीपी (अनुपात) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| स्वंय का कर भिन्न राजस्व / जीएसडीपी (अनुपात) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| केन्द्रीय अंतरण / जीएसडीपी (अनुपात) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 2. **व्यय प्रबंधन** | | | | | |
| कुल व्यय / जीएसडीपी (अनुपात) | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात) | 1.01 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.22 |
| राजस्व व्यय / कुल व्यय (अनुपात) | 0.85 | 0.81 | 0.8 | 0.85 | 0.86 |
| पूंजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| **3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रंबधन** | | | | | |
| राजस्व घाटा (आधिक्य) / जीएसडीपी (अनुपात) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | (–)0.01 |
| राजकोषीय घाटा (–) / आधिक्य (+) / जीएसडीपी (अनुपात) | 0.00 | (–) 0.01 | (–) 0.02 | (–) 0.03 | (–)0.04 |
| प्रारंभिक घाटा / आधिक्य / जीएसडीपी (अनुपात) | (+) 0.01 | 0.00 | (–) 0.01 | (–) 0.02 | (–) 0.03 |
| राजस्व घाटा / आधिक्य / राजकोषीय घाटा (अनुपात) | (+) 8.20 | (–) 4.04 | (–) 0.98 | (+) 0.16 | (+)0.20 |
| **4. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबधन** | | | | | |
| राजकोषीय देनदारियाँ / जीएसडीपी (अनुपात) | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| राजकोषीय देनदारियाँ / आरआर (अनुपात) | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.78 | 0.82 |
| प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा (अनुपात) | 0.93 | 0.29 | 1.72 | 2.71 | 3.58 |
| **5. अन्य राजकोषीय सूचक** | | | | | |
| निवेश पर प्रतिफल (वापसी) | 4.3 | 0.04 | 0.11 | 0.76 | 0.05 |
| चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में) | 8,377 | 10,113 | 11,763 | 9,730 | 12,097 |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ (अनुपात) | 1.43 | 1.6 | 1.66 | 1.48 | 1.36 |

नोटः– 1. जीएसडीपी आंकडों में बदलाव के कारण आकड़े में बदलाव
2. ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्राविजनल)
3. एन.ए. – उपलब्ध नहीं

# परिशिष्ट– 1.4 (अ)
## (संदर्भः कंडिका– 1.1.1 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2 एवं 32)
## (वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार)

(₹ करोड़ में)

| 2013–14 | | प्राप्तियाँ | 2014–15 | | | 2013–14 | | संवितरण | 2014–15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | आयोजनेत्तर | आयोजना | योग |
| **32,050.26** | | **राजस्व प्राप्तियाँ** | | **37,988.01** | | **32,859.58** | | **राजस्व व्यय** | **18,571.28** | **20,990.02** | **39,561.29** |
| | 14,342.71 | कर राजस्व | 15,707.26 | | | | **7,851.15** | **सामान्य सेवायें** | **8,966.39** | **75.19** | **9,041.58** |
| | 5,101.17 | कर भिन्न राजस्व | 4,929.91 | | | | **14,282.10** | **समाजिक सेवायें** | **4,773.90** | **10,614.95** | **15,388.85** |
| | 7,880.22 | संघीय करों में राज्यांश | 8,363.03 | | | | 6,845.46 | शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | 3,194.66 | 6,062.30 | 9,256.96 |
| | 1,415.78 | आयोजनेत्तर अनुदान | 1568.29 | | | | 1,428.57 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 550.42 | 1,548.47 | 2,098.89 |
| | 2,121.47 | राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 6435.44 | | | | 1,434.71 | जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास | 250.43 | 1,305.70 | 1,556.13 |
| | 1,188.91 | केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 984.08 | | | | 69.49 | सूचना एवं प्रसारण | 62.86 | 2.92 | 65.78 |
| | | | | | | | 714.83 | अनूसूचित जातियों/ अनूसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 42.23 | 141.79 | 184.02 |
| | | | | | | | 140.78 | श्रम एवं श्रमिक कल्याण | 69.08 | 104.27 | 173.35 |
| | | | | | | | 3,633.58 | समाजिक कल्याण एवं पोषण | 591..87 | 1,444.00 | 2,035.87 |
| | | | | | | | 14.68 | अन्य | 12.34 | 5.50 | 17.84 |
| | | | | | | **9,755.93** | | **आर्थिक सेवायें** | **3,852.34** | **10,299.88** | **14,152.22** |
| | | | | | | | 5,152.15 | कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप | 1,668.30 | 6,057.58 | 7,725.88 |
| | | | | | | | 2,090.01 | ग्रामीण विकास | 909.21 | 2,678.64 | 3,587.85 |
| | | | | | | | 0 | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | | | 0 |
| | | | | | | | 46.00 | संचार | 0.00 | 76.41 | 76.41 |
| | | | | | | | 416.33 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 245.09 | 206.52 | 451.61 |
| | | | | | | | 495.46 | उर्जा | 0.00 | 936.68 | 936.68 |
| | | | | | | | 467.47 | उद्योग एवं खनिज | 337.06 | 287.62 | 624.68 |
| | | | | | | | 988.99 | परिवहन | 651.07 | 0.78 | 651.85 |
| | | | | | | | 11.14 | विज्ञान प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण | 2.33 | 7.97 | 10.30 |
| | | | | | | | 88.39 | सामान्य आर्थिक सेवायें | 39.28 | 47.67 | 86.95 |
| | | | | | | | 970.39 | **सहायता अनुदान एवं अंशदान** | 978.64 | 0.00 | 978.64 |
| 32,050.26 | | **कुल राजस्व प्राप्तियाँ** | | 37,988.01 | | | 32,859.57 | **कुल राजस्व व्यय** | 18,571.27 | 20,990.02 | 39,561.29 |
| 809.31 | **II** | **अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा** | | 1,573.28 | | | 0 | **अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व आधिक्य** | | | 0 |
| | | **योग** | | **39,561.29** | | | | **योग** | | | **39,561.29** |

| 2013–14 | | प्राप्तियाँ | 2014–15 | | 2013–14 | | संवितरण | 2014–15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | आयोजनेत्तर | आयोजना | योग |
| **2,116.94** | **III** | **स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष** | | **2,735.29** | 0.00 | | **भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7.64** | **IV** | **विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ** | | **3.03** | **4,574.19** | | **पूंजीगत व्यय** | **9.59** | **6,534.66** | **6,544.25** |
| | | | | | **182.42** | | **सामान्य सेवायें** | **9.52** | **248.22** | **257.74** |
| | | | | | **691.96** | | **सामाजिक सेवायें** | **0.07** | **1,559.80** | **1,559.87** |
| | | | | | | 253.34 | शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति | 0.00 | 261.25 | 261.25 |
| | | | | | | 126.99 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 0.00 | 234.46 | 234.46 |
| | | | | | | 84.95 | जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास | 0.00 | 701.68 | 701.68 |
| | | | | | | 0.00 | सूचना एवं प्रसारण | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| | | | | | | 81.93 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग का कल्याण | 0.05 | 215.77 | 215.82 |
| | | | | | | 106.27 | सामाजिक कल्याण एवं पोषण | 0.00 | 94.32 | 94.32 |
| | | | | | | 38.48 | अन्य सामाजिक सेवाएं | 0.00 | 52.32 | 52.32 |
| | | | | | **3,699.81** | | **आर्थिक सेवायें** | **0.00** | **4,726.64** | **4,726.64** |
| | | | | | | 88.89 | कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप | **0.00** | 58.23 | 58.23 |
| | | | | | | 90.71 | ग्रामीण विकास | 0.00 | 457.37 | 457.37 |
| | | | | | | 1,684.35 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 0.00 | 1,538.93 | 1,538.93 |
| | | | | | | 22.00 | उर्जा | 0.00 | 32.50 | 32.50 |
| | | | | | | 8.11 | उद्योग एवं खनिज | 0.00 | 35.84 | 35.84 |
| | | | | | | 1,801.35 | परिवहन | 0.00 | 2,591.37 | 2,591.37 |
| | | | | | | 0.00 | विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 0.00 | 5.90 | 5.90 |
| | | | | | | 4.40 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 0.00 | 6.50 | 6.50 |
| | | | | | **4,574.19** | | **योग पूंजीगत व्यय** | **9.59** | **6,534.66** | **6,544.25** |
| **5.14** | **V** | **अंतर्राज्यीय समाशोधन** | | **0.91** | **5.3** | | **अंतर्राज्यीय समाशोधन** | | | **1.22** |
| **1,637.27** | **VI** | **ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ** | | **194.86** | **1,318.53** | | **ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण** | | | **88.32** |
| | 58.35 | विद्युत परियोजनाओं से | 73.17 | | | 0.00 | विद्युत परियोजनाओं हेतु | | | 0.00 |
| | (–) 0.09 | सरकारी सेवकों से | 0.28 | | | 0.00 | सरकारी सेवकों को | | | 0.00 |
| | 1,579.01 | अन्य से | 121.41 | | | 1318.53 | अन्य को | | | 88.32 |
| **0.00** | **VII** | **लाया गया राजस्व अधिक्य** | | **0.00** | **809.31** | | **लाया गया राजस्व घाटा** | | | **1,573.28** |
| **3,931.89** | **VIII** | **लोक ऋण प्राप्तियाँ** | | **6,439.67** | **689.65** | | **लोक ऋणों का पुनर्भगतान** | | | **1,336.73** |
| 0.00 | | बाह्य ऋण | | 0.00 | 0.00 | | बहाय ऋण | | | 0.00 |
| 3,917.31 | | अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण | | 5,654.94 | 540.56 | | अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण | | | 787.31 |

| 2013–14 | | प्राप्तियाँ | 2014–15 | | 2013–14 | | संवितरण | 2014–15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | आयोजनेत्तर | आयोजना | योग |
| 0.00 | | अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन | | 776.04 | | 0.00 | अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन | | | 392.24 |
| 0.00 | | अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन | | 0.00 | | | | | | |
| 14.59 | | भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | | 8.69 | | 149.09 | भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान | | | 157.18 |
| 0.00 | IX | आकस्मिकता निधि से विनियोग | | 0.00 | | 0.00 | आकस्मिकता निधि से विनियोग | | | 0.00 |
| 0.00 | X | आकस्मिता निधि को स्थानांतरित | | 0.00 | | 0.00 | **आकस्मिता निधि से व्यय** | | | **0.00** |
| **45,867.54** | XI | **लोक लेखा प्राप्तियाँ** | | **51,321.89** | **43,434.15** | | **लोक लेखा संवितरण** | | | **49,933.47** |
| | 882.41 | लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ | 994.91 | | | 617.01 | लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ | | | 551.08 |
| | 824.49 | आरक्षित निधियाँ | 826.76 | | | 422.38 | आरक्षित निधियाँ | | | 463.67 |
| | 29,816.41 | उचंत एवं विविध | 36,997.13 | | | 29,771.48 | उचंत एवं विविध | | | 36,875.78 |
| | 9,105.44 | प्रेषण | 8,550.33 | | | 9,203.47 | प्रेषण | | | 8,356.80 |
| | 5,238.79 | निक्षेप एवं अग्रमि | 4,152.76 | | | 3,419.81 | निक्षेप एवं अग्रिम | | | 3,686.14 |
| 0.00 | XII | **भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण** | **0.00** | 0.00 | **2,735.29** | | **वर्ष के अंत में रोकड़ शेष** | | | **1,218.38** |
| | | | | | | 0.00 | कोषालय में रोकड़ तथा स्थनीय प्रेषण | | | 0.00 |
| | | | | | | (–)46.71 | रिजर्व बैंक के पास निक्षेप | | | (–)134.31 |
| | | | | | | 9.94 | स्थयी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष | | | 10.31 |
| | | | | | | 2,772.06 | रोकड़ शेष निवेश | | | 1,342.38 |
| **53,566.42** | | **योग ब** | | **60,695.65** | **53,566.42** | | **योग ब** | | | **60,695.65** |

## परिशिष्ट–1.4 (निरंतर)

(संदर्भः कंडिका–1.9.1; पृष्ठ 32)

### भाग बः छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2014 की स्थिति | दायित्व | | 31.03.2015 की स्थिति में |
|---|---|---|---|
| **12,943.37** | **आंतरिक ऋण** | | **18,194.80** |
| 6,077.93 | ब्याज सहित बजार ऋण | 9,885.57 | |
| 2.11 | ब्याज रहित बजार ऋण | 2.11 | |
| 20.29 | भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण | 20.29 | |
| 6,843.04 | अन्य संस्थाओं से ऋण | 7,903.03 | |
| 0.00 | अर्थोपाय अग्रिम | 383.80 | |
| 0.00 | भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण | 0.00 | |
| **2,002.87** | **केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम** | | **1,854.38** |
| 0.68 | 1984–85 से पूर्व के ऋण | 0.68 | |
| 5.88 | आयोजनेत्तर ऋण | 3.50 | |
| 1,996.35 | राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 1,850.24 | |
| 0.19 | केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 0.19 | |
| (–)0.23 | केन्द्र प्रवर्तित योजाओं के लिए ऋण | (–)0.23 | |
| **40.00** | **आकस्मिकता निधि** | | **40.00** |
| **3,202.62** | **लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि** | | **3,648.09** |
| **5,170.24** | **निक्षेप** | | **5,636.85** |
| **2,827.44** | **आरक्षित निधियाँ** | | **3,190.53** |
| **183.69** | **उचंत एवं विविध शेष** | | **105.06** |
| **26,370.23** | **योग** | | **32,669.71** |
| **34,281.67** | **अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय** | | **41,556.06** |
| 1,866.44 | कम्पनियाँ निगमों इत्यादि में निवेश | 1,872.53 | |
| 32,415.23 | अन्य पूंजीगत व्यय | 39,683.53 | |
| **1,545.98** | **ऋण एवं अग्रिम** | | **1,439.45** |
| 181.88 | विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण | 108.71 | |
| 1,211.10 | अन्य विकास ऋण | 1,168.01 | |
| 153.00 | सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण | 162.73 | |
| **1,244.57** | **आरक्षित निधि में निवेश** | | **1,343.63** |
| 1.96 | **अग्रिम** | | **1.95** |
| 538.30 | **प्रेषण शेष** | | **344.78** |
| **0.00** | **आस्मिकता निधि** | | **0.00** |
| **1,490.72** | **नगदी** | | **(–)125.26** |
| 0.00 | कोषालय में रोकड़ एवं स्थनीय प्रेषण | 0.00 | |
| (–)46.71 | रिजर्व बैंक में निक्षेप | (–)134.31 | |
| 9.63 | विभागीय नगदी शेष अचल | 9.98 | |
| 0.31 | स्थायी अग्रिम | 0.33 | |
| 1,527.49 | नगदी शेष निवेश | (–)1.26 | |
| **(–)12,732.97** | **सरकारी लेखे में घाटा** | | **(–)11,890.90** |
| 809.31 | (1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य | 1,573.28 | |
| 1.73 | (2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन | (–)731.21 | |
| (–)13,544.01 | वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा | (–)12,732.97 | |
| **26,370.23** | **योग** | | **32,669.71** |

## परिशिष्ट–1.5
(संदर्भः कंडिका–1.1.3, 1.3.1; पृष्ठ 5 तथा 12)
### वर्ष 2014–15 के बजट आंकलन के विरूद्ध वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | बजट आकलन 2014–15 | वास्तविक आंकड़े | वृद्धि (+) कमी (–) | वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| **राजस्व प्राप्तियाँ** | **48,654.29** | **37,988.01** | (–)10,666.28 | (–)21.92 |
| **कर राजस्व** | **17,926.25** | **15,707.26** | (–)2,218.99 | (–)12.38 |
| विक्रय, व्यापार आदि पर कर | 9,800.00 | 8,428.61 | (–)1,371.39 | (–)13.99 |
| राज्य आबकारी | 3,150.00 | 2,892.45 | (–)257.55 | (–)8.18 |
| वाहनों पर कर | 800.00 | 703.48 | (–)96.52 | (–)12.07 |
| मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क | 1,250.00 | 1,023.33 | (–)226.67 | (–)18.13 |
| सामग्री एवं यात्रियों पर कर | 1,335.00 | 981.88 | (–)353.12 | (–)26.45 |
| भूमि कर | 460.00 | 331.56 | (–)128.44 | (–)27.92 |
| शुल्कों एवं विद्युत पर कर | 1,100.00 | 1,312.93 | 212.93 | 19.36 |
| अन्य कर | 31.25 | 33.02 | 1.77 | 5.66 |
| **कर भिन्न राजस्व** | **6,184.62** | **4,929.91** | (–)1,254.71 | (–)20.29 |
| **संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश** | **9,881.39** | **8,363.03** | (–)1,518.36 | (–)15.37 |
| **भारत सरकार से सहायता अनुदान** | **14,662.03** | **8,987.81** | (–)5,674.22 | (–)38.70 |
| **राजस्व व्यय** | **46,190.78** | **39,561.29** | (–)6,629.49 | (–)14.35 |
| **सामान्य सेवा** | **8,539.66** | **9,041.58** | 501.92 | 5.88 |
| राज्य के अंग | 476.91 | 336.42 | (–)140.49 | (–)29.46 |
| राजकोषीय सेवायें | 792.45 | 613.42 | (–)179.03 | (–)22.59 |
| ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन | 1,922.20 | 1,826.62 | (–)95.58 | (–)4.97 |
| प्रशासनिक सेवायें | 2,842.71 | 3,015.43 | 172.72 | 6.08 |
| पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें | 2,505.40 | 3,249.68 | (–)5,289.98 | (–)61.95 |
| **सामाजिक सेवायें** | **18,751.57** | **15,388.85** | (–)3,362.72 | (–)17.93 |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 10,771.02 | 9,256.96 | (–)1,514.06 | (–)14.06 |
| स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 2,634.24 | 2,098.89 | (–)535.35 | (–)20.32 |
| जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 2,341.47 | 1,556.13 | (–)785.34 | (–)33.54 |
| सूचना एवं प्रोद्यौगिकी | 69.84 | 65.79 | (–)4.05 | (–)5.80 |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का कल्याण | 243.37 | 184.01 | (–)59.36 | (–)24.39 |
| श्रमिक तथा श्रम कल्याण | 228.74 | 173.36 | (–)55.38 | (–)24.21 |
| सामाजिक कल्याण एवं पोषाण | 2,442.39 | 2,035.87 | (–)406.52 | (–)16.64 |
| अन्य | 20.50 | 17.84 | (–)2.66 | (–)12.98 |
| **आर्थिक सेवायें** | **17,918.85** | **14,152.22** | (–)3,766.63 | (–)21.02 |
| कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप | 10,077.83 | 7,725.88 | (–)2,351.95 | (–)23.34 |
| ग्राम विकास | 5,125.46 | 3,587.85 | (–)1,537.61 | (–)30.00 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 339.00 | 451.61 | 112.61 | 33.22 |
| उर्जा | 515.36 | 936.68 | 421.32 | 81.75 |
| उद्योग एवं खनिज | 684.53 | 624.69 | (–)59.84 | (–)8.74 |
| परिवहन | 938.63 | 651.85 | (–)286.78 | (–)30.55 |
| संचार | 112.32 | 76.41 | (–)35.91 | (–)31.97 |
| विज्ञान, प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण | 12.80 | 10.30 | (–)2.50 | (–)19.53 |
| सामान्य आर्थिक सेवायें | 112.92 | 86.96 | (–)25.96 | (–)22.99 |
| **सहायता अनुदान एवं अंशदान** | **980.70** | **978.64** | (–)2.06 | (–)0.21 |
| **पूंजीगत व्यय जिसमें** | **8,347.27** | **6,544.25** | (–)1,803.02 | (–)21.60 |

| विवरण | बजट आकलन 2014–15 | वास्तविक आंकड़े | वृद्धि (+) कमी (–) | वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| **सामान्य सेवायें** | **263.29** | **257.74** | (–)5.55 | (–)2.11 |
| **सामाजिक सेवायें** | **2,050.56** | **1,559.88** | (–)490.68 | (–)23.93 |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 436.50 | 261.26 | (–)175.24 | (–)40.15 |
| **विवरण** | **बजट आंकलन 2014–15** | **वास्तविक आंकड़े** | **वद्धि (+) कमी (–)** | **वद्धि एवं कमी का प्रविशत** |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 294.60 | 234.46 | (–)60.14 | (–)20.41 |
| जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास | 814.63 | 701.68 | (–)112.95 | (–)13.87 |
| सूचना तथा प्रसार | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनतातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 295.57 | 215.82 | (–)79.75 | (–)26.98 |
| सामाजिक कल्याण तथा पोषाण | 147.24 | 94.32 | (–)52.92 | (–)35.94 |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | 62.01 | 52.32 | (–)9.69 | (–)15.63 |
| **आर्थिक सेवाएं** | 6,033.41 | 4,726.63 | (–)1,306.78 | (–)21.66 |
| कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप | 133.81 | 58.23 | (–)75.58 | (–)56.48 |
| ग्रामीण विकास | 448.30 | 457.37 | 9.07 | 2.02 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1,992.31 | 1,538.93 | (–)453.38 | (–)22.76 |
| उर्जा | 65.00 | 32.50 | (–)32.50 | (–)50.00 |
| उद्योग एवं खनिज | 39.27 | 35.84 | (–)3.43 | (–)8.73 |
| परिवहन | 3,331.82 | 2,591.36 | (–)740.46 | (–)22.22 |
| विज्ञान प्रौद्यगिकी एवं पर्यावरण | 4.90 | 5.90 | 1.00 | 20.41 |
| सामान्य आर्थिक सेवाएं | 18.00 | 6.50 | (–)11.50 | (–)63.89 |
| **राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)** | 2,463.51 | (–)1,573.28 | (–)4,036.79 | (–)163.86 |
| **राजकोषीय घाटा (–)** | (–)5,760.93 | (–)8,008.27 | (–)2,247.34 | 39.01 |
| **प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (–)** | (–)3,938.73 | (–)6,281.65 | (–)2,342.92 | 59.48 |

## परिशिष्ट–1.6
(संदर्भः कंडिका–1.1.4; पृष्ठः 6)
### वर्ष 2014–15 के दौरान महिलाओं के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

| संं.क्र | योजनाओं के नाम | बजट अनुमान (जेंडर बजट) | विनियोग लेखे के अनुसार कुल प्रावधान | व्यय | बचत (–)/ आधिक्य(+) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महिला खेलकूद प्रतियोगिता | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 0.01 |
| 2 | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण | 4.81 | 5.46 | 3.66 | (–)1.80 |
| 3 | परिचारकों का प्रशिक्षण | 6.07 | 9.57 | 3.45 | (–)6.12 |
| 4 | कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना | 26.46 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
| 5 | छात्रा प्रोत्साहन योजना | 8.50 | 8.50 | 0.00 | (–)8.50 |
| 6 | हाई स्कूल छात्राओं को निःशुल्क साईकल प्रदाय | 91.28 | 4.74 | 4.35 | (–)0.39 |
| 7 | इंदिरा आवास योजना | 424.60 | 537.85 | 540.19 | 2.34 |
| 8 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना | 132.40 | 71.39 | 44.72 | (–)26.67 |
| 9 | कन्या शिक्षा परिसर | 1.24 | 6.52 | 6.55 | 0.03 |
| 10 | निःशुल्क पाठय पुस्तकों का प्रदाय | 19.40 | 61.55 | 61.59 | 0.04 |
| 11 | छात्राओं के लिए शाला गणवेश | 30.00 | 48.28 | 48.23 | (–)0.05 |
| 12 | नर्सिंग पाठ्य क्रम | 11.70 | 8.93 | 8.92 | (–)0.01 |
| 13 | छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएं | 0.85 | 3.33 | 3.32 | (–)0.01 |
| 14 | अंध, मूक एवं बधिरों के लिए स्कूल एवं संस्थाएं | 2.87 | 9.34 | 9.38 | 0.04 |
| 15 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन | 49.75 | 51.45 | 47.78 | (–)3.67 |
| 16 | नया गैस कनेक्शन के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता | 0.25 | 0.25 | 0.08 | (–)0.17 |
| 17 | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | 13.00 | 11.11 | 11.04 | (–)0.07 |
| 18 | दिशा दर्शन | 1.25 | 0.87 | 1.14 | 0.27 |
| 19 | स्वैच्छिक महिला कल्याण संस्थान को सहायता अनुदान | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 20 | आयुष्मति योजना | 1.25 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 21 | महिला जागृति शिविर | 3.60 | 1.46 | 2.45 | 0.99 |
| 22 | किशोरी शक्ति योजना | 1.45 | 0.99 | 0.97 | (–)0.02 |
| 23 | सबला योजना | 83.94 | 80.89 | 79.49 | (–)1.40 |
| 24 | मूल नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रम द्वारा लोक स्वास्थ्य का एकीकरण | 11.47 | 17.79 | 11.43 | (–)6.36 |
| **योग** | | **927.49** | **951.81** | **900.29** | |

## परिशिष्ट– 2.1(अ)

*(संदर्भ: कंडिका–2.4.1; पृष्ठ–47)*

### विवरण जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹करोड़ में)

| संं.कं. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | कुल अनुदान/विनियोग का नाम | बचत | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **अ–राजस्व दतमत** | | | | | |
| 1 | 8 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 544.44 | 176.70 | 32.46 |
| 2 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 344.32 | 112.34 | 32.63 |
| 3 | 17 | सहकारिता | 114.92 | 36.99 | 32.19 |
| 4 | 18 | श्रम | 114.93 | 60.55 | 52.68 |
| 5 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 112.14 | 44.96 | 40.09 |
| 6 | 24 | लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल | 740.88 | 308.45 | 41.63 |
| 7 | 28 | राज्य विधान मंडल | 39.43 | 10.72 | 27.19 |
| 8 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 300.41 | 86.33 | 28.73 |
| 9 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय | 2,248.03 | 748.51 | 33.30 |
| 10 | 36 | परिवहन | 46.83 | 17.13 | 36.58 |
| 11 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 2,174.70 | 665.56 | 30.60 |
| 12 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 8,304.36 | 2,393.70 | 28.82 |
| 13 | 43 | खेल एवं युवा कल्याण | 58.21 | 43.23 | 74.27 |
| 14 | 44 | उच्च शिक्षा | 568.30 | 186.97 | 32.90 |
| 15 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 286.00 | 108.35 | 37.88 |
| 16 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 818.23 | 229.20 | 28.01 |
| 17 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 434.16 | 116.51 | 26.84 |
| 18 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 3,012.09 | 932.09 | 30.94 |
| 19 | 65 | विमानन विभाग | 22.63 | 10.43 | 46.09 |
| 20 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 204.48 | 48.05 | 23.50 |
| 21 | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण | 647.77 | 454.03 | 70.09 |
| 22 | 71 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी | 145.69 | 77.29 | 53.05 |
| **योग अ** | | | **21,282.95** | **6,868.09** | |
| **ब– पूंजीगत दतमत** | | | | | |
| 23 | 8 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 68.90 | 59.60 | 86.50 |
| 24 | 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 255.00 | 152.50 | 59.80 |
| 25 | 13 | कृषि | 15.20 | 15.20 | 100.00 |
| 26 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 59.60 | 55.61 | 93.31 |
| 27 | 17 | सहकारिता | 28.90 | 11.10 | 38.41 |
| 28 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 58.51 | 20.42 | 34.90 |
| 29 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 347.05 | 209.40 | 60.34 |
| 30 | 25 | खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय | 265.81 | 227.78 | 85.69 |
| 31 | 27 | स्कूल शिक्षा | 45.13 | 30.39 | 67.34 |
| 32 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय | 763.55 | 203.50 | 26.65 |
| 33 | 37 | पर्यटन | 18.00 | 11.50 | 63.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 56.40 | 46.31 | 82.11 |
| 35 | 40 | आयाकट विभाग से संबंधित व्यय | 63.80 | 40.94 | 64.17 |
| 36 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 1,948.85 | 808.73 | 41.50 |
| 37 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 68.60 | 36.47 | 53.16 |
| 38 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 51.62 | 25.28 | 48.97 |
| 39 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 859.70 | 218.11 | 25.37 |
| 40 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन | 231.75 | 46.83 | 20.21 |
| 41 | 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 153.83 | 53.25 | 34.62 |
| 42 | 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 300.00 | 281.24 | 93.75 |
| 43 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 41.00 | 10.15 | 24.76 |
| **योग ब** | | | **5,701.20** | **2,564.31** | |
| **स– राजस्व भारित** | | | | | |
| 44 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 41.32 | 13.02 | 31.51 |
| **योग स** | | | **41.32** | **13.02** | |
| **कुल योग (अ+ब+स)** | | | **27,025.47** | **9,445.42** | |

## *परिशिष्ट 2.1 (ब)*
## *(संदर्भ: कंडिका–2.4.1; पृष्ठ–48)*
## वर्ष 2014–15 के दौरान सारभूत बचतें (20 करोड़ एवं उससे अधिक) का उप–शीर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

| सं.क्रं | मुख्य शीर्ष | योजनाओं का नाम | बचत | कारण |
|---|---|---|---|---|
| **06–वित्त विभाग से संबंधित व्यय** | | | | |
| 1 | 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | अवकाश उपदान | 29.39 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार क्लयाण** | | | | |
| 2 | 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना | 125.71 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 3 | | राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना | 30.06 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी** | | | | |
| 4 | 2215–जलपूर्ति तथा सफाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना | 24.27 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **24–लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल** | | | | |
| 5 | 3054–सड़क तथा सेतु | नवीनीकरण | 52.03 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 6 | | मुख्य शीर्ष 2059–लोक निर्माण | 85.70 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 7 | | केंद्रीय सड़क निधि | 32.00 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 8 | 5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | नाबार्ड ऋण सहायता से ग्रामीण सड़क निर्माण | 48.23 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 9 | | न्युनतम सेवा के आधार से ग्रामीण सड़क निर्माण | 27.91 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **30–पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय** | | | | |
| 10 | 5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना | 32.80 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 11 | | मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना | 23.39 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय** | | | | |
| 12 | 2408–खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार | मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना | 598.90 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 13 | | मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना | 20.94 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 14 | 6408–खाद्य, भाण्डागार तथा भण्डागार के लिए ऋण | नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण | 35.47 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना** | | | | |
| 15 | 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | 27.56 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 16 | 2215–जलपूर्ति तथा सफाई | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना | 48.69 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 17 | 2408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार | मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना | 532.00 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 18 | | अन्तदया अन्न योजना के अधीन ग्राम वितरण | 170.03 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 19 | | मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना | 42.67 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 20 | 5054–सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना | 31.56 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 21 | | मुख्यमंत्री गौरव एवं पथ योजना | 34.10 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |

| संक्रं | मुख्य शीर्ष | योजनाओं का नाम | बचत | कारण |
|---|---|---|---|---|
| **42–खेल एवं युवा कल्याण** | | | | |
| 22 | 5054–सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | वृहद सेतुओं का निर्माण | 23.22 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 23 | | न्युनतम आवश्यक योजना | 50.62 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **48–तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान** | | | | |
| 24 | 4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय | तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान | 39.47 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना** | | | | |
| 25 | 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 43.62 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 26 | 2408–खाद्य, भण्डागार | *मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना* | 268.00 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **67–लोक निर्माण कार्य–भवन** | | | | |
| 27 | 2216–आवास | मुख्य शीर्ष 2059–लोक निर्माण | 24.64 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **76–लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं** | | | | |
| 28 | 5054–सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट फेज–II | 60.65 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 29 | | छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट फेज–II | 110.25 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| 30 | | छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट फेज–II | 110.34 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |
| **82–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता** | | | | |
| 31 | 2202–सामान्य शिक्षा | शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मुलभुत न्युनतम सेवाओं के लिये | 34.29 | सूचना अप्राप्त (जुलाई–2015) |

## परिशिष्ट– 2.2

*(संदर्भ: कंडिका–2.4.4; पृष्ठ–49)*

### अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का विवरण जहाँ प्रावधान में अतिरिक्त व्यय, ₹ 10 करोड़ से ज्यादा था।

(₹ करोड़ में)

| सं.कं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | योजना का नाम | कुल प्रावधान | व्यय | आधिक्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | लोक ऋण | 6003–110–779–कमियो की पूर्ति के लिए अग्रिम | 285.00 | 392.24 | 107.24 |
| 2 | 03–पुलिस | 2055–104–0701–केंद्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7307–विशिष्ट अधोसंरचना योजना | 5.52 | 21.27 | 15.75 |
| 3 | | 2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना) | 1,164.32 | 1,176.60 | 12.28 |
| 4 | 06–वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 2071–01–101–2413–सेवानिवृत वेतनभोगीयों को देय | 1,450.00 | 2,003.51 | 553.51 |
| 5 | | 2071–01–105–2514–परिवार पेंशन | 410.56 | 608.97 | 198.41 |
| 6 | 13–कृषि | 2401–001–119–अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अगला) | 175.91 | 190.06 | 14.15 |
| 7 | | 2401–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8541–धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन। | 4.73 | 17.50 | 12.77 |
| 8 | 15–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2202–02–789–196–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्युनतम सेवाओं के लिए | 19.96 | 34.62 | 14.66 |
| 9 | 30–पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय | 2505–60–196–0701–केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6728–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। | 796.67 | 851.67 | 55.00 |
| 10 | 33–आदिम जाति कल्याण | 2202–02–109–3492–माध्यमिक शालाएं | 548.00 | 581.38 | 33.38 |
| 11 | | 2202–02–109–583–उच्चतर माध्यमिक शालाएं | 157.24 | 196.10 | 38.86 |
| 12 | 41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 2202–02–796–109–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 583–उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 36.05 | 47.15 | 11.10 |
| 13 | | 2505–60–796–0702–केंद्रीय प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6728–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 605.47 | 647.27 | 41.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 48–तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 4216–01–106–1302–वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7416–तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान | 20.40 | 59.87 | 39.47 |
| 15 | 49–अनुसूचित जाति का कल्याण | 2202–02–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 3673–राज्य छात्रवृत्तियां | 25.68 | 37.41 | 11.73 |
| 16 | 64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 5054–04–789–337–0803–केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4855–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। | 32.49 | 45.16 | 12.67 |
| 17 | | 5054–04–789–337–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 9002–अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों का निर्माण | 163.00 | 173.28 | 10.28 |
| 18 | 71–सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी | 3275–800–0701–केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6818–स्वान परियोजना | 3.09 | 16.10 | 13.01 |
| 19 | 82–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2202–01–796–197–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए | 523.71 | 540.79 | 17.08 |
| **योग** | | | **6,427.80** | **7,640.95** | **1,213.15** |

## *परिशिष्ट–2.3*

*(संदर्भ: कंडिका–2.4.5; पृष्ठ–50)*

### प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान के ₹ 10 करोड़ या उससे ज्यादा अनुपयोगी रहे

(₹ करोड़ में)

| सं.कं | अनुदान संख्या | अनुदानों/विनियोगों का नाम | योजना का नाम | कुल प्रावधान | अप्रयुक्त प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | | लोक ऋण | 6003–110–637–उपाय तथा साधन अग्रिम | 142.50 | 142.50 |
| 2 | 08 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 2029–797–6754–अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण | 125.40 | 125.40 |
| 3 | 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 2810–02–102–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8670–सोलर लेम्प/सोलर स्टडी लेम्प का नि:शुल्क प्रदाय | 25.00 | 25.00 |
| 4 | | | 6801–190–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 7498–पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी | 125.00 | 125.00 |
| 5 | 13 | कृषि | 6401–105–0101– राज्य आयोजना (सामान्य) 7283–छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता | 15.00 | 15.00 |
| 6 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 4403–109–0311–नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) 7403–पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2210–01–200–0701–केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य 7463–कैन्सर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात रोगों की रोकथाम | 13.10 | 13.10 |
| 8 | | | 2210–01–200–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8649–मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम | 21.00 | 21.00 |
| 9 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 2210–01–796–200–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8649– मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम | 16.00 | 16.00 |
| 10 | | | 2401–796–110–0102– अनुसूचित जनजाति उपयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) | 19.00 | 19.00 |
| 11 | | | 4202–01–796–202–1002– अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 1400– | 35.00 | 35.00 |
| 12 | | | 4215–01–796–102–0312–नाबार्ड सहायित परियोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5403–ग्रामीण पाईप जल प्रदाय योजना | 15.00 | 15.00 |
| 13 | | | 6401–796–105–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7283–छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण | 11.40 | 11.40 |
| 14 | | | 6408–02–796–190–0312–नाबार्ड प्रवर्तित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8545–नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण | 19.00 | 19.00 |
| 15 | | | 6801–796–190–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7498–पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी | 95.00 | 95.00 |
| 16 | 43 | खेल एवं युवा कल्याण | 2204–103–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8923–मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना | 10.00 | 10.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 2245–01–800–1467– जिला एवं अन्य सड़कें | 20.00 | 20.00 |
| 18 | | | 2245–01–800–3819– लघु सिंचाई (कृषि) | 12.00 | 12.00 |
| 19 | | | 2245–05–101–4849–राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण | 30.00 | 30.00 |
| 20 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 2217–80–789–191–1003–अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6741–नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन | 50.00 | 50.00 |
| 21 | | | 2217–80–789–191–0703–केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8630–राजीव आवास योजना | 50.00 | 50.00 |
| 22 | | | 6801–789–190–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7498–पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पाद/वितरण कम्पनी | 30.00 | 30.00 |
| 23 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 2202–02–109–0801–केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 2675–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ | 15.69 | 15.69 |
| 24 | | | 2225–04–277–0701– केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6938–अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति | 10.00 | 10.00 |
| **योग** | | | | **955.09** | **955.09** |

## *परिशिष्ट–2.4*

*(संदर्भः कंडिका–2.4.6; पृष्ठ 50)*

### प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | मूल प्रावधान | वास्तविक व्यय | मूल प्रावधान से बचत | अनुपूरक अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **अ–राजस्व दत्तमत्त** | | | | | | |
| 1 | 1 | सामान्य प्रशासन | 153.12 | 139.53 | 13.59 | 12.37 |
| 2 | 4 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 18.35 | 14.71 | 3.64 | 3.05 |
| 3 | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | 181.36 | 165.49 | 15.87 | 5.94 |
| 4 | 8 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 537.65 | 367.74 | 169.91 | 6.79 |
| 5 | 10 | वन | 774.69 | 727.38 | 47.31 | 10.34 |
| 6 | 13 | कृषि | 1,932.88 | 1,760.42 | 172.46 | 31.81 |
| 7 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 307.31 | 258.27 | 49.04 | 12.17 |
| 8 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 317.36 | 231.98 | 85.38 | 26.96 |
| 9 | 16 | मछली पालन | 41.34 | 41.29 | 0.05 | 4.37 |
| 10 | 17 | सहकारिता | 110.37 | 77.93 | 32.44 | 4.55 |
| 11 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 1,193.00 | 997.37 | 195.63 | 45.50 |
| 12 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 440.37 | 378.52 | 61.85 | 28.18 |
| 13 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 107.96 | 67.18 | 40.78 | 4.18 |
| 14 | 24 | लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल | 608.13 | 432.43 | 175.70 | 132.75 |
| 15 | 27 | स्कूल शिक्षा | 3,091.04 | 2,551.20 | 539.84 | 34.73 |
| 16 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 299.07 | 214.08 | 84.99 | 1.34 |
| 17 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 2,141.34 | 1,499.51 | 641.83 | 106.69 |
| 18 | 36 | परिवहन | 45.73 | 29.70 | 16.03 | 1.10 |
| 19 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 2,173.50 | 1,509.14 | 664.34 | 1.20 |
| 20 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 7,855.39 | 5,910.66 | 1,944.73 | 448.96 |
| 21 | 44 | उच्च शिक्षा | 514.60 | 381.33 | 133.27 | 53.70 |
| 22 | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 57.72 | 53.98 | 3.74 | 3.66 |
| 23 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 219.94 | 177.66 | 42.28 | 66.06 |
| 24 | 48 | तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 493.27 | 424.26 | 69.01 | 11.68 |
| 25 | 53 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 21.30 | 17.71 | 3.59 | 2.21 |
| 26 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 772.36 | 589.03 | 183.33 | 45.87 |
| 27 | 56 | ग्रामोद्योग | 73.49 | 62.05 | 11.44 | 2.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 432.86 | 317.65 | 115.21 | 1.30 |
| 29 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 2,840.07 | 2,080.00 | 760.07 | 172.01 |
| 30 | 65 | विमानन विभाग | 21.13 | 12.20 | 8.93 | 1.50 |
| 31 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 184.74 | 156.42 | 28.32 | 19.73 |
| 32 | 67 | लोक निर्माण कार्य–भवन | 416.09 | 375.47 | 40.62 | 31.33 |
| 33 | 71 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी | 95.32 | 68.40 | 26.92 | 50.37 |
| 34 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 356.80 | 293.19 | 63.61 | 4.50 |
| 35 | 80 | त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 3,516.40 | 3,200.78 | 315.62 | 205.46 |
| 36 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 1,384.68 | 1,221.35 | 163.33 | 93.68 |
| 37 | 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2,058.98 | 1,784.67 | 274.31 | 89.86 |
| **योग अ** | | | **35,789.71** | **28,590.68** | **7,199.01** | **1,778.37** |
| **ब–पूंजीगत दत्तमत्त** | | | | | | |
| 38 | 8 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 55.40 | 9.30 | 46.10 | 13.50 |
| 39 | 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 130.00 | 102.50 | 27.50 | 125.00 |
| 40 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 44.51 | 38.09 | 6.42 | 14.00 |
| 41 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 336.05 | 137.65 | 198.40 | 11.00 |
| 42 | 23 | जल संसाधन विभाग | 392.25 | 369.57 | 22.68 | 16.00 |
| 43 | 24 | लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल | 1,081.19 | 1,009.28 | 71.91 | 6.10 |
| 44 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 656.05 | 560.05 | 96.00 | 107.50 |
| 45 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 1,714.65 | 1,140.12 | 574.53 | 234.20 |
| 46 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 790.00 | 641.59 | 148.41 | 69.70 |
| 47 | 67 | लोक निर्माण कार्य–भवन | 362.34 | 316.70 | 45.64 | 11.16 |
| 48 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन | 230.25 | 184.93 | 45.32 | 1.50 |
| 49 | 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 138.83 | 100.58 | 38.25 | 15.00 |
| 50 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 39.50 | 30.85 | 8.65 | 1.50 |
| **योग ब** | | | **5,971.02** | **4,641.21** | **1,329.81** | **626.16** |
| **महायोग (अ+ब)** | | | **41,760.73** | **33,231.89** | **8,528.82** | **2,404.53** |

*परिशिष्ट–2.5*

*(संदर्भ: कंडिका–2.4.6; पृष्ठ–50)*

## प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान आधिक्य साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

| सं.क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदानों/विनियोगों के नाम | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **अ–राजस्व दत्तमत्त** | | | | | | |
| 1 | 03 | पुलिस | 2,207.38 | 176.21 | 2,298.86 | 84.73 |
| 2 | 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 292.67 | 232.13 | 498.12 | 26.68 |
| 3 | 32 | जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय | 88.75 | 4.50 | 89.59 | 3.66 |
| **योग अ** | | | **2,588.80** | **412.84** | **2,886.57** | **115.07** |
| **ब–पूंजीगत दत्तमत्त** | | | | | | |
| 4 | 48 | तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 326.77 | 32.76 | 329.64 | 29.89 |
| 5 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 8.62 | 14.24 | 17.80 | 5.06 |
| 6 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 123.50 | 50.00 | 168.80 | 4.70 |
| **योग ब** | | | **458.89** | **97.00** | **516.24** | **39.65** |
| **योग (अ+ब)** | | | **3,047.69** | **509.84** | **3,402.81** | **154.72** |

## परिशिष्ट–2.6
## (संदर्भ: कंडिका–2.4.7; पृष्ठ 50)
## निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन
## (जहाँ आधिक्य/बचत ₹10 करोड़ से अधिक है)

(₹ करोड़ में)

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखे का शीर्ष | कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक) | पुनर्विनियोजन | अंतिम आधिक्य (+)/बचत (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | लोक ऋण | 6003–110–779–कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम | 142.50 | 142.50 | (–) 107.24 |
| 2 | 03–पुलिस | 2055–104–0801– केंद्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7307–विशेष अधोसंरचना | 20.00 | (–) 3.13 | (–) 15.77 |
| 3 | | 2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना) | 1,157.55 | 6.77 | (–) 12.28 |
| 4 | 10–वन | 2406–01–101–3877–क्षेत्रीय वन मंडल | 301.37 | 0.440 | (–) 16.48 |
| 5 | | 2406–01–203–5641–वन प्रबंधन समितियां | 30.00 | 2.40 | (–) 12.16 |
| 6 | 13–कृषि | 2401–001–119–अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला) | 179.16 | (–) 3.25 | (–) 14.15 |
| 7 | | 2401–109–0701– केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7269–एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन | 0.00 | 24.44 | (–) 15.90 |
| 8 | | 2401–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 8541–धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन | 5.00 | (–) 0.27 | (–) 12.78 |
| 9 | 15–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2202–02–789–196–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये | 31.00 | (–) 11.04 | (+) 14.66 |
| 10 | 30–पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 2515–101–2474–पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार | 80.75 | (–) 27.62 | (–) 14.43 |
| 11 | | 5054–04–337–0311–नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य) 8650–मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना | 225.00 | (–) 76.00 | (–) 32.80 |
| 12 | | 5054–04–337–0311– नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य) 7475– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना | 252.50 | 48.50 | (–) 23.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 33–आदिम जाति कल्याण | 2202–02–109–3492–माध्यमिक शालाएं | 550.00 | (–) 2.00 | (+) 33.38 |
| 14 | | 2202–02–109–583–उच्चतर माध्यामिक शालाएं | 155.20 | 2.04 | (+) 38.86 |
| 15 | | 2202–01–101–495–आश्रम एवं शालाएं | 65.30 | 4.66 | (–) 10.26 |
| 16 | | 2202–02–109–1395–छात्रावास | 85.47 | 2.86 | (–) 13.12 |
| 17 | 41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 2202–02–796–109–0102– अनुसूचित जनजाति उपयोजना 583–उच्चतर माध्यमिक शालाएं | 48.79 | (–) 12.74 | (+) 11.09 |
| 18 | | 2501–06–796–102–0702–केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7490–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 67.03 | (–) 29.86 | (–) 19.67 |
| 19 | | 2505–60–796–196–0702– केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6728–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 1,045.00 | (–) 439.53 | (–) 41.80 |
| 20 | | 5054–04–796–337–0802– केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4855–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 190.00 | (–) 87.11 | (–) 12.67 |
| 21 | | 5054–04–796–337–0312–नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7475–मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजनायें | 188.20 | (–) 45.58 | (–) 31.56 |
| 22 | | 5054–04–796–337–0312– नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8650– मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना | 171.00 | (–) 38.21 | (–) 34.10 |
| 23 | 42–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल | 5054–03–796–101–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4149–वृहद पुलों का निर्माण | 128.00 | (–) 29.00 | (–) 23.22 |
| 24 | | 5054–04–796–337–0102– अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2457–न्युनतम आवश्यक कार्यक्रम | 80.00 | (–) 1.00 | (–) 50.62 |
| 25 | 49–अनुसूचित जाति कल्याण | 2202–02–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 3673–राज्य छात्रवृत्तियाँ | 42.00 | (–) 16.32 | (+) 11.72 |
| 26 | 64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 2505–60–789–196–0703–केंद्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना 6728–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 330.00 | (–) 138.80 | (–) 13.20 |
| 27 | | 4700–02–789–800–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 2898–बांध तथा संलग्न कार्य | 50.10 | (–) 30.16 | (–) 10.00 |
| 28 | | 4702–789–102–0103– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 5059–एनिकट/स्टापडेम का निर्माण | 51.00 | 8.79 | (–) 10.00 |
| 29 | | 5054–04–789–337–0803– केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4855– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 60.00 | (–) 27.51 | (+) 12.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 66–पिछड़ा वर्ग कल्याण | 2202–02–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) 3673–राज्य छात्रवृत्तियाँ | 53.00 | (–) 1.24 | (–) 11.18 |
| 31 | 82–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2202–01–796–197–0702– केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5169–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम | 145.00 | (–) 22.49 | (–) 14.77 |
| 32 | | 2202–02–796–197–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए | 200.00 | (–) 4.87 | (–) 34.29 |
| 33 | | 2202–01–796–197–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8403–शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए | 535.00 | (–) 11.29 | (+) 17.08 |

*परिशिष्ट–2.7*

*(संदर्भ: कंडिका–2.4.8; पृष्ठ–50)*

## वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

## (प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक है)

(₹ करोड़ में)

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | कुल प्रावधान | बचत | समर्पण | अधिक समर्पित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अ–राजस्व दत्तमत्त** | | | | | | |
| 1 | 03 | पुलिस | 2,383.59 | 84.74 | 92.57 | 7.83 |
| 2 | 07 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | 187.30 | 21.81 | 31.29 | 9.48 |
| 3 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 344.32 | 112.34 | 130.35 | 18.01 |
| 4 | 16 | मछली पालन | 45.71 | 4.41 | 5.59 | 1.18 |
| 5 | 23 | जल संसाधन विभाग | 409.75 | 41.63 | 43.07 | 1.44 |
| 6 | 27 | स्कूल शिक्षा | 3,125.77 | 574.58 | 579.84 | 5.26 |
| 7 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 2,248.03 | 748.51 | 805.63 | 57.12 |
| 8 | 34 | समाज कल्याण | 68.06 | 1.35 | 10.94 | 9.59 |
| 9 | 43 | खेल एवं युवा कल्याण | 58.21 | 43.23 | 44.69 | 1.46 |
| 10 | 49 | अनुसूचित जाति कल्याण | 96.52 | 10.59 | 21.40 | 10.81 |
| 11 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 818.23 | 229.20 | 231.41 | 2.21 |
| 12 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 434.16 | 116.51 | 140.18 | 23.67 |
| 13 | 71 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी | 145.69 | 77.29 | 77.79 | 0.50 |
| **योग अ** | | | **10,365.34** | **2,066.19** | **2,214.75** | **148.56** |
| **ब–पूंजीगत दत्तमत्त** | | | | | | |
| 14 | 23 | जल संसाधन विभाग | 408.25 | 38.69 | 40.21 | 1.52 |
| **योग ब** | | | **408.25** | **38.69** | **40.21** | **1.52** |
| **योग (अ+ब)** | | | **10,773.59** | **2,104.88** | **2,254.96** | **150.08** |

## परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका–2.4.9; पृष्ठ–50)

### (वास्तविक बचत से अधिक समर्पण)

### विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्र जहाँ बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) हुई है, परन्तु उसके किसी भी अंश का समर्पण नहीं किया गया है

(₹ करोड़ में)

| सं.क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | बचत |
|---|---|---|---|
| **अ–राजस्व दत्तमत्त** | | | |
| 1 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 241.13 |
| 2 | 24 | लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल | 308.45 |
| 3 | 36 | परिवहन | 17.13 |
| 4 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 665.56 |
| **योग–अ** | | | **1,232.27** |
| **ब–पूंजीगत दत्तमत्त** | | | |
| 5 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 20.42 |
| 6 | 24 | लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल | 78.01 |
| 7 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 46.31 |
| 8 | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल | 81.59 |
| 9 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन | 46.83 |
| 10 | 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 281.24 |
| 11 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 10.15 |
| **योग–ब** | | | **564.55** |
| **योग (अ+ब)** | | | **1,796.82** |

## *परिशिष्ट–2.9*
## *(संदर्भ: कंडिका–2.4.9; पृष्ठ–51)*
## ₹ एक करोड़ एवं अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण

*(₹ करोड़ में)*

| सं. कं. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | बचत | समर्पण | बचत जिसका समर्पण नहीं किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **अ–राजस्व दत्तमत्त** | | | | | |
| 1 | 08 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 176.70 | 166.15 | 10.55 |
| 2 | 09 | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय | 6.44 | 4.46 | 1.98 |
| 3 | 10 | वन | 57.65 | 18.02 | 39.63 |
| 4 | 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 26.69 | 25.00 | 1.69 |
| 5 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 90.03 | 25.14 | 64.89 |
| 6 | 28 | राज्य विधान मंडल | 10.72 | 0.23 | 10.49 |
| 7 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 86.34 | 81.54 | 4.80 |
| 8 | 31 | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय | 8.04 | 2.89 | 5.15 |
| 9 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 2,393.70 | 1,385.04 | 1,008.66 |
| 10 | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 7.41 | 5.89 | 1.52 |
| 11 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 108.35 | 71.57 | 36.78 |
| 12 | 48 | तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 80.68 | 55.86 | 24.82 |
| 13 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 932.09 | 562.85 | 369.24 |
| 14 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 48.05 | 36.37 | 11.68 |
| 15 | 67 | लोक निर्माण कार्य–भवन | 71.96 | 0.003 | 71.95 |
| 16 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 68.11 | 31.03 | 37.08 |
| 17 | 80 | त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 521.08 | 519.13 | 1.95 |
| 18 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 257.01 | 221.45 | 35.56 |
| 19 | 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 364.17 | 324.14 | 40.03 |
| **योग–अ** | | | **5,315.22** | **3,536.76** | **1,778.45** |
| **ब–पूंजीगत दत्तमत्त** | | | | | |
| 20 | 08 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 59.60 | 43.20 | 16.40 |
| 21 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 203.50 | 147.18 | 56.32 |
| 22 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 808.73 | 687.20 | 121.53 |
| 23 | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 95.39 | 88.99 | 6.40 |
| 24 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 36.47 | 19.62 | 16.85 |
| 25 | 48 | तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 29.89 | 6.36 | 23.53 |
| 26 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 218.11 | 197.14 | 20.97 |
| 27 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 5.06 | 0.73 | 4.33 |
| 28 | 67 | लोक निर्माण कार्य–भवन | 56.81 | 0.07 | 56.74 |
| **योग–ब** | | | **1,513.56** | **1,190.49** | **323.07** |
| **स–राजस्व भारित** | | | | | |
| 29 | 01 | सामान्य प्रशासन | 3.72 | 1.72 | 2.00 |
| **योग–स** | | | **3.72** | **1.72** | **2.00** |
| **योग (अ+ब+स)** | | | **6,832.50** | **4,728.97** | **2,103.52** |

## परिशिष्ट–2.10
## (संदर्भ: कंडिका–2.4.9; पृष्ठ–51)
## 31 मार्च 2015 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

| सं. कं. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | कुल प्रावधान | समर्पण | कुल प्रावधान का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| **अ–राजस्व दत्तमत** | | | | | |
| 1 | 01 | सामान्य प्रशासन | 165.49 | 25.36 | 15.32 |
| 2 | 03 | पुलिस | 2,383.59 | 92.57 | 3.88 |
| 3 | 05 | जेल | 101.89 | 14.90 | 14.62 |
| 4 | 06 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 2,632.72 | 45.08 | 1.71 |
| 5 | 07 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | 187.30 | 31.29 | 16.71 |
| 6 | 08 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 544.44 | 166.15 | 30.52 |
| 7 | 10 | वन | 785.03 | 18.02 | 2.30 |
| 8 | 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 109.61 | 15.77 | 14.39 |
| 9 | 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 524.80 | 25.00 | 4.76 |
| 10 | 13 | कृषि | 1,964.69 | 203.82 | 10.37 |
| 11 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 319.48 | 61.23 | 19.17 |
| 12 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 344.32 | 130.35 | 37.86 |
| 13 | 17 | सहकारिता | 114.92 | 37.00 | 32.20 |
| 14 | 18 | श्रम | 114.93 | 60.43 | 52.58 |
| 15 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 468.55 | 25.14 | 5.37 |
| 16 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 112.14 | 44.95 | 40.08 |
| 17 | 23 | जल संसाधन विभाग | 409.75 | 43.07 | 10.51 |
| 18 | 25 | खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय | 304.75 | 43.07 | 14.13 |
| 19 | 27 | स्कूल शिक्षा | 3,125.77 | 579.84 | 18.55 |
| 20 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 300.41 | 81.54 | 27.14 |
| 21 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 2,248.03 | 805.63 | 35.84 |
| 22 | 34 | समाज कल्याण | 68.06 | 10.94 | 16.07 |
| 23 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 8,304.36 | 1385.04 | 16.68 |
| 24 | 43 | खेल एवं युवा कल्याण | 58.21 | 44.69 | 76.77 |
| 25 | 44 | उच्च शिक्षा | 568.30 | 186.70 | 32.85 |
| 26 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 286.00 | 71.57 | 25.02 |
| 27 | 48 | तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 504.94 | 55.86 | 11.06 |
| 28 | 49 | अनुसूचित जाति कल्याण | 96.52 | 21.40 | 22.17 |
| 29 | 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय | 96.00 | 13.50 | 14.06 |
| 30 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 818.23 | 231.41 | 28.28 |
| 31 | 56 | ग्रामोद्योग | 75.96 | 13.77 | 18.13 |
| 32 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 434.16 | 140.18 | 32.29 |
| 33 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 3,012.09 | 562.85 | 18.69 |
| 34 | 65 | विमानन विभाग | 22.63 | 10.41 | 46.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 204.48 | 36.37 | 17.79 |
| 36 | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण | 647.77 | 454.03 | 70.09 |
| 37 | 71 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्यागिकी | 145.69 | 77.79 | 53.39 |
| 38 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 361.30 | 31.03 | 8.59 |
| 39 | 80 | त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 3,721.86 | 519.13 | 13.95 |
| 40 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 1,478.36 | 221.45 | 14.98 |
| 41 | 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2,148.84 | 324.14 | 15.08 |
| **योग–अ** | | | **40,316.37** | **6,962.47** | |
| **ब–पूंजीगत दत्तमत** | | | | | |
| 42 | 08 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | 68.90 | 43.20 | 62.70 |
| 43 | 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 255.00 | 152.50 | 59.80 |
| 44 | 13 | कृषि | 15.20 | 15.20 | 100.00 |
| 45 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 59.60 | 55.61 | 93.31 |
| 46 | 17 | सहकारिता | 28.90 | 11.07 | 38.30 |
| 47 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 347.05 | 209.40 | 60.34 |
| 48 | 23 | जल संसाधन विभाग | 408.25 | 40.21 | 9.85 |
| 49 | 25 | खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय | 265.81 | 227.78 | 85.69 |
| 50 | 27 | स्कूल शिक्षा | 45.13 | 30.39 | 67.34 |
| 51 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 763.55 | 147.18 | 19.28 |
| 52 | 37 | पर्यटन | 18.00 | 11.50 | 63.89 |
| 53 | 40 | आयाकट विभाग से संबंधित व्यय | 63.80 | 40.94 | 64.17 |
| 54 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 1,948.85 | 687.20 | 35.26 |
| 55 | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 541.15 | 89.00 | 16.45 |
| 56 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 68.60 | 19.62 | 28.60 |
| 57 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 51.62 | 25.12 | 48.66 |
| 58 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 859.70 | 197.14 | 22.93 |
| 59 | 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें | 153.83 | 53.18 | 34.57 |
| **योग–ब** | | | **5,962.94** | **2,056.24** | |
| **स–राजस्व भारित** | | | | | |
| 60 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 41.32 | 13.12 | 31.75 |
| **योग–स** | | | **41.32** | **13.12** | |
| **योग (अ+ब+स)** | | | **46,320.63** | **9,031.83** | |

## परिशिष्ट–2.11
## (संदर्भ: कंडिका–2.4.12; पृष्ठ–52)
## विगत वर्षों के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | अनुदानों/विनियोगों की संख्या | अनुदान/विनियोग संस्थाएं | अतिवेग |
|---|---|---|---|
| 2000–01 | 11 अनुदान | 2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 तथा 83 | 10.21 |
| | 2 विनियोग | 6 तथा 24 | |
| 2001–02 | 14 अनुदान | 6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 तथा 83 | 115.90 |
| | 2 विनियोग | 16 तथा 25 | |
| 2002–03 | 8 अनुदान | 10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 तथा 82 | 114.59 |
| | 2 विनियोग | 20 तथा 67 | |
| 2003–04 | 4 अनुदान | 12, 33, 40 तथा 67 | 591.12 |
| | 2 विनियोग | ब्याज भुगतान तथा 6 | |
| 2004–05 | 4 अनुदान | 15, 24, 67 तथा 81 | 133.36 |
| | 5 विनियोग | ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 तथा 42 | |
| 2005–06 | 4 अनुदान | 4, 15, 24 तथा 39 | 23.27 |
| | 2 विनियोग | 6 तथा 23 | |
| 2006–07 | 4 अनुदान | 4, 24, 67 तथा 82 | 5.13 |
| | 1 विनियोग | 33 | |
| 2007–08 | 3 अनुदान | 23, 33 तथा 60 | 15.99 |
| | 3 विनियोग | 13, 24 तथा 36 | |
| 2008–09 | 9 अनुदान | 24, 40, 67, 80, 6, 23, 75, 76 तथा 82 | 115.26 |
| | 1 विनियोग | 23 | |
| 2009–10 | 10 अनुदान | 3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 तथा 80 | 216.77 |
| | 5 विनियोग | 3, 12, 13, 43 तथा 67 | |
| 2010–11 | 22 अनुदान | 1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 तथा ब्याज भुगतान | 293.78 |
| | 6 विनियोग | 1,20,23,29,36 तथा लोक ऋण | |
| 2011–12 | 24 अनुदान | 1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 तथा 83 | 498.09 |
| | 1 विनियोग | 29 | |
| 2012–13 | 2 अनुदान | 40 तथा 45 | 0.96 |
| | 2 विनियोग | 6 तथा 55 | |
| 2013–14 | 3 अनुदान | 06, 12 तथा 60 | 178.96 |
| | 3 विनियोग | 06, 14 तथा 27 | |
| **कुल योग** | | | **2,313.39** |

## *परिशिष्ट–2.12*
## *(संदर्भ: कंडिका–2.4.13; पृष्ठ–52)*
## व्यय का अतिवेग

*(₹ करोड़ में)*

| सं.क्रं. | मुख्य शीर्ष | वर्ष के दौरान कुल व्यय | जनवरी–मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय | मार्च 2015 में किया गया व्यय | निम्नलिखित का कुल व्यय से प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | जनवरी से मार्च 2015 | मार्च 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2013 | 25.78 | 14.26 | 9.03 | 55.31 | 35.03 |
| 2 | 2045 | 206.14 | 201.52 | 200.39 | 97.76 | 97.21 |
| 3 | 2048 | 100.00 | 50.00 | 00 | 50.00 | 0.00 |
| 4 | 2202 | 65.79 | 42.95 | 32.39 | 65.28 | 49.23 |
| 5 | 2216 | 615.36 | 348.91 | 32.31 | 56.70 | 5.25 |
| 6 | 2225 | 184.01 | 123.44 | 95.56 | 67.08 | 51.93 |
| 7 | 2245 | 317.65 | 250.00 | 229.24 | 78.70 | 72.17 |
| 8 | 2250 | 7.21 | 5.69 | 2.44 | 78.92 | 33.84 |
| 9 | 2415 | 89.49 | 50.28 | 30.61 | 56.19 | 34.20 |
| 10 | 2425 | 117.13 | 91.71 | 86.59 | 78.30 | 73.92 |
| 11 | 2852 | 59.36 | 40.96 | 30.05 | 69.00 | 50.62 |
| 12 | 3275 | 76.41 | 50.04 | 50.04 | 65.49 | 65.49 |
| 13 | 3452 | 46.25 | 46.00 | 29.45 | 99.46 | 63.68 |
| 14 | 4055 | 37.38 | 35.22 | 17.31 | 94.22 | 46.31 |
| 15 | 4059 | 220.14 | 110.80 | 57.83 | 50.33 | 26.27 |
| 16 | 4202 | 261.25 | 139.63 | 100.70 | 53.45 | 38.55 |
| 17 | 4210 | 234.46 | 132.86 | 73.80 | 56.67 | 31.48 |
| 18 | 4215 | 31.55 | 27.22 | 19.52 | 86.28 | 61.87 |
| 19 | 4216 | 94.98 | 68.19 | 62.83 | 71.79 | 66.15 |
| 20 | 4225 | 215.82 | 181.81 | 164.84 | 84.24 | 76.38 |
| 21 | 4235 | 94.32 | 90.01 | 60.96 | 95.43 | 64.63 |
| 22 | 4403 | 9.63 | 5.53 | 2.05 | 57.42 | 21.29 |
| 23 | 4515 | 457.37 | 342.74 | 250.03 | 74.94 | 54.67 |
| 24 | 4700 | 470.78 | 262.13 | 61.09 | 55.68 | 12.98 |
| 25 | 4701 | 25.88 | 10.84 | 4.94 | 41.89 | 19.09 |
| 26 | 4705 | 22.86 | 16.25 | 10.04 | 71.08 | 43.92 |
| 27 | 4851 | 30.96 | 22.08 | 16.64 | 71.32 | 53.75 |
| 28 | 5425 | 5.90 | 4.10 | 2.90 | 69.49 | 49.15 |
| 29 | 5452 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 100.00 | 61.54 |
| 30 | 6075 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 50.00 |
| 31 | 6425 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 100.00 | 100.00 |
| **योग** | | **4,177.41** | **2,813.72** | **1,779.63** | | |

## परिशिष्ट–2.13
## (संदर्भ: कंडिका–2.6.6; पृष्ठ–56)
## व्यय के अतिवेग का विस्तृत

(₹ लाख में)

| लेखाओं के शीर्ष | व्यय | अंतिम तिमाही | मार्च |
|---|---|---|---|
| 2047–103–2696–प्रचार | 2.49 | 1.95 (78) | 1.49 (60) |
| 2054–003–5697–कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र | 0.35 | 0.35 (100) | 0.35 (100) |
| 2054–095–8904–लेखा परीक्षा कक्षा का गठन | 23.09 | 16.58 (72) | 4.75 (21) |
| 2071–01–106–600–न्यायालयों के निवृत न्यायधीशों के देयक (भारित) | 30.16 | 18.51 (61) | 8.38 (28) |
| 2885–60–190–4843–अधोसंरचना विकास निगम | 30.00 | 30.00 (100) | 30.00 (100) |

(स्रोतः–विनियोग लेखे 2014–15, बन्धनी में उल्लेखित संख्या कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है)

## *परिशिष्ट–3.1*

*(संदर्भः कंडिका 3.1 पृष्ठ 65)*

## 31 मार्च 2015 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

| सं. कं. | विभाग | | अनुदान भुगतान का वर्ष | कुल अनुदान भुगतान | | उपयोगिता प्रमाण पत्र | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुख्य शीर्ष | नाम | | | | प्राप्त | | अप्राप्त | |
| | | | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2011 | राज्य मंत्रीमंडल | 2007–2008 | 29 | 129.84 | 29 | 129.84 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 18 | 173.16 | 18 | 173.16 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 19 | 103.93 | 19 | 103.93 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 35 | 129.16 | 35 | 129.16 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 38 | 154.78 | 38 | 154.78 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 29 | 154.70 | 29 | 154.70 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 40 | 193.61 | 40 | 193.61 | 0 | 0.00 |
| **2011 योग** | | | | **208** | **1,039.19** | **208** | **1,039.19** | **0** | **0.00** |
| 2 | 2013 | मंत्री–परिषद | 2007–2008 | 322 | 1,699.97 | 322 | 1,699.97 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 207 | 1,379.47 | 207 | 1,379.47 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 303 | 1,168.56 | 303 | 1,168.56 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 348 | 1,319.13 | 348 | 1,319.13 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 224 | 754.13 | 224 | 754.13 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 259 | 711.04 | 259 | 711.04 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 129 | 1,468.11 | 129 | 1,468.11 | 0 | 0.00 |
| **2013 योग** | | | | **1792** | **8,500.41** | **1792** | **8,500.41** | **0** | **0.00** |
| 3 | 2014 | न्याय प्रशासन | 2007–2008 | 10 | 224.40 | 10 | 224.40 | **0** | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 7 | 247.95 | 7 | 247.95 | **0** | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 2 | 200.00 | 2 | 200.00 | **0** | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 2 | 200.00 | 2 | 200.00 | **0** | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 2 | 200.00 | 2 | 200.00 | **0** | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 6 | 900.04 | 6 | 900.04 | **0** | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 10 | 854.14 | 10 | 854.14 | **0** | 0.00 |
| **2014 योग** | | | | **39** | **2,826.53** | **39** | **2,826.53** | **0** | **0.00** |
| 4 | 2052 | सचिवालय सामान्य सेवाएं | 2011–2012 | 2 | 75.00 | 2 | 75.00 | **0** | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 7 | 272.55 | 7 | 272.55 | **0** | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 3 | 187.00 | 3 | 187.00 | **0** | 0.00 |
| **2052 योग** | | | | **12** | **534.55** | **12** | **534.55** | **0** | **0.00** |
| 5 | 2053 | जिला प्रशासन | 2013–14 | 8 | 22.00 | 8 | 22.00 | **0** | 0.00 |
| **2053 योग** | | | | **8** | **22.00** | **8** | **22.00** | **0** | **0.00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2055 | पुलिस | 2007–2008 | 5 | 191.00 | 5 | 191.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 2 | 175.00 | 2 | 175.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 4 | 109.00 | 4 | 109.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 1 | 65.00 | 1 | 65.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 2 | 278.00 | 2 | 278.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 111 | 4,240.09 | 111 | 4,240.09 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 103 | 9,390.09 | 103 | 9,390.09 | 0 | 0.00 |
| **2055 योग** | | | | **228** | **14,448.18** | **228** | **14,448.18** | **0** | **0.00** |
| 7 | 2070 | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 2012–2013 | 50 | 26.95 | 50 | 26.95 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 128 | 32.35 | 128 | 32.35 | 0 | 0.00 |
| **2070 योग** | | | | **178** | **59.30** | **178** | **59.30** | **0** | **0.00** |
| 8 | 2075 | विविध सामान्य सेवाएं | 2012–2013 | 5 | 6.33 | 5 | 6.33 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 7 | 13.37 | 7 | 13.37 | 0 | 0.00 |
| **2075 योग** | | | | **12** | **19.70** | **12** | **19.70** | **0** | **0.00** |
| 9 | 2202 | सामान्य शिक्षा | 2007–2008 | 1993 | 39,720.56 | 1993 | 39,720.56 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 3517 | 43,154.46 | 3517 | 43,154.46 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 2561 | 54,960.96 | 2561 | 54,960.96 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 3034 | 84,452.99 | 3034 | 84,452.99 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 3014 | 1,10,196.23 | 3014 | 1,10,196.23 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 6184 | 1,69,722.47 | 6184 | 1,69,722.47 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 11528 | 2,87,162.00 | 11528 | 2,87,162.00 | 0 | 0.00 |
| **2202 योग** | | | | **31831** | **7,89,369.67** | **31831** | **7,89,369.67** | **0** | **0.00** |
| 10 | 2203 | तकनीकी शिक्षा | 2007–2008 | 6 | 169.00 | 6 | 169.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 4 | 250.48 | 4 | 250.48 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 3 | 120.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 2 | 120.00 | 2 | 120.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 2 | 120.00 | 2 | 120.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 4 | 509.81 | 4 | 509.81 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 4 | 367.19 | 4 | 367.19 | 0 | 0.00 |
| **2203 योग** | | | | **25** | **1,656.48** | **25** | **1,656.48** | **0** | **0.00** |
| 11 | 2204 | खेलकूद तथा युवा सेवाएं | 2007–2008 | 135 | 84.73 | 135 | 84.73 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 128 | 132.45 | 128 | 132.45 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 146 | 126.31 | 146 | 126.31 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 139 | 345.15 | 139 | 345.15 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 116 | 177.69 | 116 | 177.69 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 256 | 5,583.21 | 256 | 5,583.21 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 399 | 1,102.32 | 399 | 1,102.32 | 0 | 0.00 |
| **2204 योग** | | | | **1319** | **7,551.87** | **1319** | **7,551.87** | **0** | **0.00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2205 | कला एवं संस्कृति | 2007–2008 | 69 | 53.77 | 69 | 53.77 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 92 | 85.72 | 92 | 85.72 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 66 | 64.86 | 66 | 64.86 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 111 | 65.24 | 111 | 65.24 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 114 | 96.88 | 114 | 96.88 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 68 | 173.12 | 68 | 173.12 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 131 | 241.12 | 131 | 241.12 | 0 | 0.00 |
| **2205 योग** | | | | **651** | **780.71** | **651** | **780.71** | **0** | **0.00** |
| 13 | 2210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 2007–2008 | 111 | 1,702.93 | 111 | 1,702.93 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 117 | 4427.29 | 117 | 4,427.29 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 134 | 9,366.43 | 134 | 9,366.43 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 116 | 7,029.62 | 116 | 7,029.62 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 136 | 15,369.22 | 136 | 15,369.22 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 603 | 23,287.56 | 603 | 23,287.56 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 504 | 31,744.81 | 504 | 31,744.81 | 0 | 0.00 |
| **2210 योग** | | | | **1721** | **92,927.85** | **1721** | **92,927.85** | **0** | **0.00** |
| 14 | 2215 | जलपूर्ति तथा सफाई | 2007–2008 | 109 | 5,681.41 | 109 | 5,681.41 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 109 | 7,335.45 | 109 | 7,335.45 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 131 | 6,081.54 | 131 | 6,081.54 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 60 | 4,910.20 | 60 | 4,910.20 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 60 | 5843.70 | 60 | 5843.70 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 68 | 5621.05 | 68 | 5621.05 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 102 | 5591.67 | 102 | 5591.67 | 0 | 0.00 |
| **2215 योग** | | | | **639** | **41,065.02** | **639** | **41,065.02** | **0** | **0.00** |
| 15 | 2216 | आवास | 2007–2008 | 45 | 478.79 | 45 | 478.79 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 47 | 1,938.56 | 47 | 1,938.56 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 51 | 2,357.72 | 51 | 2,357.72 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 39 | 844.98 | 39 | 844.98 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 73 | 2,448.04 | 73 | 2,448.04 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 122 | 4,157.70 | 122 | 4,157.70 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 346 | 18,299.24 | 346 | 18,299.24 | 0 | 0.00 |
| **2216 योग** | | | | **723** | **30,525.01** | **723** | **30,525.01** | **0** | **0.00** |
| 16 | 2217 | शहरी विकास | 2007–2008 | 66 | 19,142.50 | 63 | 17,784.04 | 3 | 1,358.46 |
| | | | 2008–2009 | 107 | 22,562.21 | 106 | 21,682.21 | 1 | 880.00 |
| | | | 2009–2010 | 63 | 35,465.65 | 61 | 32,825.65 | 2 | 2,640.00 |
| | | | 2010–2011 | 139 | 30,136.95 | 0 | 0.00 | 139 | 30,136.95 |
| | | | 2011–2012 | 116 | 40,336.77 | 0 | 0.00 | 116 | 40,336.77 |
| | | | 2012–2013 | 157 | 70,254.52 | 13 | 12,110.68 | 144 | 58,143.84 |
| | | | 2013–2014 | 152 | 80,597.52 | 0 | 0.00 | 152 | 80,597.52 |
| | | | 2014–2015 | 110 | 34,192.41 | 0 | 0.00 | 110 | 34,192.41 |
| **2217 योग** | | | | **910** | **3,32,688.52** | **243** | **84,402.58** | **667** | **24,8285.94** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2220 | सूचना तथा प्रचार | 2007–2008 | 5 | 6.47 | 5 | 6.47 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 12 | 10.05 | 12 | 10.05 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 7 | 12.80 | 7 | 12.80 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 14 | 25.88 | 14 | 25.88 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 12 | 14.22 | 12 | 14.22 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 12 | 11.30 | 12 | 11.30 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 11 | 19.18 | 11 | 19.18 | 0 | 0.00 |
| **2220 योग** | | | | **73** | **99.90** | **73** | **99.90** | **0** | **0.00** |
| 18 | 2225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण | 2007–2008 | 269 | 3,829.56 | 269 | 3,829.56 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 228 | 4,466.95 | 228 | 4,466.95 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 241 | 3,492.08 | 241 | 3,492.08 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 212 | 3,255.30 | 212 | 3,255.30 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 359 | 5,087.83 | 359 | 5,087.83 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 1936 | 26,097.03 | 1936 | 26,097.03 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 2024 | 24,996.06 | 2024 | 24,996.06 | 0 | 0.00 |
| **2225 योग** | | | | **5269** | **71,224.81** | **5269** | **71,224.81** | **0** | **0.00** |
| 19 | 2230 | श्रम तथा रोजगार | 2010–2011 | 1 | 45.00 | 1 | 45.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 10 | 315.01 | 10 | 315.01 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 107 | 1,019.81 | 107 | 1,019.81 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 207 | 2,433.09 | 207 | 2,433.09 | 0 | 0.00 |
| **2230 योग** | | | | **325** | **3,812.92** | **325** | **3,812.92** | **0** | **0.00** |
| 20 | 2235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 2007–2008 | 455 | 3,357.49 | 455 | 3,357.49 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 480 | 16,443.60 | 480 | 16,443.60 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 521 | 4,808.51 | 521 | 4,808.51 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 868 | 6,843.96 | 868 | 6,843.96 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 1216 | 6,515.63 | 1216 | 6,515.63 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 3054 | 23,670.11 | 3054 | 23,670.11 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 7958 | 58621.67 | 7958 | 58,621.67 | 0 | 0.00 |
| **2235 योग** | | | | **14552** | **1,20,260.98** | **14552** | **1,20,260.98** | **0** | **0.00** |
| 21 | 2236 | पोषण | 2013–2014 | 2 | 5.10 | 2 | 5.10 | 0 | 0.00 |
| **2236 योग** | | | | **2** | **5.10** | **2** | **5.10** | **0** | **0.00** |
| 22 | 2245 | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 2007–2008 | 22 | 9.21 | 22 | 9.21 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 13 | 9.92 | 13 | 9.92 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 6 | 8.05 | 6 | 8.05 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 618 | 1,066.84 | 26 | 54.02 | 592 | 1,012.82 |
| | | | 2013–2014 | 2960 | 5,582.58 | 12 | 60.92 | 2948 | 5,521.67 |
| | | | 2014–2015 | 2906 | 6,124.38 | 0 | 0.00 | 2906 | 6,124.38 |
| **2245 योग** | | | | **6525** | **12,800.98** | **79** | **142.11** | **6446** | **12,658.87** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2250 | अन्य सामाजिक सेवाएं | 2007–2008 | 1 | 5.25 | 1 | 5.25 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 4 | 264.75 | 4 | 264.75 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 5 | 276.00 | 5 | 276.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 6 | 370.75 | 6 | 370.75 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 18 | 510.56 | 18 | 510.56 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 43 | 506.18 | 43 | 506.18 | 0 | 0.00 |
| **2250 योग** | | | | **77** | **1,933.49** | **77** | **1,933.49** | **0** | **0.00** |
| 24 | 2251 | सचिवालय सामाजिक सेवाएं | 2012–2013 | 9 | 5.28 | 9 | 5.28 | 0 | 0.00 |
| **2251 योग** | | | | **9** | **5.28** | **9** | **5.28** | **0** | **0.00** |
| 25 | 2401 | फसल कृषि–कर्म | 2007–2008 | 94 | 2,374.60 | 94 | 2,374.60 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 178 | 6,381.09 | 178 | 6,381.09 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 236 | 4,644.08 | 236 | 4,644.08 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 383 | 15,318.99 | 383 | 15,318.99 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 582 | 12,143.59 | 582 | 12,143.59 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 4541 | 47,069.31 | 4541 | 47,069.31 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 1093 | 13,748.54 | 1093 | 13,748.54 | 0 | 0.00 |
| **2401 योग** | | | | **7107** | **1,01,680.20** | **7107** | **1,01,680.20** | **0** | **0.00** |
| 26 | 2402 | मृदा तथा जल संरक्षण | 2012–2013 | 4 | 6.16 | 4 | 6.16 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 1 | 3.71 | 1 | 3.71 | 0 | 0.00 |
| **2402 योग** | | | | **5** | **9.87** | **5** | **9.87** | **0** | **0.00** |
| 27 | 2403 | पशुपालन | 2007–2008 | 155 | 1,862.60 | 155 | 1,862.60 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 165 | 1,679.14 | 165 | 1,679.14 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 146 | 3,781.64 | 146 | 3,781.64 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 182 | 5,090.72 | 182 | 5,090.72 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 203 | 3,019.24 | 203 | 3,019.24 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 1144 | 7,797.78 | 1144 | 7,797.78 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 1615 | 5,275.54 | 1615 | 5,275.54 | 0 | 0.00 |
| **2403 योग** | | | | **3610** | **28,506.68** | **3610** | **28,506.68** | **0** | **0.00** |
| 28 | 2405 | मछली पालन | 2007–2008 | 172 | 179.74 | 172 | 179.74 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 167 | 310.94 | 167 | 310.94 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 126 | 241.27 | 126 | 241.27 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 164 | 484.18 | 164 | 484.18 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 144 | 472.07 | 144 | 472.07 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 603 | 2,205.32 | 603 | 2,205.32 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 738 | 2,309.52 | 738 | 2,309.52 | 0 | 0.00 |
| **2405 योग** | | | | **2114** | **6,203.05** | **2114** | **6,203.05** | **0** | **0.00** |
| 29 | 2406 | वानिकी तथा वन्य प्राणी | 2010–2011 | 1 | 87.00 | 1 | 87.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 9 | 319.06 | 9 | 319.06 | 0 | 0.00 |
| **2406 योग** | | | | **10** | **406.06** | **10** | **406.06** | **0** | **0.00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2408 | खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार | 2007–2008 | 8 | 2,021.01 | 8 | 2,021.01 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 18 | 2,035.59 | 18 | 2,035.59 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 22 | 59,941.17 | 22 | 59,941.17 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 31 | 28,265.92 | 31 | 28,265.92 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 23 | 2,710.10 | 23 | 2,710.10 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 41 | 44,179.43 | 41 | 44,179.43 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 63 | 2,23,486.24 | 63 | 2,23,486.24 | 0 | 0.00 |
| **2408 योग** | | | | **206** | **3,62,639.46** | **206** | **3,62,639.46** | **0** | **0.00** |
| 31 | 2415 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 2007–2008 | 8 | 1,861.25 | 8 | 1,861.25 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 8 | 2,427.55 | 8 | 2,427.55 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 7 | 2,775.00 | 7 | 2,775.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 13 | 5,182.50 | 13 | 5,182.50 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 11 | 6,185.00 | 11 | 6,185.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 8 | 7,425.00 | 8 | 7,425.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 14 | 8,227.50 | 14 | 8,227.50 | 0 | 0.00 |
| **2415 योग** | | | | **69** | **34,083.80** | **69** | **34,083.80** | **0** | **0.00** |
| 32 | 2425 | सहकारिता | 2007–2008 | 6 | 55.20 | 6 | 55.20 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 5 | 34.96 | 5 | 34.96 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 13 | 303.45 | 13 | 303.45 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 11 | 941.04 | 11 | 941.04 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 12 | 7,980.34 | 12 | 7,980.34 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 13 | 5,951.28 | 13 | 5,951.28 | 0 | 0.00 |
| **2425 योग** | | | | **60** | **15,266.27** | **60** | **15,266.27** | **0** | **0.00** |
| 33 | 2435 | अन्य कृषि कार्यक्रम | 2007–2008 | 4 | 1,137.80 | 4 | 1,137.80 | 0 | 0.00 |
| **2435 योग** | | | | **4** | **1,137.80** | **4** | **1,137.80** | **0** | **0.00** |
| 34 | 2501 | ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 2007–2008 | 122 | 1,228.50 | 73 | 764.85 | 49 | 463.65 |
| | | | 2008–2009 | 164 | 1,663.94 | 91 | 1,205.88 | 73 | 458.07 |
| | | | 2009–2010 | 163 | 1,246.04 | 86 | 933.05 | 77 | 313.00 |
| | | | 2010–2011 | 112 | 1,537.95 | 52 | 440.65 | 60 | 1,097.30 |
| | | | 2011–2012 | 120 | 3,181.51 | 31 | 425.53 | 89 | 2,755.98 |
| | | | 2012–2013 | 89 | 2,088.20 | 89 | 2,088.20 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 205 | 4,552.99 | 1 | 1.96 | 204 | 4,551.03 |
| | | | 2014–2015 | 178 | 9,478.89 | 11 | 73.44 | 167 | 9,405.45 |
| **2501 योग** | | | | **1153** | **24,978.02** | **434** | **5,933.56** | **719** | **19,044.48** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2505 | ग्राम रोजगार | 2007–2008 | 64 | 4,046.30 | 44 | 2,496.45 | 20 | 1,549.85 |
| | | | 2008–2009 | 78 | 4,716.99 | 57 | 3,303.22 | 21 | 1,413.77 |
| | | | 2009–2010 | 36 | 2272.68 | 30 | 1,951.34 | 6 | 321.34 |
| | | | 2010–2011 | 45 | 5,343.11 | 15 | 1,910.20 | 30 | 3,432.91 |
| | | | 2011–2012 | 43 | 4,740.43 | 9 | 453.78 | 34 | 4,286.66 |
| | | | 2012–2013 | 102 | 10,605.27 | 4 | 107.99 | 98 | 10,497.28 |
| | | | 2013–2014 | 15 | 22,104.61 | 0 | 0.00 | 15 | 22,104.61 |
| | | | 2014–2015 | 33 | 1,70,334.44 | 6 | 54,443.45 | 27 | 1,15,890.99 |
| **2505 योग** | | | | **416** | **2,24,163.83** | **165** | **64,666.43** | **251** | **1,59,497.41** |
| 36 | 2515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 2007–2008 | 195 | 20,361.85 | 60 | 9,731.27 | 135 | 10,630.58 |
| | | | 2008–2009 | 179 | 19,119.64 | 46 | 8,217.72 | 133 | 10,901.92 |
| | | | 2009–2010 | 195 | 18,935.48 | 33 | 7,627.37 | 162 | 11,308.10 |
| | | | 2010–2011 | 243 | 17,519.40 | 24 | 4,992.86 | 219 | 12,526.55 |
| | | | 2011–2012 | 424 | 30,683.75 | 51 | 6,656.57 | 373 | 24,027.18 |
| | | | 2012–2013 | 1356 | 88,418.11 | 85 | 4,240.98 | 1271 | 84,177.14 |
| | | | 2013–2014 | 1900 | 1,59,641.63 | 8 | 79.47 | 1892 | 1,59,562.17 |
| | | | 2014–2015 | 1455 | 1,53,825.08 | 0 | 0.00 | 1455 | 1,53,825.08 |
| **2515 योग** | | | | **5947** | **5,08,504.94** | **307** | **41,546.24** | **5640** | **4,66,958.72** |
| 37 | 2702 | लघु सिंचाई | 2007–2008 | 220 | 510.28 | 220 | 510.28 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 320 | 782.37 | 320 | 782.37 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 268 | 831.65 | 268 | 831.65 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 245 | 847.56 | 245 | 847.56 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 275 | 1,060.48 | 275 | 1,060.48 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 698 | 2,895.97 | 698 | 2,895.97 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 1354 | 5,148.06 | 1354 | 5,148.06 | 0 | 0.00 |
| **2702 योग** | | | | **3380** | **12,076.37** | **3380** | **12,076.37** | **0** | **0.00** |
| 38 | 2801 | बिजली | 2007–2008 | 20 | 4,601.95 | 9 | 1972.48 | 11 | 2,629.47 |
| | | | 2008–2009 | 34 | 5,197.52 | 0 | 0.00 | 34 | 5,197.52 |
| | | | 2009–2010 | 22 | 4,760.25 | 0 | 0.00 | 22 | 4,760.25 |
| | | | 2010–2011 | 10 | 8,009.00 | 2 | 80.00 | 8 | 7,929.00 |
| | | | 2011–2012 | 5 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,000.00 |
| | | | 2012–2013 | 13 | 56,975.65 | 0 | 0.00 | 13 | 56,975.65 |
| | | | 2013–2014 | 30 | 16,957.00 | 0 | 0.00 | 30 | 16,957.00 |
| | | | 2014–2015 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 |
| **2801 योग** | | | | **135** | **1,07,501.37** | **11** | **2,052.48** | **124** | **1,05,448.89** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2810 | गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 2007–2008 | 13 | 3,910.00 | 11 | 3,160.00 | 2 | 750.00 |
| | | | 2008–2009 | 14 | 2,918.00 | 13 | 2,418.00 | 1 | 500.00 |
| | | | 2009–2010 | 13 | 2,475.00 | 9 | 1,848.50 | 4 | 626.50 |
| | | | 2010–2011 | 15 | 3,578.00 | 0 | 0.00 | 15 | 3,578.00 |
| | | | 2011–2012 | 15 | 3,565.00 | 0 | 0.00 | 15 | 3,565.00 |
| | | | 2012–2013 | 19 | 6,442.50 | 0 | 0.00 | 19 | 6,442.50 |
| | | | 2013–2014 | 6 | 2,096.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,096.00 |
| | | | 2014–2015 | 10 | 3,324.05 | 0 | 0.00 | 10 | 3,324.05 |
| **2810 योग** | | | | **105** | **28,308.55** | **33** | **7,426.50** | **72** | **20,882.05** |
| 40 | 2851 | ग्रामीण तथा लघु उद्योग | 2007–2008 | 112 | 1,335.17 | 112 | 1,335.17 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 95 | 1,387.52 | 95 | 1,387.52 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 97 | 1,841.71 | 97 | 1,841.71 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 59 | 1,720.60 | 59 | 1,720.60 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 54 | 2,697.23 | 54 | 2,697.23 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 136 | 2,591.33 | 136 | 2,591.33 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 226 | 2,602.82 | 226 | 2,602.82 | 0 | 0.00 |
| **2851 योग** | | | | **779** | **14,176.38** | **779** | **14,176.38** | **0** | **0.00** |
| 41 | 2852 | उद्योग | 2007–2008 | 2 | 41.00 | 2 | 41.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 5 | 136.39 | 5 | 136.39 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 11 | 359.88 | 11 | 359.88 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 6 | 399.51 | 6 | 399.51 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 9 | 906.71 | 9 | 906.71 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 21 | 1,297.35 | 21 | 1,297.35 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 39 | 1,808.33 | 39 | 1,808.33 | 0 | 0.00 |
| **2852 योग** | | | | **93** | **4,949.17** | **93** | **4,949.17** | **0** | **0.00** |
| 42 | 2853 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 2007–2008 | 7 | 732.57 | 7 | 732.57 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 1 | 118.89 | 1 | 118.89 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 48 | 8884.13 | 48 | 8884.13 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 104 | 8,964.80 | 104 | 8,964.80 | 0 | 0.00 |
| **2853 योग** | | | | **160** | **18,700.39** | **160** | **18,700.39** | **0** | **0.00** |
| 43 | 2885 | उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय | 2007–2008 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 1 | 30.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 1 | 30.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 1 | 30.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 1 | 30.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| **2885 योग** | | | | **6** | **170.00** | **6** | **170.00** | **0** | **0.00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3054 | सड़क तथा सेतु | 2007–2008 | 2 | 500.00 | 0 | 0.00 | 2 | 500.00 |
| | | | 2008–2009 | 2 | 2,497.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,497.00 |
| | | | 2009–2010 | 1 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,500.00 |
| | | | 2010–2011 | 2 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,300.00 |
| | | | 2011–2012 | 3 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,000.00 |
| | | | 2012–2013 | 2 | 10,000.00 | 1 | 5,000.00 | 1 | 5,000.00 |
| | | | 2013–2014 | 3 | 12,250.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,250.00 |
| | | | 2014–2015 | 6 | 11,500.00 | 0 | 0.00 | 6 | 11,500.00 |
| **3054 योग** | | | | **21** | **55,547.00** | **1** | **5,000.00** | **20** | **50,547.00** |
| 45 | 3275 | अन्य संचार सेवाऐं | 2007–2008 | 5 | 1,326.00 | 5 | 1,326.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 8 | 1,394.00 | 8 | 1,394.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 4 | 614.00 | 4 | 614.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 4 | 509.92 | 4 | 509.92 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 12 | 2,611.49 | 12 | 2,611.49 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 11 | 7,458.00 | 11 | 7,458.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 6 | 2,600.75 | 6 | 2,600.75 | 0 | 0.00 |
| **3275 योग** | | | | **50** | **16,514.16** | **50** | **16,514.16** | **0** | **0.00** |
| 46 | 3425 | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 2007–2008 | 15 | 691.82 | 15 | 691.82 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 14 | 709.46 | 14 | 709.46 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 12 | 573.58 | 12 | 573.58 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 7 | 156.15 | 7 | 156.15 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 11 | 454.50 | 11 | 454.50 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 11 | 818.62 | 11 | 818.62 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 14 | 1,113.93 | 14 | 1,113.93 | 0 | 0.00 |
| **3425 योग** | | | | **84** | **4,518.06** | **84** | **4,518.06** | **0** | **0.00** |
| 47 | 3452 | पर्यटन | 2007–2008 | 12 | 2,000.00 | 12 | 2,000.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 10 | 3,100.00 | 10 | 3,100.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 9 | 3,200.00 | 9 | 3,200.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 11 | 3,235.00 | 11 | 3,235.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2011–2012 | 8 | 3,235.00 | 8 | 3,235.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2012–2013 | 13 | 4,158.50 | 13 | 4,158.50 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 11 | 4,002.35 | 11 | 4,002.35 | 0 | 0.00 |
| **3452 योग** | | | | **74** | **22,930.85** | **74** | **22,930.85** | **0** | **0.00** |
| 48 | 3454 | जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 2010–2011 | 1 | 910.00 | 1 | 910.00 | 0 | 0.00 |
| **3454 योग** | | | | **1** | **910.00** | **1** | **910.00** | **0** | **0.00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 3604 | स्थानीय विनयोंता पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति | 2007–2008 | 127 | 52,301.23 | 0 | 0.00 | 127 | 52,301.23 |
| | | | 2008–2009 | 69 | 50,446.19 | 2 | 10,546.21 | 67 | 39,899.98 |
| | | | 2009–2010 | 137 | 45,092.15 | 1 | 169.63 | 136 | 44,922.52 |
| | | | 2010–2011 | 177 | 69,265.13 | 16 | 154.11 | 161 | 69,111.02 |
| | | | 2011–2012 | 205 | 69,221.95 | 1 | 238.34 | 204 | 68,983.61 |
| | | | 2012–2013 | 218 | 88,772.89 | 14 | 4,959.96 | 204 | 83,812.93 |
| | | | 2013–2014 | 214 | 99,973.71 | 0 | 0.00 | 214 | 99,973.71 |
| | | | 2014–2015 | 202 | 1,05,363.53 | 0 | 0.00 | 202 | 1,05,363.53 |
| **3604 योग** | | | | **1349** | **5,80,436.77** | **34** | **16,068.25** | **1315** | **5,64,368.52** |
| 50 | 4202 | शिक्षण, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 2007–2008 | 3 | 2,016.42 | 3 | 2,016.42 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 3 | 3,700.00 | 3 | 3,700.00 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 1 | 500.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 |
| **4202 योग** | | | | **7** | **6,216.42** | **7** | **6,216.42** | **0** | **0.00** |
| 51 | 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 2007–2008 | 1 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | **0** | 0.00 |
| **4210 योग** | | | | **1** | **1,200.00** | **1** | **1,200.00** | **0** | **0.00** |
| 52 | 4225 | अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 2007–2008 | 102 | 751.56 | 102 | 751.56 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 63 | 610.52 | 63 | 610.52 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 70 | 1,394.74 | 70 | 1,394.74 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 73 | 1,482.57 | 73 | 1,482.57 | 0 | 0.00 |
| **4225 योग** | | | | **308** | **4,239.38** | **308** | **4,239.38** | **0** | **0.00** |
| 53 | 4515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 2007–2008 | 34 | 3,585.65 | 34 | 3,585.65 | **0** | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 11 | 832.00 | 11 | 832.00 | **0** | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 32 | 2,541.60 | 32 | 2,541.60 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 23 | 3,428.60 | 23 | 3,428.60 | 0 | 0.00 |
| **4515 योग** | | | | **100** | **10,387.85** | **100** | **10,387.85** | **0** | **0.00** |
| 54 | 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2007–2008 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 3 | 0.10 | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| **4801 योग** | | | | **5** | **0.16** | **5** | **0.16** | **0** | **0.00** |
| 55 | 4851 | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 2007–2008 | 1 | 37.48 | 1 | 37.48 | 0 | 0.00 |
| | | | 2008–2009 | 1 | 1,017.41 | 1 | 1,017.41 | 0 | 0.00 |
| | | | 2009–2010 | 1 | 600.91 | 1 | 600.91 | 0 | 0.00 |
| | | | 2010–2011 | 4 | 1,371.23 | 4 | 1,371.23 | 0 | 0.00 |
| **4851 योग** | | | | **7** | **3,027.03** | **7** | **3,027.03** | **0** | **0.00** |
| 56 | 5054 | सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2008–2009 | 2 | 2,212.10 | 2 | 2,212.10 | 0 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 1 | 2,200.00 | 1 | 2,200.00 | **0** | 0.00 |
| **5054 योग** | | | | **3** | **4,412.10** | **3** | **4,412.10** | **0** | **0.00** |
| **महायोग** | | | | **94497** | **37,37,960.56** | **79243** | **20,90,268.60** | **15254** | **16,47,691.87** |

## *परिशिष्ट – 3.2*
## *(संदर्भ: कंडिका–3.2.1; पृष्ठ 66)*
## सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के तहत पहचान की गयी लेखा परीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

| स. कं. | प्राप्तकर्ता | तक अंकेक्षित |
|---|---|---|
| 1 | नोडल अधिकारी, संजीवनी कोष | निरंक |
| 2 | निदेशक, राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 04/2005 – 03/2010 |
| 3 | कार्यपालन अधिकारी, राष्टीय स्वास्थ्य बीमा योजना | निरंक |
| 4 | नोडल अधिकारी, अपातकालीन स्वास्थ्य सेवाए | निरंक |
| 5 | निदेशक राज्य स्वास्थ्य स्त्रोत केंद्र | 05/2002 – 11/2005 |
| 6 | प्रंबध संचालक पयर्टन मडंल | 04/2008 – 03/2010 |
| 7 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी नया रायपुर विकाय प्रधिकरण | निरंक |
| 8 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास प्राधिकरण | निरंक |
| 9 | प्रचार्य/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान | निरंक |
| 10 | कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण | 04/2003 – 06/2006 |
| 11 | कार्यपालन निदेशक छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद | 12/2010 – 01/2014 |
| 12 | छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी कल्याण और आश्रम शिक्षा संस्थान | निरंक |
| 13 | प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ महिला कोष | निरंक |
| 14 | बाल विकास परियोजना अधिकारी | 03/2001 – 01/2013 |
| 15 | प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम | 12/2012 तक |
| 16 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी | 12/2006 – 05/2013 तक |
| 17 | जिला आयोजक आदिम जाति कल्याण | निरंक |
| 18 | मिशन निदेशक राजीव गांधी मिशन | 2006–07 से 2010–11 |
| 19 | मिशन निदेशक, यूरोपियन आयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम | निरंक |
| 20 | रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर | निरंक |
| 21 | प्राचार्य, चितानी मितानी दूबे महाविद्यालय, बिलासपुर एवं अन्य महाविद्यालय | निरंक |
| 22 | रजिस्ट्रार, हिदायतुला राष्टीय वि. वि. | निरंक |
| 23 | रजिस्ट्रार इंदिरा कला सगीत विश्वविद्यालय | निरंक |
| 24 | रजिस्ट्रार कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय | निरंक |
| 25 | वित्तीय नियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय | निरंक |
| 26 | रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय | 09/2008 – 12/2014 |
| 27 | रजिस्ट्रार बस्तर विश्वविद्यालय | निरंक |
| 28 | रजिस्ट्रार रविशंकर विश्वविद्यालय | 11/2000 – 03/2004 |
| 29 | रजिस्ट्रार, पशु चिक्तिसा विश्वविद्यालय | निरंक |
| 30 | नोडल अधिकारी मुख्य मंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम | निरंक |
| 31 | परियोजना निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य एड्स निवारण समिति | 08/2011 – 06/2015 |
| 32 | मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन | निरंक |
| 33 | निदेशक राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा मिशन | निरंक |
| 34 | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ | निरंक |
| 35 | राज्य कृषि बिक्री महासंघ, सहकारिता दुग्ध उत्पादन उद्योग | निरंक |

| स. कं. | प्राप्तकर्ता | तक अंकेक्षित |
|---|---|---|
| 36 | मिशन निदेशक राज्य बागवानी विकास समिति | निरंक |
| 37 | प्रंबध निदेशक, दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मील एवं अन्य | निरंक |
| 38 | मिशन निदेशक सहकारी चीनी मिल | निरंक |
| 39 | निदेशक गैर नवीकरण उर्जा विकास प्राधिकरण | 12/2005 – 04/2014 |
| 40 | छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास मंडल | 05/2006 – 09/2010 |
| 41 | बुनकर सहकारी समिति | निरंक |
| 42 | प्रंबध निदेशक खादी ग्राम उद्योग | 03/2010 – 04/2011 |
| 43 | हस्तशिल्प विकास और विपणन सहकारी संघ | निरंक |
| 44 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एंवम उद्योग केंद्र | 07/2014 – 05/2015 |
| 45 | प्रंबध निदेशक रायपुर दग्ध उत्पादन महासंघ | निरंक |

## *परिशिष्ट 3.3*
## *(संदर्भ: कंडिका–3.2.2; पृष्ठ 67)*
## (31 मार्च 2015 तक स्वायत्त निकायों के लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का विषलेशण)

| स. कं. | निकाय | दिनांक | प्रदत्त लेखा वर्ष | बकाया लेखा वर्ष | पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का जारी करने का वर्ष | पृथक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करने की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छत्तीसगढ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम | 8.10.2004 | 2010–11 | 2011–12 से 2014–15 | 2010–11 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 2 | छत्तीसगढ राज्य वन विकास निगम | 22.05.2001 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 3 | छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम | 19.07.2004 | 2011–12 | 2012–13 से 2014–15 | 2011–12 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 4 | छत्तीसगढ अधोसंरचना विकास निगम | 26.02.2001 | 2008–09 | 2009–10 से 2014–15 | 2008–09 | 13.05.15 को प्रस्तुत किया गया |
| 5 | छत्तीसगढ राज्य उद्योग विकास निगम | 16.11.1981 | 2009–10 | 2010–11 से 2014–15 | 2008–09 | 06.01.15 को प्रस्तुत किया गया |
| 6 | छत्तीसगढ राज्य खनिज विकास निगम | 07.06.2001 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | |
| 7 | सीएमडीसी आईसीपीएल कोयला उद्योग | 11.04.2008 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 8 | छत्तीसगढ सोंडिया कोयला उद्योग | 30.12.2008 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | 2015 को प्रस्तुत किया गया |
| 9 | सीएसपीजीसीएल एईएल परसा कोलेरी उद्योग | 06.12.2010 | 2014–15 | .. | 2014–15 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 10 | छत्तीसगढ राज्य बिजली वितरण कम्पनी | 19.05.2003 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | 12.03.15 को प्रस्तुत किया गया |
| 11 | छत्तीसगढ राज्य बिजली संरचना कम्पनी | 19.05.2003 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | 12.03.15 को प्रस्तुत किया गया |
| 12 | छत्तीसगढ राज्य बिजली रख रखाव कम्पनी | 30.12.2008 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | 12.03.15 को प्रस्तुत किया गया |
| 13 | छत्तीसगढ राज्य बिजली ट्रेडिगं कम्पनी | 30.12.2008 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | 12.03.15 को प्रस्तुत किया गया |
| 14 | छत्तीसगढ राज्य ट्राशंमिशन कम्पनी | 19.05.2003 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | 12.03.15 को प्रस्तुत किया गया |
| 15 | छत्तीसगढ राज्य बेवरेज निगम | 7.11.2001 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | नहीं प्रस्तुत किया गया |

| स. कं. | निकाय | दिनांक | प्रदत्त लेखा वर्ष | बकाया लेखा वर्ष | पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का जारी करने का वर्ष | पृथक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करने की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | छत्तीसगढ़ राज्य जन वितरण निगम | 13.03.2001 | 2012–13 | 2013–14 से 2014–15 | 2012–13 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 17 | छत्तीसगढ राज्य स्वास्थ्य सेवाएं निगम | 7.10.2010 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 18 | छत्तीसगढ राज्य पूलिस गृह निगम | 14.12.2011 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 19 | रायपुर नगर निगम परिवहन | 1.10.2011 | प्रथम लेखन नही प्राप्त | 2011–12 से 2014–15 | ––– | ––– |
| 20 | छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम | 2.5.2002 | 2013–14 | 2014–15 | 2013–14 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 21 | छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण प्राधिकरण | 2007–08 | 2002–03 से 2009–10 | 2010–11 से 2014–15 | 2007– 08, 2008–09 तक 2009–10 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 22 | छत्तीसगढ राज्य विधि सेवाएं प्रधिकरण, बिलासपुर | संसद एक्ट द्वारा प्रदत्त | 2008–09 से 2011–12 | 2012–13 से 2014–15 | 2007–08 | नहीं प्रस्तुत किया गया |
| 23 | सी.ए.एम.पी.ए. | कम्पा एक्ट द्वारा प्रदत्त | 2009–10 से 2013–14 | 2014–15 | 2008–09 | नहीं प्रस्तुत किया गया |

*परिशिष्ट– 3.4*
*(संदर्भ: कंडिका–3.4; पृष्ठ 68)*

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

*(₹ लाख में)*

| स. कं. | विभाग/ईकाई का नाम | चोरी के प्रकरण | | गबन प्रकरण | | सरकारी भंडार/सामग्री की हानि | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रकरण संख्या | राशि | प्रकरण संख्या | राशि | प्रकरण संख्या | राशि | प्रकरण संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | उच्चशिक्षा | 13 | 11.62 | 3 | 2.83 | 2 | 2.51 | 18 | 16.96 |
| 2 | कला एवं संस्कृति | 1 | 0.81 | – | – | – | – | 1 | 0.81 |
| 3 | जिला प्रशासन | 1 | 0.67 | – | – | 7 | 3.85 | 8 | 4.52 |
| 4 | कोष एवं लेखा प्रशासन | 3 | 0.20 | 4 | 7.78 | 4 | 11.81 | 11 | 19.79 |
| 5 | तकनिकी शिक्षा | 4 | 0.00 | 1 | 1.91 | 8 | 51.09 | 13 | 53.00 |
| 6 | आदिम जाति | 3 | 0.90 | 3 | 0.20 | 13 | 16.66 | 19 | 17.76 |
| 7 | विक्रय पर व्यापार | 1 | 0.02 | – | – | – | – | 1 | 0.02 |
| 8 | महिला एवं बाल विकास | 1 | 3.50 | 1 | – | 2 | 2.28 | 4 | 5.78 |
| 9 | शिक्षा | 21 | 11.92 | 15 | 10.43 | 23 | 90.93 | 59 | 113.28 |
| 10 | पुलिस | 25 | 9.97 | 3 | 18.16 | 389 | 103.91 | 417 | 132.04 |
| 11 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 3 | 0.29 | 5 | 0.83 | 18 | 2.04 | 26 | 3.16 |
| 12 | तहसील | 2 | 0.50 | 9 | 1.59 | 3 | 0.25 | 14 | 2.34 |
| 13 | राज्य आबकारी | – | – | – | – | 2 | 3.86 | 2 | 3.86 |
| 14 | पशुपालन | 5 | 0.59 | 1 | 0.10 | 130 | 11.78 | 136 | 12.47 |
| 15 | लोक सेवा आयोग | – | – | – | – | 1 | 3.16 | 1 | 3.16 |
| 16 | सहकारिता | – | – | – | – | 1 | 96.26 | 1 | 96.26 |
| 17 | पचांयत एवं समाज कल्याण | – | – | – | – | 4 | 4.29 | 4 | 4.29 |
| 18 | डेयरी विकास | 1 | 0.20 | – | – | 1 | 0.02 | 2 | 0.22 |
| 19 | रेशम | 2 | 0.10 | – | – | 2 | 0.00 | 4 | 0.10 |
| 20 | जिला एवं सत्र न्यायालय | 4 | 0.11 | 2 | 9.16 | 3 | 2.00 | 9 | 11.27 |
| 21 | खनिज संसाधन विभाग | – | – | – | – | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |
| 22 | श्रम एवं रोजगाार | 9 | 3.00 | – | – | 3 | 0.63 | 12 | 3.63 |
| 23 | खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग | – | – | – | – | 4 | 0.23 | 4 | 0.23 |
| 24 | फसल कृषि कर्म | 1 | 0.24 | 1 | 2.97 | 7 | 5.51 | 9 | 8.72 |
| 25 | आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण | 1 | 0.00 | 2 | 0.56 | 11 | 2.66 | 14 | 3.22 |
| 26 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं | 9 | 3.46 | 7 | 32.81 | 12 | 12.97 | 28 | 49.24 |
| 27 | वन | 2 | 0.38 | – | – | 961 | 1,002.84 | 963 | 1,003.22 |
| 28 | लोक निमार्ण | 2 | 0.24 | – | – | 453 | 9,136.19 | 455 | 9,136.43 |
| 29 | जन संसाधन विभाग | 7 | 4.05 | – | – | 12 | 210.65 | 19 | 214.70 |
| 30 | भूमि संरक्षण | – | – | – | – | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 31 | वित्त और सांख्यिकी निदेशालय | 1 | 0.05 | – | – | – | – | 1 | 0.05 |
| 32 | कलेक्ट्रेट | – | – | 2 | 0.38 | 1 | 0.08 | 3 | 0.46 |
| 33 | परिवहन विभाग | – | – | – | – | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 34 | उद्योग | – | – | – | – | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 |
| 35 | शहरी विकास | – | – | 1 | 0.15 | – | – | 1 | 0.15 |
| | **महायोग** | **122** | **52.82** | **60** | **89.86** | **2081** | **10,778.65** | **2263** | **10,921.33** |

## परिशिष्ट 3.5
## (संदर्भ: कंडिका–3.4; पृष्ठ 68)
## शासन को हुई हानियों का विश्लेषण
## (31 मार्च 2015 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरणों)

(₹ लाख में)

| स. क. | विभाग/इकाई का नाम | प्रकरण संख्या एवं राशि | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पाँच वर्ष तक | 05 से 10 वर्ष तक | 10 से 15 वर्ष तक | 15 से 20 वर्ष तक | 20 से 25 वर्ष तक | 20 वर्ष से उपर | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | उच्चशिक्षा | 4 (2.14) | 8 (11.57) | 3 (2.64) | – | 2 (0.11) | 1 (0.50) | 18 (16.96) |
| 2 | कला एवं संस्कृति | – | – | – | – | – | 1 (0.81) | 1 (0.81) |
| 3 | जिला प्रशासन | – | 1 (0.20) | 1 (0.21) | 1 (0.67) | | 5 (3.45) | 8 (4.53) |
| 4 | कोष एवं लेखा प्रशासन | 1 (0.00) | 1 (0.08) | 2 (7.26) | 1 (11.77) | – | 6 (0.68) | 11 (19.79) |
| 5 | तकनिकी शिक्षा | 3 (46.80) | 9 (5.95) | – | – | | 1 (0.25) | 13 (53.00) |
| 6 | आदिम जाति | – | 2 (0.75) | 3 (1.46) | 4 (12.67) | 3 (1.60) | 7 (1.28) | 19 (17.76) |
| 7 | विक्रय पर व्यापार | – | – | – | – | – | 1 (0.02) | 1 (0.02) |
| 8 | जेल | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | महिला एवं बाल विकास | – | | 1 (1.96) | | 2 (3.50) | 1 (0.32) | 4 (5.78) |
| 10 | शिक्षा | 2 (43.08) | 7 (26.99) | 6 (22.94) | – | 10 (11.10) | 34 (9.17) | 59 (113.28) |
| 11 | पुलिस | 194 (32.42) | 133 (42.03) | 56 (34.16) | 14 (7.33) | 9 (14.92) | 11 (1.18) | 417 (132.04) |
| 12 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | – | – | – | – | – | 26 (3.16) | 26 (3.16) |
| 13 | तहसील | – | 3 (0.98) | – | – | – | 11 (1.36) | 14 (2.34) |
| 14 | राज्य आबकारी | – | 2 (3.86) | – | – | – | | 2 (3.86) |
| 15 | पशुपालन | 58 (5.63) | 66 (3.44) | 6 (1.98) | – | 1 (0.73) | 5 (0.69) | 136 (12.47) |
| 16 | लोक सेवा आयोग | – | 1 (3.16) | – | – | – | – | 1 (3.16) |
| 17 | सहकारिता | – | 1 (96.26) | – | – | – | – | 1 (96.26) |
| 18 | पचांयत एवं समाज कल्याण | 1 (4.00) | 1 (0.00) | 1 (0.23) | – | – | 1 (0.06) | 4 (4.29) |
| 19 | डेयरी विकास | – | – | | 1 (0.20) | – | 1 (0.02) | 2 (0.22) |
| 20 | रेशम | 2 (0.00) | 1 (0.10) | 1 (0.00) | – | – | | 4 (0.10) |
| 21 | जिला एवं सत्र न्यायालय | 2 (0.00) | 2 (1.08) | 2 (1.48) | 2 (8.71) | 1 (0.01) | – | 9 (11.28) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | खनिज संसाधन विभाग | 1 (0.15) | – | – | – | – | – | 1 (0.15) |
| 23 | श्रम एवं रोजगाार | 2 (0.50) | – | 5 (2.71) | – | 2 (0.07) | 3 (0.35) | 12 (3.63) |
| 24 | खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग | – | – | 1 (0.10) | – | – | 3 (0.13) | 4 (0.23) |
| 25 | आदिम जाति / आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण | 1 (0.00) | – | – | – | 4 (0.63) | 9 (2.59) | 14 (3.22) |
| 26 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं | 1 (9.85) | 4 (1.44) | 2 (31.05) | 6 (2.41) | 3 (1.33) | 12 (3.16) | 28 (49.24) |
| 27 | फसल कृषि कर्म | 3 (0.16) | 5 (5.59) | 1 (2.98) | – | – | – | 9 (8.73) |
| 28 | वन | 27 (121.59) | 63 (127.96) | 144 (158.92) | 221 (404.22) | 190 (122.21) | 318 (68.32) | 963 (1,003.22) |
| 29 | लोक निमार्ण | 341 (8,355.59) | 71 (651.44) | 43 (129.40) | – | – | – | 455 (9,136.43) |
| 30 | जन संसाधन विभाग | 7 (23.86) | 12 (190.84) | – | – | – | – | 19 (214.70) |
| 31 | भूमि संरक्षण | – | 1 (0.00) | – | – | – | – | 1 (0.00) |
| 32 | वित्त और सांख्यिकी निदेशालय | 1 (0.05) | – | – | – | – | – | 1 (0.05) |
| 33 | कलेक्ट्रेट | – | – | – | – | – | 3 (0.46) | 3 (0.46) |
| 34 | परिवहन विभाग | – | – | – | – | 1 (0.00) | – | 1 (0.00) |
| 35 | उद्योग | – | – | – | – | – | 1 (0.04) | 1 (0.04) |
| 36 | शहरी विकास | – | – | – | – | – | 1 (0.15) | 1 (0.15) |
| | **योग** | **651 (8,645.82)** | **394 (1,173.72)** | **278 (399.48)** | **250 (447.98)** | **228 (156.21)** | **462 (98.15)** | **2263 (10,921.36)** |

## परिशिष्ट 3.6
## (संदर्भ: कंडिका–3.4; पृष्ठ 69)
## वर्ष 2014–15 के दौरान हानि प्रकरणों में वसूली की जानकारी

(₹ में)

| सं. क्र. | प्र. क्र. | मुख्य शीर्ष | विभाग | हानि का प्रकार | वर्ष | हानि मात्रा | वसूली मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2406 | वानिकी | हानि | 2014–15 | 11,043.00 | 11,043.00 |
| 2 | 2 | 2406 | वानिकी | हानि | 2012–13 | 32,938.00 | 32,938.00 |
| 3 | 3 | 2406 | वानिकी | हानि | 1993–94 | 55,380.00 | 55,380.00 |
| 4 | 4 | 2406 | वानिकी | हानि | 2010–11 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 5 | 5 | 2406 | वानिकी | हानि | 1995–96 | 17,252.06 | 17,252.06 |
| 6 | 6 | 2406 | वानिकी | हानि | 1991–92 | 42,183.00 | 42,183.00 |
| 7 | 7 | 2406 | वानिकी | हानि | 2004–05 | 1,581.00 | 1,581.00 |
| 8 | 8 | 2406 | वानिकी | हानि | 2000–01 | 748.00 | 748.00 |
| 9 | 9 | 2406 | वानिकी | हानि | 2013–14 | 1,524.00 | 1,524.00 |
| 10 | 11 | 2406 | वानिकी | हानि | 2013–14 | 8,277.00 | 8,277.00 |
| 11 | 12 | 2406 | वानिकी | हानि | 2013–14 | 4,559.00 | 4,559.00 |
| 12 | 13 | 2406 | वानिकी | हानि | 2000–01 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 13 | 15 | 2406 | वानिकी | हानि | 1992–93 | 20,928.00 | 20,928.00 |
| 14 | 16 | 2406 | वानिकी | हानि | 2001–02 | 1,159.00 | 1,159.00 |
| 15 | 18 | 2406 | वानिकी | हानि | 2013–14 | 3,733.00 | 3,733.00 |
| 16 | 40 | 2406 | वानिकी | हानि | 1997–98 | 81,464.00 | 81,464.00 |
| 17 | 41 | 2406 | वानिकी | हानि | 1994–95 | 8,293.00 | 8,293.00 |
| 18 | 42 | 2406 | वानिकी | हानि | 1994–95 | 44,783.00 | 44,783.00 |
| 19 | 43 | 2406 | वानिकी | हानि | 1992–93 | 97,623.00 | 97,623.00 |
| 20 | 49 | 2406 | वानिकी | हानि | 2003–04 | 3,612.00 | 3,612.00 |
| 21 | 50 | 2406 | वानिकी | हानि | 1993–94 | 1,73,060.00 | 1,73,060.00 |
| **योग** | | | | | | **6,57,340.06** | **6,57,340.06** |
| 22 | 19 | 2055 | पुलिस | हानि | 2011–12 | 7,790.00 | 7,790.00 |
| 23 | 20 | 2055 | पुलिस | हानि | 2012–13 | 1,103.00 | 1,103.00 |
| 24 | 21 | 2055 | पुलिस | हानि | 2003–04 | 5,041.00 | 5,041.00 |
| 25 | 22 | 2055 | पुलिस | हानि | 2003–04 | 5,172.00 | 5,172.00 |
| 26 | 23 | 2055 | पुलिस | हानि | 2014–15 | 78.00 | 78.00 |
| 27 | 24 | 2055 | पुलिस | हानि | 2014–15 | 406.00 | 406.00 |
| 28 | 25 | 2055 | पुलिस | हानि | 2014–15 | 4,548.00 | 4,548.00 |
| 29 | 27 | 2055 | पुलिस | हानि | 2013–14 | 1,228.00 | 1,228.00 |
| 30 | 33 | 2055 | पुलिस | हानि | 2009–10 | 1,106.00 | 1,106.00 |
| 31 | 34 | 2055 | पुलिस | हानि | 2014–15 | 1,308.00 | 1,308.00 |
| 32 | 35 | 2055 | पुलिस | हानि | 2014–15 | 4,206.00 | 4,206.00 |
| 33 | 36 | 2055 | पुलिस | हानि | 2014–15 | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 34 | 39 | 2055 | पुलिस | हानि | 2013–14 | 5,745.00 | 5,745.00 |
| 35 | 44 | 2055 | पुलिस | हानि | 2005–06 | 1,696.31 | 1,696.31 |
| 36 | 45 | 2055 | पुलिस | हानि | 2012–13 | 5,038.00 | 5,038.00 |
| 37 | 46 | 2055 | पुलिस | हानि | 2012–13 | 1,228.00 | 1,228.00 |
| 38 | 47 | 2055 | पुलिस | हानि | 2014–15 | 9,04,478.00 | 71,000.00 |
| **योग** | | | | | | **9,51,931.31** | **1,18,453.31** |

| सं. क. | प्र. क. | मुख्य शीर्ष | विभाग | हानि का प्रकार | वर्ष | हानि मात्रा | वसूली मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 14 | | जल संसाधन विभाग | चोरी | 2006–07 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| **योग** | | | | | | **13,500.00** | **13,500.00** |
| 40 | 17 | 2210 | स्वास्थ्य एवं चिक्तिसा सेवाएं | हानि | 2014–15 | 2,23,302.00 | 2,23,302.00 |
| **योग** | | | | | | **2,23,302.00** | **2,23,302.00** |
| 41 | 29 | 2014 | जिला एवं सत्र न्यायधीश | गबन | 2002–03 | 1,37,177.94 | 1,37,177.94 |
| **योग** | | | | | | **1,37,177.94** | **1,37,177.94** |
| 42 | 37 | 2039 | आबकारी | हानि | 1969–70 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| **योग** | | | | | | **1,700.00** | **1,700.00** |
| 43 | 48 | 2202 | स्कूली शिक्षा | हानि | 2014–15 | 92,985.00 | 92,985.00 |
| | | | | | **योग** | **92,985.00** | **92,985.00** |
| **महायोग** | | | | | | **20,77,936.31** | **12,44,458.31** |

## परिशिष्ट 3.7
*(संदर्भ: कंडिका–3.5; पृष्ठ 69)*
(लघु शीर्ष 800 एवं अन्य व्यय के अंतगर्त समायोजन का विषलेशण)

| स. क्र. | मुख्य शीर्ष | मुख्य शीर्ष के अंतगर्त कुल व्यय (रू करोड़ में) | लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय के अंतगर्त कुल व्यय (रू करोड़ में) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3275– अन्य संचार सेवाएं | 76.41 | 76.41 | 100.00 |
| 2 | 6075–विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 2075–विविध सामान्य सेवाएं | 0.17 | 0.15 | 89.24 |
| 4 | 4801–बिजली परियोजनाओं में पूंजीगत परिव्यय | 190.81 | 158.31 | 82.97 |
| 5 | 4700–मुख्य सिचांई | 470.78 | 366.04 | 77.75 |
| 6 | 4701–मध्यम सिंचाई | 25.88 | 14.20 | 54.86 |
| 7 | 2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग | 439.65 | 177.80 | 40.44 |
| 8 | 2250–अन्य समाज सेवाएं | 7.21 | 2.83 | 39.23 |
| 9 | 2013–मंत्री परिषद | 25.78 | 4.56 | 17.71 |
| 10 | 2039–राज्य उत्पाद शुल्क | 67.36 | 7.59 | 11.27 |
| 11 | 2405–मछली पालन | 62.67 | 1.95 | 3.11 |
| 12 | 2403–पशु पाालन | 297.48 | 8.54 | 2.87 |
| 13 | 2852–उद्योग | 59.36 | 1.48 | 2.50 |
| 14 | 2014–न्याय प्रसाशन | 165.17 | 3.85 | 2.33 |
| 15 | 2012–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 6.77 | 0.16 | 2.30 |
| 16 | 6004–केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 157.17 | 2.38 | 1.51 |
| 17 | 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 317.65 | 4.33 | 1.36 |
| 18 | 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 139.40 | 1.50 | 1.08 |
| 19 | 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा संख्यिकी | 23.46 | 0.23 | 0.98 |
| 20 | 2215–जन पूर्ति तथा सफाई | 600.24 | 5.00 | 0.83 |
| 21 | 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 1,301.06 | 9.53 | 0.73 |
| 22 | 2225–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण | 184.01 | 1.24 | 0.68 |
| 23 | 2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 7.92 | 0.04 | 0.57 |
| 24 | 2203–तकनिकी शिक्षा | 71.39 | 0.30 | 0.42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 5054–सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2,583.14 | 8.55 | 0.33 |
| 26 | 2204–खेलकुद तथा युवा सेवाएं | 29.80 | 0.07 | 0.23 |
| 27 | 2053–जिला प्रशासन | 195.70 | 0.30 | 0.15 |
| 28 | 2071–पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ | 3,249.52 | 4.05 | 0.12 |
| 29 | 2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन | 52.34 | 0.05 | 0.10 |
| 30 | 2059–लोक निमार्ण कार्य | 325.62 | 0.27 | 0.08 |
| 31 | 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी | 1,082.10 | 0.60 | 0.06 |
| 32 | 4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 94.98 | 0.05 | 0.06 |
| 33 | 2015–निर्वाचन | 109.83 | 0.05 | 0.05 |
| 34 | 2202–सामान्य शिक्षा | 9,131.23 | 3.24 | 0.04 |
| 35 | 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 1,930.10 | 0.78 | 0.04 |
| 36 | 2851–ग्रामीण तथा लघु उद्योग | 125.38 | 0.04 | 0.04 |
| 37 | 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 5.60 | 0.00 | 0.03 |
| 38 | 2217–शहरी विकास | 364.97 | 0.07 | 0.02 |
| 39 | 2425–सहकारिता | 117.15 | 0.02 | 0.02 |
| 40 | 2216–आवास | 615.36 | 0.03 | 0.01 |
| 41 | 4702–लघु सिचांई पर पूंजीगत परिव्यय | 1,011.17 | 0.00 | 0.00 |
| **योग** | | **25,731.79** | **876.59** | |

## परिशिष्ट 3.8

## (संदर्भः कंडिका–3.5; पृष्ठ 69)

## (लघु शीर्ष "800"एवं अन्य प्राप्तियों के अंतगर्त समायोजन)

| स. क. | मुख्य शीर्ष | मुख्य शीर्ष के अंतगर्त कुल प्राप्तियाँ (रू करोड़ में) | लघू शीर्ष 800– अन्य प्राप्तियों के अतंगर्त कुल प्राप्तियाँ (रू करोड़ में) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0075–विविध सामान्य सेवाएं | 0.42 | 0.73 | 175.67 |
| 2 | 0702–लघु सिचांई | 127.23 | 182.33 | 143.31 |
| 3 | 0852–उद्योग | 4.44 | 4.46 | 100.37 |
| 4 | 0217–शहरी विकास | 4.47 | 4.47 | 100.02 |
| 5 | 0035–कृषि भुमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 6 | 0047–अन्य राज कोषीय सेवाएं | 0.01 | 0.01 | 100 |
| 7 | 0211–परिवार कल्याण | 0.02 | 0.02 | 100 |
| 8 | 0802–पेट्रोलियम | 0.04 | 0.04 | 100 |
| 9 | 1053–नगर विमानन | 1.97 | 1.97 | 100 |
| 10 | 0220–सूचना तथा प्रचार | 0.04 | 0.04 | 99.67 |
| 11 | 0235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 4.02 | 4.00 | 99.35 |
| 12 | 0435–अन्य कृषि कार्यक्रम | 1.97 | 1.94 | 98.32 |
| 13 | 0071–पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों के संदर्भ में अंशदान तथा वसूली | 6.11 | 5.83 | 95.44 |
| 14 | 0055–पुलिस | 13.79 | 10.29 | 74.62 |
| 15 | 0041– वाहन कर | 703.48 | 494.76 | 70.33 |
| 16 | 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 36.45 | 23.85 | 65.44 |
| 17 | 0058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 3.54 | 2.09 | 59.21 |
| 18 | 0059–लोक निमार्ण कार्य | 39.21 | 20.64 | 52.63 |
| 19 | 0403–पशु पालन | 5.36 | 2.57 | 47.95 |
| 20 | 0230–श्रम तथा रोजगार | 17.61 | 8.06 | 45.8 |
| 21 | 0250–अन्य सामाजिक सेवाएं | 38.77 | 17.38 | 44.84 |
| 22 | 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 4.72 | 1.70 | 35.94 |
| 23 | 0405–मछली पालन | 3.70 | 0.96 | 25.85 |
| 24 | 0042–माल तथा यात्री कर | 982.38 | 213.45 | 21.73 |
| 25 | 0056–जेल | 5.08 | 1.02 | 20.02 |
| 26 | 0043–विद्युत कर तथा शुल्क | 1,312.92 | 257.65 | 19.62 |
| 27 | 0039–राज्य उत्पाद शुल्क | 2,892.45 | 534.38 | 18.47 |
| 28 | 0029–भू–राजस्व | 331.56 | 60.41 | 18.22 |
| 29 | 0406–वाणिकी तथा वन्य प्राणी | 348.72 | 57.64 | 16.53 |
| 30 | 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 20.13 | 2.87 | 14.27 |
| 31 | 0701–मुख्य तथा मध्यम सिचांई | 6.67 | 0.85 | 12.74 |
| 32 | 0851–ग्राम तथा लघु उद्योग | 1.27 | 0.16 | 12.73 |
| 33 | 0030–स्टांप तथा पंजीकरण फीस | 1023.34 | 114.43 | 11.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0700–मुख्य सिचांई | 410.95 | 37.06 | 9.02 |
| 35 | 1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान | 8,919.18 | 659.32 | 7.39 |
| 36 | 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 3,572.68 | 238.07 | 6.66 |
| 37 | 0202–शिक्षा खेलकुद कला तथा संस्कृति | 30.78 | 1.96 | 6.38 |
| 38 | 1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 6.34 | 0.38 | 6.02 |
| 39 | 0023–होटल प्राप्ति कर | 6.49 | 0.29 | 4.49 |
| 40 | 0215–जल पूर्ति तथा सफाई | 3.53 | 0.15 | 4.15 |
| 41 | 0049–ब्याज प्राप्तियाँ | 116.70 | 4.73 | 4.05 |
| 42 | 1054–सड़क तथा सेतु | 2.22 | 0.07 | 3.30 |
| 43 | 0401–फसल कृषि कर्म | 8.70 | 0.19 | 2.20 |
| 44 | 0216–आवास | 3.38 | 0.05 | 1.48 |
| 45 | 0408–खाद्य संरक्षण तथा भंडागार | 0.18 | 0.00 | 1.34 |
| 46 | 0040–बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 8,428.11 | 32.60 | 0.39 |
| 47 | 0045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 25.86 | 0.05 | 0.21 |
| **योग** | | **29,476.99** | **3,005.92** | |

**इसमें वसूलियाँ सम्मलित हैं।*

## *परिशिष्ट 3.9*

*(संदर्भ: कंडिका–3.6; पृष्ठ 70)*

## (राजस्व विभाग के अंतगर्त समायोजित मुख्य कार्यों का विवरण)

*(₹ करोड़ में)*

| स. कं. | मुख्य शीर्ष | नाम | उददेश्य शीर्ष | नम | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | न्याय प्रशासन | 26 | मुख्य कार्य | 2.34 |
| 2 | 2215 | जल पूर्ति तथा सफाई | 26 | मुख्य कार्य | 107.65 |
| | | | | | **109.99** |

## परिशिष्ट 3.10
## (संदर्भः कंडिका–3.6; पृष्ठ 70)
## पूंजीगत विभाग के अंतगर्त सहायता अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

| स. क | मुख्य शीर्ष | नाम | उददेश्य शीर्ष कोड़ | नाम | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4059 | लोक निमार्ण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 10.50 |
| 2 | 4202 | शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 22.56 |
| 3 | 4210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 2.00 |
| 4 | 4217 | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 300.00 |
| 5 | 4225 | अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 105.83 |
| 6 | 4403 | पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 3.99 |
| 7 | 4515 | अन्य ग्राम विकास कार्यकर्मों पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 365.44 |
| 8 | 4801 | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 190.81 |
| 9 | 4852 | लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 5.00 |
| 10 | 5425 | अन्य विज्ञानकि तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 5.90 |
| 11 | 5452 | पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 45 | पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए अनुदान | 1.50 |
| 12 | 4853 | अलौह खनन तथा धातु पर पूंजीगत परिव्यय | 14 | सहायता अनुदान | 3.12 |
| **योग** | | | | | **1,016.66** |

## *परिशिष्ट 3.11*

*(संदर्भः कंडिका–3.6; पृष्ठ 71)*

### अनियमित स्वीकृति का विवरण

(₹ लाख में)

| स. कं. | विभाग | स्वीकृति तिथि | वर्गीकरण | कार्य विवरण | आपत्ति का प्रकार | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया | 06.05.14 | अनुदान सं. 45/2702 ओडरी विपथन इकाई 2 नहर | मुख्य नहर की 180 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण | अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत् | 21.89 |
| 2 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूंठ पुर, कोरिया | 06.05.14 | अनुदान सं. 45/2702 ए/आर (अयोजनोत्तर) इकाई 2 चंटी नहर | मुख्य नहर की 5730 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण | अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत् | 21.89 |
| 3 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया | 06.05.14 | अनुदान सं. 45/2702 (अयोजनोत्तर) ओडरी विपथन इकाई 2 नहर | मुख्य नहर की 180 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण (ओडरी विपथन की छपरा टोला) | अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत् | 29.19 |
| 4 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया | 06.05.14 | अनुदान सं. 45/2702 (अयोजनोत्तर) भरोटा नहर इकाई 2 नहर | मुख्य नहर की 1710 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण (बरोटा नहर) | अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत् | 21.89 |
| 5 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया | 06.05.14 | अनुदान सं. 45/2702 (अयोजनोत्तर) ओडरी विपथन इकाई 2 नहर | मुख्य नहर की 8085 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण (ओडरी विपथन) | अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत् | 21.89 |
| 6 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया | 06.05.14 | अनुदान सं. 45/2702 (अयोजनोत्तर) कंजिया विपथन इकाई 2 नहर | मुख्य नहर की 270 मी. सड़क के मुहाने का निमार्ण (कांजिया विपथन) | अनियमित (पूंजीगत कार्य के राजस्व शीर्ष में उल्लेखन) बाबत् | 21.89 |
| 7 | अधिकक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना क्षेत्र जगदलपुर | 18.09.14 | अनुदान सं. 41/4702 पारापुर अनिकट मार्ग | इंदरावति परियोजना क्षेत्र, जगदलपुर कार्यलय के मोटर साइकिल स्टैड़ का निमार्ण | गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित) | 0.86 |
| 8 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, मरवाही | 26.06.14 | अनुदान सं. 41/4702 दररी विपथन परियोजना | मरवाही कार्यालय भवन की आर सी सी छत का का निमार्ण | गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित) | 8.81 |
| 9 | अधिकक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना क्षेत्र जगदलपुर | 11.09.14 | अनुदान सं. 41/4702 रेडीपाल अनिकट की आकस्मिकता | शासकीय जीप सं. सी जी 02/2054 की मरम्मत | गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित) | 0.335 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | कार्यपालन अंभियंता, एमआरपी फेस–2 लोक निमार्ण विभाग रायपुर | 06.09.14 | अनुदान सं. 23/4700, राजीव समोदो निशदा विपथन परियोजना फेस–2 | मंडल कार्यालय एम आर पी फेश 2 के फर्श कार्य का पुनः आकलन | गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित) | 11.85 |
| 11 | अधिकक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना क्षेत्र जगदलपुर | 11.09.14 | अनुदान सं. 41/4702 देवदा अनिकट भाकेड़ की आकस्मिकता | मंडी सिचांई कालोनी नं. 2 जी क्वाटर की मरम्मत एवं नवीनीकरण | गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित) | 5.29 |
| 12 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया | 26.03.14 | अनुदान सं. 41/4702 आदिवासी उपयोजना | कार्यालय भवन की रंगाई एवं पुताई | गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित) | 0.68 |
| 13 | कार्यपालन अंभियंता, टी. डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग जगदलपुर (बस्तर) | 9.7.14 | अनुदान सं. 41/4702 दिलमिली, क्षेपरागोड़ा विपथन परियोजना की आकस्मिकता | जल संरक्षण वर्ष 2013 के विज्ञापन | गलत शीर्ष में उल्लेखन (राजस्व कार्य पूंजीगत कार्य में उल्लेखित) | 1.94 |
| 14 | अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर | 26.06.14 | अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना | दतरेंगी वितरक का सर्वे | बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित | 3.33 |
| 15 | अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर | 26.06.14 | अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना | बेंद्री वितरक का सर्वे | बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित | 2.05 |
| 16 | अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर | 26.06.14 | अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना | भाटापारा नहर के राजधर वितरक का सर्वे | बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित | 2.04 |
| 17 | अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर | 26.06.14 | अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना (भाटापारा शाखा नहर) | भाटापारा नहर (77. 475 कि.मी. सड़क) के बिजरा डीह वितरक का सर्वे | बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित | 1.14 |
| 18 | अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर | 26.06.14 | अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना (भाटापारा शाखा नहर) | भाटापारा नहर (78. 924 कि.मी. सड़क) के अकोली डीह वितरक का सर्वे | बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित | 1.67 |
| 19 | अधिकक्षण अभियंता, महानदी परियोजना क्षेत्र रायपुर | 26.06.14 | अनुदान सं. 41/4700 संढूंर परियोजना (भाटापारा शाखा नहर) | भाटापारा नहर (69. 615 कि.मी. सड़क) के सिमरिया वितरक का सर्वे | बजट प्रावधान के विरूद्ध उल्लेखित | 1.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 09.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव ठाकुरदिया के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.24 |
| 21 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 09.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव सानाडुला के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (187.296 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.42 |
| 22 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 09.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव आमाडीह के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (147.57हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.38 |
| 23 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 08.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव टूंडरी के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (347.96 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 1.00 |
| 24 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 08.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव पूरगाँव के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (36.703 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.08 |
| 25 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव नगरदा डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (368.018 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.55 |
| 26 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव बील्हा डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (125.979 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.27 |
| 27 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव गोरबा के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (135. 257 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.15 |
| 28 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव बेलमुडी के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (36. 703 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.13 |
| 29 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव टेंडूमढ़ही के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव बनाहील के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (80.727 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.17 |
| 31 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव अलीकुड के डबल्यु यू ए नगरदा कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (93.041 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.11 |
| 32 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 07.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव चीचोली के डबल्यु यू ए सलोनी कला कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.10 |
| 33 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 7.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव शालीजा के डबल्यु यू ए शलोनी कला कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (133.766 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.09 |
| 34 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 7.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव गुवाहटी के डबल्यु यू ए शलोनी कला कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (104.155 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.07 |
| 35 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 8.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव कोरकोटी के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (117.141 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.31 |
| 36 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 7.11.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव शलोनी र्खुद के डबल्यु यू ए शलोनी कला कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (105.036 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.07 |
| 37 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव परसाडीह के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (160.974 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.27 |
| 38 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 14.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव देवरोहा के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (155.79 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.26 |
| 39 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 10.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव केथा के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (120.94 हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार | 10.10.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव मडकडी के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत (179. 89हक्टे.) | फील्ड चैनल की मरम्मत के लिए प्रावधान दिया गया लेकिन मरम्मत नहीं दी गई | 0.20 |
| 41 | अधिकक्षण अभियंता, पी एच इ, रायपुर | 19.01.15 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | 26 जनवरी को नल जल योजना की झांकी | – | 4.60 |
| 42 | कार्यपालन अंभियंता, टी. डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर (बस्तर) | 03.07.14 | लघु सिचांई कार्य की वार्षिक मरम्मत | अधिक्षक अभियंता बंगलें, निर्मल कॉलोनी जगदलपुर की मरम्मत एवं अरिरिक्त आकलन | मुख्य एवं लघु शीर्ष का विवरण नहीं दिया गया | 2.52 |
| 43 | मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़) | 4.04.15 | अनुदान सं. 23/4700 महानदी परियोजना की सी सी लाइंनिग एम बी सी सं. 10 का निमार्ण | मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर का वर्ष 2015–16 का ग्रीष्म ऋतु आकलन | पूंजीगत व्यय का कार्य राजस्व व्यय में उल्लेखित होना था | 8.54 |
| 44 | मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़) | 4.04.15 | अनुदान सं. 23/4700 महानदी परियोजना की सी सी लाइंनिग एम बी सी सं. 10 का निमार्ण | मुख्य अभियंता कार्यालय एम आर पी रायपुर का वर्ष 2015–16 का ग्रीष्म ऋतु आकलन | पूंजीगत व्यय का कार्य राजस्व व्यय में उल्लेखित होना था | 5.48 |
| 45 | मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़) | 24.01.15 | अनुदान सं. 64/4700 | स्वदेशी मेला (2014–15) रायपुर की जल संसाधन विभाग दुकान का आकलन | कार्यालय आकस्मिकता से कार्य भारित होना था | 8.86 |
| 46 | मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़) | 25.04.15 | अनुदान सं. 23/4300 मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर के कार्यालय का ग्रीष्म ऋतु आकलन | मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग रायपुर का वर्ष 2014–15 का ग्रीष्म ऋतु आकलन | व्यय आकस्मिकता स्वभाव का है एवं 23/2700 से भारित होना था | 8.01 |
| 47 | मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़) | 04.10.14 | अनुदान सं. 45/4702 | राज्य स्थापना दिवस 2014 के महोत्सव में छ. ग. राज्य की जल संसाधन विभाग दुकान का आकलन | कार्यालय आकस्मिकता से कार्य भारित होना था | 43.11 |
| 48 | कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन विभाग, बैकूठ पुर, कोरिया | 31.10.14 | अनुदान सं. 41/4702 | राज्य उत्सव 2014 की विभाग की दुकान का आकलन | कार्यालय आकस्मिकता से कार्य भारित होना था | 0.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना बिलासपुर | 23.02.15 | अनुदान सं. 45/4702 | साराडीह बराज की गाड़ी सी जी 02/1684 की मरम्मत का आकलन | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.74 |
| 50 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा | 10.12.14 | अनुदान सं. 40/4705 | गाँव कुम्हारी, अमलीडीह, इकाई 1 एवं 2 के डबल्यु यू ए टुंडरी कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 2.71 |
| 51 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा | 10.12.14 | अनुदान सं. 40/4705 जोंक परियोजना | गाँव मटिया के डबल्यु यू ए हसुआ कमांड़ क्षेत्र की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 1.44 |
| 52 | अधीकक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भूमि जल सर्वे क्षेत्र | 20.02.14 | अनुदान सं. 23/4702 | शासकीय जीप मार्शल सी जी 02/1698 का मरम्मत आकलन | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.50 |
| 53 | मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छत्तीसगढ़) | 24.1.15 | अनुदान सं. 64/4700 | 26 जनवरी 2015 को जल संसाधन विभाग की झांकी का आकलन | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 9.74 |
| 54 | अधीक्षक अभियंता, इंदिरावती परियोजना क्षेत्र, जगदलपुर | 22.1.15 | अनुदान सं. 41/4702 | जगदलपुर में गंणतंत्र दिवस उत्सव पर मॉडल पर निमार्ण | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 1.09 |
| 55 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा | 27.11.14 | अनुदान सं. 45/4702 | बलौदा बजार कार्यालय के विद्युत कार्यों की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.19 |
| 56 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा | 26.11.14 | अनुदान सं. 45/4702 | सिचांई अवधि के पश्चात महुतारा नहर की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.50 |
| 57 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल बलौदा बजार, भाटा पारा | 26.11.14 | अनुदान सं. 45/4702 बागबुड़ा विपथन परियोजना | डब्लयू यू ए बांगबूढ़ा में बांगबूढ़ा विपथन परियोजना की मरम्मत एवं रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.50 |
| 58 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा | 23.09.14 | अनुदान सं. 45/4702 खपारी आनीकट | शिवनाथ नदी, ब्लाक–बलौदा बजार खपारी अनीकट की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा | 23.09.14 | अनुदान सं. 45/4702 केशला आनीकट | शिवनाथ नदी, ब्लाक–बलौदा बजार केसला अनीकट की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.61 |
| 60 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा | 23.09.14 | अनुदान सं. 45/4702 सिलवा आनीकट | शिवनाथ नदी, ब्लाक–बलौदा बजार सिलवा अनीकट की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.76 |
| 61 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा | 23.09.14 | अनुदान सं. 45/4702 पानड़रिया आनीकट | शिवनाथ नदी, ब्लाक–बलौदा बजार पानड़रिया अनीकट की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.52 |
| 62 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा | 30.09.14 | अनुदान सं. 45/4702 बलौदा नहर | बलौदा नहर के चैनल 275 (इकाई 2) के सैफन का नवीनीकरण | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 2.95 |
| 63 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण विभाग, विपथन कसडोल, भाटा पारा | 16.09.14 | अनुदान सं. 64/4702 | पुराना कार्यालय भवन भठगाँव की मरम्मत | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 2.23 |
| 64 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद | 05.09.14 | अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य | घोरघाटी मुख्य नहर की मरम्मत एवं रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 29.83 |
| 65 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद | 05.09.14 | अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य | चैनल 125, 70, 90, 130, 30, लामभेनी नहर की मरम्मत का रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 15.43 |
| 66 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद | 05.09.14 | अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य | चैनल 32, 56, 57, 58, 60, सिंघारा नहर की मरम्मत का रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 16.27 |
| 67 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद | 05.09.14 | अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य | चैनल 10, 11, 12, 38, 52 से 57 तक, 88 से 100 तक, 104, 107 छीरापली नहर की मरम्मत का रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 6.28 |
| 68 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निमार्ण, महासमूंद | 05.09.14 | अनुदान सं. 8443 बाढ़ आपदा को जमा कार्य | चैनल 59, 23, 50, 55 नहाल नहर की मरम्मत का रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.89 |
| 69 | कार्यपालन अभियंता, टीडीपीपी, जल संसाधन निमार्ण, जगदलपुर बस्तर | 14.08.14 | अनुदान सं. 41/4701 "के" भवन नहर कार्य | जगदलपुर कार्यालय मडंल भवन एवं इंदिरावती परियोजना भवन का पूर्व निमार्ण रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | कार्यपालन अभियंता, टीडीपीपी, जल संसाधन निमार्ण, जगदलपुर बस्तर | 22.09.14 | अनुदान सं. 26/4702 पीथापुर नहर परियोजना | पीथापुर नहर परियोजना के नवीनीकरण के सर्वे कार्य का पुनः आकलन | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 0.80 |
| 71 | अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़) | 14.08.14 | अनुदान सं. 23/4700 मिनीमाता (हंसदेव) बांगो परियोजना | एल बी सी 49770 मी. सड़क के निरक्षण कक्ष की मरम्मत एवं रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 10.00 |
| 72 | अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़) | 04.10.14 | अनुदान सं. 23/4700 | सिचांई कॉलोनी भाटा शक्ति के मडंल कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 10.09 |
| 73 | अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़) | 04.10.14 | अनुदान सं. 23/4700 | जल संसाधन विभाग कॉलोनी शक्ति के उप मडंल कार्यालयों की मरम्मत एवं रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 9.98 |
| 74 | अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़) | 04.10.14 | अनुदान सं. 23/4700 | सिचांई कॉलोनी नंनदेली भाटा शक्ति के एच टाइप क्वाटर की मरम्मत एवं रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 10.10 |
| 75 | अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़) | 04.10.14 | अनुदान सं. 23/4700 | सिचांई कॉलोनी नंनदेली भाटा शक्ति के एफ टाइप क्वाटर की मरम्मत एवं रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 10.07 |
| 76 | अधीक्षण अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर, न. 6 नानदेलीभाटा शक्ति (छत्तीसगढ़) | 04.10.14 | अनुदान सं. 23/4700 | सिचांई कॉलोनी नंनदेली भाटा शक्ति के जी टाइप क्वाटर की मरम्मत एवं रख रखाव | राजस्व व्यय शीर्ष में कार्य भारित होना था | 10.10 |
| **योग** | | | | | | **414.235** |

## *परिशिष्ट–3.12*

## *(संदर्भः कंडिका–3.7.6.1; (क) पृष्ठ 74)*

## अनुबंधित अवधि के बाद पीडी खाते के अधीन अव्ययित राशि का विवरण

*(राशि ₹ में)*

| स.क्र. | कोषालय का नाम | कार्यालय का नाम | प्राप्ति | भुगतान | शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर | सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर | 35,81,47,501.00 | 66,07,130.00 | 35,15,40,371.00 |
| | | उप संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर | 18,17,90,220.00 | 18,10,25,694.00 | 7,64,526.00 |
| 2 | जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़ | सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़ | 86,14,864.00 | 70,39,837.00 | 15,75,027.00 |
| | | परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, धरमजयगढ़ | 5,42,540.00 | 77,500.00 | 4,65,040.00 |
| | | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ | 1,44,108.00 | 0.00 | 1,44,108.00 |
| 3 | जिला कोषालय अधिकारी, अम्बिकापुर | कलेक्टर (भू–अभिलेख), अम्बिकापुर | 1,20,34,158.00 | 1,17,73,421.00 | 2,60,737.00 |
| | | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीतापुर | 15,00,000.00 | 0.00 | 15,00,000.00 |
| | | जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, अम्बिकापुर | 3,11,66,304.00 | 3,10,16,304.00 | 1,50,000.00 |
| | | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर | 90,25,000.00 | 35,00,000.00 | 55,25,000.00 |
| | | जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर | 1,29,07,200.00 | 11,82,046.00 | 1,17,25,154.00 |
| | | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उदयपुर | 23,25,000.00 | 0.00 | 23,25,000.00 |
| 4 | जिला कोषालय अधिकारी, जशपुर | सहायक संचालक, रेशम, जशपुर | 4,87,000.00 | 0.00 | 4,87,000.00 |
| | | परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जशपुर | 4,35,000.00 | 34,990.00 | 4,00,010.00 |
| 5 | जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर | उप संचालक (मत्स्य), बिलासपुर | 12,12,478.00 | 12,08,558.00 | 3,920.00 |
| **योग** | | | **62,03,31,373.00** | **24,34,65,480.00** | **37,68,65,893.00** |

## *परिशिष्ट–3.13*

*(संदर्भः कंडिका–3.7.6.1; (ख) पृष्ठ 74)*

## अनुबंधित सीमा के बाद राशि व्यय करने का विवरण

| स. क्र. | कोषालय का नाम | पीडी धारक का नाम | माह में व्यय | ₹ राशि में जुलाई 2014 के बाद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रायगढ़ | जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ | अगस्त, 2014 | 1,01,543.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, खरसिया, रायगढ़ | सितम्बर, 2014 | 85,160.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मुकडेगा, रायगढ़ | अगस्त, 2014 | 80,940.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, लैलूंगा, रायगढ़ | अगस्त, 2014 | 80,940.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, धरमजयगढ़, रायगढ़ | नवम्बर, 2014 | 80,940.00 |
| **योग** | | | | **4,29,523.00** |

## *परिशिष्ट–3.14*

## *(संदर्भः कंडिका–3.7.6.1; (ग) पृष्ठ 74)*

## वर्ष 2014–15 में अनुबंधित सीमा के बाद पीडी खाते में राशि जमा करने का विवरण

*(राशि ₹ में)*

| स.क्र | कोषालय का नाम | कार्यालय का नाम | वर्ष 2014–15 में जमा |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़ | जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ | 93,28,874.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, तमनार, रायगढ़ | 4,90,000.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, घड़घोड़ा, रायगढ़ | 4,40,000.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, धरमजयगढ़, रायगढ़ | 11,42,315.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, कापू, रायगढ़ | 2,60,000.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, खरसिया, रायगढ़ | 2,80,000.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मुकडेगा, रायगढ़ | 1,20,000.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, लैलूंगा, रायगढ़ | 5,60,000.00 |
| | | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, रायगढ़ (ग्रामीण) | 2,60,000.00 |
| 2 | जिला कोषालय अधिकारी, जशपुर | सहायक संचालक, रेशम, जशपुर | 1,63,000.00 |
| | | उप संचालक, कृषि, जशपुर | 37,40,000.00 |
| | | सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर | 18,98,61,925.00 |
| | | सहायक संचालक, उद्यान, जशपुर | 14,23,205.00 |
| | | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जशपुर | 1,50,000.00 |
| | | जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर | 37,51,784.00 |
| | | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनोरा, जशपुर | 14,86,119.00 |
| | | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बगीचा, जशपुर | 3,76,16,075.00 |
| | | जिला निर्वाचन अधिकारी, जशपुर | 44,27,028.00 |
| | | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जशपुर | 19.98,946.00 |
| | | जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जशपुर | 4,32,64,750.00 |
| **योग** | | | **30,07,64,021.00** |

## परिशिष्ट–3.15

## (संदर्भ: कंडिका–3.7.6.3; पृष्ठ 75)

## अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खाते का विवरण

(राशि ₹ में)

| स.क. | कोषालय का नाम | कार्यालय का नाम | अप्रचलित अवधि | शेष राशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर | उप संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर | मार्च 2007 | 7,64,526.00 | 4,15,00,878. |
| | | लघु बचत अधिकारी, रायपुर | जुलाई 2007 | 6,56,060.00 | |
| | | खाद्य नियंत्रक, रायपुर | जून 2008 | 2,02,24,467.00 | |
| | | संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, रायपुर | फरवरी 2008 | 48,55,825.00 | |
| | | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर | जनवरी 2010 | 1,50,00,000.00 | |
| 2 | जिला कोषालय अधिकारी, राजनांदगांव | कलेक्टर (खाद्य), राजनांदगांव | जुलाई 2009 | 89,32,134.00 | 89,32,134.00 |
| 3 | जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़ | कलेक्टर (वित्त), रायगढ़ | मार्च 2010 से अप्रचलित | 175.00 | 15,14,66,286.00 |
| | | जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ | | 297.00 | |
| | | कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, रायगढ़ | | 15,01,63,800.00 | |
| | | कलेक्टर (खनिज), रायगढ़ | | 1,12,573.00 | |
| | | जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, रायगढ़ | | 11,89,441.00 | |
| 4 | जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर–चांपा | जिला खाद्य अधिकारी | अगस्त 2010 | 57,02,000.00 | 57,02,000.00 |
| 5 | जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर | पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बिलासपुर | मार्च 2010 से अप्रचलित | 99,509.00 | 1,86,87,978.00 |
| | | कलेक्टर (खाद्य), बिलासपुर | सितम्बर 2010 | 1,85,88,469.00 | |
| **योग** | | | | **22,62,89,276.00** | **22,62,89,276.00** |

## *परिशिष्ट–3.16*
## *(संदर्भः कंडिका–3.7.6.5; पृष्ठ 76)*
## कोषालय एवं प्रशासक के पीडी खाते के आंकड़े के बीच अंतर

*(राशि ₹ में)*

| स.क्र. | कोषालय का नाम | प्रशासक का नाम | वर्ष | कोषालय के अनुसार अंतशेष | प्रशासक के अनुसार अंतशेष | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला कोषालय, जांजगीर–चांपा | भू–अर्जन अधिकारी, जांजगीर | 2010–2011 | 3,98,61,357.00 | 1,67,47,887.00 | 2,31,13,470.00 |
| | | | 2011–2012 | 4,94,54,979.00 | 2,39,83,349.00 | 2,54,71,630.00 |
| | | | 2012–2013 | 3,61,74,104.00 | 1,21,69,736.00 | 2,40,04,368.00 |
| | | | 2013–2014 | 55,71,86,380.00 | 1,39,20,160.00 | 54,32,66,220.00 |
| | | | 2014–2015 | 1,00,50,82,935.00 | 91,32,64,547.00 | 9,18,18,388.00 |
| | | संभागीय वन अधिकारी, जांजगीर | 2010–2011 | 37,45,267.00 | 9,66,767.00 | 27,78,500.00 |
| | | | 2011–2012 | 38,87,129.00 | 10,53,629.00 | 28,33,500.00 |
| | | | 2012–2013 | 42,97,129.00 | 16,48,629.00 | 26,48,500.00 |
| | | | 2013–2014 | 46,21,673.00 | 20,27,173.00 | 25,94,500.00 |
| | | | 2014–2015 | 58,59,389.00 | 33,46,218.00 | 25,13,171.00 |
| 2 | जिला कोषालय, अम्बिकापुर | सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अम्बिकापुर | 2012–2013 | 8,63,03,023.00 | 8,63,03,023.00 | 0.00 |
| | | | 2013–2014 | 5,46,36,166.00 | 4,91,12,449.00 | 55,23,717.00 |
| | | | 2014–2015 | 7,90,77,713.00 | 7,57,51,396.00 | 33,26,317.00 |
| 3 | जिला कोषालय, बिलासपुर | उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर | 2010–2011 | 10,75,07,386.00 | 12,48,50,109.00 | (–) 1,73,42,723.00 |
| | | | 2011–2012 | 12,25,42,442.00 | 15,79,26,275.00 | (–) 3,53,83,833.00 |
| | | | 2012–2013 | 16,71,35,979.00 | 20,81,53,507.00 | (–) 4,10,17,528.00 |
| | | | 2013–2014 | 14,90,86,779.00 | 21,41,49,301.00 | (–) 6,50,62,522.00 |
| | | | 2014–2015 | 8,43,51,545.00 | 14,39,78,559.00 | (–) 5,96,27,014.00 |
| | | उप संभागीय अधिकारी, कोटा, बिलासपुर | 2010–2011 | 7,11,07,293.00 | 4,97,55,951.00 | 2,13,51,342.00 |
| | | | 2011–2012 | 17,77,95,604.00 | 6,18,35,938.00 | 11,59,59,666.00 |
| | | | 2012–2013 | 7,46,14,009.00 | 7,55,02,246.00 | (–) 8,88,237.00 |
| | | | 2013–2014 | 8,71,14,294.00 | 5,47,86,851.00 | 3,23,27,443.00 |
| | | | 2014–2015 | 44,56,67,946.00 | 13,51,96,195.00 | 31,04,71,751.00 |

## परिशिष्ट 3.17

*(संदर्भः कंडिका–3.8.5.1; पृष्ठ 78)*

### संभाग जमा रजिस्टर में व्यपगत जमा की स्थिति जो कि संधारित है लेकिन अद्यतन नहीं है

| सं.क्रं. | संभाग का नाम | पंजी की स्थिति | वर्ष जहाँ से जमा लंबित है | मदों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बेमेतरा | मार्च 2013 तक संधारित | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | लोक निर्माण भ/स बेमेतरा संभाग दुर्ग | जून 2011 तक संधारित | 2001–02 | 344 | 151.37 |
| 3 | लोक निर्माण विभाग बलौदा बजार | संधारित पर अद्यतन नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | रिकार्ड संधारित नहीं |
| 4 | मिनीमाता नहर विपथन स. 6, शक्ति | 2010–11 तक संधारित | 1992–93 | 66 | 123.00 |
| 5 | जल संसाधन संभाग कोटा | 2013–14 तक संधारित | 1996–97 | 22 | 71.54 |
| 6 | जल संसाधन संभाग जशपुर | 2012–13 तक संधारित | 2001–02 | 43 | 91.69 |
| 7 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग | 2008–09 तक संधारित | 2008–09 | 370 | 288.61 |
| | **योग** | | | **845** | **726.21** |

*परिशिष्ट–3.18*

*(संदर्भः कंडिका–3.8.5.2; पृष्ठ 78)*

## नमूना जाँच संभागों के व्यपगत निक्षेपों का शासकीय खातों में लंबित जमा की स्थिति

| सं.क्रं. | संभाग का नाम | पंजी की स्थिति | वर्ष (जहाँ से जमा लंबित है) | मदों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खंड, रायपुर | संधारित | 1996–97 | 98 | 78.55 |
| 2 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, महासमुंद | संधारित | 1999–2000 | 190 | 77.29 |
| 3 | जल संसाधन संभाग, महासमुन्द | संधारित | 1981–82 | 14 | 27.30 |
| 4 | लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा, दुर्ग | जून 2011 तक संधारित | 2001–02 | 344 | 151.37 |
| 5 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कांकेर | संधारित | 2008–09 | 144 | 29.47 |
| 6 | जल संसाधन विभाग संभाग, कोरबा | संधारित | 2004–05 | 74 | 215.39 |
| 7 | हसदेव बांगो नहर जल/संसाधन संभाग जांजगीर | संधारित | 1983–84 | 251 | 79.35 |
| 8 | एम.एस.मिनीमाता बांगो नहर संभाग संख्या–06, सक्ति | 2010–11 तक संधारित | 1992–93 | 66 | 123.00 |
| 9 | लोक निर्माण विभाग संभाग, रायगढ़ | संधारित | 1991–92 | 619 | 188.73 |
| 10 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बिलासपुर | संधारित | 1981–82 | 855 | 228.96 |
| 11 | जल संसाधन विभाग संभाग, पेण्ड्रा रोड | संधारित | 2006–07 | 21 | 80.67 |
| 12 | लोक निर्माण विभाग, संभाग, रामानुजगंज | संधारित | 2007–08 | 110 | 27.03 |
| 13 | जल संसाधन विभाग, संभाग, कोटा | 2013–14 तक संधारित | 1996–97 | 22 | 71.54 |
| 14 | जल संसाधन विभाग, संभाग, धरमजयगढ़ | संधारित | 1993–94 | 32 | 86.74 |
| 15 | जल संसाधन विभाग, संभाग, जशपुर | 2012–13 तक संधारित | 2001–02 | 43 | 91.69 |
| 16 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग | 2008–09 तक संधारित | 2008–09 | 370 | 288.61 |
| 17 | जल संसाधन विभाग, संभाग, गरियाबंद | संधारित | 2004–05 | 55 | 58.12 |
| | **कुल योग** | | | **3308** | **1,903.81** |

## परिशिष्ट– 3.19
## (संदर्भः कंडिका–3.8.5.4; पृष्ठ 79)
## जमा खातों में राजस्व का अवधरण

(₹ में)

| सं. कं | संभाग का नाम | वर्षों से | कर | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रॉयल्टी | कर्मकार उपकर | वाणिज्यिक कर (वैट) | केंद्रीय उत्पाद शुल्क | सकल योग |
| 1 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना संभाग, रायपुर | उपलब्ध नहीं | 0.00 | 12,92,328.00 | 0.00 | 10,90,312.00 | 23,82,640.00 |
| 2 | जल संसाधन विभाग संभाग, महासमुन्द | 2012–13 | 97,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,971.00 |
| 3 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बेमेतरा | 2014–15 | 11,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,190.00 |
| 4 | लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कवर्धा | 2014–15 | 8,21,552.00 | 6,42,115.00 | 0.00 | 0.00 | 14,63,667.00 |
| 5 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कांकेर | 2012–13 | 0.00 | 3,13,783.00 | 10,93,942.00 | 0.00 | 14,07,725.00 |
| 6 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कोण्डागाँव | 2014–15 | 24,500.00 | 0.00 | 1,58,260.00 | 0.00 | 1,82,760.00 |
| 7 | जल संसाधन विभाग, संभाग–कोरबा | उपलब्ध नहीं | 34,848.00 | 0.00 | 3,70,457.00 | 0.00 | 4,05,305.00 |
| 8 | हसदेव बांगो जल/प्रबंधन संभाग, जांजगीर | 2012–13 | 26,90,436.00 | 54,45,817.00 | 21,15,151.00 | 0.00 | 1,02,51,404.00 |
| 9 | एम.एम.मिनीमाता बांगो नहर संभाग संख्या–06, सक्ति | 2012–13 | 22,50,644.00 | 1,76,247.00 | 2,74,218.00 | 0.00 | 27,01,109.00 |
| 10 | जल संसाधन विभाग, संभाग, जशपुर | 03ध्2013 | 11,16,365.00 | 1,11,053.00 | 10,83,778.00 | 0.00 | 23,11,196.00 |
| 11 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग | | 12,47,483.00 | 4,92,693.00 | 0.00 | 0.00 | 17,40,176.00 |
| **कुल योग** | | | **82,94,989.00** | **84,74,036.00** | **50,95,806.00** | **10,90,312.00** | **2,29,55,143.00** |

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in